जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN
2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद देहरादून

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
देहरादून।

उत्तराखण्ड एक मध्य हिमालय राज्य होने के कारण अनेक दैवीय आपदाओं से जूझता रहा है। जनपद देहरादून भूकम्प की दृष्टि से जोन 4 में स्थित होने के कारण इन आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। इनसे होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिये पूर्व तैयारियों की अत्यन्त आवश्यकता है। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत जनपद की समस्त संभावित आपदाओं से निपटने हेतु इस आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को जनपद के महत्वपूर्ण विभागों की कार्ययोजनाओं को संकलित कर बनाया गया है, जिसमे आपदा के पिछले अनुभव एवं जनपद में विद्यमान भौतिक, मानवीय, विभागीय एवं संस्थागत संसाधनों के समावेश के साथ–साथ उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिए आवश्यक होती है। इस कार्ययोजना का मूल्यांकन हर वर्ष आने वाली नई समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भी किया जाना आवश्यक होगा ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहें।

जनपद देहरादून में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत राहत एवं बचाव कार्य हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना वर्ष–2025–2026 तैयार की गयी है। आपदाओं से बचाव एवं राहत हेतु सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करते समय यह प्रयास किया गया है कि आपदा से सम्बन्धित समस्त सूचनायें संकलित हो सकें एवं कार्य योजना को अध्यावधिक किया जा सके। आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–40 के आलोक में जनपद स्तरीय विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं को सम्मिलित कर जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना अध्यावधिक की गयी है। साथ ही आपदा के दौरान कुशलतापूर्वक कार्य किये जाने हेतु जनपद में इंसीडेन्ट रिस्पोंस प्रणाली भी विकसित की गयी है। यह प्रयास किया जाना आवश्यक होगा कि कार्ययोजना में विभागों द्वारा उल्लिखित नीति–निर्देशक तथ्यों का अनुपालन भी किया जा सके। यद्यपि आपदा का पूर्व में अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है तथापि आपदा के दौरान सफलता का मूलमंत्र कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सूझ–बूझ, निष्ठा एवं संवेदनशीलता, निर्णय तथा नेतृत्व क्षमता होती है। अतः कार्ययोजना हेतु संकलित सूचनायें आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी आशा की जाती है।

आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तम एवं प्रभावी यंत्र, ग्राम स्तरीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का है, जिसका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा–आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए समुदाय को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवीयकृत व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यवहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी एवं समस्त कर्मचारीगण डी.ई.ओ.सी./डी.डी.एम.ए. तथा विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 में निहित प्राविधानों के तहत जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में किया गया, जिसमें कार्ययोजना की रूपरेखा अन्तर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार की गयी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना निर्माण का यह प्रयास भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

डा. आशीष चौहान (आई.ए.एस)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
देहरादून।

जनपद देहरादून में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत राहत और बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन कार्ययोजना वर्ष 2026–2027 तैयार की गई है। आपदाओं से बचाव और राहत के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करते समय इस प्रयास किया गया है कि आपदा से संबंधित समस्त सूचनाएं संकलित हों और कार्ययोजना को अध्यावधिक किया जा सके। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 40 के आलोक में जनपद स्तरीय विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजनाओं को सम्मिलित कर जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना को अध्यावधिक किया गया है। इसके साथ ही, आपदा के दौरान कुशलतापूर्वक कार्य किए जाने हेतु जनपद में इंसीडेन्ट रिस्पोंस प्रणाली (IRS) भी विकसित की गई है। यह प्रयास किया गया है कि कार्ययोजना में विभागों द्वारा उल्लिखित नीति–निर्देशक तथ्यों का अनुपालन किया जा सके। यद्यपि आपदा का पूर्व में अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है, तथापि आपदा के दौरान सफलता का मूलमंत्र कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सूझ–बूझ, निष्ठा और संवेदनशीलता, निर्णय और नेतृत्व क्षमता होती है। अतः कार्ययोजना हेतु संकलित सूचनाएं आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में सहायक सिद्ध होंगी, ऐसी आशा की जाती है।

आपदा प्रबंधन के लिए उत्तम और प्रभावी यंत्र–उपकरण, तहसील स्तरीय, विभागीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का योगदान आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में यथासंभव लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए समुदाय को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मानवीयकृत और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना को एक व्यवहारिक और बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं जिलाधिकारी महोदया, देहरादून और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों का आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और समस्त कर्मचारीगण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून तथा विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 40 में निहित प्राविधानों के तहत जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में किया गया, जिसमें कार्ययोजना की रूपरेखा अन्तर्गत जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना निर्माण का यह प्रयास भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

कृष्ण कुमार मिश्रा (पी.सी.एस.),
अपर जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP), देहरादून एक सुरक्षित, सशक्त एवं आपदा–सहिष्णु जनपद के निर्माण हेतु हमारे सामूहिक संकल्प, प्रयासों एवं प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज है। यह योजना जनपद में विद्यमान विभिन्न आपदा जोखिमों, उपलब्ध संसाधनों, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित रणनीतियों का समग्र एवं व्यवस्थित संकलन प्रस्तुत करती है।

माननीय जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन, माननीय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोदय के सतत पर्यवेक्षण तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम द्वारा इस योजना का अद्यतन एवं परिष्करण व्यापक परामर्श, पूर्व आपदाओं से प्राप्त अनुभवों, तकनीकी प्रगति तथा स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

यह योजना केवल वर्तमान जोखिमों एवं संसाधनों का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य में संभावित आपदाओं एवं उभरती चुनौतियों के प्रति हमारी तैयारी, समन्वय क्षमता, संस्थागत सुदृढ़ता तथा प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र का भी प्रतिबिंब है। आपदा प्रबंधन एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जोखिमों का आकलन, क्षमता निर्माण, संसाधनों का सुदृढ़ीकरण तथा समुदाय की सहभागिता निरंतर आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप यह दस्तावेज समय–समय पर प्राप्त अनुभवों, नवीन तकनीकों, बदलती परिस्थितियों तथा उभरते जोखिमों के आधार पर अद्यतन एवं परिमार्जित किया जाता रहेगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना, देहरादून विभिन्न विभागों, संस्थाओं, हितधारकों एवं समुदायों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक सशक्त आधार प्रदान करेगी।

मैं इस योजना के निर्माण एवं अद्यतन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी विभागों, अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी संबंधित पक्ष इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

(ऋषभ कुमार)
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी
देहरादून।

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

मार्गदर्शन

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।

पर्यवेक्षण

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।

शोध, सर्वेक्षण एवं संकलन

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, देहरादून।

सहयोग एवं परामर्श

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, देहरादून
प्रशासनिक अधिकारी संग्रह, देहरादून।
एवं समस्त जनपदीय अधिकारी, जनपद देहरादून।

कम्प्यूटर टंकण व साज–सज्जा

समस्त कर्मचारीगण DEOC/DDMA,
देहरादून।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जनपद देहरादून।

विषय सूची

अध्याय – 01 परिचय व पृष्ठभूमि 2

अध्याय–02 खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन 39

अध्याय–03 जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौस सिस्टम कि संरचना एंव दायित्व – 116

अध्यायः 04 रोकथाम और शमन उपाय 132

अध्याय : 5 मापदंड व तैयारी 149

अध्याय : 6 क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण 166

अध्याय : 7 आपदा प्रतिवादन कार्यविधि 177

अध्याय : 8 आपदा पुर्ननिर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय 195

अध्याय : 9 डीडीएमपी के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन 203

अध्याय : 10 जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा 206

अध्याय : 11 डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र 225

अध्याय–12 मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 232

अध्याय – 01 परिचय व पृष्ठभूमि

परिचय

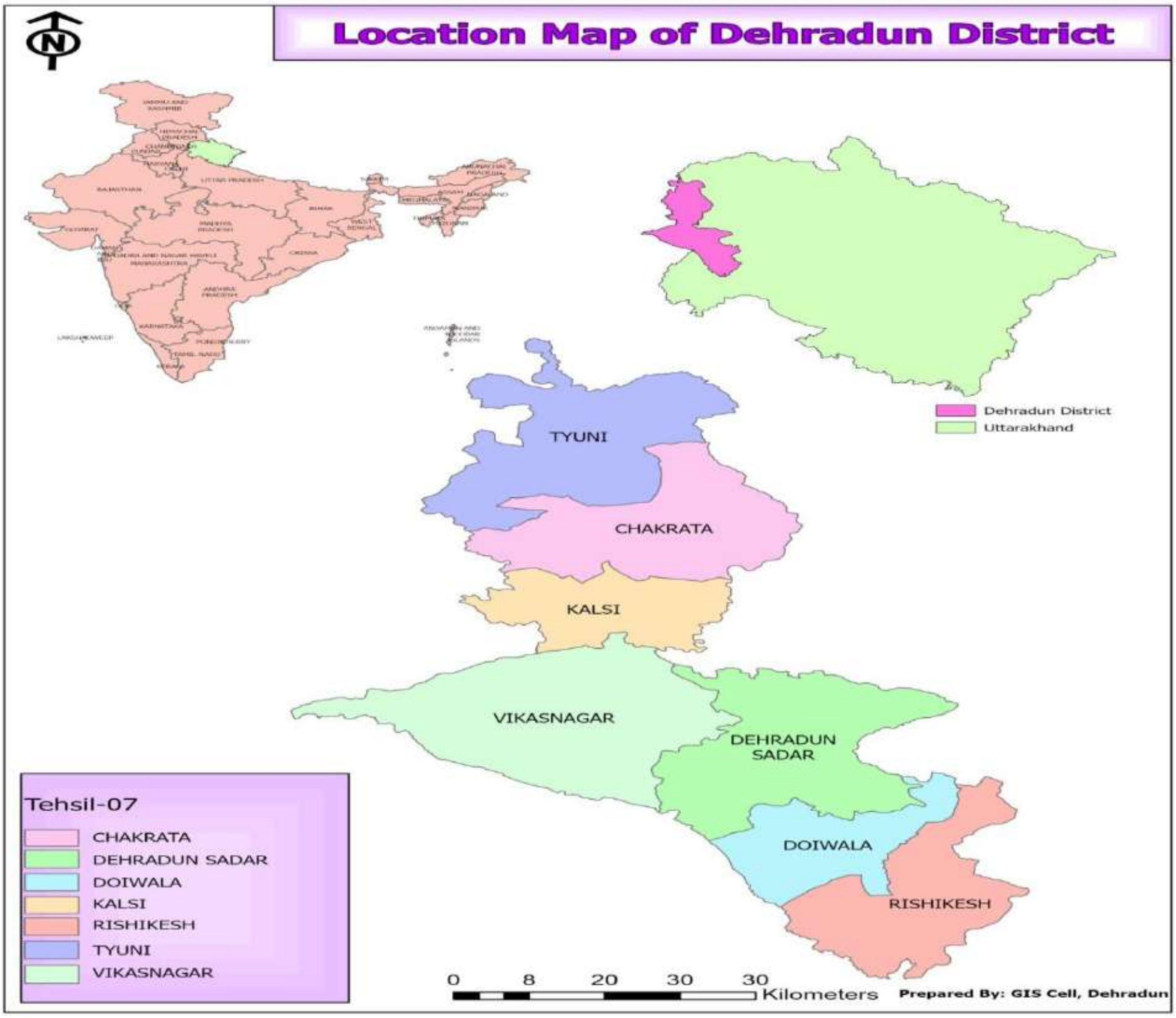

पृष्ठभूमि

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, जो एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानव, भौतिक या पर्यावरणीय व्यापक क्षति होती है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक, प्राकृतिक संसाधनो एवं संरक्षण कार्याविधियों की अपर्याप्तता के कारण विपत्ति का सामना करना पड़ता है, जिसे हम आपदा कहते हैं।एक प्रभावी जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) के साथ–साथ मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास की उपलब्धता आवश्यक है। यह योजना सरकारी स्तर पर और साथ ही समुदाय के साथ सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने में मदद करती है, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।डीडीएमपी का मुख्य उद्देश्य देहरादून जिले की क्षमता का विकास करना है और आपदा व गैर–आपदा स्थिति के दौरान जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

1.**देहरादून जिले का परिदृष्यः**–जनपद देहरादून उत्तराखण्ड राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी सीमायें उत्तर प्रदेश व हिमांचल प्रदेश से लगती है। सम्पर्क की दृष्टि से देहरादून सडक व रेल मार्ग से जुडा हुआ है। जनपद के उत्तरी भाग में हिमालय तथा दक्षिणी भाग में शिवालिक पहाडियां स्थित हैं। इसके पूर्व में गंगा नदी तथा पश्चिम में यमुना प्रवाहित होती है। अन्य प्रमुख नदियों में टोन्स, सोंग व जाखन हैं। जनपद देहरादून के उत्तर–पूर्व में हिमालय श्रृंखला के उत्तरकाशी तथा टिहरी जनपद, दक्षिण भाग मे शिवालिक श्रेणी के समकक्ष हरिद्वार तथा सहारनपुर (उ0प्र0) जनपद तथा पश्चिम में हिमाचल प्रदेश का नहान जनपद स्थित है। जनपद की चकराता तहसील जौनसार–बाबर क्षेत्र कहलाती है। जनपद का कुल क्षेत्रफल **3088 वर्ग किमी0 है।** इस शहर उत्तरी **अक्षांश** पर **29°58'** तथा **31°2'30"** के मध्य तथा पूर्वी देशान्तर पर **77°34'45"** तथा **78°18'30"** के मध्य स्थित है। शहर की ऊंचाई समुद्र तल से **640 मीटर** (2100 फुट) है। जिला मुख्यालय देहरादून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सडक, रेलवे व हवाई मार्गो से भली भांति जुडा है। देश की राजधानी दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 287 किमी है। वर्तमान में जनपद में 4 लेन मार्ग निर्माण के पश्चात देहरादून से दिल्ली पहुंचने का समय 2–3 घण्टे कम हो गया है।

1.1 देहरादून जिले का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. देहरादून शहरः–देहरादून की स्थापना गुरु राम राय, जो गुरु हर राय के पुत्र थे, ने 17वीं शताब्दी में की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर, गुरु राम राय यहां आकर बस गए और अपना डेरा स्थापित किया, जिससे इसका नाम ''देहरा'' पड़ा। धीरे–धीरे यह क्षेत्र व्यापार और शिक्षा का केंद्र बन गया।

2. मसूरीः–19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मसूरी की खोज की गई। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय यह गर्मियों की राजधानी रही और यहां कई ऐतिहासिक इमारतें हैं।

3. विकासनगरः–विकासनगर ऐतिहासिक रूप से जौनसार–बावर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां मूल रूप से आदिवासी समुदाय निवास करते थे। यह क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह के शासनकाल के दौरान गढ़वाल राज्य का हिस्सा बना।

4. डोईवालाः–डोईवाला का नाम यहां की गन्ना खेती और चीनी मिलों से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में कई बागान स्थापित किए गए, जो आज भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

5. ऋषिकेशः–ऋषिकेश आध्यात्मिक और योग की नगरी है। इसे ष्योग की राजधानीष कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अगस्त्य जैसे कई ऋषि यहां तपस्या कर चुके हैं। 1968 में द बीटल्स बैंड ने यहां आकर ध्यान लगाया, जिससे यह स्थान विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ।

6. चकराताः–चकराता ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश सेना के छावनी क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। यह मूल रूप से जौनसार–बावर के जनजातीय समुदायों का क्षेत्र था। यह आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है।

7. सहसपुरः—सहसपुर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यह क्षेत्र कृषि और हैंडलूम उद्योग के लिए जाना जाता था। ब्रिटिश काल में यहां औद्योगिक विकास हुआ और आज भी यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है।

8. रायपुरः—रायपुर क्षेत्र में पुराने समय में गढ़वाल राजाओं का शासन था। यह क्षेत्र प्राकृतिक जल स्रोतों, मंदिरों और आधुनिक संस्थानों के लिए जाना जाता है।

9. धर्मवालाः—धर्मवाला क्षेत्र ब्रिटिश काल में श्रमिकों और शरणार्थियों के निवास के रूप में विकसित हुआ। यह क्षेत्र चाय बागानों और उद्योगों के लिए जाना जाता है।

10. राजपुरः—राजपुर ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, जो मसूरी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ता था। यहां आज भी ब्रिटिश युग की कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। देहरादून जिला अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।

1.2 पौराणिक ऐतिहासिक धरोहरों का विवरण :— जनपद देहरादून ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिगत प्रसिद्ध है। प्रमुख स्थलों में त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, मसूरी के विभिन्न पर्यटन स्थल, श्री गुरू रामराय दरबार साहिब, टपकेश्वर महादेव मन्दिर, अशोक शिलालेख कालसी, लाखामण्डल, खलंगा स्मारक, बौद्ध महास्तूप क्लेमनटाउन, भारतीय अनुसंधान संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक एकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, राजाजी नेशनल पार्क, मालसी डीयर पार्क, लच्छीवाला पार्क, सहस्त्रधारा आदि प्रमुख हैं।देहरादून जिला अपनी समृद्ध धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र वैदिक काल से ही ऋषि—मुनियों की तपोभूमि रहा है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल स्थित हैं, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। जैसे कि—

1. टपकेश्वर महादेव मंदिरः—देहरादून के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक, टपकेश्वर महादेव मंदिर, एक गुफा के अंदर स्थित है जहाँ प्राकृतिक रूप से जल टपकता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने गुरु द्रोणाचार्य को दर्शन दिए थे, जिससे इसे ''द्रोणगुफा'' भी कहा जाता है।

2. संतला देवी मंदिरः—यह मंदिर देहरादून के पास स्थित एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। लोककथाओं के अनुसार, एक राजकुमारी ने यहाँ देवी की आराधना की थी, और देवी ने उसे स्वयं दर्शन देकर पत्थर का रूप धारण कर लिया था। इसे श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।

3. लक्ष्मण सिद्ध मंदिरः—देहरादून के चार सिद्धपीठों में से एक, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, पौराणिक रूप से लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। हर रविवार को यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

4. गुरु राम राय दरबार साहिबः—गुरु राम राय, जो सिख धर्म के सातवें गुरु हर राय जी के पुत्र थे, ने 17वीं शताब्दी में देहरादून में इस दरबार की स्थापना की थी। यह स्थल न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि सभी धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है।

5. बुद्ध मंदिर (माइंड्रोलिंग मठ)ः—यह मंदिर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, जो क्लेमनटाउन में स्थित है। माइंड्रोलिंग मठ भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है और यहाँ तिब्बती संस्कृति एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।

6. ऋषिकेश और हरिद्वार से आध्यात्मिक संबंधः–हालाँकि ऋषिकेश और हरिद्वार प्रशासनिक रूप से देहरादून जिले का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह क्षेत्र हमेशा इन तीर्थस्थलों से जुड़ा रहा है। ऋषिकेश को ष्योग नगरीष कहा जाता है और हरिद्वार गंगा स्नान व कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है।

7. बाला सुंदरी मंदिरः–पौंधा क्षेत्र में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा के बाल रूप को समर्पित है। चैत्र नवरात्रों के दौरान यहाँ विशेष पूजा–अर्चना होती है।

8. झंडा साहिब गुरुद्वाराः–गुरु राम राय दरबार साहिब में हर साल "झंडा मेला" आयोजित किया जाता है, जो सिख परंपरा के साथ–साथ देहरादून की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है।

10. कालू सिद्ध, मनक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और नीलकंठ महादेवः–देहरादून के चार सिद्धपीठ – कालू सिद्ध, मनक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और नीलकंठ महादेव – स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं और यहाँ सालभर श्रद्धालु आते रहते हैं। देहरादून की यह धार्मिक विरासत इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है और यह क्षेत्र हजारों वर्षों से तपस्वियों और भक्तों की साधना स्थली रहा है

1.3 आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य

आर्थिक परिदृश्य

देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का प्रमुख आर्थिक आधार 'पर्यटन, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य एवं सेवा क्षेत्र' है। सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कल्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। कृषि में मुख्यतः 'चाय, लीची, आम, गेहूं और धान' की खेती होती है।

वाणिज्यिक परिदृश्य

देहरादून में 'राजपुर रोड, पलटन बाजार, पटेलनगर एवं घंटाघर क्षेत्र' प्रमुख व्यावसायिक केंद्र हैं। यहाँ 'बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, होटल एवं पर्यटन, और खुदरा व्यापार' आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया 'सिडकुल, आईटी पार्क और सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र' में कई उद्योग स्थापित हैं, जिनमें 'फार्मा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण एवं विनिर्माण उद्योग' शामिल हैं।

सामाजिक परिदृश्य

देहरादून एक शिक्षित और विविध सांस्कृतिक समाज का उदाहरण है। यहाँ 'आईएमए, एफ.आर. आई. वाडिया संस्थान, आई.आई.टी. रूड़की का सैटेलाइट कैंपस और कई प्रतिष्ठित स्कूल' हैं। शहर में 'गंगा–जमुनी तहज़ीब' देखने को मिलती है, जहाँ विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुलकर रहते हैं। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में 'टपकेश्वर महादेव मेला, झंडा मेला और लक्ष्मण सिद्ध मेला' महत्वपूर्ण हैं। यहाँ 'स्वास्थ्य सेवाएँ' भी उत्तम स्तर की हैं, जिनमें 'एम्स ऋषिकेश, महंत इंद्रेश अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज' शामिल हैं। देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता, व्यापारिक अवसरों और शांत वातावरण के कारण 'रहने, कार्य करने और व्यापार करने के लिए एक आदर्श स्थान' है।

1.4 जलवायु एवं वर्षा

जनपद देहरादून के अन्तर्गत बाहरी हिमालय की ऊंची चोटियों के साथ–साथ दून वैली का मैदानी क्षेत्र भी आता है जहां की जलवायु सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों के समान ही होती है। पर्वतीय जनपद होने से ऊंचाई बढ़ने के साथ–साथ तापमान में भिन्नता मिलती है। जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल मे मौसम खुशगवार रहता है, लेकिन दून वैली के आस–पास के क्षेत्रों मे गर्मी अधिक होती है किन्तु विगत कुछ वर्षों व वर्ष मई 2012 मे अधिकतम तापमान 43 डिग्री सैल्सियस से अधिक नोट किया गया है जो जलवायु परिवर्तन का संकेत है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण तापमान ऊंचाई वाले स्थानो के साथ–साथ देहरादून में भी न्यून स्तर पर आ जाता है। ग्रीष्मकाल सामान्यतः मार्च से प्रारम्भ होता है तथा जून के मध्य तक मानसून प्रारम्भ होने तक रहता है। जनपद मे मई तथा जून सर्वाधिक गर्म माह होते हैं जब देहरादून मे औसत तापमान 34.4˚C तथा मसूरी मे 24.8˚C तक होता है। सामान्यतः देहरादून का अधिकतम तापमान 42˚C तथा मसूरी का 32˚C से अधिक नही जाता है। देहरादून मे सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43. 9˚C 04 जून 1902 मे, मसूरी मे अधिकतम तापमान 24 मई 1949 को 34.4˚C रिकार्ड किया गया है। **इस वर्ष जनपद का अधिकतम तापमान 39˚C के लगभग रहा।** शरदकाल मे देहरादून का औसत अधिकतम तापमान 19.1˚C तथा मसूरी मे 10.2˚C है इसके साथ–साथ जनवरी मे औसत न्यूनतम तापमान 6.1˚C तथा मसूरी मे 2.5˚C है। मसूरी तथा चकराता क्षेत्र मे बर्फबारी होने पर तापमान –6˚C से –7˚C तक पहुंच जाता है। देहरादून मे सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 1 फरवरी 1905 तथा जनवरी 1945 को 1.1˚C था तथा मसूरी मे फरवरी 10, 1950 को –6.7˚C रहा है।

जनपद मे मानसून जून मध्य से प्रारम्भ होता है तथा सितम्बर तक समाप्त होता है। जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 2073.3 मि.मी. होती है। जिले में वार्षिक वर्षा का अधिकतम भाग जून से सितम्बर माह तक प्राप्त होता है जिसमें भी जुलाई और अगस्त में भारी वर्षा होती है। जनपद का रायपुर क्षेत्र मे सर्वाधिक वर्षा होती है जबकि दक्षिणी क्षेत्र मे अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। पिछले 25 वर्षो के औसत के आधार पर दून घाटी में सभी माह के लिये वर्षा सम्बन्धी आंकडे निम्नवत हैं–

तालिका–01

माह	वर्षा (मिमी)	सापेक्ष आद्रता (%)	तापमान		
			अधिकतम	न्यूनतम	औसत
जनवरी	46.9	91	19.3	3.6	10.9
फरवरी	54.9	83	22.4	5.6	13.3
मार्च	52.4	69	26.2	9.1	17.5
अप्रैल	21.2	53	32.0	13.3	22.7
मई	54.2	49	35.3	16.8	25.4
जून	230.2	65	34.4	29.4	27.1
जुलाई	630.7	86	30.5	22.6	25.1
अगस्त	627.4	89	29.7	22.3	25.3
सितम्बर	261.4	83	29.8	19.7	24.2
अक्टुबर	32	74	28.5	13.3	20.5
नवम्बर	10.9	82	24.8	7.6	15.7
दिसम्बर	2.8	89	21.9	4	12
औसत वार्षिक	**2051.4**	**76**	**27.8**	**13.3**	**20**

तालिका सूची –6 *स्रोतः* ***Ground water brochure, district dehradun, Ministry of Water Resource, GoI***

1.5 प्रशासनिक अनुभाग एंव क्षेत्रफल –

जिले का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3088 वर्ग किमी है। देहरादून शहर ही अपने आप में **30 वर्ग किमी0** तक फैला है। जिले में **7 उप प्रशासनिक इकाईयां (तहसील**) हैं जिनमें– **देहरादून (सदर), डोईवाला ऋषिकेश, विकासनगर, कालसी, चकराता, त्यूणी हैं।** सम्पूर्ण जिला सात खण्डों – देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, कालसी, चकराता, त्यूणी व मसूरी में विभक्त है।

वर्तमान में जिले में 6 विकासखण्ड (ब्लॉक) हैं– **चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला**। इन विकासखण्डों का क्षेत्रफल क्रमशः 144.33 वर्ग किमी, 131.69 वर्ग किमी, 225. 52 वर्ग किमी, 354.54 वर्ग किमी, 295.32 वर्ग किमी, 188.01 वर्ग किमी है। इस जिले में 17 कस्बे व 764 गांव (746 आबाद एवं 18 गैर आबाद गांव) हैं।

जिले में **02 नगर निगम** (देहरादून/ऋषिकेश), **04 नगर बोर्ड** (मसूरी, विकासनगर, डोईवाला, हरबर्टपुर), **01 नगर पंचायत** (सेलाकुई), **04 कैन्टोन्मेन्ट क्षेत्र** (देहरादून, क्लीमेनटॉउन, चकराता, लण्डोर) तथा तीन जनगणना कस्बों के साथ 17 शहरी केन्द्र हैं।

तालिका–02

जनपद देहरादून				
क.स.	**तहसील का नाम**	**विकासखण्ड का नाम**	**कुल न्याय पंचायतें**	**कुल ग्राम पंचायत**
1	डोइवाला	डोईवाला	05	54
2	सदर	रायपुर	06	64
3	विकासनगर	सहसपुर	06	59
4		विकासनगर	05	55
5	कालसी	कालसी	06	111
6	चकराता	चकराता	09	116
7	त्यूनी	–	–	–
8	ऋशिकेष	–	–	–
कुल	**07**	**06**	**37**	**459**

तालिका सूची –1 जनपद देहरादून में तहसील, ब्लाक, न्याय पंचायत व ग्राम पंचायतों की संख्या
(स्त्रोत जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून)

वर्तमान में जिले में 6 विकासखण्ड (ब्लॉक) हैं– चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला। इन विकासखण्डों का क्षेत्रफल क्रमशः

तालिका–03

जिला देहरादून							
ब्लॉक	**भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में**	**गांवों की संख्या**	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**नगर पालिका की संख्या**	**नगर पंचायत की संख्या**	**कुल न्याय पंचायतें संख्या**	**कुल ग्राम पंचायतें संख्या**
चकराता	144.33	इस जिले में 17 कस्बे व 764 गांव (746 आबाद एवं 18 गैर आबाद गांव) है।	116	04 (मसूरी, विकासनगर, डोईवाला, हरबर्टपुर)	01 (सेलाकूई)	09	116
कालसी	131.69		111			06	111
विकासनगर	225.52		55			05	55
सहसपुर	354.54		59			06	59
रायपुर	295.32		64			06	64
डोईवाला	188.01		54			05	54

जिले का संक्षिप्त परिचय

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का विवरण–

तालिका–04

क्र.सं.	नाम	कुल वार्ड की संख्या	जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार		
			पुरूष	महिला	योग
1	नगर निगम देहरादून	100	395065	376367	771432
2	नगर पालिका परिषद मसूरी	13	13990	11241	25233
3	नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर	9	6488	6222	12710
4	नगर निगम ऋशिकेष	40	47578	44024	91602
5	नगर पालिका परिशद विकासनगर	11	10791	10260	21051
6	नगर पालिका परिषद डोईवाला	20	31030	29399	60429
7	नगर पंचायत सेलाकुई	9	8138	7638	15776
योग		**202**	**513080.00**	**485151.00**	**998233.00**

जनपद अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण–

तालिका–05

क्र.सं.	विद्युत परियोजना का नाम	विघुत क्षमतामें 0वा0)	आवश्यक डिस्चार्ज (क्यूमैक)
1	छिबरो	240	200
2	खोदरी	120	200
3	ढ़करानी	33.75	199.2
4	ढ़ालीपुर	51	196.5
5	कुल्हाल	30	196.5
6	व्यासी	120	119.78
7	गलोगी	3.5	4.62

जनपद की तहसील, विकासखण्ड, थाने तथा संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र–

तालिका–06

तहसील का नाम (7+1=8)	विकास खण्ड का नाम (6)	थानों का नाम (21)	संसदीय क्षेत्र (2)	विघान सभा क्षेत्र (10)
ऋषिकेश	डाईवाला	1.कोतवाली नगर 2 डालनवाला 3 पटेल नगर 4 ऋषिकेश 5 मसूरी 6 कैंट 7 8 विकास नगर 9 नेहरू कॉलोनी 10 रायवाला 11 प्रेम नगर 12 बसंत विहार 13 सहसपुर 14 राजपुर 15 क्लेमेंटटाउन 16 रायपुर 17 रानी पोखरी 18 कालसी 19 चकराता 20 सेलाकुई 21 त्यूणी	**हरिद्वार**	**ऋषिकेश**
डोईवाला	रायपुर			डोईवाला
सदर	सहसपुर		**01 टिहरी गढ़वाल**	1.रायपुर 2.धर्मपुर 3.राजपुर 4.कैन्ट 5.विकासनगर 6.चकाराता 7.सहसपुर
विकासनगर	कालसी			
कालसी	चकराता			
चकराता	विकासनगर			
कालसी				
उप तहसील मसूरी			**01 टिहरी गढ़वाल**	मसूरी

प्रमुख फसलें – देहरादून जिले में मुख्य रूप से धान की एवं अन्य महत्वपूर्ण खरीफ़ फसलें मक्का, उर्द, कुलथ, तोर (अरहर) साथ ही गन्ना और गेहूं की भी खेती की जाती है। गेंहूं रबी की प्रमुख फसल है और जिले के लगभग सभी हिस्सों में उगाई जाती है। जौ और सरसों अन्य महत्वपूर्ण रबी फसलें हैं। उगाए जाने वाले प्रमुख फल और सब्जियां लीची, आम, केले, पपीता, अमरूद, भिंडी, गोभी, टमाटर, हरी मटर, प्याज और आलू है।

शिक्षा विभाग

विद्यालयों का विवरण (तहसील के अनुसार)						
क्र0सं0	विद्यालयों का नाम	डोईवाला	विकासनगर	चकराता	कालसी	कुल
1	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	204	139	206	167	1161
2	जूनियर विद्यालयों की संख्या	162	99	28	45	715
3.	हाई स्कूल विद्यालयों की संख्या	35	21	17	22	170
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	90	43	21	15	422
5.	ग्रामीण विद्यालयों की संख्या	215	264	266	249	1368
6.	शहरी विद्यालयों की संख्या	276	38	06	00	1099
7.	जोखिम सम्भावित विद्यालयों की संख्या	40	16	34	19	167
8.	निजी विद्यालयों की संख्या	251	137	19	18	1070
9.	निजी ग्रामीण विद्यालयों की संख्या	88	109	17	18	364
10.	निजी शहरी विद्यालयों की संख्या	163	28	02	00	706
	कुल	491	302	272	249	2468

कार्यालय अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड देहरादून।
दिनांक–01.04.2024 को विकास खण्डवार चलित राजकीय नलकूपों की स्थिति का विवरणः–

तालिका–07

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	कुल उर्जीकरण नलकूप	परित्याग हेतु प्रस्तावित नलकूप	फेल नलकूप	विभाग से बाहर हस्तांतरित नलकूप	चलित नलकूप
1	देहरादून	रायपुर	17	02	00	00	15
2		डोईवाला	43	02	01	02	38
3		सहसपुर	93	07	02	02	82
4		विकासनगर	62	01	00	01	60
5		कालसी	01	00	00	00	01
6		चकराता	02	00	00	00	02
	योग नलकूप खण्ड, देहरादून।		**218**	**12**	**03**	**05**	**198**

कार्यालय अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड देहरादून।
दिनांक–01.04.2024 की स्थिति के अनुसार चलित नलकूपों का सारः–

तालिका–08

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	कुल चलित नलकूप
1	देहरादून	चकराता	02
2		कालसी	01
3		विकासनगर	60
4		सहसपुर	82
5		रायपुर	15
6		डोईवाला	38
	योग नलकूप खण्ड, देहरादून।		**198**

तालिका–09

सड़क सम्पर्क मार्गः

क्र0स0	जनपद में स्थित मार्ग का प्रकार		**कुल मार्गो की संख्या**
1	राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून		05
	श्राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला		07
	कुल राश्ट्रीय राजमार्ग		12
2	राज्य मार्ग	लो0नि0वि0 सहिया	04
		लो0नि0वि0 ऋशिकेश	05
		लो0नि0वि0निर्माण खण्ड	03
		लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड	04
		लो0नि0वि0 चकराता	03
	कुल राज्य मार्ग		19
3	मुख्य जिला मार्ग	लो0नि0वि0 सहिया	01
		लो0नि0वि0 ऋशिकेष	03
		लो0नि0वि0निर्माण खण्ड	01
		लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड	03
		लो0नि0वि0 चकराता	01
	कुल मुख्य जिला मार्ग		09
4	अन्य जिला मार्ग	लो0नि0वि0 सहिया	01
		लो0नि0वि0 ऋशिकेष	16
		लो0नि0वि0निर्माण खण्ड	17
		लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड	70
		लो0नि0वि0 चकराता	01
	कुल अन्य जिला मार्ग		105
		लो0नि0वि0 सहिया	37
		लो0नि0वि0 ऋशिकेष	41
		लो0नि0वि0निर्माण खण्ड	04
		लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड	139

क्र0स0	जनपद में स्थित मार्गो का प्रकार		कुल मार्गो की संख्या
5	**ग्रामीण मार्ग**	लो0नि0वि0 चकराता	60
		पी0एम0जी0एस0वाई देहरादून	06
		पी0एम0जी0एस0वाई कालसी	59
	कुल ग्रामीण मार्ग		346

तलिका–10

निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या		
1	लोकसभा	02 (टिहरी गढ़वाल व हरिद्वार)
2	विधानसभा	10 **(1.रायपुर, 2.धर्मपुर, 3.राजपुर, 4.कैन्ट, 5. विकासनगर, 6.चकाराता, 7.सहसपुर, मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला)**
3	पुलिस स्टेशन	21
4	पुलिस चौकियां	56
5	रोडवेज बस डिपो	02 (ऋषिकेश, देहरादून)
6	रेलवे स्टेशन	04 (हर्रावाला, डाईवाला, ऋषिकेश, रेलवे स्टेशन देहरादून)

1.6 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एंव सामाजिक /आर्थिक विवरणः–भारतीय जनगणना कार्यालय, देहरादून के अनुसार जनपद देहरादून की जनसंख्या तथा साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2001 की तुलना मे जनगणना–2011 के अनुसार निम्नवत् बतायी गयी है–

तालिका–11

जनगणना–2011		
विवरण	**2011**	**2001**
जनसंख्या	**16,96,694**	**12,82,143**
पुरूष	**8,92,199**	**6,79,583**
स्त्री	**8,04,495**	**6,02,560**
जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	**549.45**	**415**
साक्षरता प्रतिषत		
पुरूष	**90.32**	**85.87**
स्त्री	**79.61**	**71.20**
बच्चो की जनसंख्या (आयु 0–6)	**2,01,652**	**172,486**
पुरूष (आयु 0–6)	**1,06,746**	**91,065**
स्त्री (आयु 0–6)	**94,906**	**81,421**
जनगणना–2011		
कुल जनसंख्या	**शहरी**	**ग्रामीण**
16,96,694	**9,41,941**	**7,54,753**

जनपद देहरादून में जनगणना का विवरण (सेनसेस ऑफ इण्डिया)

तालिका–12

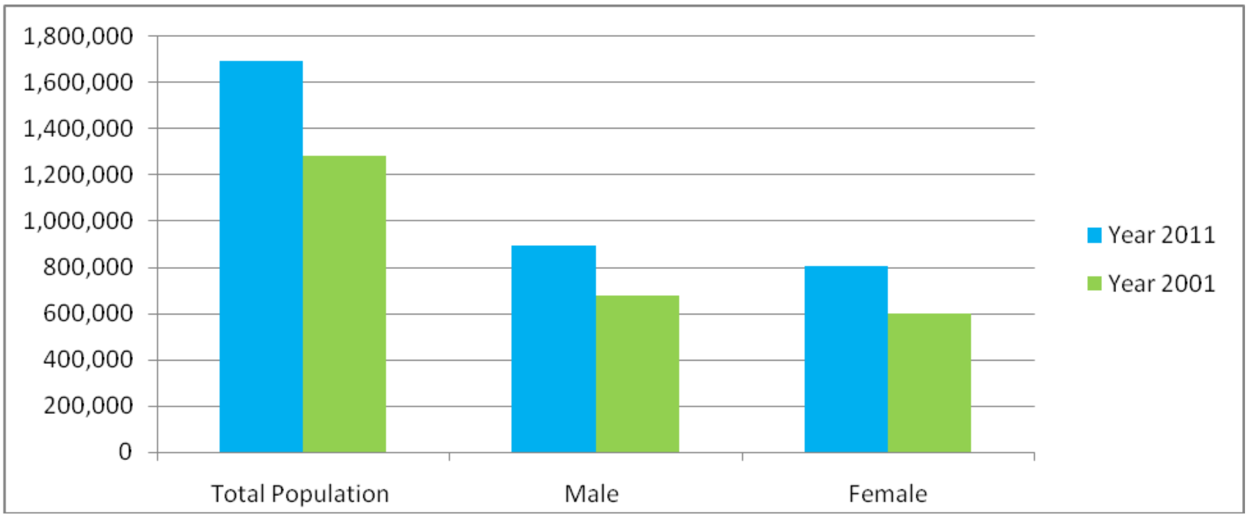

लेखा चित्र– 1 जनपद देहरादून की जनसंख्या जनगणना 2001 एवं 2011 का तुलना

तालिका–13

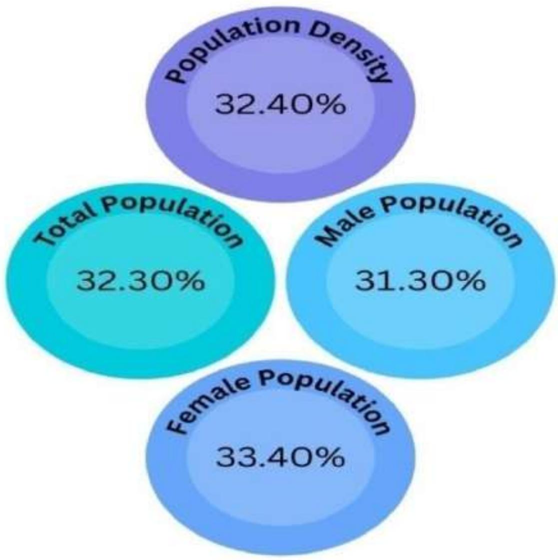

प्रवाह चित्र –1 जनपद देहरादून की जनसंख्या जनगणना 2001 एवं 2011 का प्रतिशतवार तुलना

देहरादून जिले में जनसंख्या और प्राकृतिक आपातकालीनता का संबंध– 2001 से 2011 तक का जनसंख्या अध्ययन बताता है कि देहरादून जिले में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में 32.3% की वृद्धि हुई है, जो महिला और पुरुषों में भी अधिकतम रूप से उच्च है। प्रतिशतगत बढ़ोतरी इसे स्पष्ट करती है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अभाव में, इस जनसंख्या वृद्धि की अवलोकन करना आवश्यक है और सामान्य अनुमान से स्पष्ट है कि यह वृद्धि अधिक होगी। इसे देहरादून जिले की संवेदनशीलता बढ़ाने के संभावनाओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए, विशेष रूप से प्राकृतिक आपातकालीनताओं के संदर्भ में। इस तेजी से बढ़ते जनसंख्या का संभव परिणाम है कि देहरादून जिले की सामरिक और पर्यावरणीय संरचना पर दबाव बढ़ रहा है। संसाधनों की कमी, बदहाल बुनियादी संरचना, और बढ़ती संवेदनशीलता आपातकालीन स्थितियों के संबंध में संज्ञान में लेने चाहिए।

इस प्रकार, देहरादून जिले के आपातकालीन प्रबंधन योजना में इन तुलनात्मक विश्लेषणों को शामिल करना आवश्यक है ताकि सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। देहरादून जिले की जनसंख्या 2001 में 1,282,143 से बढ़कर 2011 में 1,696,694 हो गई। यह महत्वपूर्ण वृद्धि एक दशक में लगभग 32% की वृद्धि का संकेत देती है। यह वृद्धि सीधे तौर पर अधिक शहरीकरण, बुनियादी ढांचे की मांग और पर्यावरणीय तनाव के कारण खतरों के प्रति उच्च संवेदनशीलता से संबंधित है। यह वृद्धि सीधे तौर पर संवेदनशीलता और खतरों से संबंधित है। बढ़ती आबादी के साथ, संसाधनों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण प्रणालियों पर दबाव बढ़ गया है। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि का एक सामान्य उपोत्पाद है, जिसके कारण अक्सर प्रदूषण, अपर्याप्त आवास और तनावपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे जोखीमो का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को बढ़ा सकती है। इसलिए, जैसे–जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे–वैसे कमजोरियों और खतरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे सतत विकास के लिए सक्रिय योजना और संसाधन आवंटन की आवश्यकता होती है।

तालिका–14

राज्य/संयुक्त प्रान्त/जिला	जनसंख्या 2001			वृद्धि दर	
	कुल	पुरूष	महिला	1981–1991	1991–2001
देहरादून	12,79,083	6,75,549	6,03,534	34.66	24.71
अनुसूचित जाति	1,73,448	91,925	81,523	–	–
अनुसूचित जन जाति	99,329	51,922	47,407	–	–

राज्य/संयुक्त प्रान्त/जिला	जनसंख्या 2011			वृद्धि दर
	कुल	पुरूष	महिला	2001–2011
देहरादून	16,96,694	8,92,199	8,04,495	32.3
अनुसूचित जाति	228901	120430	108471	31.96%
अनुसूचित जन जाति	111663	58264	53399	12.43%

राज्य/संयुक्त प्रान्त/जिला	लिंगानुपात			जनसंख्या घनत्व		
	1991	2001	2011	1991	2001	2011
देहरादून	843	893	890	332	414	550

तालिका सूची –3 जनपद देहरादून में जनगणना का विवरण (सेनसेस ऑफ इण्डिया)

ग्रामीण–शहरी जनसंख्या का विभाजनः– 2001 में, देहरादून जिले में शहरी आबादी 52.94% थी, जबकि ग्रामीण आबादी 47.06% थी। एक दशक में यह जनसांख्यिकीय बदलाव शहरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके विपरीत, देहरादून की आपदा प्रबंधन योजना को बढ़ती जनसंख्या गतिशीलता को समायोजित करने, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रतिरोधक छमता सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे के विकास और सामुदायिक तैयारी की पहल को प्राथमिकता देने के अनुरूप होना चाहिए।

तालिका–15

राज्य/संयुक्त प्रान्त/जिला	**कुल जनसंख्या**			**प्रतिशत में**
देहरादून (2001)	कुल	पुरूष	महिला	
कुल	12,82,143	6,79,583	6,02,560	100
शहरी	6,78,742	3,64,278	3,14,464	52.94
ग्रामीण	6,03,401	3,15,305	2,88,096	47.06
देहरादून (2011)	**कुल**	**पुरूष**	**महिला**	**प्रतिशत**
कुल	16,96,694	8,92,199	8,04,495	100
शहरी	9,41,941	4,99,308	4,42,633	55.52
ग्रामीण	7,54,753	3,92,891	3,61,862	44.48

तालिका सूची –4 जनगणना से ग्रामीण–शहरी जनसंख्या का विभाजन

शिक्षाः– जिले में उच्च साक्षरता दर 85 प्रतिशत है तथा पुरूष व महिला साक्षरता दरों में भी वृद्धि का संकेत है। 1991 में कुल साक्षरता दर 70% थी (पुरुष–79% और महिला–59%)। 2001 में कुल साक्षरता दर 79% (पुरुष–86% और महिला–71%) और 2011 में 85% (पुरुष–90% और महिला–80%) थी। उक्त डाटा से यह ज्ञात होता है कि साक्षरता की दर में सुधार हुआ है, लेकिन महिलाओं के बीच अभी भी अंतर है। देहरादून जिले में वास्तविक शिक्षा दर में सुधार देखा गया है, जो आपदा प्रबंधन योजना को समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यह न केवल आपदा के समय में संचालन को सुगम बनाता है, बल्कि लोगों को साक्षरता के माध्यम से स्वयं की सुरक्षा में भागीदार बनाता है। इसलिए, यहाँ शिक्षा के विकास पर ध्यान देना और साक्षरता की स्थिति को संवृद्धि करना आवश्यक है।

तालिका–16

राज्य/संयुक्त प्रान्त/जिला देहरादून	**साक्षरता**		
साक्षरता दर 1991	कुल	पुरूष	महिला
	70	79	59
साक्षरता दर 2001	कुल	पुरूष	महिला
	79	86	71
साक्षरता दर 2011	**कुल**	**पुरूष**	**महिला**
	85	**90**	**80**

तालिका सूची –5 साक्षरता दर का विभाजन

भौतिक स्वरूप, नदियाः— जनपद में नदी, नाले व खालों के समीप बसे गांव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते है उनकी सूची निम्न प्रकार है —

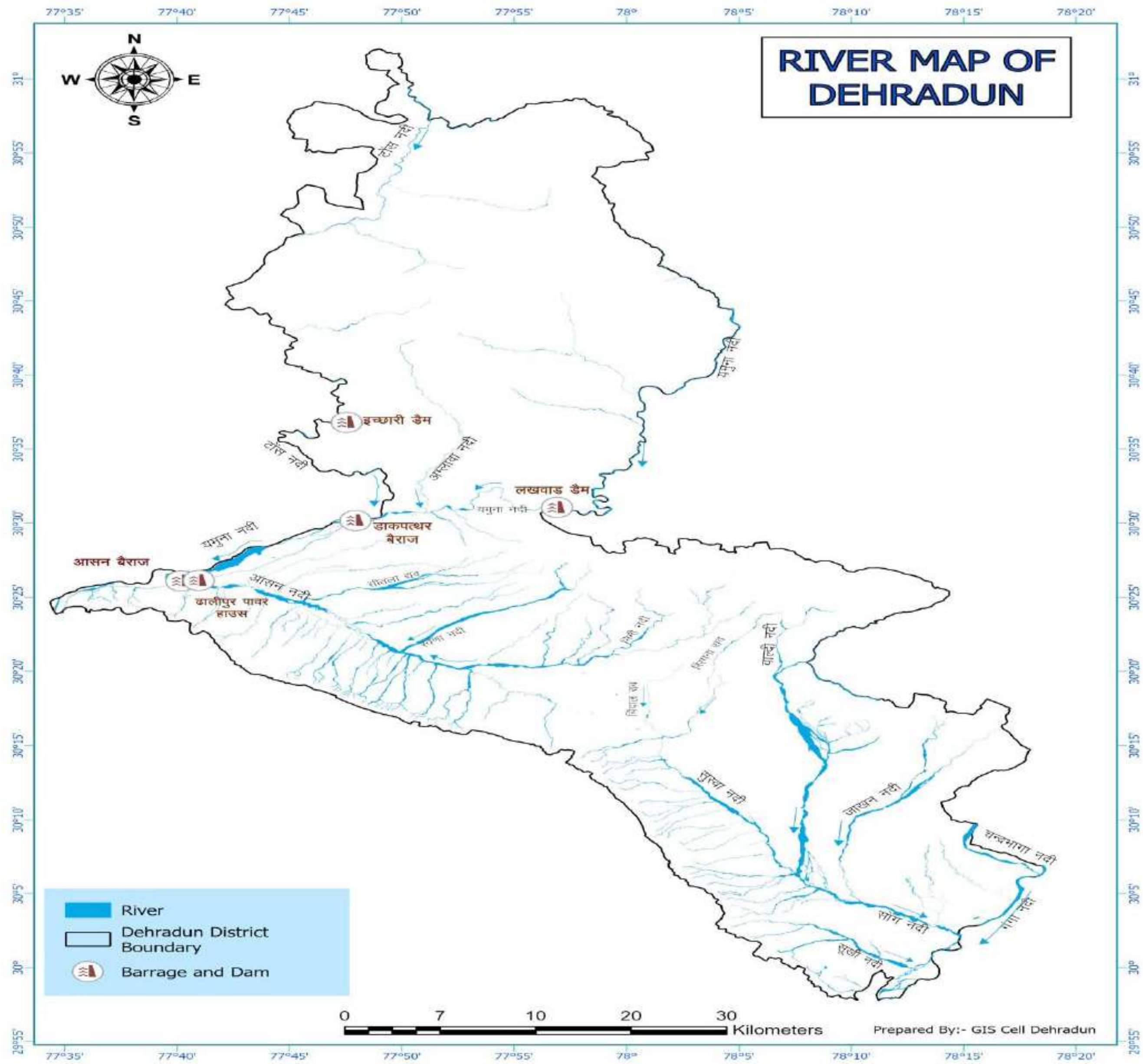

तालिका—17

क्र. सं.	नदी का नाम	डिस्चार्ज (क्यूमेक)	डिस्चार्ज स्थल	एच.एफ.एल. (नदी तल से) मी0	प्रभावित क्षेत्र जिसमें पानी भरता है/कटान होता है
1	गंगा नदी	15000	रायवाला	5.5	ग्राम रायवाला तथा कैन्ट
2	सौंग नदी	1630	केसरवाला	3.0	हिलासवाली, मालदेवता, केसरवाला, बड़ोवाला, डोईवाला, खदरी, गौहरी माफी, चकजोगीवाला, साहबनगर
3	सुसवा नदी	900	झबरावाला	3.0	नौका, दूधली, मौहम्मदपुर बड़कली,

क्र. सं.	नदी का नाम	डिस्चार्ज (क्यूमेक)	डिस्चार्ज स्थल	एच.एफ.एल. (नदी तल से) मी0	प्रभावित क्षेत्र जिसमें पानी भरता है/कटान होता है
					सिमलास ग्रांट, झबरावाला, खैरी, प्रतीतनगर
4	चन्द्रभागा नदी	820	नटराज होटल	2.0	ऋषिकेश
5	जाखन नदी	600	हरिद्वार रोड	2.0	शान्ति नगर, शेरकाट, चकजोगीवाला
6	सूखी नदी	500	हरिद्वार रोड़	1.5	हरिपुर
7	बालदी नदी	440	मालदेवता रोड़	1.5	खैरी मानसिंह
8	बांदल नदी	360	सेरकी गांव	1.7	सेरकी
9	रिस्पना नदी	350	केदारपुरम	2.2	देहरादून नगर
10	सारना नदी	250	चकराता रोड़	1.5	रामपुर, शंकरपुर, कैंचीवाला, सैन्ट्रल होप टाउन, हरिपुर
11	बंगाला खाला	210	श्यामपुर	2.4	श्यामपुर, ठाकुरपुर
12	बिन्दाल नदी	150	कांवली रोड़	2.0	देहरादून नगर
13	नालापानी नदी	120	लाडपुर	1.7	ननूर खेड़ा, लाडपुर, सुन्दरवाला
14	दुल्हनी नदी	100	हरिद्वार रोड	1.9	सुन्दरवाला, नेहरूग्राम, मिंयावाला, हर्रावाला
15	महादेव खाला	100	भोगपुर	1.7	भोगपुर, दाबड़ा
16	बुल्लावाला राव	60	बुल्लावाला गांव	1.6	बुल्लावाला
13	नून नदी				हरियावाला कलां, खाबड़वाला, जैंतनवाला, हल्दियावाला, प्रेमपुर माफी, फुलसैनी, जामुनवाला, दयानगर, गुजराड़ा
14	टौंस नदी				
15	आसन नदी	4250			भुडडी, केसोवाला, नया गांव पेलियां, ईस्ट होप टाउन, सेलाकुई, लक्ष्मीपुर, सहसपुर, ढाकी, खुशालपुर
आसन नदी में मिलने वाले नाले /खाले					
15.1	भूल राव नाला	62.05		1.20	ग्राम मलूक चंद
15.2	केमनी नाला	62.05		1.20	ग्राम आवली वाला
15.3	मेहराव नाला	63.82		1.20	ग्राम डांडा हसनपुर
15.4	सुकराव नाला	55		1.00	ग्राम कल्याणपुर
15.5	चिमनीवाला नाला	55		1.00	ग्राम हिन्दुवाला
15.6	चोर खाला	55		1.00	ग्राम सभावाला
15.7	शाकुम्बरी नाला–।।	63.82		1.20	ग्राम सभावाला
15.8	चमार खाला	55		1.00	ग्राम तिपरपुर
15..9	जल्दरा खाला	63.82		1.20	ग्राम जाटोवाला
15.10	बड़ोवाला खाला	63.82		1.20	ग्राम माजरी, बद्रीपुर

क्र. सं.	नदी का नाम	डिस्चार्ज (क्यूमेक)	डिस्चार्ज स्थल	एच.एफ.एल. (नदी तल से) मी0	प्रभावित क्षेत्र जिसमें पानी भरता है/कटान होता है
15.11	बासोवाला खाला	42.60		1.20	ग्राम माजरी
15.12	रिटवाला खाला	63.82		1.20	ग्राम बद्रीपुर
15.13	बुल्लीवाला खाला	42.60		1.20	ग्राम बासोवाला
15.14	कांठा शाहपुर नाला	42.60		1.20	ग्राम शाहपुर
15.15	पत्थरोली नाला	42.60		1.20	ग्राम कुंजा
15.16	जामुनवाला नाला	42.60		1.20	ग्राम आदूवाला
15.17	माहीवाला नाला	42.60		1.20	ग्राम मटक माजरी
16	टौंस नदी				झाझरा, भट्टा, ईस्ट होप टाउन
17	दरड़				झाझरा, भट्टा
18	चोरखाला				सेलाकुई
19	पौंदी खाला				ढाकी, सहसपुर
20	सीतला राव				छरबा, खुशालपुर
21	निमी राव				कोटरासंतूर, हरियावाला खूर्द, पौंदा
22	दारा गाड	96.42		1.25	ग्राम निगमा किस्तुर, सुनीर, सिलवाडा
23	दारमी गाड	86.51		1.20	ग्राम न्यूनस, कोटी, बागी, एथान, चौसाल
24	चांदनी गाड	51.44		1.25	ग्राम मुन्धोल, डेरसा, प्यूनल, कूल्हा व रडू
25	यमुना नदी	45.0000			ग्राम ढकरानी, ढालीपुर, कुंजाग्रांट, मटकमाजरी, कटापत्थर, हरिपुर, ओखला एवं बसान आदि।
26	नारो खाला	110		1.25	चिलियों एवं हडोवाला ग्राम
27	अमलावा नदी	191.70		1.75	हरिपुर एवं कालसी

स्रोत–सिचाई विभाग, देहरादून

तालिका–18

जनपद की सीमा रेखायें		
1	उत्तर में	उत्तरकाशी जिला।
2	पूरब में	टिहरी, पौड़ी गढ़वाल।
3	दक्षिण में	हरिद्वार।
4	पश्चिम में	हिमाचल प्रदेश

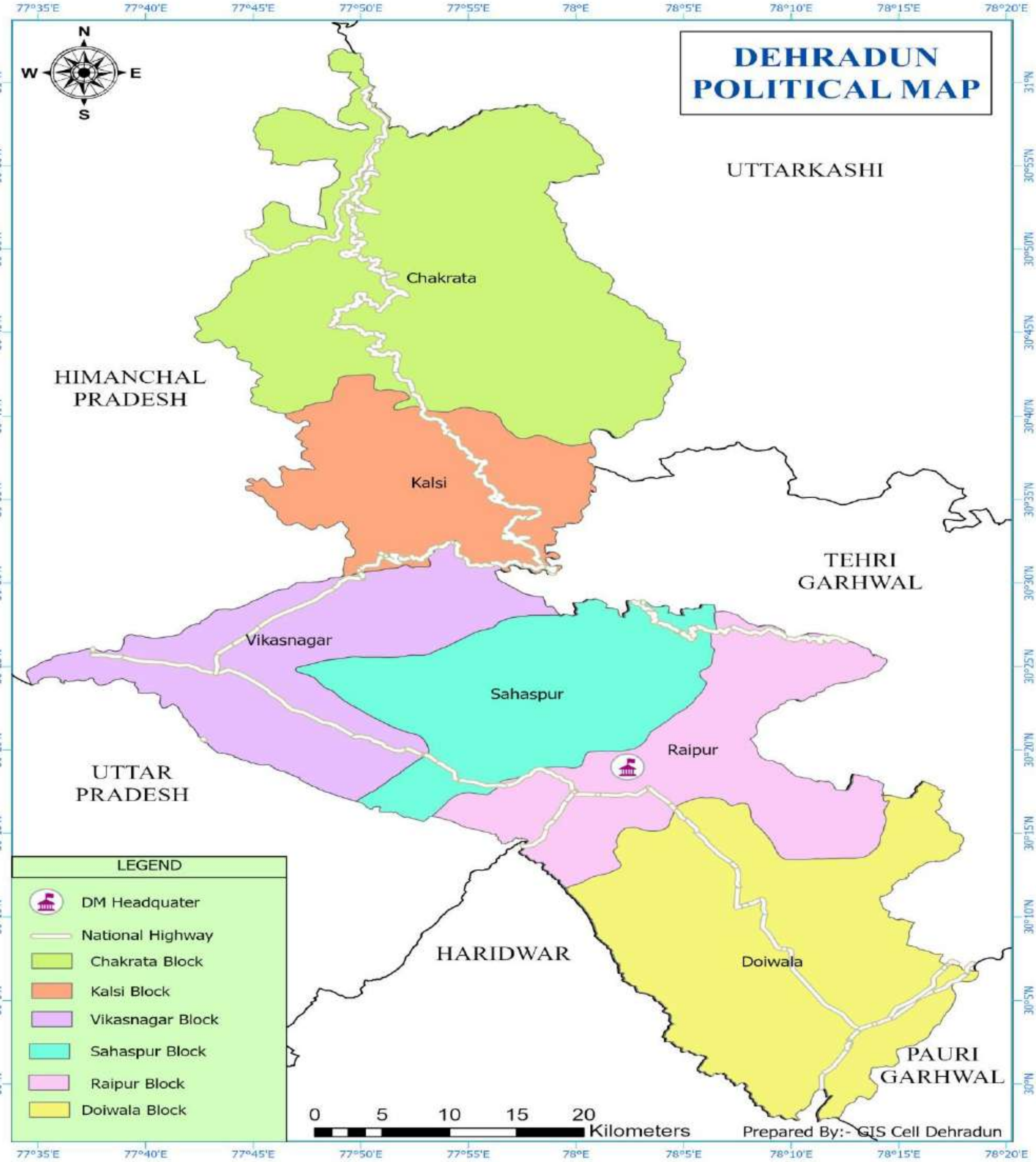

1.7 जिला आपदा प्रबंधन योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (डीएम अधिनियम) के अनुसार, धारा 31 के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) होनी चाहिए। हर जिले में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसका प्रयोजन होगा डीडीएमपी की तैयारी, कार्य, समीक्षा और अद्यतन को संबोधित करना। इसके अलावा, जिला स्तर पर आपदाओं की रोकथाम और उनके निवारण के लिए आवश्यक उपायों के लिए योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की सत्ता और एकीकृत प्रक्रिया डीडीएमए में शामिल होगी। डीडीएमपी के कुशल निर्वहन के अनुसार योजना को मुख्य तीन चरणों में व्यवस्थित किया गया है।

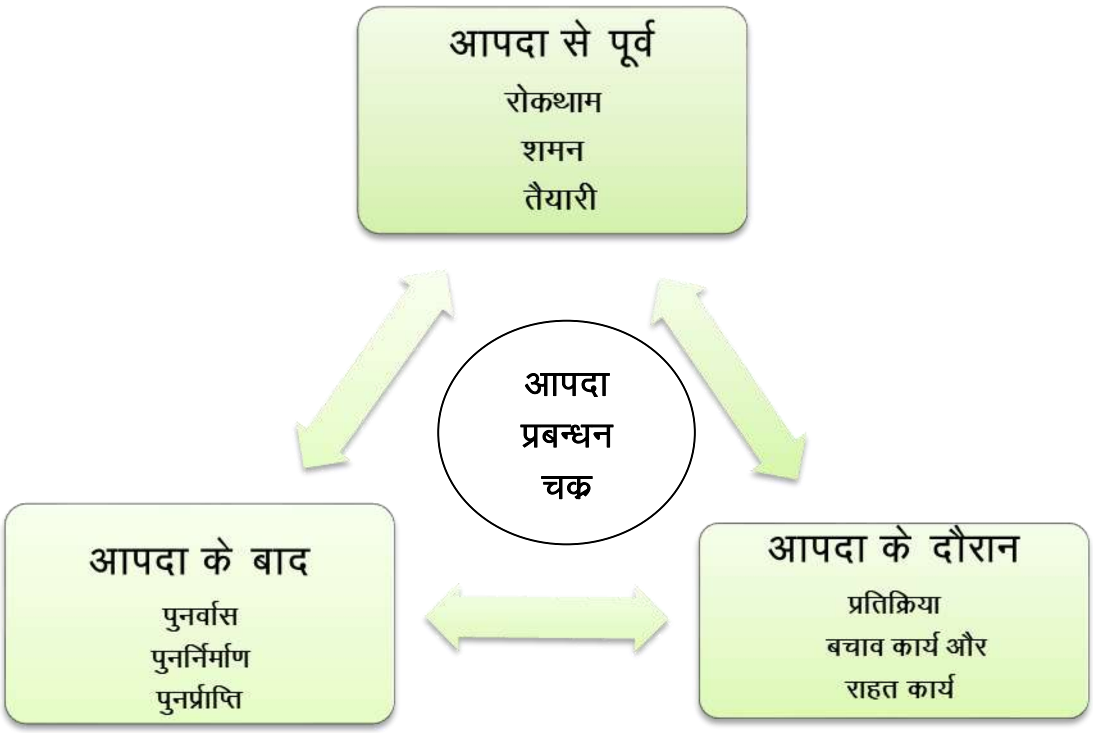

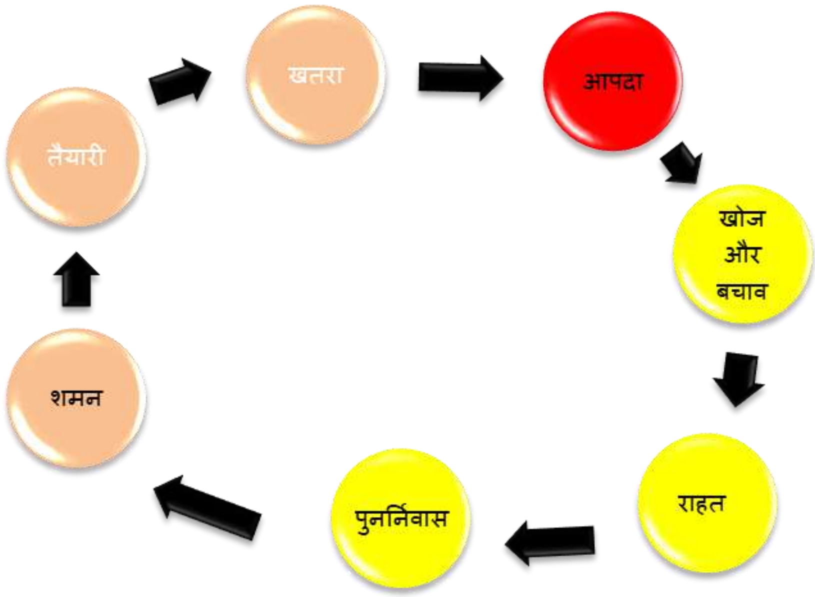

योजना की आवश्यकताः–

जनपद देहरादून में विषेश रूप से बाढ़, त्वरित बाढ़, नदी तट–कटाव, अतिवृश्टि, ओलावृश्टि, भूस्खलन, वनाग्नि, अग्निकाण्ड, मानव वनजीव द्वन्द आदि का संभावित खतरा रहता है। जिले में इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए जो जीवन, आजीविका, पर्यावरण और संपत्ति हानि को बढ़ाता है, उन्हे कम करने के लिये एक ऐसी योजना विकसित करने को महत्वपूर्ण समझा गया जो आपदाओं के प्रति जिला की प्रतिक्रिया में सुधार करता है तथा आपदा जोखिमों को कम करने और तैयार योजना को लागू करके समुदाय की क्षमता में वृद्धि करता है।

1.8 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देष्यः–

(i) जिले में आपदाअें से खतरे के प्रभाव का विष्लेशण कर जिले तैयारियों को निर्धारित करना।

(ii) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका उपयोग प्रषासन की क्षमता बढ़ाने के लिए करना।

(ii) आपदा न्यूनीकरण के लिए विभिन्न पहलुओं क्षेत्र विषेश की विकास योजनाओं के काम में लाना।

(iv) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविश्य में निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

(v) आपदा के समय विभिन्न विभागों के समन्वय एंव सामंजस्य से मानक कार्य प्रकिया अपना कर कार्यवाही का कियान्वन करना।

(vi) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं पता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान देते हुए अन्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है, ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति–आवष्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

(क) प्रतिक्रिया कार्यों का सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।

(च) बाी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.9 योजना का क्षेत्रः–

सरकार, उद्योग और कृशि पर आपदा के प्रभाव को देखते हुए किसी भी जिले के लिए आपातकालीन योजना प्रकिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का दायरा व्यापक होगा जो की निम्नलिखित हैः–

(क) जिलो में खतरों के प्रति संवेदनषील भौगोलिक क्षेत्र,

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों,एजेंसियों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भूमिकांए और जिम्मेदारियां,

(ग) आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों जैसे रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया (निकासी और अस्थायी आश्रय सहित) से संबंधित उपायों का सुझाव दें। आकस्मिक योजना जन एवं संपत्ति हानि को कम करने में मददगार होता है।

1.10 प्राधिकरण और संदर्भ

जिला और सहायक योजनाओं की आवष्यकता डीएम अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अधिनियम के अनुसार आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जिला कलेक्टर, अन्य पार्टियों से सहायता लेने हेतु अधिकृत है। जिला कलेक्टर और सरकारी प्रधिकरण, एसडीएमए, राहत आयुत्क (सीओआर), और अन्य सार्वजनिक, निजी पार्टियों के समर्थन के साथ जिले में आपदाओं और जोखिमक के प्रबधंन के लिए जिम्मेदार हैं। कलेक्टर और अन्य पार्टियों की भूमिका, जिम्मेदारियों और दायित्व अधिनियम में विस्तार से निर्धारित किए गए है।

1.10 योजना विकास

योजना बनाने में षामिल विभिन्न कदमः–

1. डेटा संग्रह और योजना– सभी लाइन विभागों से डेटा संग्रह, डेटा विष्लेशण (खरि की पहचान और समझ, जिले मे जोखिमक का आकलन) और एक योजना टीम का गठन।
2. विकास– सभी लाइन विभागों की आवष्यकताओं और विकास की विष्लेशण तथा जरूरत एवं संसाधनों की पहचान करना।
3. तैयारी– योजना की तैयारी, समीक्षा, अनुमोदन और प्रसार।
4. कार्यान्वयन और रखरखाव– योजना का कार्यान्वयन, मूल्यांकन, समीक्ष और अद्यतन।

1.11 हितधारक एवं जिम्मेदारियां–

राज्यस्तर– राज्यस्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है। सभी राज्य शासन के मुख्य लाइन विभाग एवं आपातकालीन सहायता कार्य संचालन करने वाली ऐजेंसी, आपदा के समय राज्य आपातकालीन ई.ओ.सी. से सहायता प्रदान करती है।

जिलास्तर– जिलास्तर पर आपदा और निपटने के लिए एवं जन समूदाय को सुरक्षित रखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जिला कलेक्टर प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं जो आपदा के समय जिलास्तर के विभिन्न विभागों को आपदा से निपटने के लिए निर्देशित कर सकते है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन तैयारी, प्रशिक्षण में समूदाय एवं गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

1.12 योजना का अनुमोदन तंत्र–

अधिसूचना संख्या एफ 8(4) डीएम एण्ड आर/डीएम/023 दिनांक 06.09.2007 के तहत सभी जिलों के लिए डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन। डीडीएमए के तहत जिला स्तर पर सभी विभागों द्वारा रोकथाम, शमन एवं रेस्पॉस संबंधी एनडीएमए/एसडीएमए/एसईसी के दिशा–निदेर्शो का अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसका दायित्व होगा।

भौगोलिक स्थिति

देहरादून जिला ग्रामीण में कम एवं षहरी क्षेत्र में घनी आबादी वाला जिला है।

आपदा प्रतिक्रिया योजना–

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डी.डी.एम.ए.पी) विभिन्न आपदा परिस्थितियों जैसे–भूकम्प, बाढ, महामारी, औद्योगिक आपदायें, सडक दुर्घटनाएं व अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति जिले की प्रतिक्रिया को सम्बोधित करती है। इनमें से कुछ आपदायें जैंसे बाढ भूकम्प एक बडे

क्षेत्र को प्रभावित कर पर्यावरण, सम्पदा व सामान्य जीवन को बडा नुकसान पहुंचाती है, बल्कि अन्य जो महामारी आदि केवल जनसंख्या के एक बड़े भाग को गम्भीर रूप से प्रभावित करती हैं। किसी भी ऐसी स्थिति के नियंत्रण के लिये वृहत संसाधनों एवं जन शक्ति की आवश्यकता होती है।

यह योजना आपदाओं के लिए एक बहु–आपदा प्रतिक्रिया योजना है, तथा ऐसी विपरीत परिस्थितियों के प्रबन्धन के लिये आवश्यक संस्थागत संरचना को दर्शाती है। यह योजना आपदा में सम्मिलित विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को एकरूपता देते हुये आपदा प्रबन्धन व न्यूनीकरण उपायों को प्रदर्शित करती है।

उद्देश्य–

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के उद्देश्य इस प्रकार है–

- आपदाओं के खतरे एवं घातकता विश्लेषणों द्धारा जिला स्तर पर पूर्व तैयारियों में सुधार लाना तथा मानव, भौतिक व संसाधन/सामग्री क्षति रूप में आपदाओं के प्रभाव को कम करना।
- जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन में सम्मिलित विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं की स्थिति को सुनिश्चित करना तथा जिला प्रशासन के क्षमता निर्माण में इसका उपयोग करना।
- जिला स्तर पर विकास के लिये स्थिति एवं क्षेत्र विशिष्ट योजना निर्माण के एक उपकरण के रूप में आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं का उपयोग करना।
- जिला स्तर पर भावी आपदाओं के अभिलेखीकरण के लिये एक प्रारूप विकसित करना, एक योजना के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण ताजा जानकारी रखना, प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण व मूल्यांकन करना तथा उचित रणनीति तैयार करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को उत्तराखण्ड सरकार के सम्पूर्ण नीति प्रारूप के अन्दर एक प्रभावी प्रबन्धन उपकरण के रूप में विकसित करना।

एक सुपरिभाषित योजना की अनुपस्थिति में आपदाओं की प्रतिक्रिया (Response) औपचारिकता मात्र होगी इस प्रकार आपदा प्रबन्धन के लिए एक ठोस योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है जिसमें निम्न उद्देश्य सम्मिलित किये जायेंगें–

1. (Disaster Response & Mitigation) आपदा प्रतिक्रिया तथा न्यूनीकरण कार्यो के लिये एक पूर्व नियोजन (Pre-Planning)।
2. प्रतिभागी विभागों तथा एजेन्सियों के दायित्वों का निर्धारण।
3. विभिन्न विभागों व राहत कार्यों में सम्मिलित विभागों के लिये व्यवहार एवं कार्य संचालन मानकों को विकसित करना।

4. वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों की सूची व संसाधनों के प्रभावी प्रबन्धन।
5. समन्वित व प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये सभी राहत व बचाव गतिविधियों के बीच एक समन्वयन, जिनमें गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां भी सम्मिलित है।
6. उचित सहयोग के लिये राज्य प्रतिक्रिया तन्त्र (State Response System) के साथ समन्वयन।
7. राहत एवं पुनर्वास के समय किये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।

भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल :– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या व घनत्व 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

मृदा मिट्‌टी

जिले में सामान्यतः काली मिट्‌टी व पीली मिट्‌टी पायी जाती है।

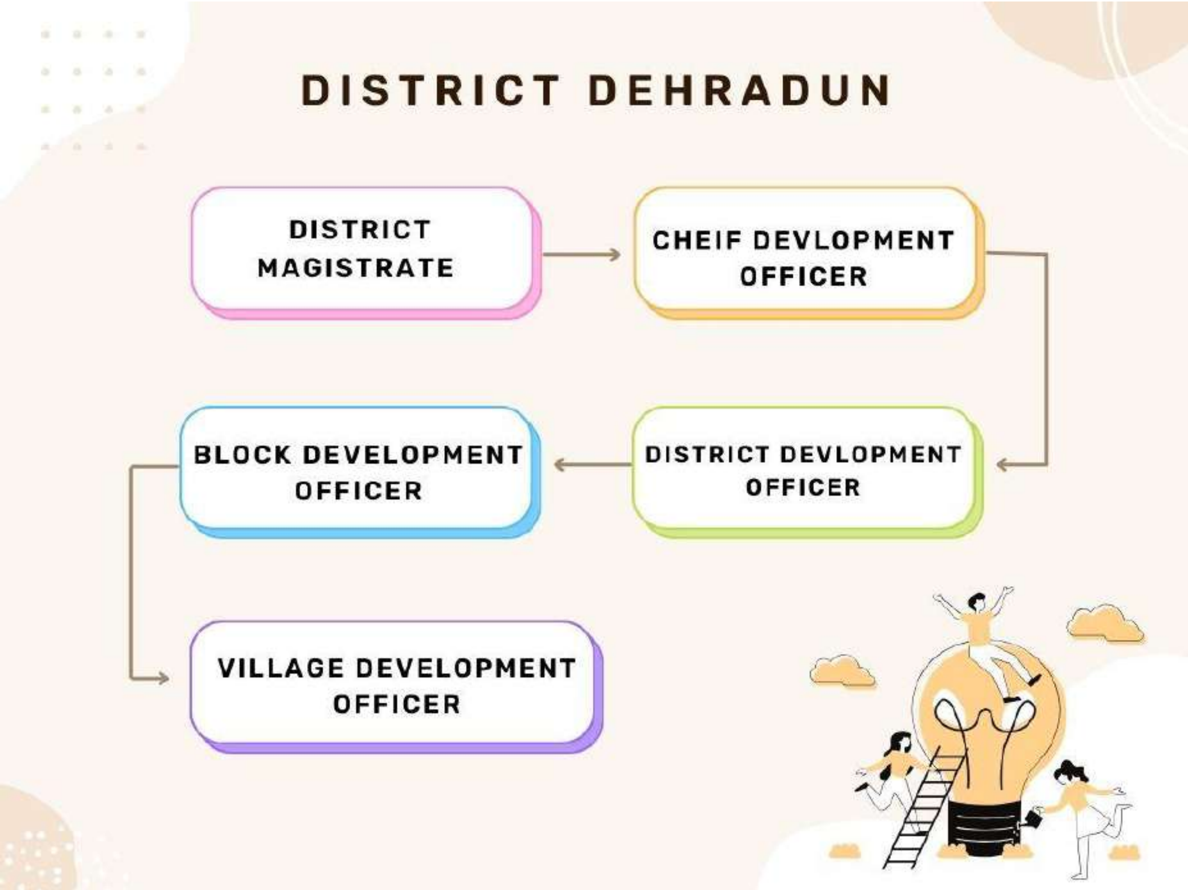

Figure 1 Cordination of Officer for Development Purpose

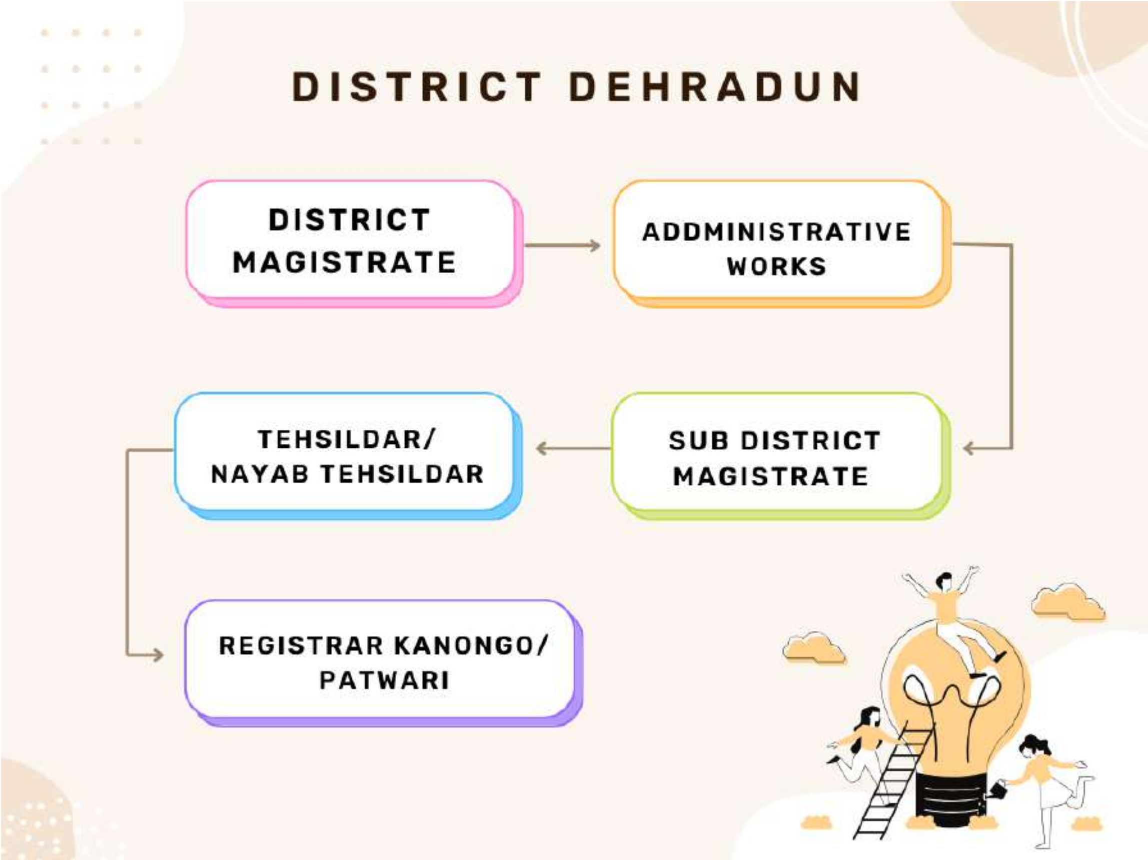

Figure 2 Codination of Officer for Administrative Works.

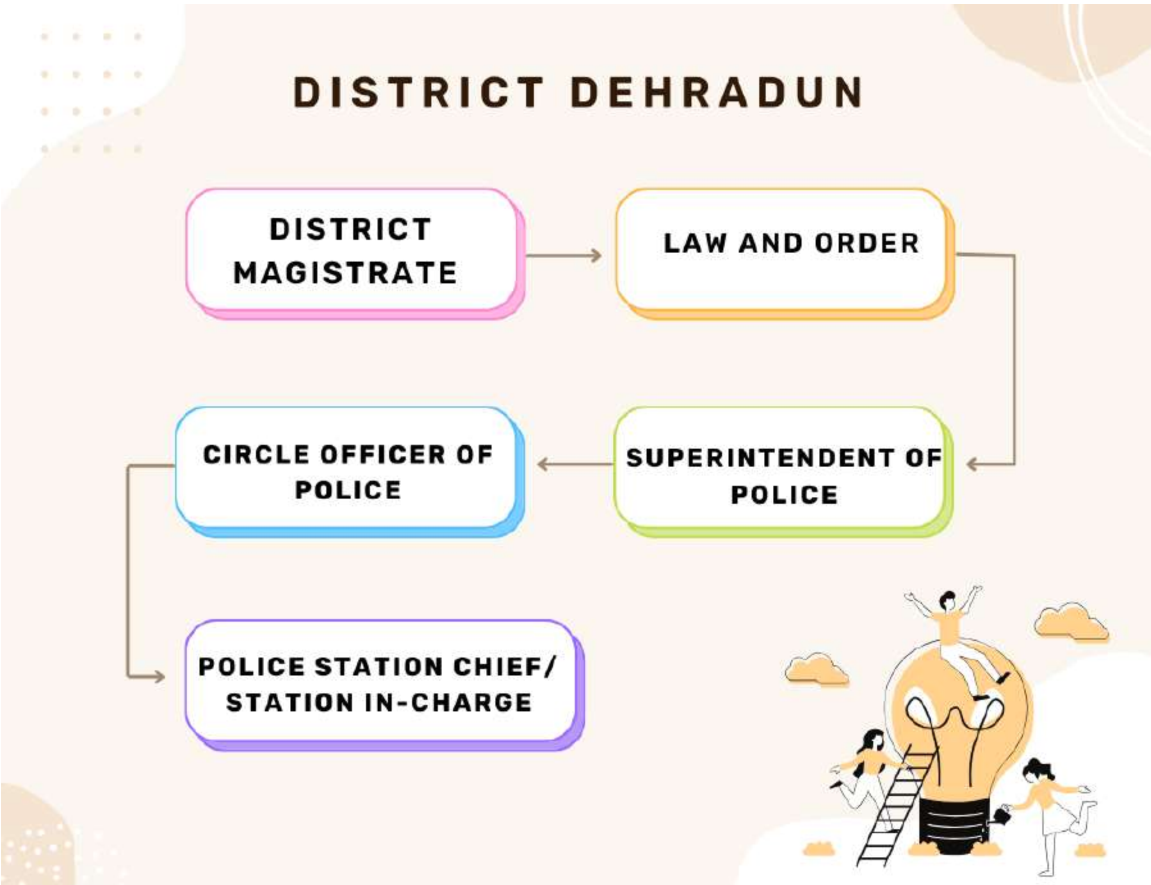

1.13 जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य और लक्ष्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम) की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) बनाना अनिवार्य बनाती है। डीडीएमपी में खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन (एचवीसीआरए), रोकथाम, शमन, तैयारी उपाय, प्रतिक्रिया योजना और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

उद्देश्य–

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनना (डीडीएमपी)के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

- जिले में प्रमुख प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- आपदा को रोकने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर पर सक्रिय उपाय अपनाना।
- आपदा के पूर्व और पश्चात चरणों के दौरान हितधारकों को विभिन्न कार्य और जिम्मेदारियां परिभाषित करना और सौंपना।
- जिले के लोगों की आपदा सहनशीलता को क्षमता निर्माण के माध्यम से बढ़ाना।
- उचित योजना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संपत्ति, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की हानि को कम करना।
- जिले में प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य के विकास को प्रबंधित करना।
- खोज, बचाव और प्रतिक्रिया में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जिला स्तर पर एक आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना करना।
- आपदा स्थिति का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया के लिए एक मानकीकृत तंत्र विकसित करना।
- समुदाय को आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रमाणित तकनीक पर आधारित विश्वसनीय संचार प्रणाली स्थापित करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करना ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, बचाव और खोज समर्थन प्रदान किया जा सके।
- जिले में आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तंत्र को अपनाना और समुदाय को आपदा–प्रतिरोधी भविष्य विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग करना।
- आपदा प्रबंधन में मीडिया का उपयोग करना।

➢ प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजना और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर और स्थानीय प्राधिकरण पर पुनर्निर्माण उपाय करना।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का उद्देश्य शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक है। इस योजना को आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि मानवीय, संपत्ति और पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

1.14 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा–

आपदा प्रबन्धक कार्य योजना का दायरा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कवर करता है। इसमें शामिल हैं

(i) **आपदा पूर्व (Preparednes)**

- संभावित खतरों का मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण।
- समुदाय को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना।
- चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- संसाधनों और उपकरणों का प्रबंधन।

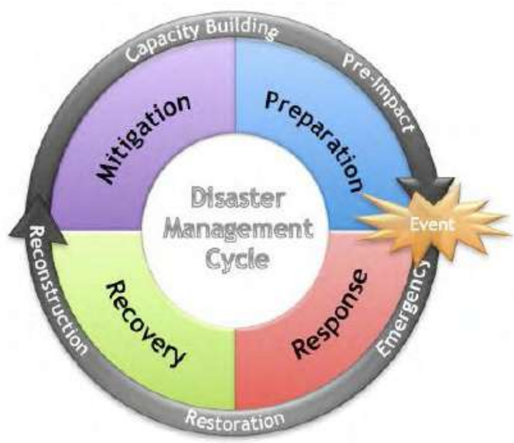

(ii) **आपदा के दौरान (Response)**

- त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) का गठन।
- राहत कार्यों का कुशल संचालन।
- प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बचाव अभियान का समन्वय।

(iii) **आपदा के बाद (Recovery)**

- प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
- सामाजिक और आर्थिक पुनर्बहाली।
- आपदा के कारण हुए नुकसान का आकलन।
- भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए उपाय करना।

(iv) **शामिल हितधारक**

- जिला प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य विभाग।
- गैर–सरकारी संगठन (NGO) और सामुदायिक संगठन।

- राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग।
- स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक।

(v) **मुख्य घटक**

- आपदा प्रबंधन टीमों और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सूची बनाना।
- संसाधनों का भंडारण और वितरण प्रणाली।
- आपदा जोखिम कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रभावित समुदायों को शीघ्रता से पुनर्बहाली में मदद करने का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह योजना जिला प्रशासन, समुदाय और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है।

1.15 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करने हेतु अधिकार एंव संदर्भ–

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) के अध्याय–IV के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority & DDMA) की स्थापना करेगी, जिसका नाम अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा। DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त, या जिलाधिकारी (जैसा मामला हो) करेंगे, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह–अध्यक्ष (Co&Chairperson) होंगे।
- राज्य सरकार उस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधिकारी, या अतिरिक्त उपायुक्त (जैसा मामला हो) के पद से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी को जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer & CEO) नियुक्त करेगी।
- DDMA जिले में आपदा प्रबंधन (DM) के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत, यह जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सभी संबंधित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- DDMA यह भी सुनिश्चित करेगी कि NDMA और SDMA द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाए।

- इसके अलावा, " जिला योजना" (District Plan) का मतलब जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना से है, जिसे धारा 31 के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य है। यह योजना जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित कराई जाएगी।

1.16 आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) का संक्षिप्त विकास

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) की तैयारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की जिम्मेदारी है। प्रारंभिक मसौदा योजना को DDMA में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस योजना के विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

- NDMA टेम्पलेट के अनुसार DDMP विकसित करने के लिए राज्य और NDMA के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण।
- सभी संबद्ध विभागों से डेटा संग्रह।
- डेटा का विश्लेषण।
- विशेषज्ञों के साथ चर्चा।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ।
- सभी संबद्ध विभागों के लिए कार्य योजनाओं की तैयारी।
- मसौदा योजना दस्तावेज की तैयारी।
- कार्यान्वयन की विधि की व्यवहार्यता और संभाव्यता जांचने के लिए मॉक ड्रिल।
- सार्वजनिक और विभागीय टिप्पणियों के लिए व्यापक प्रसार।
- अंतिम योजना दस्तावेज की तैयारी।

आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में एकरूपता प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह योजना क्षेत्र स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससे आगे तक विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया की दक्षता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार स्थिति में रखती है।

1.17 हितधारक और उनकी जिम्मेदारियां

• राष्ट्रीय और राज्य स्तर – राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, NIDM, NDRF की प्रमुख भूमिकाएँ निर्धारित हैं। राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राहत आयुक्त (CoR), राजस्व विभाग, प्रमुख संस्थाएँ हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटती हैं। सभी प्रमुख विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति) और आपातकालीन समर्थन कार्य एजेंसियाँ (पुलिस, होम गार्ड, फायर और स्वास्थ्य/प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान DEOC में एकत्र होती हैं।

• जिला स्तर पर– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसमें जिला कलेक्टर को प्रतिक्रिया अधिकारी (RO) के रूप में नामित किया गया है, और जिला मुख्यालय पर अन्य संबंधित विभाग, जिला के भीतर आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं।

• अन्य तकनीकी संस्थाएँ, समुदाय, स्थानीय स्व–सरकारें, NGOs आदि भी जिला आपदा प्रबंधन योजना के हितधारक हैं। हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि संबंधित संगठनों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिले, जो कि सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं और उन्हें पूरा किया जा सके।

तालिका–19

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का क्रियान्वयन, अद्यतन और संशोधन। • स्थानीय सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि जिले में आपदा पूर्व और आपदा पश्चात प्रबंधन गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। • सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना।
2.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	• DDMP को अनुमोदित करना। योजना की निगरानी और क्रियान्वयन। • इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए DDMP को मार्गदर्शन प्रदान करना। • आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना। • शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	• आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करना।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
4.	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीएमए और संबंधित विभागों के साथ समन्वय में आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
5.	पुलिस, होम गार्ड, पी.आर.डी.	• आपदा स्थितियों और उनसे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना। • कानून और व्यवस्था बनाए रखना। • लूटपाट और दंगों के खिलाफ कदम उठाना। • खोज और बचाव अभियान चलाना।
6.	सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग	• चिकित्सा कर्मियों, आपूर्ति और उपकरणों को सीधे सक्रिय करना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करना। • बाढ़ की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। • सिंचाई बुनियादी ढांचे की निगरानी और सुरक्षा करना।
7.	उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. (यू.पी.सी.एल.)	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि। • क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
8.	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का समन्वय करना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
9.	जनसंपर्क विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि राज्य स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। • सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना।
10.	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के आकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
11.	कृषि विभाग	• सूखे से संबंधित आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना। • सभी प्रकार की फसलों के संबंध में आवश्यकताओं और

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
		नुकसान का आकलन करना। ● कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी अवसंरचना के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
12.	पशुपालन विभाग	● आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना। ● किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। ● सभी पशु चिकित्सा केंद्रों की सूची तैयार करना और आपदा स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का आकलन करना। ● मृत पशुओं के शवों के निपटान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग / लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी. एस.वाई.	● उपयुक्त कोड और दिशानिर्देश विकसित करना। ● भवनों और महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा का निरीक्षण करना। ● नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना।
14.	राजस्व विभाग	● वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। ● आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण।
15.	वन विभाग	● वनाग्नि नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम एवं इस संबंध में जन जागरूकता तथा आपदा के समय राहत बचाव कार्य में सहयोग।
16.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	● आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था,

1.18 डीडीएमपी ढांचे का उपयोग कैसे करें

1. डीएम अधिनियम 2005 की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए, ताकि जिले के भीतर खतरनाक घटनाओं के प्रभाव से बचाव हो सके।
2. महत्वपूर्ण आपात स्थितियों या आपदाओं में, जिला मजिस्ट्रेट या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष को राज्य सरकार के नियमों / राज्य आपदा प्रबंधन योजना दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।

3. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) स्थिति की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों से संचालित किया जाएगा। सक्रिय होने पर, संचालन में लाइन विभागों और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा; निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए जानकारी, डेटा और संसाधन प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
4. डीडीएमए, डीएम अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
5. उन सुविधाओं की पहचान की गई है, जो जिला सरकार के कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
6. जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उनके नामित व्यक्ति जिला संसाधनों का समन्वय और नियंत्रण करेंगे।
7. आपातकालीन सार्वजनिक जानकारी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों से नामित मीडिया और सूचना अधिकारी द्वारा प्रसारित की जाएगी।
8. कारगर आपातकालीन संचालन के लिए पूर्व योजना और कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है और इसे आपदा तैयारी के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
9. जब कोई घटना जिले की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है, तो आसपास के जिलों के साथ समन्वय आवश्यक है। अंतर–जिला सहयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनका अभ्यास किया जाना चाहिए।
10. इस दस्तावेज़ में जिन विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्राथमिक या सहायक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें इस योजना का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन दस्तावेज़ विकसित करना चाहिए।
11. आपातकालीन संचालन के दौरान जब स्थानीय संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो राज्य या उच्च स्तर की सरकार और अन्य एजेंसियों से मदद मांगी जाएगी, निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार।
12. जिला प्राधिकरण सहायता और/या संसाधनों के लिए अनुरोध करने के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करेगा, अर्थात, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से राज्य EOC तक। यदि राज्य के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो राज्य आवश्यक संसाधन केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।
13. जिला EOC राज्य EOC, और भारत सरकार की एजेंसियों जैसे IMD / CWC के साथ समन्वय करेगा ताकि संभावित बाढ़, चक्रवात आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी बनाए रखी जा सके। इस प्रकार की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को उपयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।
14. इन क्षेत्रों में संभावित समस्याओं की सूचना प्राप्त होने पर, DEOC / नामित अधिकारी उचित रूप से अलर्ट जारी करेंगे और निवासियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना देंगे।

15. आपदा के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी स्तरों की स्थानीय सरकार और उनके विभागों को ऐसी प्रक्रियाएं विकसित और बनाए रखनी चाहिए, जो सरकार की कार्रवाई की निरंतरता सुनिश्चित करें।

यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियों की स्वतः सक्रियता (Suo&moto Activation) के लिए एक संस्थागत ट्रिगर तंत्र हो, ताकि आपदा के समय प्रत्येक एजेंसी अपनी सौपी गई भूमिका निभाए। आगामी चेतावनी संकेतों की उपलब्धता के आधार पर तीन प्रकार के ट्रिगर तंत्र स्थापित किए जाएंगेः

पूर्व चेतावनी संकेत–

ऐसे मामलों में, भारत सरकार/राज्य सरकार ने ऐसी पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक/तहसील/ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाए जाएंगे। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसी चेतावनी/परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) इसे तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा।

इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगाः–

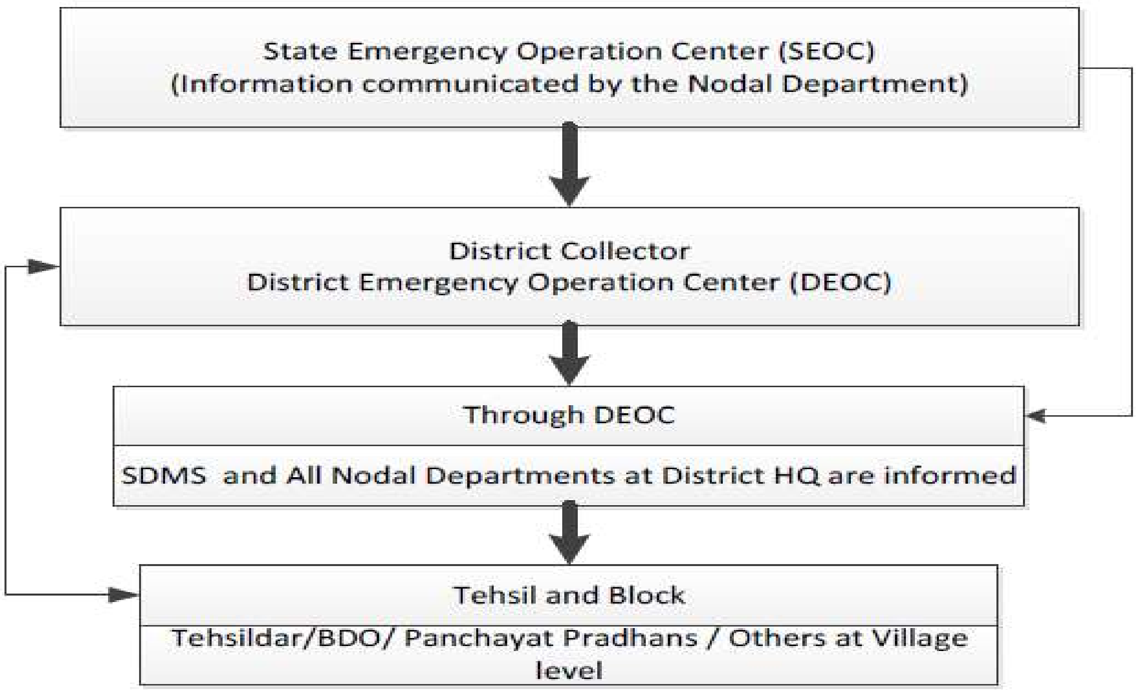

With warning Information flows from Top - Down

पूर्व चेतावनी के बिना संकेत :

जब कोई आपदा बिना किसी प्रारंभिक चेतावनी के आती है, तो उस स्थिति में घटना स्थल से सूचना सरकारी एजेंसी या अन्य माध्यमों से प्रारंभ होती है और ऐसी स्थिति में संस्थागत तंत्र निम्नानुसार होगाः–

1. संबंधित गाँव पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन/एसडीएम/डीएम को घटना की सूचना देगा, और यह सूचना उपायुक्त (क्मचनजल ब्वउउपेपवदमत) तक भेजी जाएगी।
2. DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जानकारी का आकलन करेगा और आपदा को स्तर L0, L1, L2 या L3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
3. DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) सक्रिय किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) को सतर्क रखा जाएगा; अन्यथा, घटना की सूचना SEOC को दी जाएगी।
4. DDMA DEOC की बैठक आयोजित करेगा और घटना प्रबंधन योजना (Incident Response Plan) के तहत आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करेगा।
5. संबंधित घटना प्रतिक्रिया टीमों (Incident Response Teams) को प्रभावी प्रबंधन के लिए घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

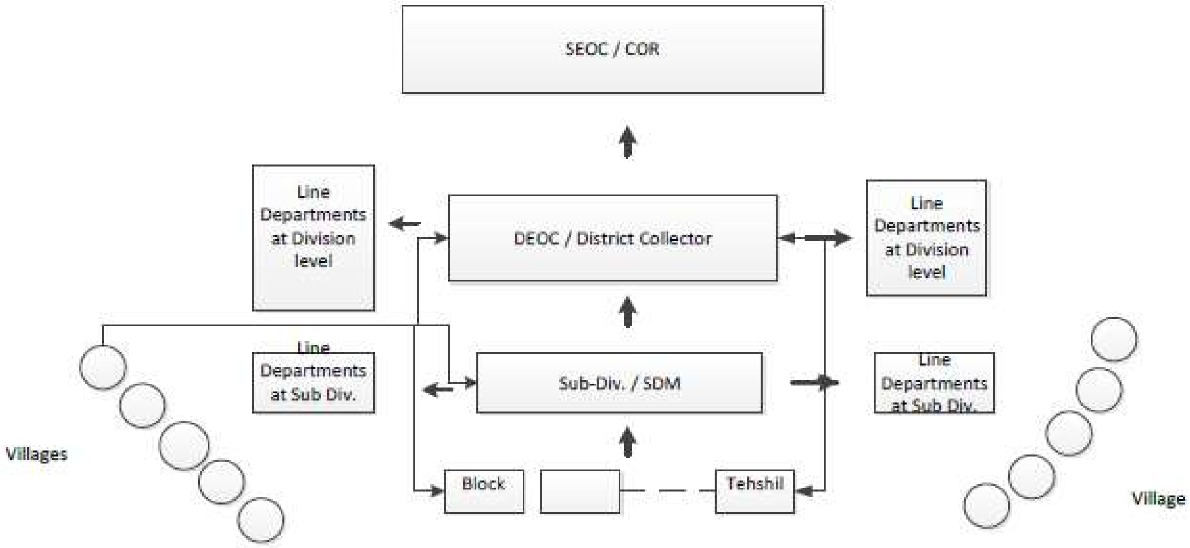

Without Warning – Information, generally, should flow from Bottom side – up but it is a crisscross scenario

आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपदा के घटित होने पर आपदा प्रतिक्रिया संरचना सक्रिय की जाएगी। आपदा के घटित होने की सूचना संबंधित निगरानी प्राधिकरण द्वारा राहत आयुक्त/एसडीएमए को सबसे तेज माध्यम से दी जा सकती है। एसडीएमए/एसईसी

आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा, जिसमें राज्य ईओसी, जिला ईओसी, पुलिस कर्मी और ईआरसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे निम्नलिखित विवरणों को शामिल करते हुए निर्देश जारी करेंगे:

1. आवश्यक संसाधनों की सटीक मात्रा (जनशक्ति, उपकरण और प्रमुख विभागों/हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के रूप में)।
2. प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।
3. वह समय सीमा जिसके भीतर सहायता की आवश्यकता है।
4. अन्य टास्क/प्रतिक्रिया बलों का विवरण जिनके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।
5. राज्य स्तर पर राज्य ईओसी, ईआरसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ–साथ जिला नियंत्रण कक्षों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

1.19 डीडीएमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र–

डीडीएमपी को जिला और राज्य स्तर पर प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह योजना स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के तहत लागू की जाती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत परिभाषित, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, समन्वय और क्रियान्वयन करने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करेगा।तदनुसार, जिला आपदा प्रबंधन योजना (District DM Plan) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National DM Plan) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State DM Plan) को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति, और इसमें किए गए किसी भी संशोधन की प्रति उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) विचार के बाद योजना को स्वीकृत करेगा और कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगा।

1.20 योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया–

अध्यक्ष, डीडीएमए, चम्पावत का दायित्व है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का वार्षिक रूप से और आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाए। सभी संबंधित विभाग आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। हाल के समय में, आपदाओं के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में प्रगतिशील सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी, संबंधित विभागाध्यक्षों और विभिन्न स्तरों के

अधिकारियों को पहले से आवंटित कर्तव्यों और सार्वजनिक तथा एनजीओ की साझेदारी के कारण संभव हुआ है।

प्रशिक्षण: योजना विकसित करने के बाद, इसे प्रसारित किया जाना चाहिए और आपदा प्रबंधन समन्वयक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि उन्हें योजना में पहचाने गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ प्राप्त हों।

योजना का अभ्यास करें: योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और वास्तविक घटनाओं के संयोजन से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना में उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य, निर्णय, क्रियाएँ और समय प्रतिक्रिया को सफल बना सके। अभ्यास का उद्देश्य नीतियों, योजनाओं का परीक्षण करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके तैयारी को बढ़ावा देना है।

संशोधन और रखरखाव: योजना तैयार करने वाली टीमों को योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। समीक्षा एक आवर्ती गतिविधि होनी चाहिए और वार्षिक आधार पर समीक्षा को न्यूनतम माना जाता है। योजना की समीक्षा और अद्यतन निम्नलिखित घटनाओं के बाद किया जाएगा:

- किसी बड़ी घटना के बाद
- संचालन संसाधनों में परिवर्तन (जैसे, नीति, कर्मचारी, संगठनात्मक संरचनाएं, प्रबंधन प्रक्रियाएं, सुविधाएं, उपकरण)
- योजना मार्गदर्शन या मानकों का औपचारिक अद्यतन
- हर सक्रियता के बाद
- प्रमुख अभ्यासों के बाद
- जिले के जनसांख्यिकी, खतरों या खतरे की प्रोफाइल में परिवर्तन
- नए या संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन

अध्याय–02 खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन

(Hazard, Risk, Valunurability, and Capacity Assessment)

2.1 जनपद प्रोफाईल

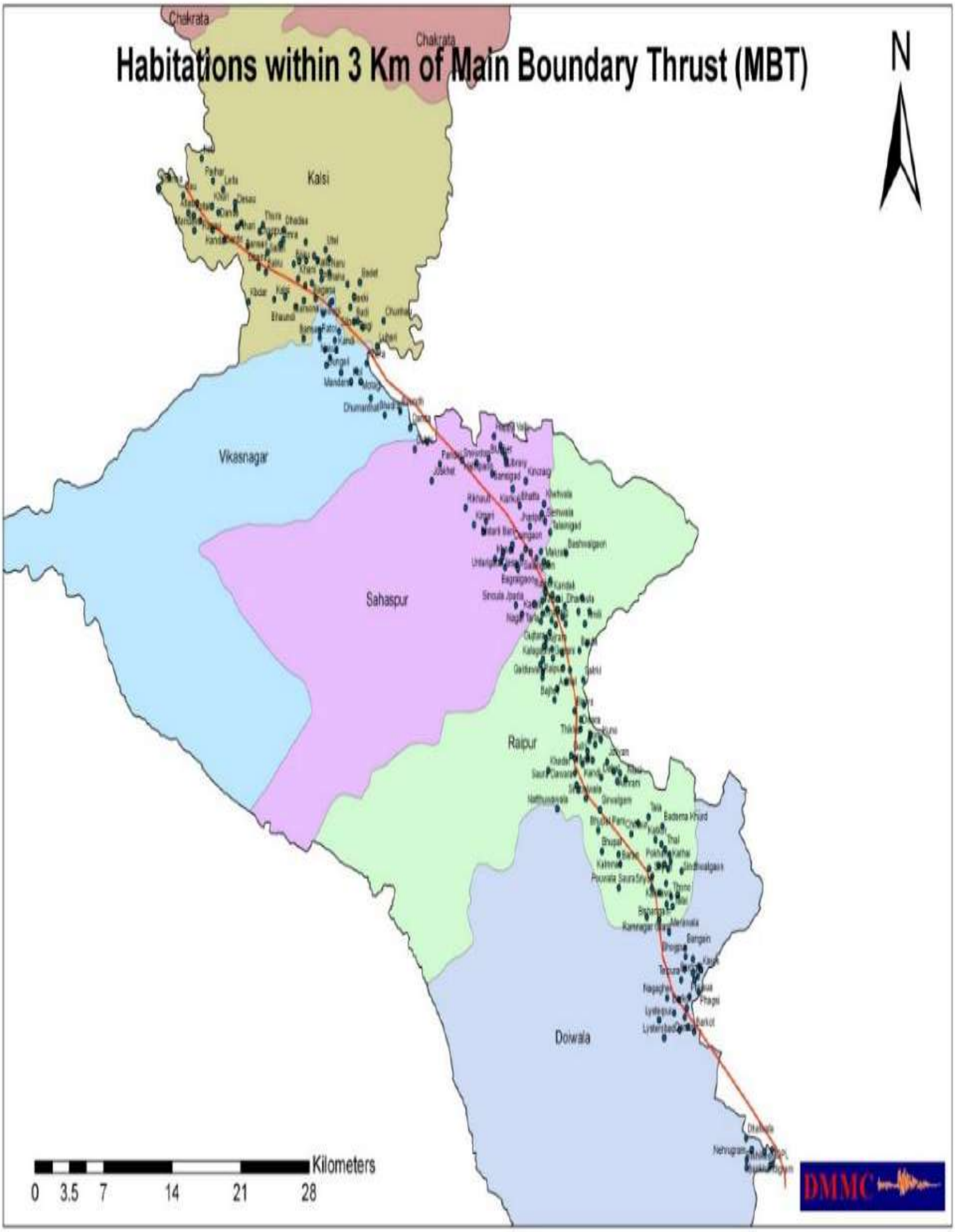

2.1.1 जनपद कि भौगौलिक स्थिती एंव जलवायु

जनपद देहरादून उत्तराखण्ड राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी सीमायें उत्तर प्रदेश व हिमांचल प्रदेश से लगती है। सम्पर्क की दृष्टि से देहरादून सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जनपद

के उत्तरी भाग में हिमालय तथा दक्षिणी भाग में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं। इसके पूर्व में गंगा नदी तथा पश्चिम में यमुना प्रवाहित होती है। अन्य प्रमुख नदियों में टोन्स, सोंग व जाखन हैं। जनपद देहरादून के उत्तर–पूर्व में हिमालय श्रृंखला के उत्तरकाशी तथा टिहरी जनपद, दक्षिण भाग मे शिवालिक श्रेणी के समकक्ष हरिद्वार तथा सहारनपुर (उ0प्र0) जनपद तथा पश्चिम में हिमाचल प्रदेश का नहान जनपद स्थित है। जनपद की चकराता तहसील जौनसार–बाबर क्षेत्र कहलाती है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3088 वर्ग किमी0 है। इस शहर उत्तरी अक्षांश पर 29°58' तथा 31°2'30" के मध्य तथा पूर्वी अक्षांश पर 77°34'45" तथा 78°18'30" के मध्य स्थित है। शहर की ऊंचाई समुद्र तल से 640 मीटर (2100 फुट) है। जिला मुख्यालय देहरादून राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सडक, रेलवे व हवाई मार्गो से भली भांति जुडा है। देश की राजधानी दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 287 किमी है। वर्तमान में जनपद में 4 लेन मार्ग निर्माण के पश्चात देहरादून से दिल्ली पहुंचने का समय 2–3 घण्टे कम हो गया है।

जनपद देहरादून ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिगत प्रसिद्ध है। प्रमुख स्थलों में त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, मसूरी के विभिन्न पर्यटन स्थल, श्री गुरू रामराय दरबार साहिब, टपकेश्वर महादेव मन्दिर, अशोक शिलालेख कालसी, लाखामण्डल, खलंगा स्मारक, बौद्ध महास्तूप क्लेमनटाउन, भारतीय अनुसंधान संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक एकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, राजाजी नेशनल पार्क, मालसी डीयर पार्क, लच्छीवाला पार्क, सहस्त्रधारा आदि प्रमुख हैं।

जिले का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3088 वर्ग किमी है। देहरादून शहर ही अपने आप में 30 वर्ग किमी0 तक फैला है। जिले में 7 उप प्रशासनिक इकाईयां (तहसील) हैं जिनमें– देहरादून (सदर), डोईवाला ऋषिकेश, विकासनगर, कालसी, चकराता, त्यूणी हैं। सम्पूर्ण जिला सात खण्डों – देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, कालसी, चकराता, त्यूणी व मसूरी में विभक्त है।

वर्तमान में जिले में 6 विकासखण्ड (ब्लॉक) हैं– चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला। इन विकासखण्डों का क्षेत्रफल क्रमशः

जिला देहरादून							
ब्लॉक	**भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में**	**गांवों की संख्या**	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**नगर पालिका की संख्या**	**नगर पंचायत की संख्या**	**कुल न्याय पंचायतें संख्या**	**कुल ग्राम पंचायतें संख्या**
चकराता	144.33	इस जिले में 17 कस्बे व 764 गांव (746 आबाद एवं 18 गैर आबाद गांव) है।	116	04 (मसूरी, विकासनगर, डोईवाला, हरबर्टपुर)	01 (सेलाकूई)	09	116
कालसी	131.69		111			06	111
विकासनगर	225.52		55			05	55
सहसपुर	354.54		59			06	59
रायपुर	295.32		64			06	64
डोईवाला	188.01		54			05	54

तालिका 01: जिले का संक्षिप्त परिचय

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित शब्दावली

''आपदा'' जो प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का एक उदाहरण है, विश्वभर में सामान्य है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द **'डेसास्ट्रे' (Desastre)** से हुआ है, जो दो शब्दो से मिलकर बना है **''डेस'' (Des)** जिसका अर्थ है **'बुरा' और 'एस्टर' (Aster)** जिसका अर्थ है **'तारा'**। इस प्रकार, यह शब्द एक दुष्ट/बुरा सितारा को संदर्भित करता है। **इस प्रकार आपदा को समुदाय या समाज के कामकाज में एक गंभीर व्यवधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे व्यापक सामग्री, आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय नुकसान होता है, जो प्रभावित समाज की अपने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता से अधिक होता है।**

''खतरा''(हेजार्ड) शब्द की उत्पत्ति पुराने फ्रेंच के 'हसार्ड' (Hasard) और अरबी के 'अज–जहर' (Az-Zahr) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'मौका' या 'भाग्य'। इस प्रकार, यह शब्द एक खतरनाक स्थिति या घटना को संदर्भित करता है, जो जीवन को हानि या सम्पति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कोई भी **''खतरा''(हेजार्ड)** बाढ़, भूकंप या चक्रवात अधिक संवेदनशीलता के साथ–साथ (संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, बीमार और बूढ़े लोग, जागरूकता की कमी आदि) ऐसी आपदाऐं जिससे जान–माल को अधिक नुकसान हो की ओर अग्रसरित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्जन रेगिस्तान में भूकंप को आपदा नहीं माना जा सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीव्रताएँ कितनी प्रबल थीं, भूकंप तभी विनाशकारी होता है जब यह लोगों और उनकी संपत्तियों और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार, आपदा तभी घटित होती है, जब खतरा (Hazard) उत्पन्न होता है और भेद्यताएं (Vulnerability) मिलती हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति/समुदाय/पर्यावरण, जिसकी आपदा के प्रति मुकाबला करने की क्षमता विकसित है, वो किसी भी प्रकार की आपदाओं का समाना करने में सक्षम होता है, जिससे किसी भी प्रकार के खतरे का प्रभाव कम हो जाता है।

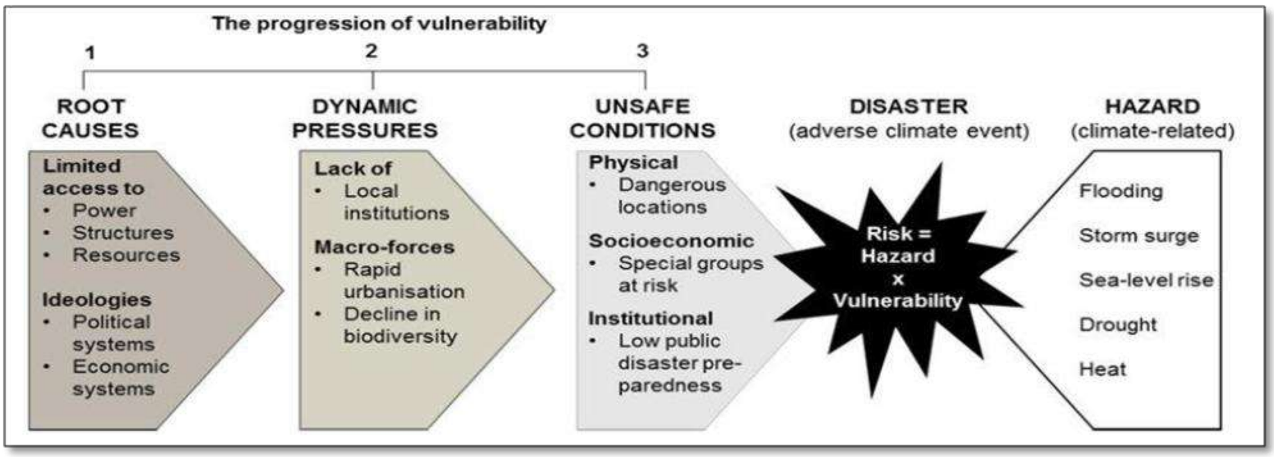

प्रवाह चित्र –2 सेवंदनशीलता/ भेद्यता की प्रगति **(Source:-Blaikie et.al. 1994)**

"भेद्यता/संवेदनशीलता":– भेद्यता/संवेदनशीलता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो खतरों के प्रभाव के प्रति समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। भेद्यता विभिन्न रूपों की हो सकती है, जैसेः–

- **आर्थिक भेद्यताः**– गरीब परिवार जो कच्चे मकानों/अवैध बस्तियों में निवास करते हैं जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं की चपेट में जल्दी आ सकते हैं जैसे कि बाढ़, आग, महामारी आदि। क्योंकि वे पक्के मकानों सुरक्षित (अधिक महंगे) क्षेत्रों में रहने का अर्थिक खर्च नहीं उठा सकते हैं।
- **भौतिक भेद्यताः–** ऐसे लोग/समुदाय जो लकड़ी के घरों में निवास करते है जिनके भूकंप की चपेट में आने से क्षति की संभावना तो कम होती है, लेकिन वे आग, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, त्वरित बाढ़ जैसी आपदा के खतरों से ज्यादा संवेदनशील होते है।
- **सामाजिक भेद्यताः**– जब बाढ़ आती है तो कुछ नागरिक, जैसे कि बच्चे, महिलायें, विशेष रूप से गर्भवती महिलायें, बुजुर्ग और द्विंव्याग व्यक्तियों, जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो सकते हैं या आवश्यकतानुसार आपदा की स्थिति से खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो सकते हैं।
- **पर्यावरणीय भेद्यताः–** अलग–अलग पर्यावरणीय और जलवायु कारकों के कारण तटीय क्षेत्र के पास रहने वाली आबादी को पहाड़ियों पर रहने वाली आबादी की तुलना में बाढ़ और चक्रवात का खतरा अधिक होता है। अर्थात पहाडियों पर निवास करने वाले लोग चक्रवात जैसी आपदाओं से संवेदनशील नहीं है इसी प्रकार तट्रीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग भूस्खलन, हिमस्खलन आदि जैसी आपदाओं से संवेदनशील नहीं है।

जोखिमः– जोखिम किसी क्षेत्र में होने वाली किसी खतरनाक घटना के कारण होने वाले अपेक्षित नुकसान का माप है।

आपदा प्रबन्धन के संदर्भ में, जोखिम को किसी घटना के घटित होने की संभावना और उसके संभावित नकरात्मक परिणामों के संयोजन परिणामों के रूप में परिभाषित किया जाता हैं।

आपदा प्रबंधन में जोखिम को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता हैः–

जोखिम = <u>खतरा x प्रभाविता x भेद्यता</u> <u>(Risk = Hazard x Exposure x Vulnerability)</u>
प्रतिस्पर्धा क्षमता {Coping Capacity}

जोखिम को समझने के लिए इन घटकों का आकलन करना जरूरी है, ताकि शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों के माध्यम से जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित की जा सकें।

क्षमता– क्षमता को सभी शक्तियों, विशेषताओं के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जो आपदा प्रबंधन के लिए किसी संगठन, समुदाय या समाज के अधीन उपलब्ध समस्त संसाधनो जो आपदा जोखिमों को कम करें और उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत क्षमता में बुनियादी ढाँचा, संस्थाएँ, मानवीय ज्ञान और कौशल, और सामूहिक गुण, नेतृत्व और प्रबंधन आदि को शामिल किया जाता सकता है।

आपदाओं का वर्गीकरणः– आपदाओं को दो व्यापक श्रेणियों में बाँटा जा सकता है अर्थात् प्राकृतिक और मानव निर्मित।

प्राकृतिक आपदा– प्राकृतिक आपदाएँ वे आपदाएँ हैं जो किसके कारण उत्पन्न होती हैं प्राकृतिक घटनाएं (मौसम विज्ञान, भूवैज्ञानिक या यहां तक कि जैविक उत्पत्ति)। प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण चक्रवात, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हैं जो विशेष रूप से प्राकृतिक उत्पत्ति के हैं। भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग सामाजिक–प्राकृतिक आपदाएँ हैं क्योंकि इनके कारण दोनों ही हैं प्राकृतिक और मानवजनित।

उदाहरण के लिए भारी बारिश, भूस्खलन या अवरोध/अवरूद्ध के कारण बाढ़ आ सकती है मानव अपशिष्ट के साथ नालियां।

मानव निर्मित आपदाएँ– मानव निर्मित आपदाएँ वे आपदाएँ हैं जो मानव के कारण घटित होती हैं लापरवाही। ये उद्योगों या ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं से जुड़े हैं और इसमें विस्फोट, जहरीले कचरे का रिसाव, प्रदूषण, बांध की विफलता, युद्ध या नागरिक संघर्ष शामिल हैं आदि। कई बार–बार घटित होते हैं जबकि अन्य कभी–कभी घटित होते हैं।

आपदा प्रबंधन चक्र– आपदा प्रबंधन चक्र आपदा जोखिमप्रबंधन में सभी गतिविधियों, कार्यक्रमों और उपायों का कुल योग शामिल होता है आपदा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद उठाया जाना चाहिए। एक विशिष्ट आपदा प्रबंधन सात्तय में निम्न शामिल हैं। एक पूर्व–आपदा जोखिम प्रबंधन चरण जिसमें रोकथाम, शमन और शामिल है तैयारी आपदा के दौरान का चरण जिसमें बचाव और राहत चरण शामिल होता है जो आगे बढ़ता है आपदाओं के दौरान जीवन और महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा और बचाव करना। आपदा के बाद संकट प्रबंधन चरण जिसमें प्रतिक्रिया, पुनर्वास, शामिल है पुनर्निर्माण और पुर्नप्राप्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानून है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठित और कानूनी निर्धारण करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) और एसडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रयोगशाला) की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अधिनियम राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के लिए जिम्मेदारियों की वित्तीय और समन्वय व्यवस्था का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत, संबंधित राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है।

इसके साथ ही, संगठित केंद्रीय तंत्र राज्य और जिला स्तर पर स्थापित हैं जो राज्यों को आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।

आपदाओं का वर्गीकरण के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं को निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

जलवायु सम्बन्धित आपदाएं – जैसे की बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवाएं, तूफान और बिजली का गिरना।

भूगर्भ सम्बन्धित आपदाएं – जैसे की भूकंप, भूस्खलन, बौद्धिक टूटना, खान में आग लगना।

रसायनिक, औद्योगिक और परमाणु सम्बन्धित आपदाएं – जैसे की रसायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं और परमाणु आपदाएं।

दुर्घटना सम्बन्धित आपदाएं – जैसे की आग, बम, विस्फोट, वायु, सड़क और रेलगाड़ी दुर्घटनाएं, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।

जैविक आपदाएं – जैसे की महामारी, टिड्डी दल का आक्रमण, जानवरों की महामारी आदि।

साथ ही, मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटनाएं, पर्यावरणीय ह्रास आदि भी शामिल किए जा सकते हैं।

2. जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन –

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वस्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता में न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि से सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व दिव्यांग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

प्राकृतिक आपदायें –

प्राकृतिक घटनाएं जो लोगों, संरचनाओं या आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा पैदा करती हैं साथ–साथ मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती है। मुख्य रूप से बाढ़, भूकंप, सुखा, ज्वालामुखी, वनीय आग, सूनाम, भू–स्खलन इत्यादि प्राकृतिक खतरे हैं।

मानवीय आपदायें –

आपदाएं जो मानव जनित कारणों से घटित होती है तथा ऐसी स्थितियां जो समाज के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती है, मानवीय आपदायें कहलाती हैं इनमें मुख्य रूप से औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोट, पर्यावर्णीय हास, जहरीली गैसों का रिसाव, युद्ध एवं दुर्घटनाऍं इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

खतरे की आवृत्ति बढ़ने या गंभीरता के रूप में आपदा का खतरा बढ़ने, लोगों की भेद्यता बढ़ने और परिणामों के साथ सामना करने की लोगों की क्षमता में कमी आने से जोखिम बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है।

Hazard (खतरा) – खतरा ऐसी स्थिति है जहां जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण या संपत्ति के नुकसान की आशंका होती है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना हो सकती है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। यह राज्य व जिले में जीवन एवं संपत्ति का भारी नुकसान कर सकता है।

Vulnerability (भेद्यता) – खतरे वाले इलाकों या आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए उनकी प्रकृति, निर्माण और निकटता के कारण, किस हद तक

Risk (जोखिम) – जोखिम किसी घटना की संभावना और उसके नकारात्मक प्रभावों का संयोजन है। जोखिम प्राकृतिक या मानवजनित खतरों और कमजोर स्थितियों के बीच अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप होने वाले हानिकारक प्रभावों या संभावित नुकसानों (मृत्यु, चोट, संपत्ति क्षति, आजीविका, या पर्यावरण) की संभावना को संदर्भित करता है।

Capacity (क्षमता) – क्षमता किसी समुदाय, समाज, या संगठन के भीतर मौजूद सभी शक्तियों, गुणों, और संसाधनों का वह संयोजन है जो आपदा जोखिमों का प्रबंधन और न्यूनीकरण करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए उपलब्ध है। क्षमता व्यक्तियों, संगठनों, और समाजों की वह क्षमता है जो अपने संसाधनों, ज्ञान, और कौशल का उपयोग करके खतरों के प्रभाव का अनुमान, सामना, प्रतिरोध, और पुनर्प्राप्ति कर सकती है।

Coping Capacity (प्रतिस्पर्धा क्षमता) – सामना करने की क्षमता व्यक्तियों, संगठनों, और प्रणालियों की उन उपलब्ध संसाधनों और कौशलों का उपयोग करने की क्षमता है, जिनसे वे प्रतिकूल परिस्थितियों, आपात स्थितियों, या आपदाओं का सामना और प्रबंधन कर सकते हैं। सामना करने की क्षमता वह साधन है जिससे लोग या संगठन खतरों या आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से अल्पकालिक और मध्यम अवधि में निपटने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों और कौशलों का उपयोग करते हैं।

Exposure (अनावृत्ति/जोखिम में होना)–जोखिम में होना लोगों, बुनियादी ढांचे, आवास, उत्पादन क्षमताओं, और अन्य ठोस मानव परिसंपत्तियों की ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो खतरे वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। जोखिम में होना यह दर्शाता है कि लोग, संपत्ति, प्रणाली, या अन्य तत्व उन क्षेत्रों में किस हद तक मौजूद हैं, जो खतरों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

2.2 संभावित आपदाओं की पहचान –

आपदाओं को मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- **जलवायु सम्बन्धित**
- **भूगर्भ सम्बन्धित**
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित**
- **दुर्घटना सम्बन्धित**
- **जैविक आपदाऍं**

देहरादून जिले की आपदा व जोखिम की सवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर बैठक में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

जिलें में संभावित .... आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य .... आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

2.2.1 ..... जनपद की मुख्य आपदाऍं निम्न है–

1. बाढ़

2. बादल फटना

3. भूकम्प

4. सड़क दुर्घटना

5. त्वरित बाढ़/ जलभराव

6. भूस्खलन

अन्य आपदाएं, सूखा, ओलावृष्टि, ऑधी–तुफान, आकाशीय बिजली, मौसमी बीमारियां, आग, सांप काटना, शीतलहर, पाला है तथा इसके साथ ही देहरादून में मानव वन जीव द्वन्द जैसे गुलदार, बाघ, हाथीयों आदि के द्वारा हमलों से भी प्रभावित है।

नदी, नाले व खालों के समीप बसे गांव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते है उनकी सूची निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	नदी का नाम	डिस्चार्ज (क्यूमेक)	डिस्चार्ज स्थल	एच.एफ. एल. (नदी तल से) मी0	प्रभावित क्षेत्र जिसमें पानी भरता है/कटान होता है
1	गंगा नदी	15000	रायवाला	5.5	ग्राम रायवाला तथा कैन्ट
2	सौंग नदी	1630	केसरवाला	3.0	हिलासवाली, मालदेवता, केसरवाला, बड़ोवाला, खदरी, डोईवाला, गौहरी माफी, चकजोगीवाला, साहबनगर
3	सुसवा नदी	900	झबरावाला	3.0	नौका, दूधली, मौहम्मदपुर बड़कली, सिमलास ग्रांट, झबरावाला, खैरी, प्रतीतनगर
4	चन्द्रभागा नदी	820	नटराज होटल	2.0	ऋषिकेश
5	जाखन नदी	600	हरिद्वार रोड	2.0	शान्ति नगर, शेरकाट, चकजोगीवाला
6	सूखी नदी	500	हरिद्वार रोड़	1.5	हरिपुर
7	बालदी नदी	440	मालदेवता रोड़	1.5	खैरी मानसिंह
8	बांदल नदी	360	सेरकी गांव	1.7	सेरकी
9	रिस्पना नदी	350	केदारपुरम	2.2	देहरादून नगर
10	सारना नदी	250	चकराता रोड़	1.5	रामपुर, शंकरपुर, कैंचीवाला, सैन्ट्रल होप टाउन, हरिपुर
11	बंगाला खाला	210	श्यामपुर	2.4	श्यामपुर, ठाकुरपुर
12	बिन्दाल नदी	150	कांवली रोड़	2.0	देहरादून नगर
13	नालापानी नदी	120	लाडपुर	1.7	ननूर खेड़ा, लाडपुर, सुन्दरवाला
14	दुल्हनी नदी	100	हरिद्वार रोड	1.9	सुन्दरवाला, नेहरूग्राम, मिंयावाला, हर्रावाला
15	महादेव खाला	100	भोगपुर	1.7	भोगपुर, दाबड़ा
16	बुल्लावाला राव	60	बुल्लावाला	1.6	बुल्लावाला

			गांव		
17	नून नदी	–	–	–	हरियावाला कलां, खाबड़वाला, जैंतनवाला, हल्दियावाला, प्रेमपुर माफी, फुलसैनी, जामुनवाला, दयानगर, गुजराड़ा
18	टौंस नदी	–	–	–	
19	आसन नदी	4250	–	–	भुडडी, केसोवाला, नया गांव पेलियां, ईस्ट होप टाउन, सेलाकुई, लक्ष्मीपुर, सहसपुर, ढाकी, खुशालपुर
आसन नदी में मिलने वाले नाले /खाले					
19.1	भूल राव नाला	62.05	–	1.20	ग्राम मलूक चंद
19.2	केमनी नाला	62.05	–	1.20	ग्राम आवली वाला
19.3	मेहराव नाला	63.82	–	1.20	ग्राम डांडा हसनपुर
19.4	सुकराव नाला	55	–	1.00	ग्राम कल्याणपुर
19.5	चिमनीवाला नाला	55	–	1.00	ग्राम हिन्दुवाला
19.6	चोर खाला	55	–	1.00	ग्राम सभावाला
19.7	शाकुम्बरी नाला–।।	63.82	–	1.20	ग्राम सभावाला
19.8	चमार खाला	55	–	1.00	ग्राम तिपरपुर
19..9	जल्दरा खाला	63.82	–	1.20	ग्राम जाटोवाला
19.10	बड़ोवाला खाला	63.82	–	1.20	ग्राम माजरी, बद्रीपुर
19.11	बासोवाला खाला	42.60	–	1.20	ग्राम माजरी
19.12	रिटवाला खाला	63.82	–	1.20	ग्राम बद्रीपुर
19.13	बुल्लीवाला खाला	42.60	–	1.20	ग्राम बासोवाला
19.14	कांठा शाहपुर नाला	42.60	–	1.20	ग्राम शाहपुर
19.15	पत्थरोली नाला	42.60	–	1.20	ग्राम कुंजा
19.16	जामुनवाला नाला	42.60	–	1.20	ग्राम आदूवाला
19.17	माहीवाला नाला	42.60	–	1.20	ग्राम मटक माजरी
20	टौंस नदी	–	–	–	झाझरा, भट्टा, ईस्ट होप टाउन
21	दरड़	–	–	–	झाझरा, भट्टा
22	चोरखाला	–	–	–	सेलाकुई

23	पौंदी खाला	—	—	—	ढाकी, सहसपुर
24	सीतला राव	—	—	—	छरबा, खुशालपुर
25	निमी राव	—	—	—	कोटरासंतूर, हरियावाला खूर्द, पौंदा
26	दारा गाड	96.42	—	1.25	ग्राम निगमा किस्तुर, सुनीर, सिलवाडा
27	दारमी गाड	86.51	—	1.20	ग्राम न्यूनस, कोटी, बागी, एथान, चौसाल
28	चांदनी गाड	51.44	—	1.25	ग्राम मुन्धोल, डेरसा, प्यूनल, कूल्हा व रड़ू
29	यमुना नदी	45.0000	—	—	ग्राम ढकरानी, ढालीपुर, कुंजाग्रांट, मटकमाजरी, कटापत्थर, हरिपुर, ओखला एवं बसान आदि।
30	नारो खाला	110	—	1.25	चिलियों एवं हडोवाला ग्राम
31	अमलावा नदी	191.70	—	1.75	हरिपुर एवं कालसी

स्रोत–सिचाई विभाग, देहरादून

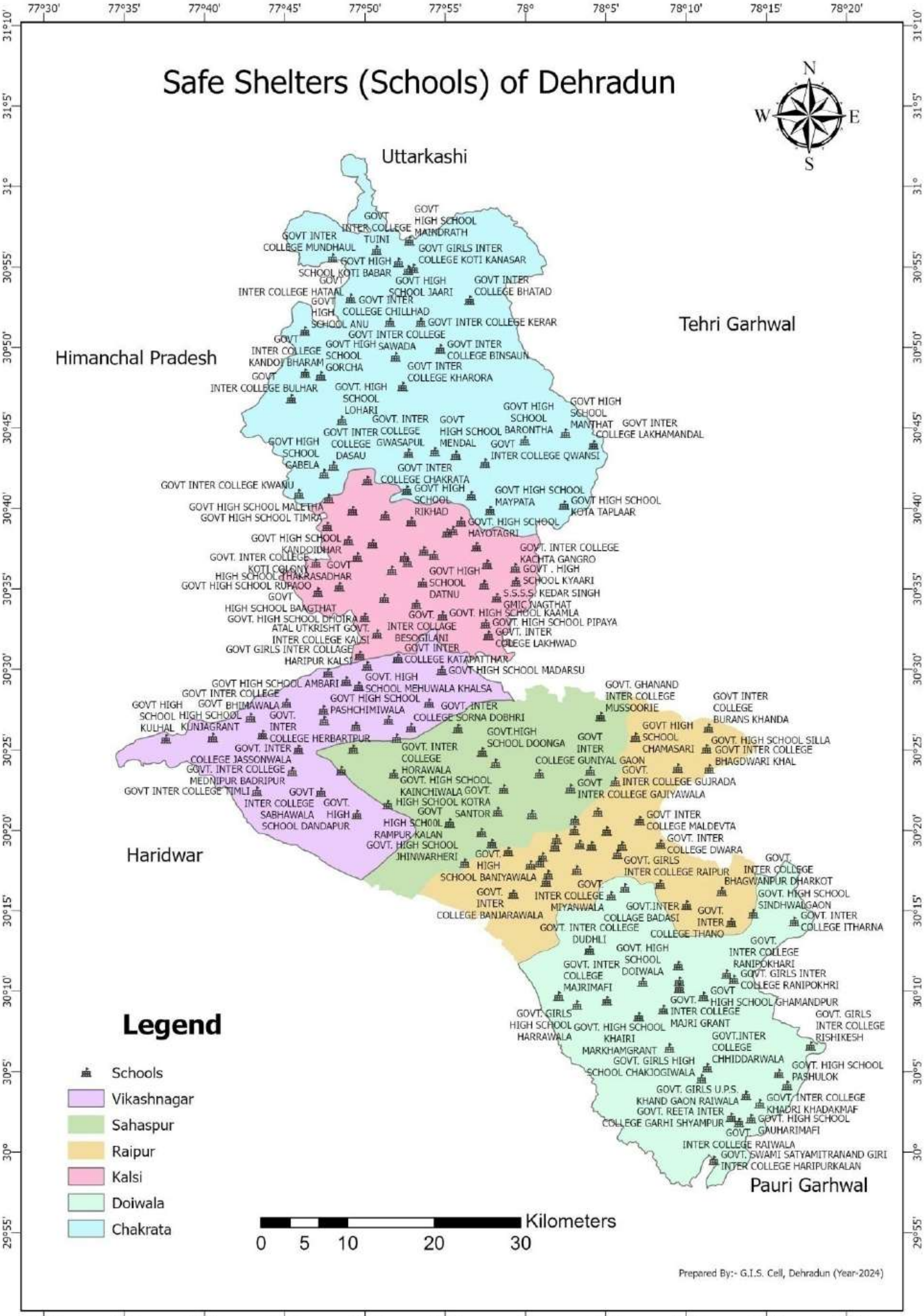
Safe Shelters (Schools) of Dehradun
Uttarkashi
Tehri Garhwal
Himanchal Pradesh
Haridwar
Pauri Garhwal
Legend
Schools
Vikashnagar
Sahaspur
Raipur
Kalsi
Doiwala
Chakrata
Kilometers
0 5 10 20 30
Prepared By:- G.I.S. Cell, Dehradun (Year-2024)

जनपद में स्थित सुरक्षित स्थानों (Safe Shelter) की सूची

Safe Shelters					
S.NO	School_Name	School Category Code	S.NO	School Name	School Category Code
1	GOVT U.P.S AASOIE	4 - Upper Primary only	619	GOVT. U.P.S MISRAAS PATTI	4 - Upper Primary only
2	GOVT PS SAINJ AASOIE	1 - Primary	620	GOVT INTR COLLEGE MASRASPATTI	10 - Secondary with Higher Secondary
3	GOVT P.S. ETHAN	1 - Primary	621	GOVT. P.S. KANSWALI	1 - Primary
4	GOVT P.S. ANU	1 - Primary	622	GOVT.HIGH SCHOOL DOONGA	7 - Upper Pr. and Secondary
5	GOVT HIGH SCHOOL ANU	7 - Upper Pr. and Secondary	623	GOVT. P.S. BHAGWAANPUR	1 - Primary
6	GOVT P.S. DHADU	1 - Primary	624	GOVT. P.S. BHAGWANTPUR	1 - Primary
7	GOVT P.S. HATAAL	1 - Primary	625	GOVT. P.S. BHAANWALA	1 - Primary
8	GOVT P.S. BAAGI	1 - Primary	626	GOVT. P.S. BHATTA	1 - Primary
9	GOVT P.S. BAGNI	1 - Primary	627	GOVT. P.S. BHITRALI	1 - Primary
10	GOVT P.S. BAGOOR	1 - Primary	628	GOVT. P.S. DEVIPUR	1 - Primary
11	GOVT P.S. BANADHAR	1 - Primary	629	GOVT. P.S. LINE PARWAL	1 - Primary
12	GOVT P.S. CHILHAR	1 - Primary	630	GOVT. P.S. THAKURPUR	1 - Primary
13	GOVT P.S. HALSIKHERA	1 - Primary	631	GOVT. U.P.S. DEVIPUR	4 - Upper Primary only
14	GOVT P.S. BAANPUR	1 - Primary	632	GOVT. HIGH SCHOOL JHINWARHERI	7 - Upper Pr. and Secondary
15	GOVT P.S. BARAONTHA	1 - Primary	633	GOVT. U.P.S. UMEDPUR	4 - Upper Primary only
16	GOVT PS DHARKOT	1 - Primary	634	GOVT. P.S. BISHTGOAN	1 - Primary
17	GOVT P.S. RANGEU	1 - Primary	635	GOVT. P.S. VIDHOLI	1 - Primary
18	GOVT. P.S. BAYLA	1 - Primary	636	GOVT. P.S. BIRSANI	1 - Primary
19	GOVT. P.S. DIRAKHERA	1 - Primary	637	GOVT. P.S. HARIYAWALA KHURD	1 - Primary
20	GOVT. PS AASOI	1 - Primary	638	GOVT. P.S. CHHARBA 2	1 - Primary
21	GOVT. P.S. JAARI	1 - Primary	639	GOVT. P.S. CHHARBA LOWER	1 - Primary
22	GOVT. P.S. HARTAD	1 - Primary	640	GOVT. P.S. CHHARBA UPPER	1 - Primary
23	GOVT HIGH SCHOOL JAARI	7 - Upper Pr. and Secondary	641	GOVT INTER COLLEGE CHHARBA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
24	GOVT P.S. BHATAAR	1 - Primary	642	GOVT UPS REDAPUR	4 - Upper Primary only
25	GOVT P.S. HATTAR CHAJAR	1 - Primary	643	GOVT P.S. USMANPUR	1 - Primary
26	GOVT INTER COLLEGE BHATAD	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	644	GOVT. P.S. DHOOLKOT	1 - Primary
27	GOVT P.S. BHATGADI	1 - Primary	645	GOVT. U.P.S. DHOOLKOT	4 - Upper Primary only
28	GOVT P.S. PATALA	1 - Primary	646	GOVT. P.S. GAJIYAWALA	1 - Primary
29	GOVT P.S. BHUNAR	1 - Primary	647	GOVT INTER COLLEGE GAJIYAWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
30	GOVT P S DAANGUTHA	1 - Primary	648	GOVT. P.S. GALJWARI	1 - Primary
31	GOVT UPS DAANGUTHA	4 - Upper Primary only	649	GOVT. U.P.S. GALJWARI	4 - Upper Primary only
32	GOVT P.S.	1 - Primary	650	GOVT. P.S. GUNIYAL	1 - Primary

	BHUNDRAULI			GAON	
33	GOVT P S DIMICH	1 - Primary	651	GOVT INTER COLLEGE GUNIYAL GAON	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
34	GOVT P S DIMICHLANI	1 - Primary	652	GOVT. P.S. RIKHOLI	1 - Primary
35	GOVT P.S. BIJNU	1 - Primary	653	GOVT. U.P.S. KIMARI	4 - Upper Primary only
36	GOVT P.S. NAVAL	1 - Primary	654	GOVT. P.S. HARIYALWALA KALA	1 - Primary
37	GOVT P S JHITAD	1 - Primary	655	GOVT INTER COLLEGE HARIYAWALA KALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
38	GOVT P S TUNI 1	1 - Primary	656	GOVT. P.S. JAGATPUR KHADAR	1 - Primary
39	GOVT P.S. BIRPA	1 - Primary	657	GOVT. P.S. JAMUNWALA	1 - Primary
40	GOVT P.S. BULHAR	1 - Primary	658	GOVT. P.S. JHAJRA	1 - Primary
41	GOVT INTER COLLEGE BULHAR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	659	GOVT. U.P.S. JHAJRA	4 - Upper Primary only
42	GOVT P.S. BURAYLA	1 - Primary	660	GOVT. P.S. JOHRI 1	1 - Primary
43	GOVT UPS JAGTHAN	4 - Upper Primary only	661	GOVT. U.P.S JOHRI	4 - Upper Primary only
44	GOVT P.S. CHAATRA	1 - Primary	662	GOVT. P.S. KANDOLI LOWER	1 - Primary
45	GOVT UPS HAONL	4 - Upper Primary only	663	GOVT. P.S. KANDOLI UPPER	1 - Primary
46	GOVT P.S. CHAUSAL	1 - Primary	664	GOVT. U.P.S. KANDOLI UPPER	4 - Upper Primary only
47	GOVT P.S. CHHAUTAAR-BHATAAR	1 - Primary	665	GOVT. P.S. BISHANPUR	1 - Primary
48	GOVT P.S. MANTHAT	1 - Primary	666	GOVT. U.P.S. KANOLI LOWER	4 - Upper Primary only
49	GOVT HIGH SCHOOL MANTHAT	7 - Upper Pr. and Secondary	667	GOVT. HIGH SCHOOL UPPER KANDOLI	8 - Secondary Only
50	GOVT P.S. CHHULTAADATR	1 - Primary	668	GOVT. P.S. KARBAARI GRANT	1 - Primary
51	GOVT U.P.S. DARMIGAAR	4 - Upper Primary only	669	GOVT. P.S. KHAIRI ATAK FARM	1 - Primary
52	GOVT P.S. DABLA	1 - Primary	670	GOVT. P.S. KHUSHAALPUR	1 - Primary
53	GOVT PS JASTA	1 - Primary	671	GOVT. U.P.S. KHUSHAALPUR	4 - Upper Primary only
54	GOVT P.S. DASAU	1 - Primary	672	GOVT. P.S. KHARAKHET	1 - Primary
55	GOVT INTER COLLEGE DASAU	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	673	GOVT P.S. KOTRA SANTOOR	1 - Primary
56	GOVT P.S. DERSA	1 - Primary	674	GOVT. HIGH SCHOOL KOTRA SANTOR	8 - Secondary Only
57	GOVT PS SHIVA SAVAG	1 - Primary	675	GOVT. U.P.S. KOLHUPANI	4 - Upper Primary only
58	GOVT P.S. DINARD	1 - Primary	676	GOVT. P.S. KOLHUPANI	1 - Primary
59	GOVT P.S. DHARIYA	1 - Primary	677	GOVT. U.P.S KOTRA SANTOR	4 - Upper Primary only
60	GOVT HIGH SCHOOL MALETHA	7 - Upper Pr. and Secondary	678	GOVT. P.S. KUTHALGOAN	1 - Primary
61	GOVT U.P.S DAUNDHA	4 - Upper Primary only	679	GOVT. P.S. LAXMIPUR	1 - Primary
62	GOVT P.S. DUGIYARA	1 - Primary	680	GOVT UPS LAXMIPUR	4 - Upper Primary only
63	GOVT P S BANGOTI	1 - Primary	681	GOVT. P.S. MAHMOOD NAGAR	1 - Primary
64	GOVT P.S. FANAAR	1 - Primary	682	GOVT. P.S. SHANKARPUR 1	1 - Primary

65	GOVT P.S. OBERASHER	1 - Primary	683	GOVT. P.S. SHANKARPUR 2	1 - Primary
66	GOVT P.S. GABELA	1 - Primary	684	GOVT. P.S. SHANKARPUR HUKUMATPUR	1 - Primary
67	GOVT HIGH SCHOOL GABELA	7 - Upper Pr. and Secondary	685	GOVT. U.P.S. SHANKARPUR	4 - Upper Primary only
68	GOVT P.S. GAMRI	1 - Primary	686	GOVT. P.S. BADAGOHAR	1 - Primary
69	GOVT. P.S. GHANTA	1 - Primary	687	GOVT PS GUJJAR BASTI	1 - Primary
70	GOVT. P.S. GORCHHA	1 - Primary	688	GOVT UPS BADA GOHAR	4 - Upper Primary only
71	GOVT HIGH SCHOOL GORCHA	7 - Upper Pr. and Secondary	689	GOVT. P.S. IEDGHAH BASTI	1 - Primary
72	GOVT. P.S. GOTHAAR	1 - Primary	690	GOVT. U P S MALSI	4 - Upper Primary only
73	GOVT. P.S. HAAJA	1 - Primary	691	GOVT PS MALSI	1 - Primary
74	GOVT. U.P.S. HAAJA	4 - Upper Primary only	692	GOVT. P.S. MALHAN GRANT	1 - Primary
75	GOVT. P.S. HANOL	1 - Primary	693	GOVT. P.S. MANDHUWALA	1 - Primary
76	GOVT. P.S. JAGTHAN	1 - Primary	694	GOVT. P.S. PAUNDHA	1 - Primary
77	GOVT. U.P.S. KANTHAG	4 - Upper Primary only	695	GOVT. INTER COLLEGE PAUNDHA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
78	GOVT. P.S. JOGIYO	1 - Primary	696	GOVT PS MITHI BERI	1 - Primary
79	GOVT INTER COLLEGE QWANSI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	697	GOVT. P.S. NAWGAON	1 - Primary
80	GOVT PS TAVARA	1 - Primary	698	GOVT. U.P.S. MANDOWALA	4 - Upper Primary only
81	GOVT PS KWANSI	1 - Primary	699	GOVT. P.S. NAYAGAON	1 - Primary
82	GOVT. P.S. SAINTOLI	1 - Primary	700	GOVT. U.P.S. PHOLSANI	4 - Upper Primary only
83	GOVT PS BANGIYASER	1 - Primary	701	GOVT. P.S. PURKALGAON	1 - Primary
84	GOVT. P.S. KANDI	1 - Primary	702	GOVT. P.S. RAMPURKALA	1 - Primary
85	GOVT. P.S. KANDOI WODER	1 - Primary	703	GOVT. U.P.S. RAMPURKALA	4 - Upper Primary only
86	GOVT. P.S. KANDOIBHARAM	1 - Primary	704	GOVT P.S. CHOIE	1 - Primary
87	GOVT INTER COLLEGE KANDOI BHARAM	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	705	GOVT HIGH SCH00L RAMPUR KALAN	8 - Secondary Only
88	GOVT. P.S. KANWAKHERA	1 - Primary	706	GOVT. P.S. RAMSAWALA	1 - Primary
89	GOVT. P.S. KERAR	1 - Primary	707	GOVT. P.S. RAMPUR KHURD	1 - Primary
90	GOVT INTER COLLEGE KERAR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	708	GOVT. P.S. SAHASPUR 1	1 - Primary
91	GOVT. P.S. KHABAU	1 - Primary	709	GOVT. P.S. SAHASPUR 2	1 - Primary
92	GOVT. U.P.S. KHABAU	4 - Upper Primary only	710	GOVT. U.P.S. GIRLS SAHASPUR	4 - Upper Primary only
93	GOVT. P.S. KHANNAR	1 - Primary	711	GOVT. P.S. TILWARI	1 - Primary
94	GOVT. P.S. KULHA	1 - Primary	712	GOVT. U.P.S. TILWARI	4 - Upper Primary only
95	GOVT. P.S. KHARASI	1 - Primary	713	GOVT.P.S. SINGLI	1 - Primary
96	GOVT. P S GAHERI	1 - Primary	714	GOVT. P.S. SINAULA	1 - Primary
97	GOVT. P.S. KHATUWA	1 - Primary	715	GOVT. P.S. SUDDOWALA	1 - Primary
98	GOVT. P.S. KHERA-KHARSAAR	1 - Primary	716	G.J.H.SCHOOL SUDDHOWALA	4 - Upper Primary only

99	GOVT. P.S. KHOLRA	1 - Primary	717	GOVT GIRLS HIGH SCHOOL SAHASPUR	8 - Secondary Only
100	GOVT. P.S. KISTOOR	1 - Primary	718	GOVT. U.P.S. ABDULLAPUR	4 - Upper Primary only
101	GOVT. P.S. NAAYALI	1 - Primary	719	GOVT. U.P.S. RAJAWALA	4 - Upper Primary only
102	GOVT. P.S. KITRAULI	1 - Primary	720	GOVT. P.S. PAURWALA	1 - Primary
103	GOVT. P S MATAR	1 - Primary	721	GOVT. HIGH SCHOOL BIRSANI	7 - Upper Pr. and Secondary
104	GOVT. P.S. KHARORA	1 - Primary	722	GOVT PS DHOOMNAGAR	1 - Primary
105	GOVT INTER COLLEGE KHARORA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	723	GOVT. U P S KHARAKHET	4 - Upper Primary only
106	GOVT. P.S. KOLHA	1 - Primary	724	GOVT. P.S. GANGOL PANDITWARI	1 - Primary
107	GOVT. P.S. KOTA-KWAANU	1 - Primary	725	GOVT. P.S. GOPIWALA ANARWALA	1 - Primary
108	GOVT PS RAMDOONGA	1 - Primary	726	GOVT PS CHAHNAK	1 - Primary
109	GOVT. P.S. KOTA-TAPLAAR	1 - Primary	727	GOVT. U.P.S. JAINTANWALA	4 - Upper Primary only
110	GOVT HIGH SCHOOL KOTA TAPLAAR	7 - Upper Pr. and Secondary	728	GOVT UPS BANDOWALA ARKEDIYA	4 - Upper Primary only
111	GOVT. P.S. KOTI BAABAR	1 - Primary	729	GOVT. P.S. BADONWALA	1 - Primary
112	GOVT. P.S. KOTI-MAINDRATH	1 - Primary	730	GOVT PS GHAMOLO	1 - Primary
113	GOVT HIGH SCHOOL KOTI BABAR	7 - Upper Pr. and Secondary	731	GOVT P S ISLAM NAGAR	1 - Primary
114	GOVT. PS DARMIGAAD	1 - Primary	732	GOVT. P.S. JULLO	1 - Primary
115	GOVT GIRLS INTER COLLEGE KOTI KANASAR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	733	GOVT. P. S. REDAPUR	1 - Primary
116	GOVT. P.S. MANGTAD	1 - Primary	734	GOVT. GIRLS U.P.S. PANDITWARI	4 - Upper Primary only
117	GOVT. P.S. KOTUWA	1 - Primary	735	GOVT. U.P.S. BHATTA	4 - Upper Primary only
118	GOVT. P.S. KUNAIN	1 - Primary	736	GOVT. P.S. DOONGA	1 - Primary
119	GOVT. P.S. AMRAR JABRAR	1 - Primary	737	GOVT. U.P.S. TELPURA	4 - Upper Primary only
120	GOVT. P S SAINJ KUNAIN	1 - Primary	738	GOVT. P.S. BAJAWALA PREMPURMAFI	1 - Primary
121	GOVT. P.S. KUNNA	1 - Primary	739	GOVT. U.P.S. SELAKUI	4 - Upper Primary only
122	GOVT. P.S. BAURAR	1 - Primary	740	GOVT PS UMMEDPUR	1 - Primary
123	GOVT. P.S. LAKHAMANDAL	1 - Primary	741	GOVT. P.S. KAULAGARH	1 - Primary
124	GOVT INTER COLLEGE LAKHAMANDAL	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	742	GOVT. GIRLS INTER COLLEGE KAULAGARH	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
125	GOVT. P.S. LOHARI	1 - Primary	743	GOVT. P.S. DHAKI	1 - Primary
126	GOVT. P.S. LEBRA	1 - Primary	744	GOVT. P.S. NAYAGAON	1 - Primary
127	GOVT. HIGH SCHOOL LOHARI	7 - Upper Pr. and Secondary	745	GOVT. P.S. JHINWAR HEDI	1 - Primary
128	GOVT U.P.S. SAMBHARKHEDA	4 - Upper Primary only	746	GOVT. P.S. GORAKHPUR	1 - Primary
129	GOVT. P.S. MAINDRATH	1 - Primary	747	GOVT. P.S. BHOORPUR	1 - Primary
130	GOVT. U.P.S. MAINDRATH	4 - Upper Primary only	748	GOVT. U.P.S. GIRLS BHOORPUR	4 - Upper Primary only

131	GOVT HIGH SCHOOL MAINDRATH	8 - Secondary Only	749	GOVT. P.S. BHUDDI	1 - Primary
132	GOVT HIGH SCHOOL MAYPATA	7 - Upper Pr. and Secondary	750	GOVT. P.S. SHANKARBAGH	1 - Primary
133	GOVT. P.S. MASHAK	1 - Primary	751	GOVT. P.S. KANICHIWALA	1 - Primary
134	GOVT INTER COLLEGE BINSAUN	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	752	GOVT. U.P.S. KAINCHIWALA	4 - Upper Primary only
135	GOVT. P.S. MATIYANA	1 - Primary	753	GOVT. HIGH SCHOOL KAINCHIWALA	8 - Secondary Only
136	GOVT PS BHUPU	1 - Primary	754	GOVT. P.S. HALDUWALA	1 - Primary
137	GOVT PS BHEVNA	1 - Primary	755	GOVT. P.S. BAROWALA ARKEDIYA	1 - Primary
138	GOVT PS DHANDIER	1 - Primary	756	GOVT. P.S. DUDHAI	1 - Primary
139	GOVT. P.S.MAYRAWNA	1 - Primary	757	GOVT. U.P.S. DUDHAI	4 - Upper Primary only
140	GOVT. P.S. SHRIVA	1 - Primary	758	GOVT. P.S. KIMADI	1 - Primary
141	GOVT INTER COLLEGE MAHRAWNA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	759	GOVT. U.P.S. MAHMOOD NAGAR	4 - Upper Primary only
142	GOVT. PS TUNGROLI	1 - Primary	760	GOVT. P.S. INDIRA NAGAR	1 - Primary
143	GOVT. P.S. MEGHATU	1 - Primary	761	GOVT. P.S. SHIVPURI	1 - Primary
144	GOVT. P.S. CHUMRA	1 - Primary	762	GOVT. P.S. RETIWALA	1 - Primary
145	GOVT. P.S.MINDAAL	1 - Primary	763	GOVT. P.S. JAGATPUR DHALWALA	1 - Primary
146	GOVT. U.P.S. MANDAAL	4 - Upper Primary only	764	GOVT. P.S. KEHRIGAON	1 - Primary
147	GOVT HIGH SCHOOL MENDAL	8 - Secondary Only	765	GOVT. U.P.S. WANSAGAAD	4 - Upper Primary only
148	GOVT. P.S. MOTHI	1 - Primary	766	GOVT. U.P.S. PREMPUR MAFI	4 - Upper Primary only
149	GOVT. P.S. MYUDHA	1 - Primary	767	GOVT. HIGH SCHOOL BANIYAWALA	8 - Secondary Only
150	GOVT. P.S. MUNDHAUL	1 - Primary	768	GOVT. P.S. PANDITWARI	1 - Primary
151	GOVT INTER COLLEGE MUNDHAUL	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	769	GOVT. P.S. FULSANI	1 - Primary
152	GOVT. PS CHAURALANI	1 - Primary	770	GOVT. P.S. KYARKULI BHATTA	1 - Primary
153	GOVT. P.S. NARA	1 - Primary	771	GOVT. P.S. JAMANPUR	1 - Primary
154	GOVT. UPS NADA	4 - Upper Primary only	772	GOVT. P.S. KULARI	1 - Primary
155	GOVT. P.S. NIMGA	1 - Primary	773	GOVT. U P S BALAK KULADI	4 - Upper Primary only
156	GOVT. INTER COLLEGE GWASAPUL	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	774	GOVT. P.S. BANSAGAAR	1 - Primary
157	GOVT PS KAPNACHANI KHOYA	1 - Primary	775	GOVT. P.S LANDHORE CANNT	1 - Primary
158	GOVT. P.S. PAATI	1 - Primary	776	GOVT. P.S HUSSAIN GANJ	1 - Primary
159	GOVT. P..S PATIYOOD	1 - Primary	777	GOVT. GIRLS U P S KITAABTHAR	4 - Upper Primary only
160	GOVT INTER COLLEGE SAWADA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	778	GOVT. P.S. KITAABGHAR	1 - Primary
161	GOVT. P S CHAJOI	1 - Primary	779	GOVT. P.S CHARLIEWILL	1 - Primary

162	GOVT. P S PUNAAH POKHRI	1 - Primary	780	GOVT. GHANAND INTER COLLEGE MUSSOORIE	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
163	GOVT. P.S. PURTAAR	1 - Primary	781	GOVT. GIRLS U.P.S BARLOGANJ	4 - Upper Primary only
164	GOVT. P.S. KWANU-I I(MANJHGOAN)	1 - Primary	782	GOVT. P.S JHADHIPANI	1 - Primary
165	GOVT INTER COLLEGE KWANU	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	783	GOVT. P.S NALAPANI	1 - Primary
166	GOVT HIGH SCHOOL MAJHAGAON SAMOG	7 - Upper Pr. and Secondary	784	GOVT. P.S. BARLOGANJ	1 - Primary
167	GOVT. P.S. PINGUWA	1 - Primary	785	GOVT. P.S. MAKHRET	1 - Primary
168	GOVT. P.S. RAYGI	1 - Primary	786	GOVT. P.S WOODSTOCK	1 - Primary
169	GOVT. UPS TUNI GUTIYA KHATAL	4 - Upper Primary only	787	GOVT. GIRLS U.P.S KULRI	4 - Upper Primary only
170	GOVT. P.S. RAJANU	1 - Primary	788	GOVT PS LAXMANPUR	1 - Primary
171	GOVT. P.S. RAWNA	1 - Primary	789	GOVT. P.S. MEHUWALA MAFI NO.1	1 - Primary
172	GOVT. U.P.S RAWNA	4 - Upper Primary only	790	GOVT. P.S. MEHUWALA MAFI NO.2	1 - Primary
173	GOVT. P.S. SAHIYA TAPLAAR	1 - Primary	791	GOVT INTER COLLEGE MEHUWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
174	GOVT. P.S. SAMOG-MAJHGAON	1 - Primary	792	GOVT GIRLS UPS MEHUWALA MAFI	4 - Upper Primary only
175	GOVT. P.S. RAMPUR SARNA	1 - Primary	793	GOVT.P.S. BRAHMPURI	1 - Primary
176	GOVT. P.S. SARANI	1 - Primary	794	GOVT. P.S. NIRANJANPUR	1 - Primary
177	GOVT. P.S. SIRI-BARKOTI	1 - Primary	795	GOVT.P.S. BRAHMANWALA	1 - Primary
178	GOVT HIGH SCHOOL BARONTHA	7 - Upper Pr. and Secondary	796	GOVT. P.S. PITTHUWALA KHURD	1 - Primary
179	GOVT. P.S. SILAAMU	1 - Primary	797	GOVT. U.P.S. SEVLA KALA	4 - Upper Primary only
180	GOVT. U.P.S. SULAAMU	4 - Upper Primary only	798	GOVT. P.S. TUNTOWALA	1 - Primary
181	GOVT. P.S. SILWARA	1 - Primary	799	GOVT. P.S. BADASI	1 - Primary
182	GOVT. P.S. SUNEER	1 - Primary	800	GOVT.INTER COLLAGE BADASI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
183	GOVT. P.S. SWEEKCHANU	1 - Primary	801	GOVT P.S. SILLA	1 - Primary
184	GOVT. P.S SAKNAI	1 - Primary	802	GOVT UPS SILLA	4 - Upper Primary only
185	GOVT. P.S. THARTHA	1 - Primary	803	GOVT. HIGH SCHOOL SILLA	8 - Secondary Only
186	GOVT. P.S PUNIG	1 - Primary	804	GOVT. P.S. HARBANSHWALA	1 - Primary
187	GOVT. P.S. TYUNA KOTI	1 - Primary	805	GOVT. UPS HARBANSWALA	4 - Upper Primary only
188	GOVT. P.S. JADAR	1 - Primary	806	GOVT. U.P.S. DWARA	4 - Upper Primary only
189	GOVT. P.S. UDANWA	1 - Primary	807	GOVT. P.S. SAMOLI	1 - Primary
190	GOVT INTER COLLEGE CHAKRATA	10 - Secondary with Higher Secondary	808	GOVT. P.S. DWARA	1 - Primary
191	GOVT. P.S BYULAAD KHEDA	1 - Primary	809	GOVT. P.S. BIJOLI	1 - Primary
192	GOVT P.S. CHAATRA GAAD	1 - Primary	810	GOVT PS .SUNDERWARALA	1 - Primary

193	GOVT. P.S. DHOIRA PURIYA	1 - Primary	811	GOVT. UPS SUNDERWALA	4 - Upper Primary only
194	GOVT. P.S. KOTIKANASAR	1 - Primary	812	GOVT.P.S. DANDA LAKHAUD	1 - Primary
195	GOVT. P.S. SAICHA KHEDA	1 - Primary	813	GOVT.PS CHAUKI CHUNGI CHAAMASAARI	1 - Primary
196	GOVT PS SAMOG	1 - Primary	814	GOVT P.S. CHAAMASAARI	1 - Primary
197	GOVT. PS CHACHWA	1 - Primary	815	GOVT .U.P. S. CHAAMASAARI	4 - Upper Primary only
198	GOVT. P.S. AULI	1 - Primary	816	GOVT HIGH SCHOOL CHAMASARI	8 - Secondary Only
199	GOVT. P.S SANSAKHERA	1 - Primary	817	GOVT.P.S. GUJRAADA	1 - Primary
200	GOVT P.S. DHANRAASH	1 - Primary	818	GOVT. INTER COLLEGE GUJRADA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
201	GOVT. P.S. MINGAAD	1 - Primary	819	GOVT.PS NALI II	1 - Primary
202	GOVT P.S. KORALA	1 - Primary	820	GOVT .PS NAHIKALAN	1 - Primary
203	GOVT PS KUNWA	1 - Primary	821	GOVT. U.P.S. SATELI	4 - Upper Primary only
204	GOVT. P.S. RADOO	1 - Primary	822	GOVT UPS NAHIKALAN	4 - Upper Primary only
205	GOVT UPS RADOO	4 - Upper Primary only	823	GOVT. U.P.S. NALIKALAN	4 - Upper Primary only
206	GOVT. P.S. KANTHAG	1 - Primary	824	GOVT PS SINDHWALGAON	1 - Primary
207	GOVT INTER COLLEGE TUINI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	825	GOVT PS KAIRAWAN GAON	1 - Primary
208	GOVT. P.S. PLAASU KHEDA	1 - Primary	826	GOVT. HIGH SCHOOL SINDHWALGAON	7 - Upper Pr. and Secondary
209	GOVT. P.S. TYUNI NO.2	1 - Primary	827	GOVT.PS PALED	1 - Primary
210	GOVT. P.S. MALETHA	1 - Primary	828	GOVT P.S. BHAINSWAADSAIN	1 - Primary
211	GOVT. P.S. DUNBA	1 - Primary	829	GOVT CHAMROLI	1 - Primary
212	GOVT. P.S. KALETHA	1 - Primary	830	GOVT SUWARKHOLI	1 - Primary
213	GOVT. P.S. CHANDNI	1 - Primary	831	GOVT P.S. TANGOLIGARH	1 - Primary
214	GOVT. P.S. SAVRA	1 - Primary	832	GOVT. P.S. MIDHAWALA	1 - Primary
215	GOVT PS SAVRA MOHNA	1 - Primary	833	GOVT. U.P.S. MIDHAWALA	4 - Upper Primary only
216	GOVT. P.S. GARHSAAR	1 - Primary	834	GOVT P.S. LADWAKOT	1 - Primary
217	GOVT. P.S. KHARKOTA	1 - Primary	835	GOVT. U.P.S. LADWAKOT	4 - Upper Primary only
218	GOVT INTER COLLEGE HATAAL	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	836	GOVT P.S. WANI VIHAAR	1 - Primary
219	GOVT. P.S. DAKRA	1 - Primary	837	GOVT P.S. KANDOLI	1 - Primary
220	GOVT. P.S. SAMBHAR KHERA	1 - Primary	838	GOVT. GIRLS U.P.S. KANDOLI	4 - Upper Primary only
221	GOVT. P.S. DAUDHA	1 - Primary	839	PS CHAKTALAI	1 - Primary
222	GOVT P.S CHANDIYARA	1 - Primary	840	P.S. KYAARA	1 - Primary
223	GOVT. P.S. PIUNAL	1 - Primary	841	GOVT. P.S. GIRLS THANO	1 - Primary
224	GOVT. P.S. VINSAUN	1 - Primary	842	GOVT. P.S. THANO 1	1 - Primary
225	GOVT. P.S. CICHAR KURAR	1 - Primary	843	GOVT. INTER COLLEGE THANO	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec

226	GOVT INTER COLLEGE CHILLHAD	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	844	GOVT PS GHANDOLGAON	1 - Primary
227	GOVT PS BEGI	1 - Primary	845	GOVT. P.S. MOHABBEWALA	1 - Primary
228	GOVT PS MELOTH	1 - Primary	846	GOVT. P.S. SUBHASHNAGAR	1 - Primary
229	GOVT PS HIDSU	1 - Primary	847	GOVT. P.S. MAZRA I	1 - Primary
230	GOVT. P.S. KHEDA KHADAR	1 - Primary	848	GOVT. P.S. MAZRA II	1 - Primary
231	GOVT P.S. ALSI	1 - Primary	849	GOVT HIGH SCHOOL (GIRLS) MAZRA	7 - Upper Pr. and Secondary
232	GOVT. P.S. AARA	1 - Primary	850	GOVT. P. S. RAMGARH	1 - Primary
233	GOVT P.S. ASTAD	1 - Primary	851	GOVT U.P.S. RAMGARH	4 - Upper Primary only
234	GOVT HIGH SCHOOL ASTAD	7 - Upper Pr. and Secondary	852	GOVT. U.P.S. BHUPAL PANI	4 - Upper Primary only
235	GOVT. P.S. JAMUWA	1 - Primary	853	GOVT. P.S. BHOPALPANI	1 - Primary
236	GOVT. P.S. ATLEU	1 - Primary	854	SHAHEED VIVEK GUPTA GOVT P.S.KANWLI	1 - Primary
237	GOVT. P.S. BADNU	1 - Primary	855	GOVT. P.S KANWALI NO.1	1 - Primary
238	GOVT HIGH SCHOOL DATNU	7 - Upper Pr. and Secondary	856	GOVT. GIRLS KRAMOTTAR U.P.S. KANWLI	4 - Upper Primary only
239	GOVT. P.S. BADAIT	1 - Primary	857	GOVT PS SHASTRI NAGAR KANWALI	1 - Primary
240	GOVT. P.S. BAADO	1 - Primary	858	GOVT P.S. NATTHANPUR	1 - Primary
241	GOVT. P.S. BAGHNA	1 - Primary	859	GOVT. U.P.S. NATTHANPUR	4 - Upper Primary only
242	GOVT U.P.S BAGHNA	4 - Upper Primary only	860	GOVT. P.S. AMBEDKER BASTI NATHANPUR	1 - Primary
243	GOVT. P.S. BAEHERA	1 - Primary	861	GOVT P.S. BANJARAWALA	1 - Primary
244	GOVT. UPS DHOIRA	4 - Upper Primary only	862	GOVT. U.P.S. BANJARAWALA	4 - Upper Primary only
245	GOVT. P.S. KALSI GATE	1 - Primary	863	GOVT. P.S. BAANDH VISTHAPIT	1 - Primary
246	GOVT. P.S. GIRLS KALSI	1 - Primary	864	GOVT. INTER COLLEGE BANJARAWALA	10 - Secondary with Higher Secondary
247	GOVT. P.S. KALSI BAZAR (BOYS)	1 - Primary	865	GOVT. P.S. AJABPURKALA 1	1 - Primary
248	PM SHRI ATAL UTKRISHT GOVT. INTER COLLEGE KALSI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	866	GOVT. U.P.S. GIRLS AJABPUR KALAN	4 - Upper Primary only
249	GOVT. INTER COLEGE LAKHWAD	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	867	GOVT. GIRLS INTER COLLEGE AJABPUR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
250	GOVT. P.S. BASAYA	1 - Primary	868	GOVT U.P.S. AJABPUR CHOWK	4 - Upper Primary only
251	GOVT. U.P.S. BASAYA	4 - Upper Primary only	869	GOVT P.S. DEEPNAGAR	1 - Primary
252	GOVT. P.S. BOSAAN	1 - Primary	870	GOVT UPS DEEPNAGAR	4 - Upper Primary only
253	GOVT. P.S. VSOI	1 - Primary	871	GOVT P.S. BADRIPUR	1 - Primary
254	GOVT. U P S THAKRASADHAR	4 - Upper Primary only	872	GOVT. P.S. KHAIRIMAN SINGH	1 - Primary
255	GOVT HIGH SCHOOL THAKRASADHAR	8 - Secondary Only	873	GOVT UPS BAUTHA	4 - Upper Primary only
256	GOVT. P.S. BIJAU	1 - Primary	874	GOVT. P.S. HILANSWALI	1 - Primary

257	GOVT. U.P.S. VISOI	4 - Upper Primary only	875	GOVT. P.S. RAIPUR 1	1 - Primary
258	GOVT. P.S. BOHA	1 - Primary	876	GOVT. P.S. KIDDUWALA	1 - Primary
259	GOVT. P.S. KUROLI	1 - Primary	877	GOVT. U.P.S. RAIPUR	4 - Upper Primary only
260	GOVT. P.S.CHANDEU	1 - Primary	878	GOVT. GIRLS INTER COLLEGE RAIPUR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
261	GOVT. P.S. MALOO	1 - Primary	879	GOVT PS RAIPUR II	1 - Primary
262	GOVT. P.S. CHAPNU	1 - Primary	880	GOVT. PS KESERWALA	1 - Primary
263	GOVT. P.S. CHIRTAAR	1 - Primary	881	GOVT P.S. HALDWARI	1 - Primary
264	GOVT. P.S. CHOR KUNAWA	1 - Primary	882	GOVT PS SARKHET	1 - Primary
265	GOVT. P.S. CHUTAOO	1 - Primary	883	GOVT UPS SARKHET	4 - Upper Primary only
266	GOVT. P.S. DABRA	1 - Primary	884	GOVT PS RANJHAWALA	1 - Primary
267	GOVT. P.S. DESAOO	1 - Primary	885	GOVT P.S. DAURWALA	1 - Primary
268	GOVT. P.S. DEU	1 - Primary	886	GOVT P.S. KEDARPUR	1 - Primary
269	GOVT. P.S. DHANPAU	1 - Primary	887	GOVT P.S. HARIJAN BASTI KARGI GRANT	1 - Primary
270	GOVT. HIGH SCHOOL PIPAYA	7 - Upper Pr. and Secondary	888	GOVT. U. P.S. KARGI GRANT	4 - Upper Primary only
271	GOVT. P.S. DIMAOO	1 - Primary	889	GOVT. U.P.S. (GIRLS) KARGI GRANT	4 - Upper Primary only
272	GOVT. P.S. DOU NAVEEN	1 - Primary	890	GOVT P.S. KARGI GRANT	1 - Primary
273	GOVT. P.S. GAAGNRO	1 - Primary	891	GOVT. GIRLS INTER COLLEG KARGI GRANT	10 - Secondary with Higher Secondary
274	GOVT. P..S. DIYUDLANI	1 - Primary	892	GOVT PS RAMNAGAR DANDA	1 - Primary
275	GOVT. P.S.FATEOO	1 - Primary	893	GOVT P.S. SAORA DWARA	1 - Primary
276	GOVT. U P S JOSHI GOTHAN	4 - Upper Primary only	894	GOVT P.S. BURANS KHANDA	1 - Primary
277	GOVT. P.S. HAJTA	1 - Primary	895	GOVT. P.S. KHALOUNCH KYARA	1 - Primary
278	GOVT. P.S. HARIPUR	1 - Primary	896	GOVT P.S. CHALCHALA	1 - Primary
279	GOVT. U.P.S. HARIPUR	4 - Upper Primary only	897	GOVT INTER COLLEGE BURANS KHANDA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
280	GOVT GIRLS INTER COLLAGE HARIPUR KALSI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	898	GOVT P.S. NAVADA	1 - Primary
281	GOVT. P S DANDA	1 - Primary	899	GOVT. U. P.S. NAVADA	4 - Upper Primary only
282	GOVT HIGH SCHOOL BAAGTHAT	7 - Upper Pr. and Secondary	900	GOVT. HIGH SCHOOL SARONA	7 - Upper Pr. and Secondary
283	GOVT. P.S. JAINDOU	1 - Primary	901	GOVT. P.S. SARONA	1 - Primary
284	GOVT. P.S. KAHCTA	1 - Primary	902	GOVT. P.S. NAYAGAON SARONA	1 - Primary
285	GOVT. INTER COLLEGE KACHTA GANGRO	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	903	GOVT. P.S. ADHOIWALA	1 - Primary
286	GOVT. P.S. KAHA	1 - Primary	904	GOVT.P.S. NANOORKHERA	1 - Primary
287	GOVT. P.S. KAITRI	1 - Primary	905	GOVT.P.S. NALAPANI	1 - Primary
288	GOVT. U.P.S. KAITRI	4 - Upper Primary only	906	GOVT. P.S. BHAGWANPUR	1 - Primary
289	GOVT. P.S.KAKAARI	1 - Primary	907	GOVT. P.S. KALIMATI	1 - Primary
290	GOVT. P.S. LELTA	1 - Primary	908	GOVT. P.S. KUDYAL	1 - Primary

291	GOVT. P.S.LOHARNA	1 - Primary	909	GOVT. P.S. BADERNA	1 - Primary
292	GOVT. P.S. LORLI	1 - Primary	910	GOVT. U.P.S. BADERNA	4 - Upper Primary only
293	GOVT. P.S. LUDHERA	1 - Primary	911	GOVT P.S. PITTHUWALA KALA	1 - Primary
294	GOVT. P.S. MANGTI	1 - Primary	912	GOVT P.S. SAHSHTRADHARA	1 - Primary
295	GOVT. P.S. MALETHA	1 - Primary	913	GOVT U.P.S AKHARWANI BHILANG	4 - Upper Primary only
296	GOVT. P.S. MANDOLI	1 - Primary	914	GOVT. P.S. AKAHDI BHILANG	1 - Primary
297	GOVT. UPS MANDOLI	4 - Upper Primary only	915	GOVT P.S. MOTHROWALA	1 - Primary
298	GOVT PS PABUA	1 - Primary	916	GOVT P.S. MAALDEVTA	1 - Primary
299	GOVT. P.S. MANGROLI	1 - Primary	917	GOVT INTER COLLEGE MALDEVTA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
300	GOVT. P.S. HODA	1 - Primary	918	GOVT. P.S. LAADPUR	1 - Primary
301	GOVT. P.S. MARLAOO	1 - Primary	919	GOVT. U.P.S LAADPUR	4 - Upper Primary only
302	GOVT. P.S. MASRAR	1 - Primary	920	GOVT. P.S. AAMWALA RAIPUR	1 - Primary
303	GOVT. P.S. MATHEU	1 - Primary	921	GOVT. U.P.S. NAAGAL	4 - Upper Primary only
304	GOVT. P.S. MATIYAWA	1 - Primary	922	GOVT. P.S. NAAGAL HATNALA	1 - Primary
305	GOVT. HIGH SCHOOL MATIYAWA	7 - Upper Pr. and Secondary	923	GOVT. UPS GIRLS RAMNAGAR DANADA	4 - Upper Primary only
306	GOVT.P.S. MUNDHAN	1 - Primary	924	GOVT. INTER COLLEGE DWARA	10 - Secondary with Higher Secondary
307	GOVT. INTER COLLEGE MUNDHAN	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	925	GOVT. P.S SIMYARI	1 - Primary
308	GOVT.HIGH SCHOOL JAINDEU	7 - Upper Pr. and Secondary	926	GOVT. P.S. AJABPUR KHURD	1 - Primary
309	GOVT. P.S. NAGAOO	1 - Primary	927	GOVT. P.S. GARHWALI COLONY	1 - Primary
310	GOVT. INTER COLLEGE NAGAUKHET	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	928	GOVT. P.S. SAURA SAROLI	1 - Primary
311	GOVT. P.S. NARAYA	1 - Primary	929	GOVT. INTER COLLEGE SAURA SAROLI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
312	GOVT. U.P.S. NARAYA	4 - Upper Primary only	930	GOVT. P.S. SIRWALGARH	1 - Primary
313	GOVT. P.S. NICHIYA	1 - Primary	931	GOVT. GIRLS U.P. S. BHARUWALA	4 - Upper Primary only
314	GOVT. P.S. NITHLA	1 - Primary	932	GOVT. P.S. BHARUWAL GRANT	1 - Primary
315	GOVT. P S BISOI RIKHAD	1 - Primary	933	MAHARANA PRATAP SPORTS COLLEGE	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
316	GOVT. U.P.S NITHLA	4 - Upper Primary only	934	GOVT. P.S SAHEED JAIDEEP BHANDARI	1 - Primary
317	GOVT. P.S. PANJIYA	1 - Primary	935	GOVT UPS RAJIVNAGAR	4 - Upper Primary only
318	GOVT. U.P.S. PANJIYA	4 - Upper Primary only	936	GOVT. P. S. DANDAR	1 - Primary
319	GOVT HIGH SCHOOL PANJIYA	8 - Secondary Only	937	GOVT. P.S. ASHA RODI	1 - Primary
320	GOVT. P.S. PANUWA	1 - Primary	938	GOVT GIRLS INTER COLLGE BRAHAMPURI	10 - Secondary with Higher Secondary
321	GOVT. U.P.S. PANUWA	4 - Upper Primary only	939	GOVT U.P.S. BRAHMPURI	4 - Upper Primary only

322	GOVT. P.S. RIKHAR	1 - Primary	940	GOVT. P.S DHARKOT	1 - Primary
323	GOVT HIGH SCHOOL RIKHAD	7 - Upper Pr. and Secondary	941	GOVT. U.P.S DHARKOT	4 - Upper Primary only
324	GOVT. P.S. SAHIYA (PATAN)	1 - Primary	942	GOVT. INTER COLLEGE BHAGWANPUR DHARKOT	10 - Secondary with Higher Secondary
325	GOVT. P.S. SAMALTA	1 - Primary	943	GOVT. P.S. BOUNTHA	1 - Primary
326	GOVT. HIGH SCHOOL SAMALTA	7 - Upper Pr. and Secondary	944	GOVT P.S. GARH	1 - Primary
327	GOVT. P.S. RANIGAON	1 - Primary	945	GOVT. HIGH SCHOOL VANI VIHAR	8 - Secondary Only
328	GOVT. U.P.S. KOINADHAR	4 - Upper Primary only	946	GOVT. U.P.S. HARBHAJWALA	4 - Upper Primary only
329	GOVT. P.S. BINAOOBANTHOO	1 - Primary	947	GOVT PS HARBHAJWALA	1 - Primary
330	GOVT. PS DILAOO	1 - Primary	948	GOVT. P.S. AJABPUR KALAN II	1 - Primary
331	GOVT. HIGH SCHOOL KAAMLA	7 - Upper Pr. and Secondary	949	GOVT. P.S. GORAKHPUR TEA STATE	1 - Primary
332	GOVT.P.S. KANBUA	1 - Primary	950	GOVT. P.S. AJABPUR DANDA	1 - Primary
333	GOVT.HIGH SCHOOL KANBUA	7 - Upper Pr. and Secondary	951	GOVT. P.S. ASTHAL	1 - Primary
334	GOVT.PS KIMOTA	1 - Primary	952	GOVT. P.S. DHORAN	1 - Primary
335	GOVT HIGH SCHOOL KANDOIDHAR	7 - Upper Pr. and Secondary	953	GOVT. U.P.S. DEHRA 75 RAJPUR ROAD	4 - Upper Primary only
336	GOVT. P.S. KOTHI BHONDI	1 - Primary	954	GOVT. P.S. KALA GAON	1 - Primary
337	GOVT. P.S. KAINOTA	1 - Primary	955	GOVT. P.S. TARLA NAGAL	1 - Primary
338	GOVT. P.S. KHARAYA	1 - Primary	956	GOVT. P.S. CHALANG	1 - Primary
339	GOVT. P.S. KHANI	1 - Primary	957	GOVT. P.S. DANDA KHUDANEWALA	1 - Primary
340	GOVT. U.P.S. KHANKANDI	4 - Upper Primary only	958	GOVT. PS NALI KALAN	1 - Primary
341	GOVT. P.S. KHATI	1 - Primary	959	GOVT. INTER COLLEGE NALAPANI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
342	GOVT. P.S. KHATAR	1 - Primary	960	GOVT. P.S. TARLA AAMWALA AMBEDKER COLONY	1 - Primary
343	GOVT. P.S KULHARA	1 - Primary	961	PM SHRI RAJIV GANDHI NAVODAYA VIDAYALAYA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
344	GOVT. INTER COLLAGE BESOGILANI	10 - Secondary with Higher Secondary - Secondary with Higher Secondary	962	GOVT. P.S. SHERKI	1 - Primary
345	GOVT. P.S. KHOI	1 - Primary	963	GOVT. U.P.S. KHAIRI MANSINGH	4 - Upper Primary only
346	GOVT. P.S. KUNNA	1 - Primary	964	GOVT. P.S. SUNGAON	1 - Primary
347	GOVT. P.S. KORUWA	1 - Primary	965	GOVT. UPS BHAGWANPUR	4 - Upper Primary only
348	GOVT. P.S. KOTHI	1 - Primary	966	GOVT. P.S. TIMLI MAAN SINGH	1 - Primary
349	GOVT.P.S. KOTI	1 - Primary	967	GOVT INTER COLLEGE KHURBURA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
350	GOVT. INTER COLLEGE KORUWA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	968	GOVT INTER COLLEGE KISHANPUR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec

351	GOVT. INTER COLLEGE KOTI COLONY	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	969	GOVT. GIRLS INTER COLLEGE LAKKHIBAG	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
352	GOVT. P.S. KHUNNA	1 - Primary	970	GOVT. U.P.S. LAKKHIBAG	4 - Upper Primary only
353	GOVT. P.S. KWAARNA	1 - Primary	971	GOVT. U.P.S. POLICELINE	4 - Upper Primary only
354	GOVT. P.S. KWASA	1 - Primary	972	GOVT. P.S. POLICE LINE	1 - Primary
355	GOVT. P.S. KYAARI	1 - Primary	973	GOVT. P.S. HAKIKAT RAINAGAR	1 - Primary
356	GOVT . HIGH SCHOOL KYAARI	7 - Upper Pr. and Secondary	974	GOVT. UPS JAKHAN	4 - Upper Primary only
357	S.S.S.S. KEDAR SINGH GMIC NAGTHAT	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	975	GOVT. P.S. INDRESH NAGAR	1 - Primary
358	GOVT. P.S. LANGHAPOKHARI	1 - Primary	976	GOVT. P.S SAHARANPUR ROAD	1 - Primary
359	GOVT. U.P.S. LANGHAPOKHARI	4 - Upper Primary only	977	GOVT. P.S. DILARAM BAZAR	1 - Primary
360	GOVT. P.S. PANAYASA	1 - Primary	978	GOVT. P.S SARASWATI NAGAR	1 - Primary
361	GOVT. UPS PANYASA	4 - Upper Primary only	979	GOVT. P.S LAKKHI BAGH	1 - Primary
362	GOVT. P.S. PIPAYA	1 - Primary	980	GOVT. P.S NAYA GAON	1 - Primary
363	GOVT. P.S. SAKNI	1 - Primary	981	GOVT. P.S PATEL NAGAR	1 - Primary
364	GOVT. P.S. SAKROL	1 - Primary	982	GOVT. P.S KUMHAR MOHALLA NO.1	1 - Primary
365	GOVT U.P.S. SAKROL	4 - Upper Primary only	983	GOVT. P.S AMRIT KAUR ROAD	1 - Primary
366	GOVT. P.S. SALGA	1 - Primary	984	GOVT. P.S ARAGHAR N0.2	1 - Primary
367	GOVT UPS SALGA	4 - Upper Primary only	985	GOVT. U.P.S. GIRLS AARAGHAR	4 - Upper Primary only
368	GOVT. P.S. SARAARI	1 - Primary	986	GOVT. P.S REST CAMP NO.2	1 - Primary
369	GOVT. P.S SARAARICHANI	1 - Primary	987	GOVT. U.P.S. REST CAMP	4 - Upper Primary only
370	GOVT U.P.S. SARAARI	4 - Upper Primary only	988	GOVT. UPS SHEETLA VIHAR	4 - Upper Primary only
371	GOVT. P.S. SAIRI	1 - Primary	989	GOVT. P.S CHAKRATA ROAD	1 - Primary
372	GOVT. P.S. SIMOG	1 - Primary	990	GOVT. U.P.S GIRLS KHURBURA	4 - Upper Primary only
373	GOVT. P.S. SINGHOR	1 - Primary	991	GOVT. P.S BALLUPUR	1 - Primary
374	GOVT. P.S. SUPAU	1 - Primary	992	GOVT. P.S. KHURBURA	1 - Primary
375	GOVT. P.S. SUREOO	1 - Primary	993	GOVT. P.S. CHANDER ROAD	1 - Primary
376	GOVT. U.P.S. SAILALANI	4 - Upper Primary only	994	GOVT. UPS CHANDER ROAD	4 - Upper Primary only
377	GOVT PS DHIROG	1 - Primary	995	GOVT. P.S. HATHIBARKALA NO.2	1 - Primary
378	GOVT. P.S. SAWAI	1 - Primary	996	GOVT. P.S. RAJPUR	1 - Primary
379	GOVT. U.P.S. VISOGILANI	4 - Upper Primary only	997	GOVT. P.S MANSINGHWALA	1 - Primary
380	GOVT. P.S. THALEEN	1 - Primary	998	GOVT. P.S. DALANWALA	1 - Primary
381	GOVT. P.S. TIMRA	1 - Primary	999	GOVT. U.P.S. DALANWALA	4 - Upper Primary only
382	GOVT. U.P.S. TIMRA	4 - Upper Primary only	1000	GOVT. P.S. INDRA COLONY	1 - Primary
383	GOVT HIGH SCHOOL TIMRA	8 - Secondary Only	1001	GOVT. P.S DOBHALWALA NO 2	1 - Primary

384	GOVT. P.S. TIPAOO	1 - Primary	1002	GOVT INTER COLLEGE DOBHALWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
385	GOVT. HIGH SCHOOL HAYOTAGRI	7 - Upper Pr. and Secondary	1003	GOVT GIRLS H.S. HATHI BARKALA	7 - Upper Pr. and Secondary
386	GOVT. P.S. HAYO	1 - Primary	1004	GOVT. P.S. CHUKUWALA NO-1	1 - Primary
387	GOVT. P.S. UBHAREOO	1 - Primary	1005	GOVT UPS KATHBANGLA	4 - Upper Primary only
388	GOVT. P.S. UDPALTA	1 - Primary	1006	GOVT. U.P.S PRADE GROUND	4 - Upper Primary only
389	GOVT. HIGH SCHOOL UDPALTA	7 - Upper Pr. and Secondary	1007	GOVT. P.S PARADE GROUND NO.1	1 - Primary
390	GOVT. PS DADOLI MATLA	1 - Primary	1008	GOVT. P.S BINDAL ROAD	1 - Primary
391	GOVT. P.S SHAHIYA CHANI	1 - Primary	1009	GOVT. P.S. ARAGHAR NO 1	1 - Primary
392	GOVT. P.S. UPRAULI	1 - Primary	1010	GOVT. P.S. ARYA NAGAR NO 1	1 - Primary
393	GOVT. P.S. UTAIL	1 - Primary	1011	GOVT. INTER COLLEGE PATELNAGAR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
394	GOVT. P.S. VYASBHOOR	1 - Primary	1012	GOVT GIRLS INTER COLLEGE RAJPUR ROAD	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
395	GOVT. P.S. VYASANHARI	1 - Primary	1013	GOVT. P.S. KARANPUR NO. 1	1 - Primary
396	GOVT. P.S. RUPAOO NAVEEN	1 - Primary	1014	GOVT. P.S N0.2 SAIYADPUR	1 - Primary
397	GOVT HIGH SCHOOL RUPAOO	7 - Upper Pr. and Secondary	1015	GOVT. P.S SAIYADPUR NO.1	1 - Primary
398	GOVT. U.P.S. DAKYARNA	4 - Upper Primary only	1016	GOVT. P.S KISHANPUR	1 - Primary
399	GOVT. P.S. DAKIYARNA	1 - Primary	1017	GOVT. P.S JAKKHAN	1 - Primary
400	GOVT. P.S. NEVI	1 - Primary	1018	GOVT PS BAPUNAGAR	1 - Primary
401	GOVT. P.S. SAINJ	1 - Primary	1019	GOVT P S CHUKHUWALA NO. 2	1 - Primary
402	GOVT. P.S. SAINJ ATHGAON	1 - Primary	1020	GOVT INTER COLLEGE BHAGDWARI KHAL	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
403	GOVT. INTER COLLEGE KUNNA DAGURA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1021	GOVT PS DHANOLA	1 - Primary
404	GOVT PS BADODA	1 - Primary	1022	GOVT. P.S. KATHOOD	1 - Primary
405	GOVT. P.S. TAGRI	1 - Primary	1023	GOVT P.S. MOTIDHAAR	1 - Primary
406	GOVT. P.S. ASTI	1 - Primary	1024	GOVT.P.S.TUNWALA 1	1 - Primary
407	GOVT HIGH SCHOOL ASHTI	7 - Upper Pr. and Secondary	1025	GOVT.P.S. TUNWALA 2	1 - Primary
408	GOVT P.S. BARAAD	1 - Primary	1026	GOVT. U.P.S. GIRLS CHAKTUNWALA	4 - Upper Primary only
409	GOVT. P.S BAJAU	1 - Primary	1027	GOVT. P.S. NATHUWAWALA 1	1 - Primary
410	GOVT. U.P.S JHUTAYA	4 - Upper Primary only	1028	GOVT. P.S. NATHUWAWALA 2	1 - Primary
411	GOVT PS JHUTAYA	1 - Primary	1029	GOVT. U.P.S. GIRLS NATHUAWALA	4 - Upper Primary only
412	GOVT. P S LALAU	1 - Primary	1030	GOVT. INTER COLLEGE NATHUAWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
413	GOVT P.S. GADETHA	1 - Primary	1031	GOVT. P.S. BALAWALA 1	1 - Primary

414	GOVT. INTER COLLEGE SAHIYA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1032	GOVT. P.S. BALAWALA 2	1 - Primary
415	GOVT GIRLS INTER COLLEGE SAHIYA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1033	GOVT. P.S. BALAWALA 3	1 - Primary
416	GOVT. P.S. CHIBAOO	1 - Primary	1034	GOVT. P.S. SHAMSHERGARH	1 - Primary
417	GOVT. P.S. JISAU	1 - Primary	1035	GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL SHAMSHERGARH	7 - Upper Pr. and Secondary
418	GOVT. P.S. JUDDO	1 - Primary	1036	GOVT. P.S. MIYANWALA	1 - Primary
419	GOVT. P.S. NAGTHAT	1 - Primary	1037	GOVT. U.P.S. MIYANWALA	4 - Upper Primary only
420	GOVT. P.S. KHAMRAULI	1 - Primary	1038	GOVT. INTER COLLEGE MIYANWALA	10 - Secondary with Higher Secondary
421	GOVT PS PARIHAR	1 - Primary	1039	GOVT. P.S. MAZRI MAFI	1 - Primary
422	GOVT. P.S. GOTHAN	1 - Primary	1040	GOVT. INTER COLLEGE MAJRIMAFI	10 - Secondary with Higher Secondary
423	GOVT. P.S THAITEU	1 - Primary	1041	GOVT. P.S. HARAWALA 1	1 - Primary
424	GOVT. P.S. KALSI JANGLAAT	1 - Primary	1042	GOVT. P.S. HARAWALA 2	1 - Primary
425	GOVT. P.S. DHOIRA	1 - Primary	1043	GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL HARRAWALA	7 - Upper Pr. and Secondary
426	GOVT. HIGH SCHOOL DHOIRA	8 - Secondary Only	1044	GOVT. P.S. NAKRONDA	1 - Primary
427	GOVT PS KHADER	1 - Primary	1045	GOVT. P.S. GULARGHATI	1 - Primary
428	GOVT PS AMRAH	1 - Primary	1046	GOVT. P.S. NAVEEN NAKRONDA	1 - Primary
429	GOVT. P.S. KOTHA	1 - Primary	1047	GOVT. GIRLS U.P.S. NAKRONDA	4 - Upper Primary only
430	GOVT INTER COLLEGE PAJITILANI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1048	GOVT. U.P.S. NAKRONDA	4 - Upper Primary only
431	GOVT. P.S. DOHA	1 - Primary	1049	GOVT. P.S. KUANWALA	1 - Primary
432	GOVT P.S. GHINGOO	1 - Primary	1050	GOVT. U.P.S. KUANWALA	4 - Upper Primary only
433	GOVT. P.S SISHOI KHERA	1 - Primary	1051	GOVT. P.S. MOHMADPUR BADKALI	1 - Primary
434	GOVT PS BHANDROTA	1 - Primary	1052	GOVT. P.S. DUDHLI	1 - Primary
435	GOVT PS DUNGELKHERA	1 - Primary	1053	GOVT. INTER COLLEGE DUDHLI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
436	GOVT PS KISAOO	1 - Primary	1054	GOVT. P.S. FANDUWALA	1 - Primary
437	GOVT PS TUNIYA	1 - Primary	1055	GOVT. P.S. NAGAL JWALAPUR	1 - Primary
438	GOVT U.P.S. TUNIYA	4 - Upper Primary only	1056	GOVT. P.S. JHARAOND	1 - Primary
439	GOVT PS MALOG	1 - Primary	1057	GOVT. U.P.S SIMLASS	4 - Upper Primary only
440	GOVT. P.S. RAMPUR	1 - Primary	1058	GOVT. P.S. LACHHIWALA	1 - Primary
441	GOVT. P.S. KAPHANI KHEDA	1 - Primary	1059	GOVT. U.P.S. LACHHIWALA	4 - Upper Primary only
442	GOVT. P.S. BAAGI	1 - Primary	1060	GOVT. P.S. MISSARWALA	1 - Primary
443	GOVT. P.S. BHUGTAAR	1 - Primary	1061	GOVT.U.P.S TELIWALA	4 - Upper Primary only

444	GOVT P.S. KANDI	1 - Primary	1062	GOVT. P.S KHAIRI MARKHAMGRANT	1 - Primary
445	GOVT P.S. PANJOTA	1 - Primary	1063	GOVT. P.S. KUDKAWALA	1 - Primary
446	GOVT P.S. BAARWALA	1 - Primary	1064	GOVT. P.S. DHARMUCHAK	1 - Primary
447	GOVT U.P.S ENFEILD GRANT	4 - Upper Primary only	1065	GOVT. P.S. TELIWALA	1 - Primary
448	GOVT P.S AMBARI	1 - Primary	1066	GOVT. U.P.S. DOIWALA	4 - Upper Primary only
449	GOVT HIGH SCHOOL AMBARI	8 - Secondary Only	1067	GOVT PS NEW BASTI KUDKAWALA	1 - Primary
450	GOVT P.S. HADOWALA	1 - Primary	1068	GOVT. HIGH SCHOOL KHAIRI MARKHAMGRANT	8 - Secondary Only
451	GOVT P.S. DUMET	1 - Primary	1069	GOVT. HIGH SCHOOL DOIWALA	8 - Secondary Only
452	GOVT P.S. JIWANGARH	1 - Primary	1070	GOVT. P.S. BAMET	1 - Primary
453	GOVT P.S JHANDUPUR	1 - Primary	1071	GOVT. P.S. BASANTPUR	1 - Primary
454	GOVT U.P.S GIRLS JIWANGARH	4 - Upper Primary only	1072	GOVT. P.S. DIMMER	1 - Primary
455	GOVT UPS LINE NAVEEN JIWANGARH	4 - Upper Primary only	1073	GOVT. P.S. ITHARNA 1	1 - Primary
456	GOVT P.S. MEHUWALA KHALSA	1 - Primary	1074	GOVT. P.S. KAALWAN	1 - Primary
457	GOVT P.S. MORONWALA	1 - Primary	1075	GOVT. P.S. MAADSI	1 - Primary
458	GOVT. HIGH SCHOOL MEHUWALA KHALSA	7 - Upper Pr. and Secondary	1076	GOVT. P.S. SILA CHAUKI	1 - Primary
459	GOVT P.S. DANDA JANGAL	1 - Primary	1077	GOVT. P.S. SURYADHAR	1 - Primary
460	GOVT P.S. PRITHVIPUR	1 - Primary	1078	GOVT. U.P.S. BAMET	4 - Upper Primary only
461	GOVT PS BULAKIWALA	1 - Primary	1079	GOVT. INTER COLLEGE ITHARNA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
462	GOVT. INTER COLLEGE DAKPATTHAR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1080	GOVT. P.S. ITHARNA 2	1 - Primary
463	GOVT. P. S. DAKPATHAR	1 - Primary	1081	GOVT.P.S. KAUDSI	1 - Primary
464	GOVT P.S. BHIMAWALA	1 - Primary	1082	GOVT.U.P.S. KAUDSI	4 - Upper Primary only
465	GOVT INTER COLLEGE BHIMAWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1083	GOVT.P.S. BAAGI	1 - Primary
466	GOVT P.S. MANDI GANG BHEWA	1 - Primary	1084	GOVT.P.S. BHOGPUR 1	1 - Primary
467	GOVT PS RASULPUR	1 - Primary	1085	GOVT.P.S.GIRLS BHOGPUR	1 - Primary
468	GOVT P.S. BADAMAWALA	1 - Primary	1086	GOVT.U.P.S. BHOGPUR	4 - Upper Primary only
469	GOVT P.S. CHHOTUWALA	1 - Primary	1087	GOVT U.P.S GIRLS BHOGPUR	4 - Upper Primary only
470	GOVT P.S. PASHCHIMIWALA	1 - Primary	1088	GOVT HIGH SCHOOL BARKOT	8 - Secondary Only
471	GOVT U.P.S. CHHOTUWALA	4 - Upper Primary only	1089	GOVT.P.S. FALSUWA	1 - Primary
472	GOVT HIGH SCHOOL PASHCHIMIWALA	7 - Upper Pr. and Secondary	1090	GOVT. P.S. NAGAGHER	1 - Primary
473	GOVT P.S. JAMNIPUR 2	1 - Primary	1091	GOVT. P.S. RANIPOKHRI 1	1 - Primary
474	GOVT U.P.S. JAMNIPUR	4 - Upper Primary only	1092	GOVT. P.S. RANIPOKHRI	1 - Primary

				2	
475	GOVT P.S. JAMNIPUR 1	1 - Primary	1093	GOVT.P.S. TELPURA 1	1 - Primary
476	GOVT P.S. KHERA PACHHUWA	1 - Primary	1094	GOVT. INTER COLLEGE RANIPOKHARI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
477	GOVT P.S. DHAKRANI	1 - Primary	1095	GOVT. GIRLS INTER COLLEGE RANIPOKHRI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
478	GOVT U.P.S. DHAKRANI	4 - Upper Primary only	1096	GOVT. P.S LISTRABAAD NAVEEN	1 - Primary
479	GOVT P.S DHAKRANI COLONY	1 - Primary	1097	GOVT UPS LISTRABAD	4 - Upper Primary only
480	GOVT. HIGH SCHOOL DHAKRANI	8 - Secondary Only	1098	GOVT. P.S. DUJIYAWALA	1 - Primary
481	GOVT U P S LAKKHANWALA	4 - Upper Primary only	1099	GOVT.P.S. SANGTIYAWALA	1 - Primary
482	GOVT P.S LAKHANWALA	1 - Primary	1100	GOVT.P.S. BHANGLANA	1 - Primary
483	GOVT INTER COLLEGE KATAPATTHAR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1101	GOVT. P.S. PASHULOK	1 - Primary
484	GOVT. P.S. KATAPATTHAR	1 - Primary	1102	GOVT. P.S. SHIVAJI NAGAR	1 - Primary
485	GOVT P.S. KOL	1 - Primary	1103	GOVT. P.S. MANSHA DEVI	1 - Primary
486	GOVT P.S. MADARSU	1 - Primary	1104	GOVT UPS NABHAHOUSE RISHIKESH	4 - Upper Primary only
487	GOVT P.S. JAKHAN	1 - Primary	1105	GOVT.P.S. BARONWALA	1 - Primary
488	GOVT U.P.S. MADARSU	4 - Upper Primary only	1106	GOVT.U.P.S BAROWALA (JOLLY)	4 - Upper Primary only
489	GOVT HIGH SCHOOL MADARSU	8 - Secondary Only	1107	GOVT.P.S. JOLLY GRANT 1	1 - Primary
490	GOVT P.S. PAPDIYAAN	1 - Primary	1108	GOVT.P.S. JOLLY GRANT 2	1 - Primary
491	GOVT U.P.S. PAPDIYAAN	4 - Upper Primary only	1109	GOVT.P.S. NAVEEN JOLLY GRANT	1 - Primary
492	GOVT P.S. BAVANDHAR	1 - Primary	1110	GOVT.P.S. PAALBASTI	1 - Primary
493	GOVT. P.S. JONSAL	1 - Primary	1111	GOVT.P.S. SAINCHAUKI	1 - Primary
494	GOVT. P.S. JEHADRA	1 - Primary	1112	GOVT.P.S. UPPER JOLLY	1 - Primary
495	GOVT P.S. TIKRI	1 - Primary	1113	GOVT. GIRLS U.P.S. JOLLYGRANT	4 - Upper Primary only
496	GOVT P.S. PASOLI	1 - Primary	1114	GOVT.U.P.S KOTHARI MOHALLA	4 - Upper Primary only
497	GOVT U.P.S. PASOLI	4 - Upper Primary only	1115	GOVT. INTER COLLEGE BARONWALA JOLLY	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
498	ATAL UTKRISHT A.B. GOVT. INTER COLLEGE LANGHA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1116	GOVT.P.S. CHAKCHAUBEWALA	1 - Primary
499	GOVT P.S. TAULI	1 - Primary	1117	GOVT. U.P.S. KANDARWALA	4 - Upper Primary only
500	GOVT U.P.S. BHOOR	4 - Upper Primary only	1118	GOVT. P.S. JOGIYANA	1 - Primary
501	GOVT P.S. RUDRAPUR	1 - Primary	1119	GOVT. U.P.S. KOTI BHANIYAWALA	4 - Upper Primary only
502	GOVT P.S. DEVTHLA	1 - Primary	1120	GOVT. P.S. BHANIYAWALA I	1 - Primary
503	GOVT U.P.S. RUDRAPUR	4 - Upper Primary only	1121	GOVT. P.S. BHANIYAWALA 2	1 - Primary
504	GOVT P.S.MUSLIM BASTI	1 - Primary	1122	GOVT. GIRLS U.P.S. BHANIYAWALA	4 - Upper Primary only

505	GOVT HIGH SCHOOL RUDRAPUR	8 - Secondary Only	1123	GOVT. P.S. JIWANWALA	1 - Primary
506	GOVT P.S. BARWA	1 - Primary	1124	GOVT. U.P.S GIRLS JIWANWALA	4 - Upper Primary only
507	GOVT U.P.S. BARWA	4 - Upper Primary only	1125	GOVT. P.S. FATEHPUR TANDA	1 - Primary
508	GOVT P.S. DHALANI	1 - Primary	1126	GOVT. P.S. LALTAPPAD	1 - Primary
509	GOVT U.P.S. DHALANI	4 - Upper Primary only	1127	GOVT. P.S. SHERGARH	1 - Primary
510	GOVT P.S. KOTI	1 - Primary	1128	GOVT. P.S KANYA MAJRI GRANT	1 - Primary
511	GOVT P.S. SORNA	1 - Primary	1129	GOVT. P.S RESHAM MAJRI II	1 - Primary
512	GOVT P.S. HORAWALA 1	1 - Primary	1130	GOVT. P.S. MAJRIGRANT I	1 - Primary
513	GOVT P.S. HORAWALA 2	1 - Primary	1131	GOVT. U.P.S. LALTAPPAR	4 - Upper Primary only
514	GOVT. INTER COLLEGE HORAWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1132	GOVT. INTER COLLEGE MAJRI GRANT	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
515	GOVT P.S. KEDAARWALAL	1 - Primary	1133	GOVT. U.P.S. MAJRIGRANT	4 - Upper Primary only
516	GOVT P.S. MUSLIM BASTI KEDAARWALA	1 - Primary	1134	GOVT. P.S. FUNVALLEY	1 - Primary
517	GOVT U.P.S. KEDAARWALA	4 - Upper Primary only	1135	GOVT. P.S. BHATTOWALA	1 - Primary
518	GOVT INTER COLLEGE KEDARAWALA	10 - Secondary with Higher Secondary	1136	GOVT. P.S. GUMANIWALA	1 - Primary
519	GOVT P.S. BAALUWALA	1 - Primary	1137	GOVT. P.S. BIBIWALA	1 - Primary
520	GOVT P.S. BAIRAGIWALA	1 - Primary	1138	GOVT. U.P.S GUMANIWALA	4 - Upper Primary only
521	GOVT P.S. JASSONWALA	1 - Primary	1139	GOVT. P.S. LAKKARGHAT	1 - Primary
522	GOVT U.P.S.JASSONWALA	4 - Upper Primary only	1140	GOVT. U.P.S. KHADRI	4 - Upper Primary only
523	GOVT. INTER COLLEGE JASSONWALA	10 - Secondary with Higher Secondary	1141	GOVT. P.S. NAVEEN SHYAMPUR	1 - Primary
524	GOVT P.S. PRATEETPUR	1 - Primary	1142	GOVT. P.S. GARHI HISARPUR	1 - Primary
525	GOVT U.P.S DHARMAWALA	4 - Upper Primary only	1143	GOVT. P.S. CHHIDDARWALA	1 - Primary
526	GOVT P.S. SHAHPUR KALYANPUR	1 - Primary	1144	GOVT.INTER COLLEGE CHHIDDARWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
527	GOVT P.S. AADUWALA	1 - Primary	1145	GOVT. U.P.S GIRLS CHHIDDARWALA	4 - Upper Primary only
528	GOVT P.S. KUNJAGRANT	1 - Primary	1146	GOVT. P.S. CHAKJOGIWALA	1 - Primary
529	GOVT HIGH SCHOOL KUNJAGRANT	7 - Upper Pr. and Secondary	1147	GOVT. U.P.S. CHAKJOGIWALA	4 - Upper Primary only
530	GOVT P S KULHAL	1 - Primary	1148	GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL CHAKJOGIWALA	8 - Secondary Only
531	GOVT PS KUNJA	1 - Primary	1149	GOVT. P.S. VEERPUR KHURD	1 - Primary
532	GOVT UPS MATAKMAJRI	4 - Upper Primary only	1150	GOVT. HIGH SCHOOL PASHULOK	7 - Upper Pr. and Secondary
533	GOVT P.S. MATAKMAZRI	1 - Primary	1151	GOVT. P.S. BOKSA BASTI SAHABNAGAR	1 - Primary
534	GOVT. U.P.S. KULHAL	4 - Upper Primary only	1152	GOVT. P.S. SAHABNAGAR	1 - Primary

535	GOVT. P.S. MUNDIYAWALI	1 - Primary	1153	GOVT. P.S. GARHI SHYAMPUR	1 - Primary
536	GOVT.P.S. CHOTIKARONDI	1 - Primary	1154	GOVT. U.P.S. GARHI SYAMPUR	4 - Upper Primary only
537	GOVT HIGH SCHOOL KULHAL	8 - Secondary Only	1155	GOVT. P.S. THAKURPUR	1 - Primary
538	GOVT P.S. TIMLI	1 - Primary	1156	GOVT. P.S. GOHARI MAFI	1 - Primary
539	GOVT U.P.S. TIMLI	4 - Upper Primary only	1157	GOVT. U.P.S. GOHARI MAFI	4 - Upper Primary only
540	GOVT INTER COLLEGE TIMLI	10 - Secondary with Higher Secondary	1158	GOVT. P.S GOHRI PLAT	1 - Primary
541	GOVT P.S. BADRIPUR	1 - Primary	1159	GOVT. HIGH SCHOOL GAUHARIMAFI	8 - Secondary Only
542	GOVT U.P.S. BADRIPUR	4 - Upper Primary only	1160	GOVT. P.S. RAIWALA GAON	1 - Primary
543	GOVT P.S. MAZRI	1 - Primary	1161	GOVT. P.S RAIWALA STATION	1 - Primary
544	GOVT P.S. DANDIPUR	1 - Primary	1162	GOVT. U.P.S RAIWALA GAON	4 - Upper Primary only
545	GOVT P.S. TIPARPUR	1 - Primary	1163	GOVT. SWAMI SATYAMITRANAND GIRI INTER COLLEGE HARIPURKALAN	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
546	GOVT U P S TIPERPUR	4 - Upper Primary only	1164	GOVT. P.S. MOTICHOOR	1 - Primary
547	GOVT P.S. HINDUWALA	1 - Primary	1165	GOVT PS HARIPUR KALAN	1 - Primary
548	GOVT P.S. SHEKHONWALA	1 - Primary	1166	GOVT. P.S BAPUGRAM	1 - Primary
549	GOVT U.P.S. SABHAWALA	4 - Upper Primary only	1167	GOVT. U.P.S BAPUGRAM	4 - Upper Primary only
550	GOVT P.S SABHAWALA	1 - Primary	1168	GOVT. U.P.S KHAIRI MARKHAMGRANT	4 - Upper Primary only
551	GOVT INTER COLLEGE SABHAWALA	10 - Secondary with Higher Secondary	1169	GOVT PS KHAIRI BANWAH	1 - Primary
552	GOVT P.S. AANWALIWALA	1 - Primary	1170	GOVT.P.S BARKOT 1	1 - Primary
553	GOVT PS KALYANPUR	1 - Primary	1171	GOVT.P.S GIRLS BARKOT II	1 - Primary
554	GOVT P.S. SHERPUR	1 - Primary	1172	GOVT.U.P.S BARKOT	4 - Upper Primary only
555	GOVT U.P.S. SHERPUR	4 - Upper Primary only	1173	GOVT. P.S GANDHIGRAM BULLAWALA	1 - Primary
556	GOVT P.S. SHINHANIWALA	1 - Primary	1174	GOVT. P.S BULLAWALA I	1 - Primary
557	GOVT UPS DANDAPUR	4 - Upper Primary only	1175	GOVT. P.S BULLAWALA III	1 - Primary
558	GOVT P.S. DANDAPUR	1 - Primary	1176	GOVT.P.S BULLAWALA II	1 - Primary
559	GOVT. HIGH SCHOOL DANDAPUR	8 - Secondary Only	1177	GOVT. INTER COLLEGE BULLAWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
560	GOVT P.S VIKASNAGAR 2	1 - Primary	1178	GOVT. UPS GANDHIGRAM BULLAWALA	4 - Upper Primary only
561	GOVT P.S. VIKASNAGAR 1	1 - Primary	1179	GOVT. P.S DANDI	1 - Primary
562	GOVT P.S. DHALIPUR	1 - Primary	1180	GOVT. P.S GUJRONWALI	1 - Primary
563	GOVT U.P.S. DHALIPUR	4 - Upper Primary only	1181	GOVT. P.S BANGAKHALA	1 - Primary

564	GOVT. INTER COLLEGE MEDNIPUR BADRIPUR	10 - Secondary with Higher Secondary	1182	GOVT. P.S KESAVPURI	1 - Primary
565	PM SHRI GOVT. INTER COLLEGE HERBERTPUR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1183	GOVT. KANYA P.S. DOIWALA	1 - Primary
566	GOVT P.S FATEHPUR	1 - Primary	1184	GOVT. P.S KHATTA	1 - Primary
567	ATAL UTKRISHT GOVT. INTER COLLEGE BAROTIWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1185	GOVT. P.S. DOIWALA I	1 - Primary
568	GOVT P.S BAROTIWALA	1 - Primary	1186	GOVT. P.S. BAJAWALA	1 - Primary
569	GOVT P.S. RAMGARH	1 - Primary	1187	GOVT. P.S MADHOWALA	1 - Primary
570	GOVT. P.S. HARBATPUR	1 - Primary	1188	GOVT. P.S GARHNIVAS	1 - Primary
571	GOVT PS SOINIA BASTI	1 - Primary	1189	GOVT. P.S. PRATEET NAGAR	1 - Primary
572	GOVT P.S DOCTOR GANJ	1 - Primary	1190	GOVT. INTER COLLEGE RAIWALA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
573	GOVT P.S HARIPUR	1 - Primary	1191	GOVT. P.S VADIKNAGAR	1 - Primary
574	GOVT P.S MALETHA	1 - Primary	1192	GOVT HIGH SCHOOL GHAMANDPUR	8 - Secondary Only
575	GOVT. S.R.P U.P.S BARWALA	4 - Upper Primary only	1193	GOVT. P.S MOLDHAR	1 - Primary
576	GOVT P.S BHOOR	1 - Primary	1194	GOVT.P.S JHABRAWALA	1 - Primary
577	GOVT U.P.S SHISHAMBARA	4 - Upper Primary only	1195	GOVT. P.S NUNNAWALA	1 - Primary
578	GOVT. U.P.S PASHTA	4 - Upper Primary only	1196	GOVT. P.S. DEHLI FARM	1 - Primary
579	GOVT P.S CHANDPUR	1 - Primary	1197	GOVT. P.S. KHADRI	1 - Primary
580	GOVT U.P.S CHANDPUR	4 - Upper Primary only	1198	GOVT. INTER COLLEGE KHADRI KHADAKMAF	10 - Secondary with Higher Secondary
581	GOVT P.S MALLAWALA	1 - Primary	1199	GOVT. P.S. SUNARGAON	1 - Primary
582	GOVT P.S GOODRICH	1 - Primary	1200	GOVT. UPS GIRLS SUNARGAON	4 - Upper Primary only
583	GOVT P.S NUMBERPUR	1 - Primary	1201	GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL SUNARGAON	8 - Secondary Only
584	GOVT PS MENGWALA	1 - Primary	1202	GOVT PS SHANTI NAGAR	1 - Primary
585	GOVT U.P.S. DEVTHALA LOWER	4 - Upper Primary only	1203	GOVT. INTER COLLEGE IDPL VEERBHADRA	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
586	GOVT P.S JUDLI	1 - Primary	1204	GOVT GIRLS U.P.S. DOIWALA	4 - Upper Primary only
587	GOVT U.P.S JUDLI	4 - Upper Primary only	1205	GOVT. P.S.MOHAKAMPUR	1 - Primary
588	GOVT P.S TELPUR	1 - Primary	1206	GOVT. P.S. KOTI BHANIYAWALA	1 - Primary
589	GOVT U.P.S LAKSHMIPUR	4 - Upper Primary only	1207	GOVT. INTER COLLEGE KOTI BHANIYAWALA	10 - Secondary with Higher Secondary
590	GOVT P.S DOBARI 2	1 - Primary	1208	GOVT. P.S. CHANDMARI	1 - Primary
591	GOVT. INTER COLLEGE SORNA DOBHRI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1209	GOVT. P.S. CHANDI PLANTATION	1 - Primary
592	GOVT P.S GODRIYA	1 - Primary	1210	GOVT. U.P.S. SHERGARH	4 - Upper Primary only
593	GOVT P.S. JHADOWALA	1 - Primary	1211	GOVT. HIGH SCHOOL SHERGARH	8 - Secondary Only
594	GOVT. P.S ASANPULL	1 - Primary	1212	GOVT. P.S. GHAMANDPUR	1 - Primary

595	GOVT PS ASHARODI	1 - Primary	1213	GOVT. P.S. RAINAPUR	1 - Primary
596	GOVT. INTER COLLEGE BAARWALA	10 - Secondary with Higher Secondary	1214	GOVT. U.P.S. GHAMANDPUR	4 - Upper Primary only
597	GOVT P.S. UDIABAAG	1 - Primary	1215	GOVT PS LISTRABAD	1 - Primary
598	GOVT P.S. DHAKOWALA	1 - Primary	1216	GOVT. P.S. MAJRI GRANT III	1 - Primary
599	GOVT P.S. BHOJAWAL	1 - Primary	1217	GOVT. P.S. INDIRA GANDHI NAGAR	1 - Primary
600	GOVT U.P.S. HERBARTPUR	4 - Upper Primary only	1218	GOVT. GIRLS U.P.S. KHAND GAON RAIWALA	4 - Upper Primary only
601	GOVT P.S. PATHROLI	1 - Primary	1219	GOVT. U.P.S. MAJRI MAFI	4 - Upper Primary only
602	GOVT P.S. SWAN	1 - Primary	1220	GOVT. U.P.S. GIRLS MAJRI MAFI	4 - Upper Primary only
603	GOVT. P.S. AAMWALA	1 - Primary	1221	GOVT. REETA INTER COLLEGE GARHI SHYAMPUR	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
604	GOVT. U.P.S. AAMWALA	4 - Upper Primary only	1222	GOVT. P.S. NO. 5 RISHIKESH	1 - Primary
605	GOVT. P.S. AMBIWALA	1 - Primary	1223	GOVT. P.S. NO. 9 MAYAKUND RISHIKESH	1 - Primary
606	Govt. U.P.S. AMBIWALA	4 - Upper Primary only	1224	GOVT. P.S. NO. 4 HARIDWAR MARG RISHIKESH	1 - Primary
607	GOVT. P.S. EAST HOP TOWN T. STATE	1 - Primary	1225	GOVT. U.P.S. DEHRADUN ROAD	4 - Upper Primary only
608	GOVT. P.S. BAHADURPUR	1 - Primary	1226	GOVT. P.S. NO. 7 MALVIYA MARG	1 - Primary
609	GOVT INTER COLLEGE SELAQUI	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec	1227	GOVT. P.S. NO. 8 MANIRAM MARG	1 - Primary
610	GOVT. P.S. BAYNAKHALA	1 - Primary	1228	GOVT. P.S. NO. 11 SABJI MANDI	1 - Primary
611	GOVT PS SELAKUI	1 - Primary	1229	GOVT. GIRLS INTER COLLEGE RISHIKESH	5 - Up. Pr. Secondary and Higher Sec
612	GOVT. P.S. SHIVNAGAR	1 - Primary	1230	GOVT. U.P.S. MANIRAM ROAD	4 - Upper Primary only
613	GOVT. P.S. BAKARNA	1 - Primary	1231	GOVT. P.S. NO. 3 NABHA HOUSE	1 - Primary
614	GOVT. U.P.S. BANIYAWALA	4 - Upper Primary only	1232	GOVT. P.S. NO. 6 CHANDRESHWER NAGAR	1 - Primary
615	GOVT. P.S. BANIYAWALA	1 - Primary	1233	GOVT. P.S. NO. 12 SOMESHWAR NAGAR	1 - Primary
616	GOVT. P.S. BANSHIWALA	1 - Primary	1234	GOVT. P.S. NO. 10 KUMHAR BADA	1 - Primary
617	GOVT. P.S. BHAUWALA	1 - Primary	1235	GOVT. P.S. NO. 2 SARVHARA NAGAR	1 - Primary
618	GOVT. P.S. MISRAAS	1 - Primary	1236	GOVT. P.S. NO. 1 DEHRADUN ROAD	1 - Primary

तहसील विकासनगर अन्तर्गत निम्न स्थानों को शरणालय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

क.स.	स्थान	प्रकार (अतिथि गृह, होटल धर्मशाला, अन्य)	व्यक्तियों के ठहरने की अनुमानित क्षमता
1	डाकपत्थर (ग्रामीण)	राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर	1000
2	डाकपत्थर (ग्रामीण)	रा.इ.कॉ. डाकपत्थर	500
3	डाकपत्थर (ग्रामीण)	सिंचाई विभाग अतिथि गृह	20
4	रसूलपुर (शहरी क्षेत्र)	त्रिशला देवी जैन अतिथि भवन विकासनगर	30
5	रसूलपुर (शहरी क्षेत्र)	बुदधूमल गर्ल्स स्कूल विकासनगर	80
6	बाबुलगढ़ (शहरी क्षेत्र)	आशाराम वैदिक इण्टर कॉलेज बाबूगढ	500
7	बाबुलगढ़ (शहरी क्षेत्र)	सेन्ट गोल स्कूल	500
8	भीमावाला (ग्रामीण क्षेत्र)	रा.इ.कालेज	60
9	भीमावाला (ग्रामीण क्षेत्र)	पंचायत घर	10
10	फतेहपुर	रा.इ.कालेज हरबर्टपुर	120
11	फतेहपुर	पंचायत घर	20
12	बैरागीवाला	पंचायत घर	10
13	लखनवाला नेवट	पंचायत घर	10
14	मेदनीपुर बद्रीपुर	सामुदायिक भवन	20
15	नयांगाव	जनता इण्टर कालेज नयागांव	30
16	पेलियों	पंचायत घर	10
17	कारबारीग्रान्ट	प्राईमरी स्कूल	10
18	भुडडी	प्राईमरी स्कूल मय आंगनबाडी	20
19	रूद्रपुर	रा.प्रा.वि. रूद्रपुर	10
20	लांघा	रा.इ.का. लांघा	20
21	सोरना डोभरी	राकृइ.का. डोभरी	20
22	कोटड़ा कल्याणपुर	रा.प्रा.वि. कोटडा कल्याणपुर	10
23	ढलानी	रा.प्रा.वि. ढलानी	10
24	तौली	रा.प्रा.वि. तौली	10
25	बडवा	रा.प्रा.वि. बडवा	10
26	सुद्धौवाला	राजकीय पॉलेटेक्निक कॉलेज सुद्धोवाला	500
27	सुद्धौवाला	उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय	2000
28	सेलाकुई	शहीद सतेन्द्र चौहान इण्टर कॉलेज सेलाकुई	200
29	सहसपुर	श्री गुरूराम राय राजकीय इण्टर कॉलेज सहसपुर	500

तहसील ऋषिकेश अन्तर्गत निम्न स्थानो को बाढ शरणालय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

क्र.स.	प्रभावित क्षेत्र का नाम	प्रभावित होने का कारण	अनुमानित जंनसंख्या	निकटम स्थान जहां पर प्रभावितों को शिफ्ट किया जा सकता है
1	भटटोवाला	बंगाला नाला होने के कारण	1000	पंचायत घर भटटोवाला
2	बीरपुखुर्द	रम्भा नाला व गंगा नदी होने के कारण	4000	रा0 प्रा0 वि0 वि0 बीरपुरखुर्द
3	चन्द्रेश्वर नगर	चन्द्रभागा नदी एवं गंगा नदी के किनारे होने के कारण	10000	धनवन्त्री भवन धर्मशाला, नेपाली क्षेत्र धर्मशाला
4	मायाकुण्ड	गंगा नदी के किनारे होने के कारण	2000	धनवन्त्री भवन धर्मशाला, नेपाली क्षेत्र धर्मशाला
5	सर्वहारा नगर	गंगा नदी के किनारे होने के कारण	1500	धनवन्त्री भवन धर्मशाला, नेपाली क्षेत्र धर्मशाला
4	चन्द्रभागा	चन्द्रभागा नदी एवं गंगा नदी पर होने के कारण	5000	धनवन्त्री भवन धर्मशाला, नेपाली क्षेत्र धर्मशाला
5	शीशमझाडी	चन्द्रभागा नदी के किनारे होने के कारण	1500	कबीर आश्रम
6	श्यामपुर	बंगाला नाला	10,000	रा0प्रा0विद्यालय, पंचायत घर
7	ठाकुरपुर	बंगाला नाला	1000	रा0प्रा0विद्यालय
8	बापूग्राम	नाले से	1000	पूर्व माध्यमिक विद्यालय बापूग्राम
9	शिवाजीनगर	नाले से	1000	रा0प्रा0विद्यालय शिवाजीनगर
10	शान्तिनगर	नाले से	2000	श्री भरत मन्दिर इण्टर कालेज ऋषिकेश
11	आमबाग	नाले से	800	रा0प्रा0वि0 बीरपुरखुर्द
12	मालवीय नगर	नाले से	900	बाल भारती स्कूल
13	गूमानीवाला	नाले से	8000	पंचायत घर
14	गौहरीमाफी	सौंग नदी, सुसवा नदी एवं गंगा नदी होने के कारण	2500	रा0 उ0 मा0 वि0 गौहरीमाफी, माँ आनन्द मयी इन्टर कालेज गौहरीमाफी, रा0 उ0 मा0 वि0

क्र.स.	प्रभावित क्षेत्र का नाम	प्रभावित होने का कारण	अनुमानित जंनसंख्या	निकटम स्थान जहां पर प्रभावितों को शिफ्ट किया जा सकता है
				गौहरीमाफी,
15	रायवाला	सौंग नदी होने कारण	3000	पंचायत घर रायवाला, महिला मिलन केन्द्र प्रतीतनगर
16	सिदरवाला	सौंग नदी होने के कारण	4000	रा0इ0का0 सिदरवाला
17	साहबनगर	सौग नदी होने के कारण	1500	1-सामुदायिक भवन सहाबनगर, 2-रा0क0पू0 मा0वि0 चकजोगीवाला
18	खदरी खडक माफ	बंगाला नाला, सौंग नदी, गंगा नदी के किनारे होने के कारण	5000	पंचायत घर, रा0इ0का0 खदरी रा0 पू0 मा0 खदरी
19	हरिपुरकला	सूखी नदी होने के कारण	6000	स्वामी सत्य मित्रानन्द इ0का0 हरिपुरकला, माधवा आश्रम हरिपुरकला, गीता कुटी आश्रम हरिपुरकलां
20	रानीपोखरी	जाखन नदी होने के कारण	1000	पंचायत घर रानीपोखरी
21	रानीपोखरी	जाखन नदी होने के कारण	3000	स्व0 राजेन्द्र शाह इन्टर कालेज रानीपोखरी
22	बडकोटमाफी	बाढ आने पर	2000	रा0जू0हाईस्कूल बडकोटमाफी
23	भोगपुर	बाढ आने पर	2000	गुरू राम राय इन्टर कालेज भोगपुर
24	भोगपुर	बाढ आने पर	500	बारात घर सांरधरवाला
25	गूडल	बाढ आने पर	800	रा0इन्टर कालेज इठारना
26	गडूल	बाढ आने पर	500	रा0प्रा0वि0 बमेत

मानसून सत्र के दौरान तहसील कालसी क्षेत्रान्तर्गत शरणालयों की सूची का विवरण वर्ष–2026

क्र0 सं0	नोडल अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर	शरणालय का नाम	प्रभावित होने वाले ग्राम	शरणागतों की संख्या अनुमानित	विद्युत /पेयजल/ शौचालय की व्यवस्था	नदी का नाम	राजस्व उप निरीक्षक का नाम व मोबाइल नम्बर	भवन का अक्षांश/देशान्तर
1	श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी रा0नि0 साहिया 7830890008	रा0इ0का0 कोटी	कोटी,पाटा बिसाहल, परिहाड़, लेल्टा, देसऊ, टिकौ, भंजरा, उभरौ, सूरयौ, देऊ, मंडोली	1200	हां	टौंस	श्री प्यारेराम 9690466302	30°36'35" N-77°46'51"E
2	——ऐ—	रा0इ0का0 सहिया	नेवी, उदपाल्टा, खतासा, बोहरी, कुरौली, उपरौली, राणी, बिनौ, बन्तौ, कोठा तारली	2200	हां	अमलाव	श्री अखिलेश कुमार 9149323918	30°36'36" N-77°52'33"E
3	——ऐ—	उ0मा0वि0 समाल्टा	समाल्टा ददौली, पाटा समाल्टा, फटयौ, ईच्छला, बमराड़, झूसौ भाकरौ, थेत्यौ, डामठा, पांनुवा, रताड़ बजौ	1600	हां	——	श्री देवेन्द्र सिंह 7830890008	30°37'04" N-77°54'17"E
4	——ऐ—	रा0इ0का0 घण्डोई	कुन्ना, डागूरा, खोक्टामरल्हौ, द्वाउ सेली, बुढौला	300	हां		श्री दीपक कौशल 8923703858	30°36'30" N-77°55'59"E
5	——ऐ—	रा0प्रा0वि0 कचटा	कचटा, चिरटाड, कुस्यौ, टिपराड़, सवाई	200	हां	——	श्री दीपक कौशल 8923703858	30°36'11" N-77°59'20"E
6	——ऐ—	रा0प्रा0वि0 रूपौ	रूपौ, जडाना, डिमौ, अतल्यौ, दौ खत बिसाहल, डांडा, पिहानी, सराड़ी, खेरूवा, सेमोग	600	हां	——	श्री प्यारेराम 9690466302	30°34'43" N-77°46'59"E
7	——ऐ—	रा0प्रा0वि0 बडनू	बडनू, गौथानाजोशी, हमरौ, ललौ, बसाया, गडैता, बडनू, दातनू, मसराड़	350	हां	खड्ड	श्री अखिलेश कुमार 9149323918	30°35'17" N-77°53'55"E
8	——ऐ—	रा0उ0मा0वि0 पंजिया	पंजिया, दधौ, अमराहा, चापनू, कनबुआ, ककाड़ी, अलसी, सकनी, मलेथा	650	हां	खड्ड	कल्पना चौहान 9389351831	30°35'23" N-77°51'14"E
9	——ऐ—	रा0इ0का0	चन्दौ, खोई, आरा, टिमरा, मल्हौ,	700	हां	——	श्री तुषार थपलियाल	30°37'44" N-

		पजिटीलानी	सैंज, दिलौ, टिपौ, कैसौ, सुपौ, खराया, घरानाजिस्यौ, खमरौली चिभौ				9258720134	77°50'27"E
10	श्री अनिल कुमार राजस्व निरीक्षक कालसी 7618307164	रा0इ0का0 कालसी	कालसी, ब्यासहनरी, ब्यासभूड, हरीपुर, तिलवाड़ी, जोकला, बसान, सैरी, झुटाया, बनसार, धैरा, निछिया, ठुरौ	1200	हां	अमलाव, यमुना	श्री मनोज कुमार 9027510268	30°32'10" N-77°50'41"E
11	—ऐ—	रा0इ0का0 नागथात	नागथात, मुन्धान, रामपुर, चिचराड़, सिंघौर, गडोल, लाछा, सीला, द्वीना, बिसोई	550	हां	——	श्री दीपक कौशल 8923703858	30°34'24" N-77°58'13"E
12	—ऐ—	रा0इ0का0 लखवाड	लखवाड, धनपौ, सावड़ा, जखनोग भिस्तौ, लखस्यार, कैनोटा	450	हां	यमुना	श्री ईश्वरदत्त शर्मा 8859741401	30°32'04" N-77°57'40"E
13	—ऐ—	रा0प्रा0वि0 जुड्डो	गास्की, पिनगिरी, बढैत, डींडाल, बागी, बिहार, लोहारी लखवाड़ घमणगांव, चुन्हौ, बान्सू	530	हां	यमुना	श्री कमलेश शर्मा 7668300620	30°52'54" N-77°91'32"E
14	—ऐ—	रा0प्रा0वि0 क्वासा	क्वासा, खुन्ना—अलमान, कान्डोई, उभौ, क्यारी, महसासा, चीला, सरयाना, लुधेरा, रखटाड़	560	हां	——	अंजलि 9389371919	30°34'52" N-77°58'51"E
15	—ऐ—	रा0इ0का0 बेसोगीलानी	थैना, बाघना, भन्द्रौटा, पटियाना, सरसोना, कौथी—भौंदी, बिजौ, बायथा, कुईथा, खणी, सेमाहा, खतार,कोफ्टी, भुगतारी	780	हां	——	वन्दना भण्डारी 9760742478	30°34'00" N-77°53'05"E
16	—ऐ—	रा0प्रा0वि0 गडोग	गडोगसकरौल, खड़ीन, चुणौ, कामला, उटैल, भोड़ा, बालनू, काहानेहरापुनाहा	650	हां	——	श्री जयकृष्ण 8958700514	30°32'24" N-77°55'13"E
17	—ऐ—	जू0हा0स्कूल धिरोई	धिरोई, खाड़ी, लूहन, लौहारना, लोहारी फरटाड, ठलीन, मुन्शी, सिंगोटा	300	हां	यमुना	श्री जयकृष्ण 8958700514	30°32'49" N-77°57'27"E
18	—ऐ—	उ0मा0वि0 जैन्दौ	जैन्दौ, बाढ़ौ, गांगरौ, लटौ, डाबरा, आष्टा, भुन्नौ, खाती	300	हां	——	श्री मुन्ना सिंह 8006361613	30°36'30" N-77°57'35"E

मानसून सत्र के दौरान तहसील चकराता क्षेत्रान्तर्गत शरणालयों की सूची का विवरण वर्ष–2026

क्र0 सं0	बाढ़ चौकी का नाम (पंचायत घर/ सरकारी स्कूल/ सामुदायिक केन्द्र)	प्रभावित होने वाले ग्राम	शरणागतों की संख्या	विद्युत /पेयजल/ शौचालय की व्यवस्था	नदी का नाम	बाढ़ चौकी प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर
1	राजकीय इण्टर कालेज लाखामण्डल	1–लाखामण्डल 2–धौरा पुण्डिया 3–लावडी दत्तरौठा 4–गुठाड 5–गढसार 6–नाडा 7–म्यूढा 8–कुन्ना 9–काण्डी चामा गाता 10–कान्डोई बौन्दूर 11–मेघाड 12–मोठी 13–छुल्टाड़	अनुमानित – 1000 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1– यमुना नदी 2– गुठाड खड्ड	श्री सुरेश जिनाटा राजस्व उपनिरीक्षक लाखमण्डल 9411714236 7302714004
2	राजकीय इण्टर कालेज क्वांसी	1–कुराड, खनाड, सिंचाड़ 2 समोग 3 मझगांव 4 बंगौती 5–जोगियो 6– रावना 7–पाटी 8–बुरास्वा 9–थणता 10–खारसी 11– पुनाह पोखरी 12–काण्डी धार 13 विरपा 14–रंगेऊ 15–चुनौटी 16– चण्डियारा 17– विजनु 18–सीडी बरकोटी 19–खबौ 20–रामपुर सरना 21– कोटुवा 22– डेरियो 23– कोटा तपलाड़ 24–सिलामू 25–साहिया 26– जस्टा	अनुमानित – 2500 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1–कुराड सिंचाई खड्ड 2–कुथनोई नदी 3– खरसी खड्ड 4–जोगियो खड्ड 5–बिजनू खड्ड 6–जस्टा खड्ड	श्री सुखदेव जिनाटा राजस्व उपनिरीक्षक क्वांसी 7505665805
3	कैन्ट इण्टर कालेज चकराता	1–सावरा 2–इन्द्रौली 3– सुजौ 4–मिन्डाल 5–बनियाना 6–खाटुवा 7–मोहना 8–कन्दाड़ 9 ओर्ली 10 मटियावा 11–घिघौ 12–दोहा झुसौ 13–ककनोई 14–घणता 15–बिसौ 16–कोल्हा 17– बैहमू 18–मेहपावटा 19–शिर्वा 20– टुंगरौली 21–मेहरावना 22–लोरली 23– अस्टाड 24–डकेरना 25–होडा 26–मंगरौली 27–क्वारना 28–कोरूवा 29– कोटी	अनुमानित – 3500 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1– मोहना खड्ड 2–रावना खड्ड 3–मेहरावना खड्ड 4– मेहपावटा खड्ड 5– मटियावा खड्ड 6– डकेरना खड्ड	श्री अनिल चौहान राजस्व उपनिरीक्षक मोहना 8126545550

4	राजकीय इण्टर कालेज पुरोडी चकराता	1–ठाणा 2– टुंगरा 3– रिखाड 4–बिरमौ 6–बिसौई 7–टिकरी खेडा 8–सैंज 5– निथला 9 – सैंसा 10–माख्टी 11– नगौ 12– क्यावा 13– छठौ 14–टगरी 15–चोर कुनावा 16– शिबौ 17–कैतरी	अनुमानित – 1000 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1– क्यावा खड्ड 2–छटौ खड्ड 3– निथला विसौई खड्ड	श्रीमती सुगन्धा बिष्ट राजस्व उप निरीक्षक बिरमौ 8273578810
5	राजकीय इण्टर कालेज क्वानू	1–दसौ 2–गबेला 3–भूपौ 4– दौधा 5 गमरी 6– सुनौडा 7– मटियाना 8 कोटा क्वानू 9 – मंझगावं क्वानू 10– मेलौथ क्वानू 11 नराया 12– बोहा 13– सलगा 14 मलैथा 15 दुणवा 16 हजटा 17–जामुवा 18 कोथी 19–बेगी 20–उदावा 21– बायला 22–बुरायला 23 जगथान 24 आसोई 25– बुल्हाड़ 26–बागणी	अनुमानित – 2500 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1– टौंस नदी 2– लोरली खड्ड 3– जामुवा खड्ड 4– आसोई खड्ड	श्री श्याम सिंि तोमर राजस्व उप निरीक्षक क्वानू 6398763802
6	राजकीय इण्टर कालेज कोटी कनासर	1– मशक 2 हरटाड़ सन्ताड 3– रजांणू 4– रैटाड़ 5–खरौड़ा 6– सैज 7–कुनैन 8– खोलरा 9– अमराड–झबराड़ 10 कोटी कनासर 11– त्यूना 12–मंगटाड़ 13– जाडी 14 लौहारी 15–सिजला 16– डाडुवा 17– कितरौली 18– मताड़ 19– हाजा 20– मुगाड़ 21–कान्डोई भरम 22–ठारटा 23–पुंनिग 24– कावा खेडा 25– कुनवा 26– पिंगुवा 27– गोरछा	अनुमानित – 2500 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1– गाडा खड्ड 2– रोटा खड्ड 3– सीली खड्ड् 4– विलोना खड्ड 5– जाडी खड्ड 6– लोहारी खड्ड	श्री रतिराम राजस्व उप निरीक्षक मशक 9627909689 9411730398

मानसून सत्र के दौरान तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत शरणालयों की सूची का विवरण वर्ष–2026

क्र0 सं0	बाढ़ चौकी का नाम (पंचायत घर/ सरकारी स्कूल/ सामुदायिक केन्द्र)	प्रभावित होने वाले ग्राम	शरणागतों की संख्या	विद्युत /पेयजल/ शौचालय की व्यवस्था	नदी का नाम
1	रैन बसेरा पटेल नगर	कांवली, निरंजनपुर, ब्रहणवला	–	सुविधा उपलब्ध है।	बिन्दाल नदी
		देहराखास	–	–	–
		अजबपुरकलां	–	–	–
2	रेन बसेरा चक्कुवाला	चुक्कुवाला, पथरीयापीर, कांवली रोड, गांधी ग्राम, खुडबुडा मौहल्ला	–	–	–
3	रेन बसेरा चूनाभट्टा अधोईवाला	अधोईवाला, राजीव नगर,	–	सुविधा उपलब्ध है।	रिस्पना नदी
		कंण्डोली	–	–	–
4	पंचायत भवन चन्द्रोटी	रिखौली, भितरली, चन्द्रौटी, कुठालगेट, भगवंतपुर, कार्लीगार्ड	–	सुविधा उपलब्ध है।	टोंस नदी, बिन्दाल नदी
5	प्राथमिक पाठशाला मालदेवता	द्वारा, आखण्डवाली भिलंग, मालदेवता	–	सुविधा उपलब्ध है।	सौंग नदी, बालदी
6	प्राथमिक पाठशला रायपुर	रायपुर, सुन्दरवाला, लाडपुर	–	–	सौंग नदी/तपोवन नाला
7	रैनबसेरा ट्रांसपोर्ट नगर	माजारा, सेवला कलां, सेवला खुर्द,	–	–	बिन्दाल नदी/रिस्पना
		मोथरोवाला नदी, रिस्पना का क्षेत्र	–	–	–

मानसून सत्र के दौरान तहसील त्यूनी क्षेत्रान्तर्गत शरणालयों की सूची का विवरण वर्ष–2026

क्र0 सं0	नोडल अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर	बाढ़ चौकी का नाम (पंचायत घर/ सरकारी स्कूल/ सामुदायिक केन्द्र)	प्रभावित होने वाले ग्राम	शरणागतों की संख्या	विद्युत /पेयजल/ शौचालय की व्यवस्था	नदी का नाम	बाढ़ चौकी प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर
1	श्री सेवकराम राजस्व निरीक्षक 9690113804	राजकीय इण्टर कालेज कथियान	1–ऐठान डांगुठा, 2–छजाड़–हरटाड़ 3–डिरनाड़ 4–पटियूड़ 5–फनार, 6–बगूर, 7–भूठ, 8–भटाड़, 9–भुनाड़ 10–ओबरासेर, 11–चौसाल	अनुमानित – 500 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1– पटियूड़ खड्ड 2– ऐठान डांगुठा खड्ड	श्री नागचन्द्र 7668811531
2	श्री सेवकराम राजस्व निरीक्षक 9690113804	जूनियर हाई स्कूल हनोल	1–कूणा, 2 कोटी बावर, 3–चातरा, 04–दाडमीगाड़, 5–निनुस, 5–निनुस, 6–पुरटाड, 7–बागी, 8–मैन्द्रथ, 9–हनोल,	अनुमानित – 100 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1–टौंस नदी 2–चातरा खड्ड	श्री विशाल खत्री 9759374614
3	श्री सेवकराम राजस्व निरीक्षक 9690113804	राजकीय इण्टर कालेज त्यूनी	1–कुल्हा, 2–छुमरा, 3–झिटाड़, 4–डेरसा, 5– प्यूनल, 6–बृनाड़ बास्तिल, 7–बानपुर, 8–भगवत, 9–भाटगढी, 10–मेघाटू, 11–मुधौल , 12–रडु, 13–रायगी, 14–शेडिया,	अनुमानित – 600 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1–टौंस नदी 2–चान्दनी खड्ड	श्री मनमोहन सिंह 8979493790
4	श्री सेवकराम राजस्व निरीक्षक 9690113804	राजकीय इण्टर कालेज हटाल	1–अणु, 2–चांजोई, 3–फेडिज, 4–सैंज, 5–हटाल	अनुमानित – 600 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1–टौंस नदी 2–डाडू खड्ड	श्री साधू सिंह 8279396419
5	श्री सेवकराम राजस्व निरीक्षक 9690113804	राजकीय इण्टर कालेज चिल्हाड	1–केराड, 2–काण्डा, 3–किस्तूड 4–टिवटाड, 5–डूंगरी, 6–डिमिच, 7–निमंगा, 8–पेनुवा, 9–बाणा चिल्हाड, 10–भन्द्रोली, 11–सुनीर, 12–सुनोई, 13–सारनी, 14–सिलावडा	अनुमानित – 600 व्यक्ति	सुविधा उपलब्ध है।	1–सिल्ली खड्ड 2– बेनाल खड्ड 3– दारागाड खड्ड	श्री प्रभूसिंह चौहान 8392862287

आपदा की स्थिति में मसूरी पालिका क्षेत्रान्तर्गत सेल्टर होम / प्रभावितों की अस्थाई रुप से रहने हेतु आवासीय व्यवस्था का विवरण :–

क्र.स.	सेल्टर होम की व्यवस्था का स्थल	व्यक्तियों की संख्या	बिजली, पानी, शौचालय की मूलभूत व्यवस्था
1	टॉउन हॉल	200	उपलब्ध है।
2	रैन बसेरा किंक्रग	5	उपलब्ध है।

सड़क दुर्घटनाएं

उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष 200 से 300 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। देहरादून शहर में वाहन युक्त व्यक्ति अनुपात सर्वाधिक है और यातायात नियमों की अवहेलना से शहर में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण–

- ❖ गाडी चलाने में लापरवाही।
- ❖ यातायात के नियमों का पालन न करना।
- ❖ खराब सड़कें।
- ❖ सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़।
- ❖ गाडियों का अनुचित रखरखाव।
- ❖ नशे में गाड़ी चालाना।
- ❖ समय पर चिकित्सा सहायता की अनुपस्थिती।

जनपद देहरादून में गत वर्ष घटित मुख्य सड़क दुर्घटनाएँ हुई हैं–

1. **13 मार्च, 2025–** एक तेज़ रफ्तार मर्सिडीज़ कार ने राजपुर रोड स्थित साई बाबा मंदिर के पास पैदल चल रहे चार लोगों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार पैदल चलने वालों की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
2. **12 नवंबर, 2024–** देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास एक कंटेनर ट्रक से कार टकरा गई, जिसमें छह युवाओं की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ।
3. **15 मार्च, 2025–** बुनल रोड पर लोखंडी के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए।

4. **02 अप्रैल 2023** को मसूरी–देहरादून रोड पर एक बस के गहरी खाई में गिरने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हुई, जबकि 38 लोग घायल हुए।

जनपद देहरादून में घटित किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग आपदा प्रबन्धन, एस.डी.आर.एफ., अग्निशमन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनपद में संभावित सड़क दुर्घटना स्थल :–

क्र0	क्षेत्र का नाम	दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम	कारण	फोटोग्राफ
1	**ऋषिकेश**	डोईवाला थाना अन्तर्गत नेपाली फार्म हाउस मोड़	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है जहॉ पर कई दुर्घटनाऐं हुई है, यहॉ पर तीव्र मोड . है।	
2	**ऋषिकेश**	लक्ष्मण सिद्ध मन्दिर पुलिया से आगे तीव्र मोड़ :–	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है। यहॉ पर अक्सर तीव्र मोड़ होने के कारण दुर्घटनाऐं हो जाती है।	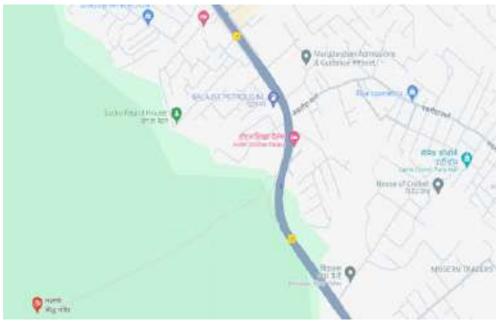
3	**ऋषिकेश**	कुदावाला शराब फैक्ट्री के पास तीव्र मोड़	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है। यहॉ पर वाहनो की तेज रफतार के कारण दुर्घटनाएं होती है। यहॉ पर तीव्र मोड़ है।	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>**ऋषिकेश**</td><td>मणि माई मन्दिर मोड़</td><td>यह स्थान सम्भावित दुर्घटना क्षेत्र है इस स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण दुर्घटनायें होती है।</td><td> </td></tr>
<tr><td>5</td><td>**ऋषिकेश**</td><td>5–माईल स्टोन ऋषिकेश 15 किमी पुलिया से पहले तीव्र मोड़ :–</td><td>यह स्थान थाना रानी पोखरी के अन्तर्गत है यहाँ पर पुलिया से पहले तीव्र मोड़ है जिसके कारण यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाऐं हो जाती है ।</td><td> </td></tr>
<tr><td>6</td><td>**ऋषिकेश**</td><td>डांडी शनिदेव मन्दिर पुलिया के पास तीव्र मोड़</td><td>यह स्थान भी सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है इस स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण एक्सीडेन्ट होते है।</td><td> </td></tr>
</table>

7	**ऋषिकेश**	डांडी वन क्षेत्राधिकारी बढ़कोट रेन्ज के पास तीव्र मोड़	उक्त स्थान पर मोड़ से पहले तथा मोड़ के बाद सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	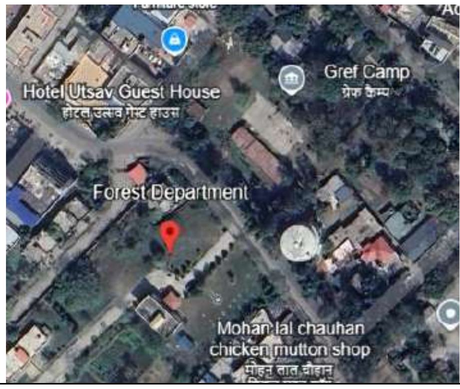
8	**ऋषिकेश**	माइलस्टोन ऋषिकेश 10 किमी के पास तीव्र मोड	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
9	**ऋषिकेश**	मनसादेवी मन्दिर पुलिया से 15 किमी ऋषिकेश की तरफ तीव्र मोड़	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
10	**ऋषिकेश**	माइल स्टोन 9 किमी ऋषिकेश के पास मोड़	उक्त स्थान पर मोड़ होने के कारण काफी दुर्घटनाऐं हुई है, सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
11	**ऋषिकेश**	महाकाली मन्दिर से 300 मी आगे ऋषिकेश की तरफ तीव्र मोड़	तीव्र मोड़ होने के कारण दुर्घटना का खतरा बना	

			रहता है, सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
12	**ऋषिकेश**	सात मोड़ गुमटी के पास तीव्र मोड़ :—	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है। जहॉ पर ढाल के साथ तीव्र मोड़ है यहॉ पर कई दुर्घटनायें हो चुकी है।	
13	**ऋषिकेश**	महाकाली मन्दिर के पास ढलान व खतरनाक मोड़	यह स्थान थाना ऋषिकेश के अन्तर्गत है। यहॉ पर तीव्र ढलान व मोड़ होने के कारण दुर्घटनाऐं होती है।	
14	**ऋषिकेश**	महाकाली मन्दिर से पहले तीव्र मोड़ :—	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण काफी दुर्घटनाऐं हुई है, सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
15	**ऋषिकेश**	माइल स्टोन ऋषिकेश 5 किमी के पास तीव्र मोड़	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण अक्सर दुर्घटनाऐं होती है सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

16	**ऋषिकेश**	बद्रीनाथ रोड़ चन्द्रभाग पुल से आगे तिराहा एवं मोड़	सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
17	**ऋषिकेश**	भरत मन्दिर इन्टर कॉलिज तिराहा एवं मोड़ हीरालाल रोड़ पर	सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
18	**ऋषिकेश**	पुरानी चुंगी तिराहा ऋषिकेश	सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
19	**ऋषिकेश**	सब्जी मन्डी बैराज रोड़ तिराहा	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
20	**ऋषिकेश**	आई0डी0पी0एल0 तिराहा	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

21	**ऋषिकेश**	श्यामपुर रेलवे फाटक तीव्र मोड	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण दुर्घटनायें होती है। यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
22	**ऋषिकेश**	नेपाली तिराहा व मोड़	यह स्थान थाना रायवाला के अन्तर्गत आता है। यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
23	**ऋषिकेश**	सत्यनारायण मन्दिर के पास आर0टी0ओ0 चेकपोस्ट के पास तीव्र मोड़	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
24	**ऋषिकेश**	मिड वे रिजोर्ट मोड़	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

25	**ऋषिकेश**	रेलवे ब्रिज वैदिक नगर के पास तीव्र मोड	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
26	**ऋषिकेश**	मोतीचुर जंगलात बैरियर के पास मोड	उक्त मोड़ पर काफी दुर्घटनाऐं होती है यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
27	**ऋषिकेश**	जंगलात बैरियर से रायवाला की तरफ मोड	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
28	**ऋषिकेश**	कालू सिद्ध शिव मन्दिर क्षेत्र	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

29	**ऋषिकेश**	कालू सिद्ध मन्दिर के पास प्राइमरी स्कूल	यहाँ पर बच्चों के स्कूल होने के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
30	**ऋषिकेश**	छिद्दरवाला तीन पानी पुलिया	यह क्षेत्र दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
31	**ऋषिकेश**	छिद्दरवाला बैरियर के पास	यह क्षेत्र दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

क0	क्षेत्र का नाम	दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम	कारण	फोटोग्राफ
1	**विकासनगर**	जीवनगढ़ नहर की पुलिया के पास	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
2	**विकासनगर**	अम्बाड़ी मोड़ तिराहा	सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
3	**विकासनगर**	जलालिया बैरियर से आगे नहर की पुलिया	यह स्थान दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है।	

4	**विकासनगर**	लैमन पुल	उक्त स्थान पर घुमावदार मोड़ है जिसके कारण दुर्घटनायें होती है। सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
5	**विकासनगर**	ढलीपुर चढ़ाई के पास	यहॉ पर तीव्र ढलान होने के कारण दुर्घटनायें होती है। सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
6	**विकासनगर**	कुँआ गांव तिराहा	यह स्थान दुर्घटना प्रोन एरिया है। सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
7	**विकासनगर**	कुम्हाल रोड़ पर रामपुर मण्डी क पास	यहॉ पर एक्सीडेन्ट होते है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

8	**विकासनगर**	हरबर्टपुर से देहरादून 7 किमी माईलस्टोन के पास	यह एक्सीडेन्ट प्रोन एरिया है। यहॉ पर घुमावदार तीव्र मोड़ होने के कारण वाहनों के एक्सीडेन्ट होते है।	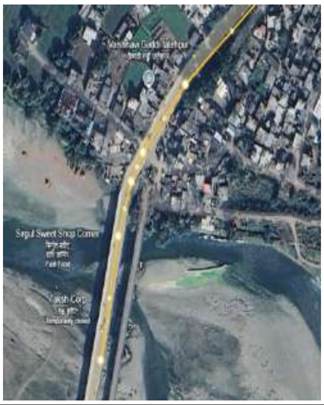

क0	क्षेत्र का नाम	दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम	कारण	फोटोग्राफ
1	मसूरी	सैयद बाबा मजार से 80 मीटर आगे	इस स्थान पर काफी तीव्र ढलान होने के कारण दुर्घटनाऐं होती है। यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
2	मसूरी	सैयद बाबा मजार से 50 मीटर पहले कैम्पटी रोड़	इस स्थान पर काफी तीव्र ढलान व मोड़ है जिसके कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
3	मसूरी	इन्द्रा कालोनी में घोड़ा लाईन के पास यू0 बैण्ड	इस स्थान पर कैम्पटी की तरफ काफी ढलान है जिस कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।	

4	मसूरी	जे0पी0 मोड़ पर शाप्र बिलान्ड हेयर पिन बैन्ड	इस स्थान पर अन्धा मोड़ होने के कारण वाहन चालक को दिखाई नहीं देता हैं यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
5	मसूरी	भट्टा गांव से नीचे संकरी पुलिया	इस स्थान पर पुलिया के दोनो तरफ सड़क चौड़ी है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
6	मसूरी	मसूरी देहरादून रोड़ पर कोल्हू खेत से नीचे 16 किमी माईलस्टोन के पास हेयर पिन बैन्ड	इस स्थान पर काफी तीव्र ढलान है जिसके कारण वाहन की स्पीड काफी तेज हो जाती है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
7	मसूरी	मसूरी–देहरादून रोड़ पर कोल्हू खेत से 500 गज देहरादून की तरफ यू0 बैन्ड	इस स्थान पर काफी तीव्र ढलान है जिसके कारण वाहन की स्पीड काफी तेज हो जाती है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
8	मसूरी	मसूरी–देहरादून रोड़ पर मेगी प्वाईन्ट से 100 गज मसूरी की ओर एस0 बैन्ड	इस स्थान पर काफी तीव्र ढलान होने के कारण वाहन की स्पीड काफी तेज हो जाती है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
9	मसूरी	मसूरी–देहरादून रोड़ पर मेगी प्वाईन्ट से 100 गज मसूरी की ओर एल बैन्ड	उक्त स्थान पर काफी तीव्र ढलान होने के कारण वाहन की स्पीड काफी तेज हो जाती है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

क0	क्षेत्र का नाम	दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम	कारण	फोटोग्राफ
1	राजपुर	कुठाल गेट चैक पोस्ट के नीचे मसूरी रोड़	इस स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण दुर्घटना की प्रबल सम्भावना रहती है। यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	
2	राजपुर	डी0आई0टी0 कॉलेज के पास मसूरी रोड़ की तरफ तीव्र मोड	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण काफी दुर्घटनाये होती है। यह स्थान एक्सीडेन्टल प्रोन एरिया है।	
3	राजपुर	डी0आई0टी0 कॉलेज से 50 मी0 आगे मसूरी रोड़ की तरफ	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण काफी दुर्घटनाये होती है। यह स्थान एक्सीडेन्टल प्रोन एरिया है।	
4	राजपुर	मसूरी–देहरादून रोड़ डाईवर्जन से आगे देहरादून 7 किमी माईनस्टोन के पास	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ होने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है।	

5	राजपुर	मालसी डियर पार्क के पास	उक्त स्थान पर तीव्र मोड़ तंग पुलिया है यह सम्भावित दुर्घटना प्रोन एरिया है।	

2.3.1.1– जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर–

घटना/आपदा	सम्भावित माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकंप												
वर्षा/भू–स्खलन/ जलभराव												
वनाग्नि												
अग्निकाड												
बर्फवारी												
तूफान												
ओलावृष्टि												
वज्रपात												

2.3.1.2—जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स

Year	2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				2015-16			
Incident Type	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
Earthquake																				
Fire																				
Flash Flood		8	511		2	2	194		14	36	391	165.765	2	5	127		2	8	244	
Hallstorm																				
Landslide			115	25.130	2		162		6		972	72			51	1.486	3		12	
Avalanche																				
Cloud Burst																				
Flood		6			12					132				49				8		
Cold Wave																				
Total		14	626	25.13	16	2	356		20	168	1363	237.765	2	54	178	1.486	5	16	256	

Incident Type	2016-17				2017-18				2018-19				2019-20			
	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
Earthquake																
Fire																
Flash Flood	2	7	123	0.35	3	6	519	0.75	5	13	506	0.32		5	60	
Hallstorm																
Landslide	11		688	161.28		32	162	189			222	229.7	1		50	5.8
Avalanche																
Cloud Burst																
Flood		567				9				6				8		
Cold Wave																

13	**574**	**811**	**161.6**	**3**	**47**	**681**	**189.75**	**5**	**19**	**728**	**230**	**1**	**13**	**110**	**5.8**

2020-21				2021-22				2022-23				2023-24			
No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
6	3	116	93.035	2	5	108	7.1355	15	15	53	1.6002	5	9	282	
		78	0.252	4		80	4	1		322	791.16	3		193	218.198
	44				16				27				26		
6	**47**	**194**	**93.29**	**6**	**21**	**188**	**11.136**	**16**	**42**	**375**	**792.8**	**8**	**35**	**475**	**218.198**

2.4– जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण –

2.4.1– भूकंप– उत्तराखंड का देहरादून क्षेत्र भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। यह क्षेत्र भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार सिस्मिक ज़ोन प्ट में आता है, जिसे उच्च जोखिम वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यह क्षेत्र तीव्रता टप्प् तक के भूकंपों का सामना कर सकता है।हिमालय क्षेत्र में मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) और मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) जैसे प्रमुख भूगर्भीय दोषों की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए सक्रिय है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं।

मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) यह प्रमुख भूवैज्ञानिक दोष रेखा इंडो–गैंगेटिक मैदानों और हिमालय की तलहटी के बीच पाई जाती है। यह देहरादून क्षेत्र को सीधे प्रभावित करती है और इसे भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील बनाती है।

मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) यह थ्रस्ट रेखा हिमालय पर्वत के अंदर गहरे स्थित है और हिमालय के उठाव (नचसपजिउमदज) में अहम भूमिका निभाती है। देहरादून पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है, क्योंकि यह क्षेत्र हिमालयी भूगर्भीय गतिविधियों का हिस्सा है।

देहरादून हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण, यहाँ लगातार भूगर्भीय दबाव बनता रहता है। यह दबाव भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण होता है, जिससे समय–समय पर भूकंप और छोटे झटके महसूस किए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अत्यधिक सक्रिय और संवेदनशील है।

2.5.1.1– भूकंप के दृष्टिगत जनपद देहरादून कि संवेदनशीलता की स्थिति– (मानचित्र 2.3)

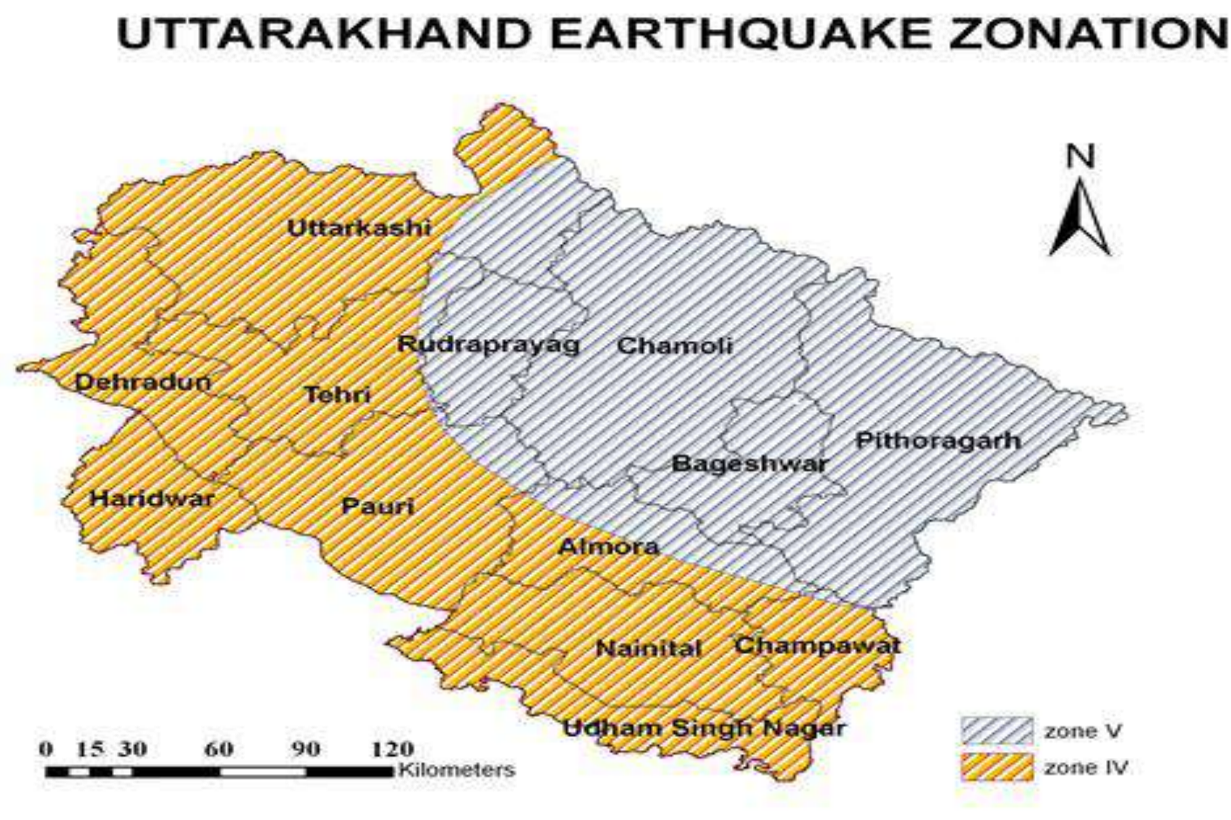

2.5.1.2– <u>जनपद देहरादून से गुजरने वाली मेन बाउण्ड्री थ्रस्ट (MBT) के 3 किमी0 परिधि के स्थान</u>

देहरादून का अपना कोई भूकम्प से सम्बन्धित इतिहास नहीं है लेकिन इसकी अवस्थिति एवं भौगोलिक संरचना के कारण यह भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जनपद देहरादून भूकंप की दृष्टि से **जोन चार** में स्थित है।

कांगडा भूकम्प के समय यहां पर अत्यन्त भूकम्पीय तीव्रता महसूस की गई (मिडिलमिस– 1910, राजल–1986, सती व रौतेला–1999)। मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (MBT) के समीप मई 1904 व मई 1905 कांगडा भूकम्प (1905) के पूर्व व पश्चात भारतीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किये गये लेवलिंग सर्वेक्षण के अनुसार मसूरी गांव के सापेक्ष देहरादून शहर 13.4 सेमी ऊपर उठा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण देहरादून घाटी भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील है और भविष्य में एक या दो बडे भूकम्प का इस क्षेत्र में आने की सम्भावना हैं। 1905 में कांगडा व 1934 में बिहार–नेपाल के बडे भूकम्प के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अनेको छोटे–बडे भूकम्प आ चुके हैं।

हाल ही आये दो भूकम्पों– 20 अक्टूबर 1991 में आये उत्तरकाशी भूकम्प (6.6) व 29 मार्च 1999 में चमोली भूकम्प (6.8) से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मुख्य तौर पर दो स्थितियां देहरादून जनपद को संवदेनशील बनाती हैं – पहला, शहर मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (MBT) के समीप दून पत्थर द्वारा ठोस नदी तटीय आधार पर बसा है। दूसरा, यहां पर उत्तरांचल राज्य की जनसंख्या का एक बडा भाग है। जनपद के उत्तरी भाग में अनेकों भूगर्भीय फॉल्ट व मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (एम.बी.टी) के कारण भविष्य में बडा भूकम्प आ सकता है। घाटी उत्तर दिशा में मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट तथा दक्षिण में हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट से घिरी है। मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट, रोल बैल्ट की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों को वाह्य हिमालय की केनोजोइक परत से पृथक करती है (ठाकुर, 1992), जबकि हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट जिसे मोहन्ड थ्रस्ट भी कहते हैं, शिवालिक समूह चट्टानों को इन्डो गन्जेटिक मैदान की एल्युवियम परत के विपरीत लाती है। घाटी की दक्षिण दिशा में एन्टिक्लाइन मौजुद है जिसे मोहन्ड एन्टिक्लाइन कहते हैं। दो क्षैतिज फॉल्ट भी हैं – पूरब में गंगा फाढ़ फॉल्ट तथा पश्चिम में यमुना फाढ़ फॉल्ट जो पूरब तथा पश्चिम दिशा में घाटी की सीमा को बनाती है।

मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (एम.बी.टी), जनपद के पाँच विकास खण्डों (डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी) से गुजरती है। मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट (एम.बी.टी) की 3 किमी. की परिधि में पड़ने वाले गांव को मानचित्र में दर्शाया गया है। यह गांव भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हैं। जनपद में स्थित 17 शहरी इकाईयां आबादी घनत्व की दृष्टि से भूंकप के लिए ज्यादा संवेदनशील है।

2.2.2– त्वरित बाढ़ / जलभराव–

बाढ़ चेतावनी के साथ आती है, परन्तु त्वरित बाढ़ बहुत कम चेतावनी के साथ आती हैं। त्वरित बाढ़ के उपरांत विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व सड़क अवरूद्ध होने की समस्या होती है। त्वरित बाढ़ के

प्रबंधन हेतु संसाधन–आवश्यकताएं वृहद पैमाने पर संसाधनों के सुचालन के साथ बहुत ही सघन होती है। जनपद देहरादून मे वर्षाकाल के समय त्वरित बाढ (Flash Flood) तथा शहरी बाढ़ (Urban Flood) की समस्या है।

जिले में त्वरित बाढ़ की समस्या मुख्य रूप से सहसपुर, विकासनगर, रायपुर व डोईवाला ब्लॉक में है। इन ब्लॉक के अन्तर्गत जिला देहरादून व टिहरी गढ़वाल की विभिन्न नदियां पहाडी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। इन नदियों में गंगा, सोंग, बांदल, चन्द्रभागा, जाखन, सुसवा, रिस्पना, बिंदाल, टोंस, आसन, सोरना आदि प्रमुख नदियां हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों रौ व खालों से भी पानी मैदानी क्षेत्रों में आता है। बरसात के दौरान इन नदियों, रौ व खालों से आपदा की सम्भावना बनी रहती है। विशेषरूप से जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह में इन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग, फेज एक, सिंचाई भवन, यमुना कॉलोनी प्रमुख जिम्मेदार विभाग है।

जनपद देहरादून में नदियों में लगातार अनेकों नाले एवं छोटी नदियां मिलती रहती हैं, अतः जनपद के अन्तर्गत नदियों के हैड तथा टेल डिस्चार्ज में काफी अन्तर आ जाता है। इन नदियों के कुछ स्थलों पर डिस्चार्ज अंकित किए जा रहे है। पहाड़ी नदियों में नदी के तल का स्लोप भी काफी तीव्र होता हैं अतः नदियों का उच्चतम बाढ़ स्तर (Absolute H.F.L.) दिया जाना संभव नहीं हैं। नदी के तल से H.F.L. की औसतन ऊँचाई अंकित की जा रही है।

यह भी अवगतनीय है कि जनपद देहरादून में जल भराव (Inundation) की समस्या विगत कुछ वर्षों से बढ़ी है। नदियों के किनारे कटान (Erosion) की समस्या है। वर्षा ऋतु में तीव्र गति के कारण नदी, तट का कटाव करती है जिससे कृषि भूमि तथा आवासीय भूमि एवं भवन को हानि पहुंचती हैं। वर्षा ऋतु में नदी की पूर्ण लम्बाई में तटों का लगातार कटान होता रहता है। अतः नदी की पूर्ण लम्बाई में जहां भी कृषि भूमि अथवा आबादी स्थित है, वहां बाढ़ का खतरा रहता है।

इस खण्ड द्वारा अनेक नदियों के तटों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराए गए है तथा कराए जा रहे है। इन बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के निर्माण उपरान्त नदी के तटकटान/जलभराव की समस्या समाप्त हो सकेगी।

शहरी जल भराव

देहरादून मे मुख्यतः बिन्दाल व रिस्पना नदी के दोनो ओर निर्मित अवैध बस्तियों तथा अतिक्रमण से बरसात के दिनों मे दोनो नालों के दोनो ओर बसी आबादी को जल स्तर बढ़ने से खतरा होता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र मे जल भराव वाले क्षेत्रों की सूची निम्नवत् है।

1. टर्नर रोड, आशिमा विहार।
2. महाराणा प्रताप मार्ग।
3. माजरा।

4. प्रीत विहार।
5. चौधरी इनक्लेव।
6. आजाद कालोनी माजरा।
7. हरिकुंज जी0एम0एस0 रोड।
8. पुराना सालावाला गॉव क्षेत्र।
9. भूड गांव।
10. रेलवे स्टेशन
11. आई0एस0बी0टी0,
12. सुभाष नगर,
13. दून मेडिकल कालेज
14. प्रिंस चौक,
15. दर्शनलाल चौक,
16. डीएल रोड चौक,
17. सहरापुर रोड़,
18. राजपुर रोड़,
19. द्रोण चौक ,
20. जोहरी रोड़
21. जाखन,
22. डालनवाला,
23. शिमला बाईपास तिराहे के पास जलभाव
24. आई0एस0बीटी के पास ओवफ्लो सीवर चेबर
25. आराघर से धर्मपुर चौक,
26. हरिद्वार रोड,
27. रिस्पना पुल से विधानसभा के ओर
28. रायपुर क्षेत्रान्तर्गत जोगीवाला–लाडपुर–रिंग रोड़–सहस्त्रधारा क्रासिंग–गुरूद्वारा नालापानी–मयूर विहार–आईटी पार्क–पैसिफिक गोल्फ तक का माग

शहरी निकाय

जनपद में प्रशासनिक दृष्टि से 10 शहरी निकाय हैं जिनमें मुख्यतः निम्न खतरे चिन्हित किये गयें है।

- ❖ जिले में 10 शहरी क्षेत्र हैं और उनमें से अधिकांश में बरसात के दौरान जल निकासी की समस्या बनी रहती है। जल निकास नालियों के अवरूद्ध हो जाने के कारण अनेक कॉलोनियों में समस्या पैदा होती है। अपने क्षेत्र की योजना में सम्बन्धित नगर पालिका अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करना आवश्यक है।
- ❖ नदीयों के किनारों पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत बस्तियां एक प्रमुख मुद्दा है, इसके कारण जल बहाव में बाधा उत्पन्न होती है और बस्तियां नष्ट हो जाती हैं। शहर को सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र–रिस्पना नदी से लेकर जाखन तक, अजबपुर कलां ग्राम व केदारपुर में इस प्रकार का अतिक्रमण देखा जा सकता है। ऐसी ही स्थिति निरंजनपुर के समीप बिंदाल नदी के किनारे भी देखी जा सकती है। शहरी स्थानीय निकायों की सम्बन्धित प्रशासनिक इकाई को ऐसे अतिक्रमण को रोकने की दिशा में प्रयास करने चाहिये।
- ❖ आवासीय परिसरों से हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रही जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
- ❖ आवासीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना की आशंका रहती है तथा गलियों के संकरा होने के कारण राहत कार्यो में दिक्कतें होने की संभावना है।
- ❖ सड़क दुर्घटनाएं ।
- ❖ सभी शहरी निकाय भूकम्प की दृष्टि से जोन 4 में आती है। इस प्रकार भूकम्प का खतरा बना हुआ है। शहरी निकायों में आबादी घनत्व के कारण यह खतरा और भी बढ़ जाता है।
- ❖ बहुत पुरानी भवन होने के कारण उनके बरसातों में ढहने की तथा भूकम्प के हल्के झटके होने पर गिरने की संभावना बनी रहती है।

औद्योगिक दुर्घटनाएं

जनपद देहरादून में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र तथा उनमें कार्यरत औद्योगिक ईकाइयों का विवरण निम्न है। जनपद में दून वैली ऐक्ट लागू होने के फलस्वरूप hazardous श्रेणी की ईकाइयॉ स्थापित किये जाने प्रतिबंध है।

सेलाकुई

लीची, गलगल व सेब का जूस, कारोगेटेड बॉक्स, आटो स्पेयर शीट मैटल कम्पोनेण्ट, इलैक्ट्रकल्स घरेलू उपक0 की एसेम्ब0, ए0सी0एस0आर एण्ड ए0ए0कण्डक्टर्स, हेयर पावडर डाई एवं हिना बेस डाई, आर्युवैदिक मेडिसन एवं कास्मैटिक्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफारमर्स, मशीनरी फार फूड प्रोसेसिंग एण्ड माल्ट, इलैक्ट्रोनिक्स वेइंग स्केल्स, आटोमोबाईल एसेसरीज, लेमिनेटेड प्रोडक्टस, प्रिण्टेड सर्किट बोर्ड व कन्ट्रोल बॉक्स, फायर फाइटिंग इक्वीपमेण्ट्स, कार सीट, स्टेयरिंग कवर्स,फूट मैट,बॉडी कवर्स, स्टील टार्च, कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, पी0वी0सी0पाईप, पी0वी0सी0फिटिंग व वाटर स्टोरेज टेंक, एसे0 आफ स्टेब्लाईजर, यू0पी0एस0, इन्वर्टर आदि। विद्युत वितरण ट्रान्सफारमर्स एसेम्ब. व रिपेयरिंग, रोड सैफटी आइटम, फैब्रीकेटैड स्टील फ्रेम, वाटर पम्पिंग, आडियो विडियो सिस्टम, स्टील फेब्रिंकेशन, प्री फेब्रिकेटड स्टील स्क्रीचर, स्ओील फेब्रिकेशन, स्वीट सुपारी, पी0पी0कैप, एसे0आफ आप्टीकल्स टार्न्समीटरर्स, एसे0आफ टेली विजन सेट आदि, एस0आफ0 सी0एफ0एल0लैम्पस, पी.पी.बी.सी. बोटल्सस निर्माण, ट्रान्सफरमर बॉडी निर्माण, करण्ट व पोटेन्शियल, एस0पावर सप्लाई एवं स्पीकर्स, प्लास्टिक कन्टेनर्स, रेडीमेड गारमेन्टस, फुटवेयर एण्ड लेटर एसेसरीज, कारोगेटेड कार्टस, शीट मेटल कॉपर टयूब्स, क्रीम,लोशन्स,शैम्प्यूज, एसे0ऑफ यू.पी.एस0इन्वर्टर, विद्युत आयरन, फेन्स वाटर मीटर, विद्युत आयरन, फेन्स वाटर मीटर, मिनियेचर बल्ब, कलर टी0वी0 ,लेडीज लेदर फुटवेयर, ड्राईसेल, एलोपेथिक दवाईयॉ, टेवलेटस,कैप्सूल,सिरप व ड्राई सिरप, बेडसिट स्अेचिंग,रेडीमेड गारमेन्टस, कारोगेटड बॉक्सेज, मोनो काटर्न्स प्रिन्टिंग एवं करोगेटड बाक्सेज, फुटवेयर, पीओ0सी0पाईप, टी.पी.यू.टेप एण्ड एसेसिरीज, मिनरल वाटर, आटोमोबाईल्स एसेसिरीज, कैरियर्स, साईलेनसर, लांघा रोड़ काउन्स कोर्क्स, पिलफर प्रूफॅ कैप्स एवं मैटल प्रिण्टिंग, पी0वी0सी0शूज,लेअर शूज,स्पोर्ट्स शूज व स्लीपर, सोल्डर वायक,स्टिक,फलेक्स, ग्लासस प्रिन्टिंग, हबैल स्किन केयर हेयर आयल, बाडी केयर, एल्यूम्यूनियम पैनल ,पी0बी0सी0 / एच.डी. पी.ई. बोटल्स एवं कैप्स, प्रिन्टिड ऐल्युमुनियम फोआईल्स एण्ड स्ट्रिप्स, सुपर प्लास्टि साईजर।

लाल तप्पड

स्टील ट्यूबलर पोल्स, आक्सिजन गैस, आल टाईप जी0ओ स्विच, क्लेम्पस मोहोब्बेवाला रबड़ मोल्डिंग,रबडस कम्पाउण्ड, कोल्ड स्टोरेज (प्रीर्ज्वेशन आफ फ्रट एण्ड वेजिटेबिल्स), जिपर्स मात्र, आईसक्रीम, पेपर प्रिन्टर्स नोट बुक निर्माण, पेपर प्रिन्टर्स नोट बुक निर्माण आईसक्रीम, डाईग्नोस्टिक कटडिस्पोजल आईटम, रिस्ट वॉच स्ट्रेपिंग

पटेलनगर

टी–ब्लैण्डिंग व पैकिंग, एक्सरसाईज बुक्स निर्माण व बुक्स प्रिण्टिंग, ए.सी.एस.आर.कण्डक्टर, ए. ए.कण्डक्टर, विद्युत वितरण ट्रान्सफारमर्स, एयर व आयल फिल्टर्स, सेन्ट्री–फूगल क्लीनर्स, रबड़ सील व क्लैम्प, माउण्टेनिंग इक्वीपमेण्ट्स हैमर,पिटॉन,जुमार व आईस एक्स,स्ट्रेचर आदि मिनियेचर बल्ब, पी.बी. सी.साकेट बैण्ड एलबोज, आटोमोबाईल रिपेयरिंग, रेडीमेड गारमेन्टस

मेन एक्सिडेंटल हैजार्ड युनिट्स (MAH Units):

1. ब्रिटिष ऑक्सीजन कॉरपोरेषन लिमिटेड, सेलाकुई, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेलाकुई
2. तिरूपति एल0पी0जी0 प्रा0लि0, सेलाकुई
3. एच0एन0जी0आई0एल0, हरिद्वार रोड, ऋशिकेष
4. हिमालयन ड्रग्स प्रा0लि0, क्लेमनटाउन, देहरादून

ओद्यौगिक ईकाइंयों में संभावित अग्निशमन की दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु ईकाइयों में फायर फाइटिंग इक्युपमेन्ट स्थापना हेतु जोर दिया जा रहा है, जिसके प्रचार–प्रसार हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया तथा ईकाइयों द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है। सभी ईकाइयों से संभावित अग्नि सुरक्षा संबंधित निर्धारित मापदंडो को अपनाये जाने हेतु अवगत करा दिया गया है।

अन्य

ग्रामीण क्षेत्रों में आग विशेषरूप से मई माह में लगती है जब किसान सूखी पत्तियों के ढ़ेर अथवा घास जलाते हैं। इस समय पास में ही किसानों के घास–फूस की छत वाले घरों में हवा के द्वारा आग की चिंगारी जाने से भीशण अग्निकांड होने की सम्भावना बनी रहती है।

देहरादून जिले में षहर व कस्बे बहुत घने हैं और आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र एक साथ जुड़े हैं। आग से सम्बन्धित अधिकांष घटनायें रसोई गैस की लापरवाही के कारण होती हैं। वर्श 2010 मे त्यूनी बाजार में हुआ भीशण अग्निकांड का कारण यही था। ऐसी दुर्घटनाएं विद्युत षॉर्ट सर्किट होने से भी होती हैं। षहरी क्षेत्रों में घरेलु कारणों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रसोई गैस के भण्डारण व पैट्रोल पम्प होने तथा लापरवाही से अग्निकांड होने के अधिक अवसर होते हैं।

जनपद के कई भागों से जो कि वन अथवा नेशनल पार्क के समीप बसे है उनसे जंगली जानवर खासकर हाथी (राजाजी नेशनल पार्क) द्वारा मानव तथा फसल हानि की घटनाएं होती रहती है। जंगली जानवर के भय से ग्रामीणों द्वारा रात में चौकीदारी भी की जाती है। कई गांव से बंदरों द्वारा फसल के नुकसान की भी धटनाएं दर्ज की है।

जनपद में ओलावृष्टि बादल फटना, तुफान, आंधी, जलस्तर बढ़ने इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से मानव तथा संपति के नुकसान की घटनाएं होती है। वर्ष 2006 में विकासखण्ड चकराता मे तुफान से घरों की छत उड़ने की, मालदेवता में वर्ष 2018 में भूस्खलन से कृत्रिम झील का बनना, तहसील ऋषिकेश/डोईवाला में क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोहरीमाफी में बाढ़ जलस्तर बढ़ने के कारण सुसवा/टौंस नदी का रूख गांव की ओर होना, वर्ष 2022 में –तहसील ऋषिकेश के सैबूवाला में जाखन नदी पर कृत्रिम झील बनना, भारी वर्शा के कारण रायपुर थानो मार्ग का पुल क्षतिगस्त होना, तहसील सदर रायपुर

क्षेत्रान्तर्गत सरखेत क्षेत्र में आधी रात को भारी वर्शा के कारण अतिवृश्टि, वर्श 2023 में माह अगस्त में तहसील विकासनगर मदर्सू ग्राम में भूस्खलन आदि घटनाएं दर्ज की गई है।

जनपद मे अतिविशिष्ट व संवेदनशील प्रतिश्ठान जैसे भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वन अकादमी, लाल बहादुर षास्त्री प्रषासनिक अकादमी तथा इसके अतिरिक्त ओ0एन0जी0सी0 आदि कई प्रतिश्ठान स्थापित हैं। देहरादून रेलवे स्टेषन, जौलीग्रान्ट हवाई अडडा आदि स्थापनाओं मे आंतकी सुरक्षा के दृश्टिगत खतरे भी हैं।

त्वरित बाढ़ / जलभराव–

क्र. स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	त्वरित बाढ़ / जलभराव	जनपद के तहसील सदर, डोईवाला, ऋषिकेश, कालसी में नदियों के किनारे बसे गांवों / क्षेत्रों में बाढ़ / जलभराव की स्थिति।	नदियों के किनारे बसे गांवों / क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ फसल क्षति ➢ पेयजल कि कठिनाई ➢ पशु–चारे की समस्या ➢ जल जनित बीमारियों का प्रसार ➢ यातायात में रूकावट एवं कठिनाई ➢ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

2.2.3– वर्षा / भूस्खलन– देहरादून में भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें पहाड़ी इलाकों से मिट्टी, पत्थर या अन्य सामग्री ढलान पर खिसक जाती है। यह आमतौर पर भारी वर्षा, भूकंप या मानव गतिविधियों के कारण होता है। खासकर मानसून के मौसम में, जब वर्षा अधिक होती है, जलभराव और मिट्टी का कटाव बढ़ने के कारण भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। भारी वर्षा के परिणामस्वरूप सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। देहरादून जैसे पहाड़ी इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील है। भू–गर्भीय हलचल एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद के समेस्त क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। भूस्खलन और भारी वर्षा की समस्या मानसून के दौरान और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहां की पहाड़ी संरचना और तेजी से बढ़ता शहरीकरण भूस्खलन को बढ़ावा देते हैं।

मानसून का प्रभावः भारी बारिश के कारण मिट्टी का कटाव और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सड़कें बंद हो जाती हैं और व्यापक नुकसान होता है।

भूस्खलन के संवेदनशील क्षेत्रः ग्लोजी मसूरी, मसूरी सहस्त्रधारा कार्लीगार्ड सरोना, मालदेवता, चकराता झझरेट, जूडो आदि स्थानों पर भूस्खलन की अत्यधिक सम्भावना होती है।

पर्यावरणीय कारणः वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैध निर्माण और जल निकासी मार्गों में रुकावटों के कारण भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

पुनर्वास और बचाव कार्यः राज्य सरकार और जिला प्रशासन भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से खतरे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय समुदाय और प्रशासन को एकजुट होकर काम करना आवश्यक है।

2.2.3.1– वर्षा/भूस्खलन भू–स्खलन के दृष्टिगत जनपद देहरादून कि संवेदनशीलता की स्थिति –

(मानचित्र 2.4)

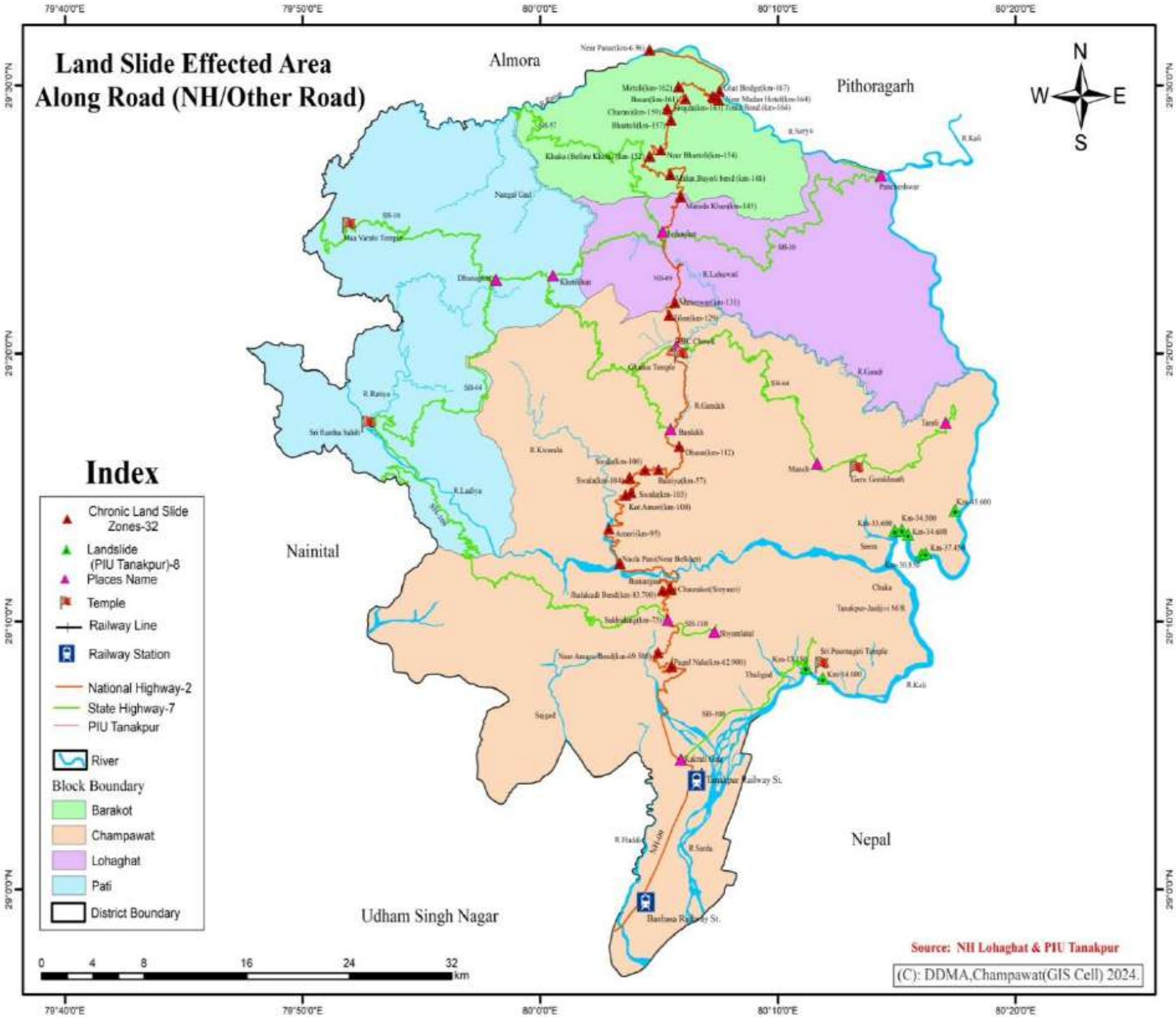
Land Slide Effected Area
Along Road (NH/Other Road)
Almora
Pithoragarh
Nainital
Nepal
Udham Singh Nagar
N
W
E
S
Index
Chronic Land Slide Zones-32
Landslide (PIU Tanakpur)-8
Places Name
Temple
Railway Line
Railway Station
National Highway-2
State Highway-7
PIU Tanakpur
River
Block Boundary
Barakot
Champawat
Lohaghat
Pati
District Boundary
0 4 8 16 24 32 km
79°40'0"E
79°50'0"E
80°0'0"E
80°10'0"E
80°20'0"E
29°30'0"N
29°20'0"N
29°10'0"N
29°0'0"N
Source: NH Lohaghat & PIU Tanakpur
(C): DDMA,Champawat(GIS Cell) 2024.

जनपद देहरादून के अन्तर्गत क्रोनिक भूस्खलन क्षेत्र एवं डेंजर/स्लिप जोन का विवरण

क्र0 सं0	तहसील	संवेदनशील स्थान	उत्तरदायी अधिकारी का नाम	मोबाइल नंबर	नियोजित मानव संसाधन/उपकरण	ऑपरेटर का नाम/नंबर	तैनाती स्थल	समन्वय निर्देशांक (Latitude, Longitude)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदर (मसूरी)	देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग कि0मी0 25 निकट ग्लोगी पावर हाउस (क्रोनिक स्लिप जोन)	श्री सुभाष बिजल्वाण, अपर सहायक अभियन्ता	9456325071	30 Labour 1 JCB	श्री नारायण 8979183941	ग्लोगी	30.422076 N 78.07211667 E
			श्री सुदर्शन राणा, अपर सहायक अभियन्ता	9456391222				
2	सदर (मसूरी)	कोल्हूखेत कि0मी0 20 (स्लिप जोन)	श्री प्रदीप शाही, अपर सहायक अभियन्ता	8477013533	1 JCB	श्री श्रवण जयसवाल 9897982038	कोल्हूखेत	30.4173715 N 78.0774210 E
3	सदर (मसूरी)	लम्बीधार खदान से भितरली किमाड़ी देहरादून मार्ग। (कि.मी. 13, 14, 17, 21) (किमाड़ी के समीप) (क्रोनिक स्लिप जोन)	श्री अमर सिंह अपर सहायक अभियन्ता	6395844001	1 JCB	श्री ज्योति कुमार 9760236230	किमाड़ी	30.43108611 N 78.04084444 E
								30.43543889 N 78.04381111 E
								30.43577778 N 78.04319167 E
								30.43513889 N 78.03832222 E
								30.44598056 N 78.0588361 E
4	सदर (मसूरी)	सहस्त्रधारा–चामासारी मोटर मार्ग (क्रोनिक स्लिप जोन)	श्री सुदर्शन राणा, अपर सहायक अभियन्ता	9456391222	1 JCB	श्री सचिन 9368190454	सहस्त्रधारा	30.39380556 N 78.14677778 E
5	सदर (मसूरी)	मोलधार–सेरकी–सिल्ला मोटर मार्ग (क्रोनिक स्लिप जोन)	श्री सुभाष बिजल्वाण, अपर सहायक अभियन्ता	9456325071	1 JCB	श्री सचिन 9368190454	सिल्ला	30.42135556 N 78.18596667 E
6	विकासनगर	लांघा से बिन्हार मटोगी मोटर मार्ग (ग्रामीण	इं0 हिमांशु नौटियाल, सहा0अभि0	9411141866	जे0सी0बी0	श्री धर्मेन्द्र मो0नं0–707856	लांघा	30.50444444 N 77.83111111 E

		मार्ग) **(पष्टा)** Km 6, 7				8547		
7	कालसी	कालसी–चकराता मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग सं0–20) (जजरेड) (क्रनोनिक स्लिप जोन) Km 10 (Ch.9.075 to 9.250)	इं0 राधिका शर्मा सहायक अभियन्ता,	7060567859	वील लोडर, पोकलेन्ड	विक्रम सिंह मो0नं0 7983918432, अमीत सिंह मो0नं0 8979917533	जजरेड	30.56472222 N 77.78516666 E
8	कालसी	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग सं0–21) (लाल ढांग) (स्लिप जोन) Km 6 (Ch. 5.800 to 5.950)	इं0 भव्य काम्बौज, सहायक अभियन्ता,	9719249494	जे.सी.बी मशीन की निविदा आमंत्रित की गई है। जो दिनांक 06.06.2025 को खोली जानी है उसके उपरान्त ही ऑपरेटर का नाम व नंबर दिये जा सकते है।	–	लाल ढांग	30.54475222 N 77.82178111 E
9	चकराता	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग सं0–21) (इच्छाडी गांव) (स्लिप जोन) Km 31 (Ch. 30.200 to 30.500)				–	कोटी	30.62638889 N 77.79416667 E
10	चकराता	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग (धारिया गांव) सं0–21) (स्लिप जोन) Km 48 (Ch.47.450 to 47.580)				–		30.67638889 N 77.75361111 E
11	चकराता	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग।				–	क्वानू	30.70138889 N 77.75277778 E

		(राज्य मार्ग सं0–21) (कोठा क्वानू) (स्लिप जोन) Km 58 (Ch.57.250 to 57.325)						
12	चकराता	हरिपुर इच्छाडी क्वानू मीनस मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग सं0–21) (म्यार गांव) (स्लिप जोन) Km 62 (Ch.61.250 to 62.00)				–		30.72083333 N 77.74583333 E

2.5.3.3– पुर्नवास हेतु प्रस्वावित ग्रामों का विवरण–

क्र.स.	तहसील	ग्राम	परिवारों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
1	देहरादून	सरखेत	13	55,25,000.00
2		भैंसवाडगांव		
3		छमरौली		
4	विकासनगर	मदर्सू	19	97,65,000.00
कुल योग			**32**	**1,52,90,000.00**

2.5.4– तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात– तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद देहरादून कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिससे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एंव जन हानि और संपत्ति के नुकसान कि संभावना बनी रहती है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उष्णता, उच्च आबादी क्षेत्र और विशेष आबादी संरचनाएं होती हैं।

क्र. स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति पहुंचती है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशु हानि तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी क्षति होती है।	जनपद के उच्च पर्वतीय क्षेत्र।	जनपद में तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं। ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ भवनों का क्षतिग्रस्त होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ बिजली से संचालित उपकरणों की क्षति

2.5.5– बर्फबारी/हिमस्खलन– देहरादून, उत्तराखंड का एक पहाड़ी शहर है जो समुद्र तल से 2,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ की जलवायु सर्दियों में ठंडी होती है, और बर्फबारी का अनुभव मुख्य रूप से देहरादून के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मसूरी और चकराता में होता है, जहाँ की ऊँचाई और जलवायु इसके लिए उपयुक्त होते हैं। बर्फबारी के दौरान यहाँ की सड़कें फिसलन से भर जाती हैं, जो यातायात को प्रभावित करती हैं और बर्फबारी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जनपद में हिमस्खन की सम्भावना नहीं है।

क्र0 स0	संभावित खतरे	जनपद के संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	बर्फबारी एक प्राकृतिक आपदा है	तहसील मसूरी, तहसील चकराता, लोखण्डी, नागथात,	जनपद में बर्फबारी/हिमस्खलन के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ समुदाय एवं ट्रैकिंग व्यवसाय का प्रभावित होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति

2.5.6– सड़क दुर्घटना– पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनपद की सभी सड़कें अत्यधिक ढाल पर निर्मित तथा अत्यंन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड युक्त हैं। वर्षा व भूस्खलन से सड़क मार्ग समय–समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़कों की खराब स्थिति, अप्राप्त प्रशिक्षण, यातायात संकेतों का ज्ञान न होना, लापरवाही व नशे में वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है।

क्र0 स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	सड़क दुर्घटना एक मानव जानित आपदा है। अत्यंन्त संकरे व घुमावदार/तीव्र मोड युक्त सड़के तथा लापरवाही इसके मुख्य कारण है।	सम्पूर्ण जनपद के अधिकांश शहरी/ग्रामीण मोटर मार्ग	जनपद में वाहन दुर्घटना के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ परिवार की आर्थिक हानि ➢ सम्पत्ति का नुकसान ➢ सामाजिक दुषप्रभाव

2.5.7.1– वर्ष 2017 से 2024 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

क्र0सं	वर्ष	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	कुल मृतक	कुल घायल
1	2017	सहिया कालसी	शून्ये	15

02	2018	मसूरी रोड, त्यनी, मंकी रोड, हाथीपांव मसूरी, लाखवाड, मसूरी, ग्राम धीरोई, कम्पनी गाडर्न रोड़, कोल्हुखेत मसूरी,रोजाखाड चकराता, जष्ट दाबला, कोटा के पास चकराता, पी0पी0सी0एल0 सरोना देहरादून, बीरपुर धंघोडा देहरादून, गबोला चकराता, खडम्बा चकराता, लाइब्रेरी मसूरी, आई0टी0बी0पी0 गेट के पास,गाम मलेथा, ग्राम दौन्धा से सुनौडा , सेणीय त्यूनी सड़क मार्ग, ग्राम दोधा, मीनस मोटर मार्ग।	26 मृतक	40 घायल
03	2019	01 ग्राम कोरवा, 02 कालसी लोहरी, 03 मोटर मार्ग कालसी, 04 केम्पटी मोटर मार्ग मसूरी, 05 बानपुर त्यूनी मोटर मार्ग, 06 चामहखिल पुल से 200 मीटर आगे कालसी, 07 ग्राम कवानु के पास चकराता, 08 विकासनगर बडकोट मार्ग, 09 कालसी 10 विकासनगर में मध्य हनोल मोटर मार्ग त्यूनी ।	29 मृतक	12 घायल
04	2020	01. श्रीराम पुरम बस्ती, 02.निकट कांवली रोड, खुडबुडा मौहल्ला देहराखास।	शून्य	शून्य
05	2021	01 ग्राम भन्द्रौली त्यूनी।	शून्य	शून्य
06	2022	01. हरिपुर कोटि कानू निमस मोटर मार्ग 02. हरबर्टपुर चौक से पहले डिवाईडर पर 03. मसूरी मोटर मार्ग के पास हनुमान मन्दिर के पास गजी बैण्ड के निकट 04. मसूरी धनोलटी बाटाघट मोटर मार्ग।	05 मृतक	13घायल
07	2023	01.बाडीया खोडा तहसील त्यूनी 02. मसूरी रोड हाथीपाव से आगे 01 कि0मी0 आगे 03. देववन रोड से आगे चकराता त्यूनी मोटर मार्ग 04. पटी क्षेत्र नागथात, ग्राम सिंधोर तहसील कालसी 05. जुडो यमनोत्री मार्ग में लखवाड बैण्ड के निकट 06 बैराटाखाई–गॉगरो मोटर मार्ग पर स्थान ग्राम सिंगोर के निकट कालसी 07. बाडीया खेडा 08. चकराता मोटर मार्ग ग्राम डुंगरा के सरला छानी खडड के निकट चकराता 09. निकट कोटी इच्छाडी बांध कालसी 10.निकट नईली मार्ग 11. कथियान मोटर मार्ग मे नायली के निकट 12. सुवा खोली, मसराना के बीच में मसूरी धनोल्टी मार्ग 13. हाथीपांव मार्ग नियर किमाडी रोड 14. डागुडा–कथियान मोटर मार्ग 15 ग्राम क्वानू मैलोत के तोक सुदौई खडड 16. कोल्हूखेत में ग्लोगी पावी हाउस के निकट 17.थाना कोरबा क्षेत्र मे रोड़ के निकट 18. जामुवा, हरिपुर क्वानू–मिनस मोटर मार्ग 19. ग्राम मडगांव क्वानू मार्ग 20. ग्राम टुॅगरौली चकराता 21. हाथीपांव से क्लाउडेंट सडक मार्ग मसूरी 22.ग्राम डुंगरा के सरला छानी खडड के निकट 23. नागथात बिसाई मोटर मार्ग के मध्य 24. हरिपुर–मोटर मार्ग पर टिगराधार के निकट स्थान आरालानी 25 झडवाला ग्राम मलेथा के पास 26. मसूरी मोटर मार्ग में मसूरी झील के निकट।	15 मृतक	51 घाायल
08	2024	01. ग्राम हत्यारी के पास मंडावा धार 02. ग्राम हत्यारी के पास मंडावा धार 03.ग्राम हत्यारी के पास 04. मंडावा धारग्राम हत्यारी के पास मंडावा धार 05. ग्राम हटाल,		

		थाना त्यूनी के पास 06.		
कुल योग				

2.5.7.2– नदियों में डूबने की घटनाऐं– जनपद अन्तर्गत गंगा नदी, यमुना, टोंसनदी एवं नहर–नालों की संख्या अधिक है साथ ही विद्युत परियोजनाओं के झीले भी हैं, जिसमें स्थानीय लोग/यात्रिगण नहाने जाते है अधिक गहरायी व तैरने का अनुभव न होना, लापरवाही, आत्महत्या का प्रयास व नशे की हालत में होने के कारण यह घटनायें प्रायः होती रहती हैं।

क्र0 स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	नदियों में डूबने के मुख्य कारण तैरने का अनुभव न होना व लापरवाही है।	जनपद के प्रमुख नदियां, जलाशय, गाढ, गदेरे आदि	➢ जनपद में विभिन्न नदियों/गाड/झीलों में तैरने के अनुभवहीनता के कारण संभावित जन हानि का जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ परिवार की आर्थिक हानि

2.5.8.1–वर्ष 2023 से जनपद में बहने/डूबने से हुयी मृत्यु का विवरण–

क्र. स.	वर्ष	तहसील	मृतक	घायल	नदी का नाम
1	जनवरी-2024	विकासनगर,चकराता,त्यूणी ऋषिकेश,तपोवन,लक्ष्मणझूला,मुनिकीरेती,देवप्रयाग	60		
2	फरवरी-2024				
3	मार्च-2024				
4	अप्रैल-2024				

2.5.9– वनाग्नि/अग्निकांड– जनपद में स्थित वन भूमि एवं मौसमी स्थितियां वनाग्नि के लिए परिस्थिति बनाती हैं। वनाग्नि के सबसे प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं–

1. मानवीय गतिविधियां– पशु चारे के लिए जंगल में आग लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गांव के घरों में आग लगने की घटनाएं भी मानवीय कारण से समय–समय पर होती रहती है।
2. मौसमीय स्थिति– माह मार्च से जून तक जनपद में शुष्क मौसम बना रहता है, जिसमें सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं।

3. प्राकृतिक स्थिति– जनपद देहरादून की वन सम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, कैल, बांज, बुरांस तथा झाडियां आदि सम्मिलित हैं जोकि सूखे मौसम में बहुत आसानी से जलती हैं।

2.5.10.1– वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण–

ऐसे वन क्षेत्र जहां विगत कुछ वर्षो से वनाग्नि की घटनाओं की पुनरावृति होती रही हो अथवा एक ही अग्निकाल में कई बार अग्नि घटनायें घटित हुई हो, का विवरण निम्नवत है–

मास्टर कन्ट्रोल रूम द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से अग्नि विभीषिका सूचकांक निम्न सूत्र से निकालना है।

$$\text{Nesaterov Index(N)} = \sum_{i}^{w} (ti - Di) x\, ti$$

N = Nesaterov Index

W = number of days since the last rainfall > 3mm

t = temperature ° C

D = dew point temperature ° C

2.5.11.1– वायु की गति ज्ञात करने का अनुमान

1	धुऑ ऊपर	1.6 कि0मी0 प्रति घ0	शांत
2	पत्तियॉ लगातार हिलती हैं छोटी शाखाऐं, घासें हवा के साथ झुकती है।	2.5 कि0मी0 प्रति घ0	बहुत हल्की
3	खुली हवा में बल्ली नाप के पेड़ हवा के साथ हिलते/बहते है। हवा चेहरे में अनुभव होती है कागज उड़ने लगते है।	6–11 कि0मी0 प्रति घ0	हल्की
4	बल्ली नाप के पेड हिलते है।घने पेड़ों के छत्र हवा के साथ बहते है। छोटे–छोटे झण्डे फहराने लगते है, तालो से लहरे दिखने लगती है।	12–19 कि0मी0 प्रति घ0	साधारण
5	खुले में पेड तेजी से हिलने लगते हैं घने पेड़ स्वतः हिलने लगते हैं सड़कों में धूल उड़ने लगती है।	20–29 कि0मी0 प्रति घ0	तेज
6	पेडो से छोटी–छोटी शाखायें टूटने लगती है। हवा के विरुद्ध चलने में असुविधा होती है।	30–40 कि0मी0 प्रति घ0	बहुत तेज
7	पेड़ शाखाओं के टूटने से क्षतिग्रस्त होते हैं। हवा के विरुद्ध विपरीत चलने में बाधा उत्पन्न होती है। भवनों को क्षति हो सकती है।	41–60 कि0मी0 प्रति घ0	ऑधी (Storms)

2.5.12–मानव–वन्यजीव संघर्ष (Man & Animal Conflict Short Note)–

मानव और वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में मानव– वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व परिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान, और अन्य विकास कार्यों के लिए जंगल कटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो सकते हैं, साथ ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। अन्य मामलों में पशुओं के साथ सघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड रहे है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे है।

क्र0 स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मानव–वन्यजीव सघर्ष एक मानव जनित आपदा है, जिससे दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।	जनपद के समस्त विकासखण्डों के वन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त ग्राम	मानव–पशु सघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित मानव/पशुहानि ➢ फसलों का नुकसान ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति ➢ आर्थिक जोखिम ➢ आजीविका प्रभावित

अध्याय–03 जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौस सिस्टम कि संरचना एंव दायित्व –

3.1– जिला स्तरीय इंसिडेंस रिस्पौस सिस्टम कि संरचना एंव दायित्व –

जनपद में संभावित आपदाओं के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों को सम्पन्न करने हेतु इंसिडेंट रिस्पौंस टीम का गठन किया गया है। अतः किसी आपदा के घटित होने पर सम्बन्धित तहसील एवं जनपद स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम क्रियाशील किया जाएगा।

जनपद तथा तहसील स्तरीय आई.आर.एस. की संरचना–
(तालिका–3.1)

क्र0 स0	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
		कमांड स्टाफ (Command Staff)		
1	Incident Commander	मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून	सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित	अध्यक्ष (जिम्मेदार अधिकारी), जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में घटना प्रबंधन (कमांड, नियंत्रण एवं समन्वय) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी। उच्च प्राधिकारियों को वस्तु स्थिति का विवरण

			घटना से संबन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी	प्राथमिकताओ का आकलन तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रणनीति बनाना , सूचना संवर्धन एवं संसाधनों की पूर्ति। जिला स्तर पर IRS संबंधी सभी निर्णय, अधिकारियों की नियुक्ति। इंसिडेंट एक्शन प्लान तैयार कराना, प्लान की जानकारी सभी टीम सदस्यों को उपलब्ध कराना तथा प्लान अनुसार राहत एवं बचाव कार्यों को सम्पन्न कराना। एनडीआरएफ, सेना आदि राष्ट्रीय प्रतिक्रीया एजेंसियों की आवश्यकता का निर्धारण एवं समन्वय ।
2	II Incident Commander	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	उपजिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	इंसिडेंट कमांडर की अनुपस्थिति में इंसिडेंट कमांडर के कार्यों को संपादित करना ।
3	Information & Media Officer	जिला सूचना अधिकारी	रजिस्ट्रार कानूनगो	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार प्रेस ब्रीफिंग, नियमित प्रेस रिलीज तथा मीडिया से समन्वय । अस्थायी आपदा सूचना केन्द्रों की स्थापना मीडिया न्यूज से इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराना।
4	Liaison Officer	डी0पी0आर0ओ/ आपदा प्रबन्धन अधिकारी, देहरादून	स्टेनो, उप जिलाधिकारी	सभी नोडल विभाग, NGO, सशस्त्र बल, NDRF/SDRF एवं अन्य एजेंसियो का सम्पूर्ण ब्योरा एवं समन्वय। संक्षिप्त बैठकों का संचालन एवं समन्वय करना
5	Safety Officer	नगर मजिस्ट्रेट देहरादून/एस0पी नगर देहरादून।	थानाध्यक्ष	सुरक्षा और कानून व्यवस्था का समन्वय। आपदा क्षेत्रों मे संभावित खतरों एवं जोखिम का आकलन एवं इससे इंसिडेंट कमांडर एवं आई.आर. टी को अवगत करना। जनपद IRS योजना के अंतर्गत साइट सुरक्षा योजना तैयार करना।
योजना अनुभाग (Planning Section)				
1	Planning Section Chief	डी0एफ0ओ देहरादून	उप जिलाधिकारी/ उप प्रभागीय वनाधिकारी	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन एवं ऑपरेशन सेक्शन प्रमुख के समन्वय एवं में इंसिडेंट एक्शन प्लान तैयार करना तथा सेक्शन के अंतर्गत कार्यरत यूनिट को दिशा निर्देशन देना।
2	Resource Unit Leader	ई0एस0टी0ओ देहरादून	बाल विकास के खण्ड स्तरीय अधिकारी	घटना प्रबंधन में संलग्न सभी संसाधनों की जानकारी एवं इनके प्रबंधन से संबन्धित सम्पूर्ण कार्य।
3	Situation Unit	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग अनुरक्षण खण्ड दे0दून	सहायक विकास अधिकारी, पंचायत	मौसम तथा आपदा कारक अन्य स्थितियों से संबन्धित जानकारी का आंकलन एवं आगामी संभावित स्थितियों के बारे में संबन्धित एजेंसियों एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त करना तथा ऑपरेशन चीफ व इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराना ।

4	Documentation Unit	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	राजिस्ट्रार कानूनगो	घटना प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रकार का प्रलेखन एवं रिकार्ड रखना।
5	Demobilization Unit	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0 वाई0 देहरादून।	सहायक अभियंन्ता सिंचाई	आई.आर.एस. के अनुसार इन्सीडेन्ट डीमोबलाईजेशन प्लान बनाना। अधिशेष संसाधनों की पहचान कर प्लानिंग चीफ के साथ परामर्श करके एक अनंतिम इन्सीडेन्ट डीमोबलाईजेशन प्लान बनाना और अधिशेष संसाधनों को डिमोबलाईज करना
लॉजिस्टिक अनुभाग (Logistics Section)				
1	Logistics & Finance Section Chief	जिला विकास अधिकारी, देहरादून	अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं कोषाधिकारी	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन एवं ऑपरेशन सेक्शन प्रमुख के समन्वय में घटना प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना, बचाव एवं राहत–कर्मियों भोजन एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इंसिडेंट कमांड पोस्ट, कैंप तथा अन्य सुविधा स्थलों का प्रबंधन। सेक्शन के अंतर्गत कार्यरत यूनिट को दिशा निर्देशन देना।
2	Services Branch Director (SBD)	उपजिलाधिकारी, सदर	खण्ड विकास आधिकारी	एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करना। संचार ईकाई, चिकित्सा ईकाई, खाद्य ईकाई जैसी शाखा की विभिन्न इकाईयों और किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना।
3	Communication Unit	जी0एम0, बी0एस0एन0एल0	बी.एस.एन.एल. के खण्ड स्तरीय अधिकारी।	घटना प्रबंधन हेतु संचार योजना बनाना तथा संचार सुविधाओं को स्थापित करना एवं संचार साधनों का रख रखाव एवं संचार साधन प्रबंधन से संबन्धित सम्पूर्ण कार्य।
4	Medical Unit	मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	चिकित्सा राहत कैंप प्रबंधन तथा राहत कर्मियों एवं घटना प्रबंधन में लगे हुये अन्य कार्यदल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
5	Food Unit	जिला पूर्ति अधिकारी	पूर्ति निरीक्षक	राहत कैंप तथा राहत कर्मियों एवं घटना प्रबंधन में लगे हुये अन्य कार्यदल हेतु सभोजन तथा पानी की व्यवस्था करना।
6	Restoration Leader	अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, देहरादून	अधिशासी अभियंन्ता सिचांई	घटना से प्रभावित सभी सुविधाओं यथा सड़क, विद्युत, पेयजल, दूरसंचार आदि सुविधाओं के रिस्टोरेसन कार्य कराना।
7	Support Branch Director (Sub.BD)	अधिशासी अभियंन्ता, सिचांई विभाग, देहरादून	खण्ड शिक्षाधिकारी	एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और संसाधन व्यवस्था इकाई, सुविधा इकाई और स्थल सहायता इकाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना। अनुभाग प्रमुख की सहमति से प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामरिक सामग्री और संसाधन प्राप्त करना और प्रेषित करना।
8	Resource Provisioning Unit	अधिशासी अभियंन्ता, यू0पी0सी0एल, देहरादून.	बाल विकास के खण्ड स्तरीय अधिकारी	आपदा क्षेत्रों मे कार्यरत एजेंसी को आवश्यक संसाधनों की अबाधित पूर्ति हेतु योजना बनाना एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से लगातार समन्वय करना। संसाधनों का उचित स्थल पर भंडारण एवं वितरण से संबन्धित कार्यवाही।

9	Facility Unit	जिला समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड शिक्षाधिकारी	घटना प्रबंधन हेतु इंसिडेंट कमांड पोस्ट, संसाधनों को रखने हेतु इंसिडेंट बेस, राहत एवं बचाव–कर्मी के रुकने हेतु कैंप, हेलीपैड तथा राहतकैंप को लॉजिस्टिक प्रमुख एवं इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार उपयुक्त स्थल पर स्थापित करना तथा इनकी व्यवस्था।
10	Ground Support Unit	सहायक सम्भाागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर	उप प्रभागीय वनाधिकारी	घटना प्रबंधन दल को परिवहन साधन उपलब्ध करना तथा घटना प्रबंधन में उपयोग में आने वाले सभी परिवहन साधनों का रखरखाव।
11	Finance Branch Director (FBD)	वरिष्ठ कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	आई.ए.पी. के अनुसार जुटाए गए, प्राप्त किए गए या किराए पर लिए गए संसाधनों की सूची तैयार करना। वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना और अविलंब उनके भुगतान की कार्यवाही करना। यह सुनिश्चित करना कि भुगतान के लिए किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिक और उनकी सेवाओं के समय संबंधी रिकॉर्ड (टाइम रिकॉर्ड) सरकारी मानकों के अनुसार ठीक–ठीक बनाए गए हैं।
12	Time Unit	प्रभारी अधिकारी (बिल) जिला कार्यालय	राजिस्ट्रार कानूनगो	घटना प्रबंधन में लगाये गए सभी संसाधनों के आने एंव जाने के समय को रिकॉर्ड करना।
13	Compensations/Claims Unit Leader	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), देहरादून	नायब तहसीलदार	सभी लागत संबंधित आंकडा संगृहित करना और लागत अनुमान उपलब्ध कराना। ऐसे अधिग्रहण की सही तारीख और समय के साथ अधिगृहीत परिसर, सेवा, संसाधन और वाहन, आदि की सूची तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना। दावे तैयार करने और प्रतिपूर्ति के लिए समुचित प्रकियाओं का पालन करना।
14	Procurement Unit	कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	संसाधनों की पूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से समन्वय एवं आपदा के दौरान अबाधित आपूर्ति हेतु लॉजिस्टिक प्रमुख एवं इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन में आवश्यक कार्यवाही। आवश्यकता होने पर लोजिस्टिक सेक्शन प्रमुख / इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार आवश्यक संसाधनों का क्रय करना। टेंडर, बिलिंग एवं पेमेंट संबंधी समस्त कार्यवाही।
15	Cost Unit Leader (CUL)	कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	लागत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर Finance Branch Director के परामर्श से घटना कार्रवाई संबंधी लागत का सार बनाना। एफ.बी.डी. को लागत–बचत सिफारिशें करना। अलामबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करना।

ऑपरेशन अनुभाग (Operation Section)

1	Operation Section Chief	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून	पुलिस उपाधीक्षक	घटना प्रबंधन हेतु निर्धारित किए गए उद्देश्यों के निश्चित समयावधि में पूर्ति हेतु सभी रिसपोन्स एजेंसी के मध्य समन्वय करना, रणनीति बनाना एवं निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने हेतु दलों को निर्देशन देना। सभी सेक्सन प्रमुखों से समन्वयन एवं आगामी ओपेरशन हेतु संसाधनों की आवश्यकता से अवगत कराना । आगामी ऑपरेशन में अनुपयोगी संसाधनों को वापस भेजने हेतु निर्देश। इंसिडेंट कमांडर को घटना प्रबंधन की अध्यतन स्थिति से लगातार अवगत करना। आपदा के दौरान निरंतर रूप से प्रभावित क्षेत्रो मे हो रही घटनाओ एवं कार्यवाहियों का विवरण लेना एवं उसका लगातार विश्लेषण करना।
2	Staging Area Manager	एस0पी0 यातायात	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग	घटना स्थल के समीप स्थान पर संसाधनों को हमेशा तैयारी की स्थिति में रखना तथा ओ.एस.सी. के निर्देशानुसार संसाधनों को घटना प्रबंधन हेतु भेजने की व्यवस्था।
3	Response Branch Director	अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	तहसीलदार	आई.सी तथा ओ.एस.सी. के समन्वय एवं निर्देशन में राहत एवं बचाव कार्यों को विभिन्न दलों के माध्यम से सम्पन्न करना।
4	Transportation Branch Director (TBD)	ARTO (E)	ARTO प्रतिनिधि	विभिन्न प्रचालन समूहों, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु का सक्रियण और प्रबंध करना। आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section के साथ समन्वय करना और अपनी शाखा के समूह को सक्रिय करना।
5	Group In charge	अधि0अभि0 ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक	राहत एवं बचाव कार्यों में संलग्न कार्य दलों को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन ।
6	Task Force & Strick Leader	अधि0अभि0 ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून		ग्रुप के अंतर्गत कार्यरत सभी टास्क फोर्स एवं स्ट्राइक टीमों को मार्गदर्शन एवं नेतृत्व।

3.2— जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना एंव दायित्व—

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्न प्रकार अधिसूचित है—

(तालिका—3.2)

क्र. सं	पदनाम		फोन नं.		
			कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	2622389,		
2	जिला पंचायत अध्यक्ष	सह अध्यक्ष	—		9105906053

क्र.	पदनाम		फोन नं.	
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य	0135-2716203, 2716209	9411112706
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	0135-2712569	8057322222
5	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून।	सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी		73518 22222
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	0135-2724506	94103 68366
7	अधीशासी अभियंता, प्रा.ख., लो.नि.वि.	सदस्य	0135-2623746	9411115445

3.2.1– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्वः–

1. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
2. जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अध्यतन रखना।
3. जनपद मे आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
5. जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
6. जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
7. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
8. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
9. जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
10. किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति मे मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्वलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।

11. आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्वलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
12. जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैछिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
13. आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
14. जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
15. यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
16. जनपद की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
17. जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
18. जनपद के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
19. ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। एसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एंव आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
20. राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
21. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
22. जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैछिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
23. संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
24. जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विधालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारीयों के नाम एवं संपर्क नंबरों की अधतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।
25. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अध्यतन करना ।

3.2.2– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद चम्पावत की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

(तालिका–3.3)

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., लो.नि.वि.	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., पी.एम.जी.एस.वाई.	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहा. अभि. सिंचाई	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ., विद्युत विभाग	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ., बी.एस.एन.एल.	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
19	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

3.2.3– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–

उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–

1. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
3. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
4. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
5. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
7. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
8. आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
9. आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
10. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.2.4– आपदा सुरक्षा इकाई–

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या–5045/XIV-168 (2004) दिनांक– 04.09.2006 के द्वारा जनपद में अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए निम्न प्रकार जनपद आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ (District Hazard Safety Unit) का गठन किया गया है, जो जनपद भूकम्प व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत आदेशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी व आपदा सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जनपद की विशिष्टता आवश्यकता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपने सुझाव प्रदान करेगी।

(तालिका–3.4)

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	अधीशासी अभियन्ता, प्रा.ख., लो.नि.वि., देहरादून	संयोजक
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड,देहरादून	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	सदस्य

4	अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, नगर निगम देरहादून	सदस्य
6	भूतत्व एवं खनिकर्म अधिकारी, देरहादून	सदस्य

3.2.5– आपदा के दौरान कार्यवाही– जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, देहरादून को किसी भी प्रकार की घटना अथवा आपदा की जानकारी प्राप्त होने पर सभी सम्बन्धित तहसील अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी से घटना की स्थिति की जानकारी ली जाती है। घटना का आंकलन करते हुये क्षति के परिणाम को देखते हुये योजना वद्ध तरीके से वृहद स्तर पर क्षति होने पर आई0आर0एस0 को क्रियाशील किया जाता है। तथा क्षति सामान्य होने पर सम्बन्धित तहसील और रेखीय विभागों को राहत खोज एवं बचाव कार्यो के निष्पादन हेतु निर्देशित किया जाता है। जनपद आपदा नियंत्रण कक्ष द्वारा घटना की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलों से सम्बन्धित घटना की पुष्टि करने के उपरान्त उच्चाधिकारियों के साथ–साथ शासन में स्थापित राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को भी सूचित किया जाता है। घटनास्थल पर कार्यरत टीमों से की जा रही कार्यवाही की समय–समय पर जानकारी लेते हुये लिखित रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों एवं शासन को प्रेषित की जाती है।

3.2.6– तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल– जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का निम्नप्रकार से गठन किया जाता है:–

तहसील सदर :–

(तालिका–3.5)

नोडल अधिकारी	उप जिलाधिकारी, सदर
सहायक नोडल अधिकारी	तहसीलदार
सदस्य	थानाध्यक्ष
सदस्य	खण्ड विकास अधिकारी,
सदस्य	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी,
सदस्य	पूर्ति निरीक्षक,

3.2.7– ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

(तालिका–3.13)

1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, प्रा.वि./उ.प्रा.वि./जू.हा./इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं. दल/यु.मं. दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि/भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉं प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में **तत्काल प्रभाव** से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

3.3– जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

3.3.1–वनाग्नि धटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766/एफ0आर0डी0सी0/2002 दिनांक, 11.1.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

1	जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी	सदस्य
5	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो	सदस्य

(तालिका–3.14)

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

(तालिका–3.15)

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक

3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
5	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
7	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्कतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

3.3.2 वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन– वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

(तालिका–3.16)

1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

1. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
2. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।

4. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
5. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

3.4– जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, (आपदा कन्ट्रोल रूम) – District Emergency Operation Center (DEOC)

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है जिसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज की जाती है। कन्ट्रोल रूम को 24x7 की तर्ज पर कार्यशील रखते हुये कुल कार्मिकों (ड्यूटी प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अनुसेवकों) की शिफ्टवार तैनाती की गयी है। मानसून काल में अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाती है।

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में 01 सेटेलाइट फोन, 01–पुलिस वायरलैस सेट, 01 वन विभाग वायरलैस सेट तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर निम्नवत हैं–

Phone: 01352726066, 2626066 1077 (Toll free), Mobile.: 75348 26066

Mail Id: deoc.pgrc.ddn@gmail.com

A. जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा भारतीय मौसम विभाग की वैबसाईड से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी सम्बन्धितों/मीडिया तथा जनसामान्य हेतु प्रचारित किया जााता है।
B. परिचालन केन्द्र में जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सूचि सांकलित की गयी हैं, जिससे आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
C. विभिन्न मार्गों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। मानसून अवधि में अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन, पी.एम.जी.एस.वाई. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा संसाधनों की सूची उपलब्ध

है। मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।

D. जनपद में एस.डी.आर.एफ., आई.टी.बी.पी., सेना, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर प्रशिक्षित टीमें एवं जनपदीय अधिकारियों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाईड तथा पी.आर. आई.एस. तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष नंबर सहित सूची कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

E. आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये है। उनके कॉर्डीनेटस् कान्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

F. आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा दैनिक रूप से वर्षा, नदियों का डिस्चार्ज, मौसम की स्थिति, जनपद के समस्त मार्गो की स्थिति, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति की सूचना संकलित कर दैनिक रूप से आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा उच्चाधिकारीयों को प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों को यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुये नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

3.5– जनपद स्तर पर जारी हेल्पलाईन नम्बर–

(तालिका–3.17)

1	जिला आपदा प्रबन्धन कंट्रोल रूम	01352726066, 2626066, 75348 26066 1077 (toll Free)
2	पुलिस कन्ट्रोल रूम	9411112972, 112
3	स्वास्थ्य व एंबुलेंस सेवा	108
4	फायर सर्विस, देहरादून	01352716242, 101

3.6– तहसील कन्ट्रोल रूम दूरभाष नम्बर सम्बन्धी विवरण–
(तालिका–3.18)

क्र.स.	तहसील	दूरभाष	तहसीलदार/नायब तहसीलदार
1	सदर	01352653514	9897987607
2	डोईवाला	01352695888	7452838111
3	ऋषिकेश	01352436212	9917762618
4	विकासनगर	01360252560	9634378403
5	कालसी	01360276155	7906340535
6	चकराता	–	7906340535
7	त्यूनी	–	8279685422

8	उप तहसील मसूरी	01352632681	9412902222

3.7– विभिन्न जनपदों, संस्थाओं, के दूरभाष नम्बर सम्बन्धी विवरण–

(तालिका–3.19)

S.N.	USDMA/DDMA/DEOC	Phone (Control room)
1	USDMA/ State Emergency Operation Centre	0135-2710334, 2710335 (Toll Free No. 1070)
2	DDMA/DEOC, Pithoragarh	05964-228050, 226326, 224224 (Toll Free No. 1077)
3	DDMA/DEOC, Bageshwar	05963-220197, 220196 (Toll Free No. 1077)
4	DDMA/DEOC, Almora	05962-237874, 75 (Toll Free No. 1077)
5	DDMA/DEOC, Pauri	01368-221840 (Toll Free No. 1077)
6	DDMA/DEOC, Uttarkashi	01374-222722, 222126 (Toll Free No. 1077)
7	DDMA/DEOC, Udham Singh Nagar	05944-250719, 250103 (Toll Free No. 1077)
8	DDMA/DEOC, Champawat	05965-230819, 230703 (Toll Free No. 1077)
9	DDMA/DEOC, Dehradun	0135-2726066, 2626066 (Toll Free No. 1077)
10	DDMA/DEOC, , Rudraprayag	01364-233727, (Toll Free No. 1077)
11	DDMA/DEOC, Nainital	05942-231179, 231178 (Toll Free No. 1077)
12	DDMA/DEOC, Chamoli	01372-251437, 251077 (Toll Free No. 1077)
13	DDMA/DEOC, Haridwar	01334-223999, 7055258800 (Toll Free No.1077)
14	DDMA/DEOC, Tehri	01376-233433, 234793 (Toll Free No. 1077)

अध्याय: 04 रोकथाम और शमन उपाय

4.1 परिचय'

देहरादून जिला भौगोलिक, पर्यावरणीय और सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जनपद देहरादून हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित होने के कारण यह क्षेत्र भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, बादल फटने और जलभराव जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से जोखिमग्रस्त है।

जनपद की भौगोलिक संवेदनशीलता

देहरादून की भौगोलिक संरचना में पहाड़ी और मैदानी दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तीव्र ढलानों के कारण भूस्खलन एक सामान्य समस्या है, विशेषकर मानसून के दौरान जब भारी वर्षा से मिट्टी अस्थिर हो जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र की टेक्टोनिक स्थिति इसे भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, क्योंकि यह क्षेत्र हिमालयन भूकंपीय क्षेत्र (सीस्मिक ज़ोन IV और V) के अंतर्गत आता है।

पर्यावरणीय संवेदनशीलता

देहरादून में तेजी से हो रहे शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ रही हैं। जंगलों की अत्याधिक कटाई से जलभराव और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं, क्योंकि वृक्षों के अभाव में वर्षा का पानी जमीन में अवशोषित नहीं हो पाता। इसके अलावा, बादल फटने जैसी घटनाएँ पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर देखी जाती हैं, जिससे अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ होती हैं।

आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोकथाम और न्यूनीकरण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य संभावित खतरों की पूर्व पहचान करना, उनके प्रभावों को कम करना और समाज को इन खतरों से सुरक्षित रखना है। यह प्रक्रिया केवल प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता को कम करने में सहायक नहीं होती, बल्कि यह स्थानीय समुदायों को बेहतर तैयारी और उच्च जागरूकता प्रदान करती है, जिससे वे आपदाओं का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनते हैं।

रोकथाम और न्यूनीकरण उपायों में विभिन्न तकनीकी, भौतिक, और सामुदायिक प्रयास शामिल होते हैं, जैसे कि भूस्खलन से बचाव के लिए उचित भूमि उपयोग योजना, बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के किनारों पर संरचनात्मक निर्माण, और भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए इमारतों और बुनियादी ढांचे की मजबूती। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों को आपदाओं के बारे में जानकारी देने और उन्हें सही समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है।

इस अध्याय में, इन उपायों के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आपदाओं से बचाव के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके और इस संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जनपद देहरादून में कुल 07 तहसील स्थित है एंव 01 उप तहसील स्थित है। जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. **तहसील ऋषिकेश** – उत्तराखंड राज्य में स्थित देहरादून जिला कई प्रशासनिक तहसीलों में बांटा गया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तहसील ऋषिकेश है। ऋषिकेश, जिसे षविश्व की योग राजधानीष के रूप में जाना जाता है, गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह पर्यटन और तीर्थयात्रा का एक प्रमुख केंद्र है। हालांकि, इस क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएँ इसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

   तहसील ऋषिकेश के अर्न्तगत घटित आपदा की क्षति का विवरण

   1. **अचानक बाढ़ (अगस्त 2023)**

      14 अगस्त 2023 को हुई भारी वर्षा के कारण अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे ऋषिकेश सहित कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ गया और इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ।

   2. **डूबने की घटनाएँ**

      मार्च 2025: होली के दौरान नीम बीच, ऋषिकेश में 21 वर्षीय संदीप थापा डूब गए। SDRF की टीम ने 25 फीट गहरे पानी से उनका शव बरामद किया।

      फरवरी 2025: ऋषिकेश में गंगा नदी में नहाने के दौरान 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र डूब गया।

   3. **भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध (अगस्त 2023)**

      भारी बारिश के कारण टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिससे ऋषिकेश–बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। इस कारण यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन को बचाव कार्य करने पड़े।

   4. **जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी भरना (अगस्त 2023)**

      ऋषिकेश के खारा स्प्रिंग क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई घर जलमग्न हो गए।

      SDRF ने लगभग 50 लोगों को राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया।

2. **तहसील सदर–** तहसील, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खंड है, जिसमें देहरादून शहर और इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय कारक इसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

यह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। देहरादून सदर तहसील हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहाँ पहाड़ी और मैदानी भूभाग का मिश्रण पाया जाता है। यह क्षेत्र भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है।

तहसील सदर के अन्तर्गत घटित होने वाली आपदाएँ और उनका प्रभाव–

त्वरित बाढ़/जलभराव– बाढ़ चेतावनी के साथ आती है, परन्तु त्वरित बाढ़ बहुत कम चेतावनी के साथ आती हैं। त्वरित बाढ़ के उपरांत विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व सड़क अवरूद्ध होने की समस्या होती है। त्वरित बाढ़ के प्रबंधन हेतु संसाधन–आवश्यकताएं वृहद पैमाने पर संसाधनों के सुचालन के साथ बहुत ही सघन होती है। जनपद देहरादून मे वर्षाकाल के समय त्वरित बाढ (Flash Flood) तथा शहरी बाढ़ (Urban Flood) की समस्या है।

शहरी जल भराव

देहरादून मे मुख्यतः बिन्दाल व रिस्पना नदी के दोनो ओर निर्मित अवैध बस्तियों तथा अतिक्रमण से बरसात के दिनों मे दोनो नालों के दोनो ओर बसी आबादी को जल स्तर बढ़ने से खतरा होता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र मे टर्नर रोड, आशिमा विहार, महाराणा प्रताप मार्ग, माजरा, प्रीत विहार, चौधरी इनक्लेव, आजाद कालोनी माजरा, हरिकुंज जी0एम0एस0 रोड, पुराना सालावाला गॉव क्षेत्र, भूड गांव, रेलवे स्टेशन, आई0एस0बी0टी0, सुभाष नगर, दून मेडिकल कालेज, प्रिंस चौक, दर्शनलाल चौक, डीएल रोड चौक, सहरापुर रोड़, राजपुर रोड़, द्रोण चौक , जोहरी रोड़ जाखन, डालनवाला, शिमला बाईपास तिराहे के पास जलभाव आई0एस0बीटी के पास ओवरफ्लो सीवर चेम्बर, आराघर से धर्मपुर चौक, हरिद्वार रोड, रिस्पना पुल से विधानसभा के ओर, रायपुर क्षेत्रार्न्तगत जोगीवाला–लाडपुर–रिंग रोड़–सहस्त्रधारा क्रासिंग–गुरूद्वारा नालापानी–मयूर विहार–आईटी पार्क–पैसिफिक गोल्फ तक का मार्ग आदि स्थानों पर मुख्यतः जल भराव होता है।

भूस्खलन की घटनाएँ

देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिससे सड़कों का अवरुद्ध होना और आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई है। इन घटनाओं से स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा है।

भूकंप का खतरा

देहरादून क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, जिससे यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है। हालांकि हाल के समय में कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

3. तहसील डाईवाला

डोईवाला, देहरादून जिले का एक महत्वपूर्ण नगर है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के कारण विशेष महत्व रखता है। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता इसे विशेष ध्यान देने योग्य बनाती है। तहसील डोईवाला कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और फलों, सब्जियों और अनाजों की खेती करते हैं। इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और जलवायु इसे कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाती है तहसील डोईवाला अन्तर्गत एक चीनी मिल भी स्थित है।

भारी वर्षा और बाढ़ (अगस्त 2023)

अगस्त 2023 में, डोईवाला के मजरीग्रांट ग्राम पंचायत में भारी बारिश के कारण अचानक पानी भरने से एक 12 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में जल निकासी और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर किया।

लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दुर्घटना (मार्च 2025)

24 मार्च 2025 को, देहरादून–हरिद्वार राजमार्ग पर लच्छीवाला टोल प्लाजा के निकट एक डंपर और कार के बीच टक्कर में दो लोगों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना वाहन नियंत्रण और सड़क सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को दर्शाती है।

4. तहसील विकासनगर

विकासनगर, उत्तराखंड के देहरादून जिले की एक प्रमुख तहसील है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील मानी जाती है। क्षेत्र में टोंस नदी पर स्थित जलविद्युत परियोजनाएँ ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिनका स्थानीय समुदायों और बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है विकासनगर, यमुना और टोंस नदियों के समीप स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह उत्तराखंड

और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जिससे यह दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का केंद्र बनता है।

भूस्खलन

चूँकि यह क्षेत्र पर्वतीय ढलानों और नदी घाटियों से घिरा हुआ है, मानसून के दौरान यहाँ भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएँ सामान्य होती हैं। अगस्त 2023 में जाखन गाँव में भूस्खलन और 2024 में माजरा बटोली गाँव में सड़क क्षति जैसी घटनाएँ इसकी संवेदनशीलता को दर्शाती हैं।

अगस्त 2023 में, विकासनगर तहसील के जाखन गाँव में एक बड़े भूस्खलन घटना से प्रभावित 28 परिवारों के लगभग 100–150 लोगों को निकाला गया और पास के एक सरकारी जूनियर स्कूल में स्थापित आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया गया। सौभाग्य से, इस आपदा में कोई जानहानि नहीं हुई।

माजरा बटोली गाँव में आपदा

अक्टूबर 2024 में, माजरा बटोली गाँव, जो विकासनगर तहसील के मिसरास पट्टी क्षेत्र में स्थित है, एक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ। इस घटना के परिणामस्वरूप, गाँव की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पुनर्निर्माण असंभव हो गया।

वनाग्नि (जंगल की आग)

गर्मियों में शुष्क जलवायु और तेज़ हवाओं के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएँ आम होती हैं। मानवीय लापरवाही, जैसे जंगल में आग जलाना या सूखी झाड़ियों में सिगरेट के टुकड़े फेंकना, आग लगने के प्रमुख कारण होते हैं।

बाढ़ (Floods)

मध्यम से उच्च जोखिम द्य टोंस और यमुना नदी के समीप होने के कारण मानसून के दौरान टोंस और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे आसपास के गाँवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बारिश के कारण छोटे नाले उफान पर आ जाते हैं और अचानक बाढ़ की स्थिति बन जाती है

भूकंप (Earthquakes)

उच्च जोखिम, सिस्मिक ज़ोन IV में स्थित होने के कारण

उत्तराखंड के अधिकांश हिस्से भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zone IV और V) में आते हैं, जिससे विकासनगर में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। पुराने और अस्थिर मकानों के लिए भूकंप अधिक घातक साबित हो सकते हैं। भले ही हाल के वर्षों में कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं हुआ हो, लेकिन यह खतरा हमेशा बना रहता है।

5. बादल फटना (Cloudburst)

मध्यम जोखिम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संभावना अधिक

अचानक भारी बारिश होने से कुछ ही मिनटों में नदी–नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनती है।

ऊँचाई वाले क्षेत्रों में यह अधिक खतरनाक साबित हो सकता है।

6. मानवजनित आपदाएँ (Man-Made Disasters)

सड़क दुर्घटनाएँ–बढ़ते ट्रैफिक और अनियंत्रित वाहनों के कारण दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं।

5. तहसील कालसी

कालसी, भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से अद्वितीय गाँव है। यह यमुना नदी के किनारे और उसकी सहायक नदी टोंस के संगम पर बसा हुआ है, जो इसे एक शानदार स्थान बनाता है। कालसी का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है, क्योंकि यहां मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र को प्राचीन भारत के गौरवमयी इतिहास से जोड़ते हैं।

यह स्थान देहरादून शहर से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। दून घाटी के दृश्य यहां के वातावरण को और भी रमणीय बनाते हैं, जो इस स्थान को पिकनिक और परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श बनाता है। यहां के शांत परिवेश में पक्षियों की चहचहाहट और गाड़ी चलाने का अनुभव बेहद सुकून देने वाला है।

कालसी, तीसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तहत एक महत्वपूर्ण स्थान था, और सम्राट अशोक के शिलालेख यहां के इतिहास का गवाह हैं। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति भी इसे एक अनोखा यात्रा स्थल बनाती है।

1. भूस्खलन

कालसी का अधिकांश भाग पहाड़ियों और ढलानों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ भूस्खलन की घटनाएँ आम हैं। मानसून के दौरान भारी बारिश से मिट्टी अस्थिर हो जाती है और पहाड़ दरकने लगते हैं। सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे गाँवों का संपर्क टूट जाता है।

2. बाढ़

कालसी तहसील टोंस और यमुना नदियों के पास स्थित है, जिससे यह बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनता है। मानसून के दौरान जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गाँवों और खेतों को नुकसान होता है।

3. भूकंप

कालसी सिस्मिक ज़ोन प्ट में आता है, जो इसे भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाता है। क्षेत्र में कई पुराने और पारंपरिक मकान हैं, जो तेज़ भूकंप में गिर सकते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में यहाँ कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन भविष्य में खतरा बना हुआ है।

4. बादल फटना

बादल फटने की घटनाएँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, जहाँ अचानक भारी बारिश होने से नदी–नाले उफान पर आ जाते हैं इससे भूस्खलन, बाढ़ और घरों के बहने की घटनाएँ हो सकती हैं।

5. वनाग्नि

कालसी क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ गर्मियों में आग लगने की घटनाएँ आम हैं। मानवीय लापरवाही, जैसे जंगल में आग जलाना, सूखी घास में सिगरेट फेंकना, या बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग तेजी से फैल सकती है। विगत वर्ष 2024 में कालसी के जंगलों में आग लगने से कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया और जैव विविधता को नुकसान पहुँचा।

6. सड़क दुर्घटनाएँ

कालसी की सड़कों पर घुमावदार मोड़ और गहरी खाइयाँ होने के कारण दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं। भारी बारिश और कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

6. तहसील चकराता

''चकराता प्रकृति, इतिहास और सैन्य शक्ति का अद्भुत संगम''

चकराता, जिसे ''चकरौता'' भी कहा जाता है, उत्तराखंड के ''देहरादून ज़िले'' में स्थित एक मनोरम पर्वतीय नगर है। समुद्र तल से ''2118 मीटर (6949 फीट)'' की ऊँचाई पर बसा यह स्थान न केवल अपने ''शांत और प्रदूषण–मुक्त वातावरण'' के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक ''महत्वपूर्ण सैन्य छावनी'' के रूप में भी जाना जाता है। देहरादून से ''98 किलोमीटर'' की दूरी पर स्थित यह नगर ''पर्यटन और सैन्य रणनीति'' दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

''प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन''

चकराता विशेष रूप से ''प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों'' के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ के ''सदाबहार शंकुधारी जंगलों'' में लंबी पैदल यात्राओं का अपना अलग ही आनंद है। चारों ओर फैले ''घने वनों और हरी–भरी घाटियों'' के बीच ''जौनसारी जनजाति के पारंपरिक गाँव'' बसे हुए हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाते हैं।

''ऐतिहासिक और सैन्य महत्व''

चकराता की स्थापना ''ब्रिटिश सेना के कर्नल ह्यूम और उनकी 55वीं रेजिमेंट'' के अधिकारियों द्वारा की गई थी। अंग्रेजों ने यहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे ''ग्रीष्मकालीन सैन्य अड्डे (समर आर्मी बेस)'' के रूप में विकसित किया। वर्तमान में, यह स्थान भारतीय सेना के लिए ''एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र'' है, जहाँ ''कमांडो ट्रेनिंग'' दी जाती है।

''चकराता ''

चकराता अपनी ''प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और सैन्य शक्ति'' के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह पर्यटकों के लिए ''शांति और रोमांच'' दोनों का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करता है, जबकि सेना के लिए यह ''रणनीतिक और सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल'' बना हुआ है।

1. भूस्खलन

चकराता की ऊँची पहाड़ियों और ढलानों के कारण यहाँ भूस्खलन की घटनाएँ आम हैं। मानसून में भारी बारिश के कारण मिट्टी अस्थिर हो जाती है और पहाड़ दरकने लगते हैं। भूस्खलन के कारण सड़कों का अवरुद्ध होना, यातायात बाधित होना और घरों को नुकसान आम घटनाएँ हैं।

2. बादल फटना

चकराता का मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है और यहाँ बादल फटने की घटनाएँ देखी जाती हैं।बादल फटने से अचानक भारी बारिश होती है, जिससे भूस्खलन, बाढ़ और नदियों के उफान पर आने की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

3 बर्फबारी

चकराता, जो अपनी शांत जलवायु, घने जंगलों और ऊँचाई (2118 मीटर) के कारण जानी जाती है। सर्दियों के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी कई बार आपदा का रूप ले सकती है। इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है, और हिमस्खलन जैसी घटनाएँ भी हो सकती हैं।

4. भूकंप

चकराता भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ की भूगर्भीय गतिविधियाँ भूकंप के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं।
यदि तेज़ तीव्रता का भूकंप आता है, तो यह भूस्खलन को भी ट्रिगर कर सकता है, जिससे क्षेत्र को दोहरी मार पड़ती है।

5. वनाग्नि

चकराता के घने जंगलों में गर्मियों के दौरान सूखी घास और पेड़ों में आग लगने की घटनाएँ होती हैं। जंगल की आग से वन्यजीवों को नुकसान, पर्यावरण असंतुलन और स्थानीय निवासियों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
घटनारू 2023 में चकराता के जंगलों में भीषण आग लगी, जिससे कई हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया।

6. सड़क दुर्घटनाएँ

चकराता की घुमावदार और ऊँचाई वाली सड़कें दुर्घटनाओं के लिए जोखिम पैदा करती हैं। सर्दियों में बर्फबारी और मानसून में भूस्खलन से सड़कें फिसलन भरी और अस्थिर हो जाती हैं।

7. तहसील त्यूनी

तहसील त्यूणी (जिसे त्यूणी भी लिखा जाता है) भारतीय राज्य उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक तहसील या प्रशासनिक प्रभाग है । यह जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और दक्षिण में तहसील चकराता , उत्तर में जिला उत्तरकाशी और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले

के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। तहसील का मुख्यालय त्यूणी शहर में स्थित है, जो तहसील का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर जौनसार बावर के आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर भी है ।

तहसील मुख्यालय टोंस नदी के तट पर स्थित है जो यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है ।राजधानी देहरादून से लगभग 170 किमी दूर स्थित, त्यूणी भगवान महासू के हनोल मंदिर से लगभग 16 किमी दूर है। चूंकि यह एक जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए त्यूणी में मरोज, जागरा, बिस्सू, बूढ़ी दिवाली और जखोली मेले जैसे कुछ अनोखे त्योहार मनाए जाते हैं।

तहसील की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, जिसमें चावल और गेहूं जैसी फसलें स्थानीय आबादी के लिए आय का मुख्य स्रोत हैं। तहसील में कई पुरातात्विक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के साथ पर्यटन की अधूरी संभावनाएं हैं। त्यूणी में कई स्कूल, एक सरकारी इंटर कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज है। तहसील सड़कों के नेटवर्क द्वारा जिले और राज्य के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है।

भूस्खलन

त्यूनी पहाड़ी इलाका है, जहाँ भारी बारिश और भूकंप के कारण भूस्खलन आम समस्या है। भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, घरों और फसलों को नुकसान होता है।

बादल फटना

त्यूनी क्षेत्र में कभी–कभी अचानक और भारी बारिश होती है, जिससे बादल फटने की घटनाएँ हो सकती हैं। बादल फटने से नदी–नालों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिससे जन–धन की हानि होती है।

बाढ़

त्यूनी टौंस नदी के किनारे बसा है, जिससे भारी बारिश के दौरान बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ से खेतों में फसलें बह जाती हैं, सड़कों और पुलों को नुकसान होता है।

भूकंप

त्यूनी भूकंप–संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यह हिमालयी टेक्टोनिक प्लेटों के निकट है। भूकंप के झटकों से मकानों, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हो सकता है।

जंगल की आग

त्यूनी के आसपास घने जंगल हैं, जो गर्मियों में आग की चपेट में आ सकते हैं। जंगल की आग से पर्यावरण को नुकसान होता है, वन्यजीव प्रभावित होते हैं और स्थानीय लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है।

घटना–2023 में त्यूनी के पास जंगल में आग लगी, जिससे कई हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया।

अत्यधिक ठंड और बर्फबारी

त्यूनी में सर्दियों के दौरान तापमान 0°C से नीचे गिर सकता है। अत्यधिक ठंड से बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

8. उप–तहसील मसूरी

उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित मसूरी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण **पहाड़ों की रानी** के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़वाल हिमालय की तलहटी में बसा यह हिल स्टेशन राजधानी देहरादून में स्थित है।

प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन

मसूरी अपने हरे–भरे जंगलों, ऊँची चोटियों और झरनों के कारण पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है। लाल टिब्बा, केम्प्टी फॉल, कैमल्स बैक रोड, कंपनी गार्डन, गन हिल, झड़ीपानी और क्लाउड्स एंड यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। लंढौर, बार्लोगंज और झड़ीपानी जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ मिलकर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है।

1. भूस्खलन

अत्यधिक वर्षा और अनियंत्रित निर्माण कार्य के कारण भूस्खलन एक आम समस्या है। बरसात के मौसम में इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे सड़कों और बस्तियों को भारी क्षति पहुँचती है।

2. बादल फटना

अचानक अत्यधिक वर्षा होने से जलभराव और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

3. भूकंप

मसूरी भूगर्भीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (भूकंपीय क्षेत्र– प्ट) में स्थित है, जिससे यहाँ भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। पहाड़ी इलाकों में कमजोर निर्माण शैली के कारण भूकंप का प्रभाव अधिक विनाशकारी हो सकता है।

4. हिमपात

सर्दियों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित होता है और यातायात अवरुद्ध हो जाता है। अधिक बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

5. वनाग्नि

गर्मियों में जंगलों में आग लगना एक बड़ी समस्या है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। यह आग जैव विविधता, पर्यटन और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है।

4.2 रोकथाम और न्यूनीकरण के उद्देश्य'

1. आपदाओं की संभावना और उनके प्रभाव को कम करना।

2. समुदाय की आपदा सहनशीलता और लचीलापन बढ़ाना।

3. संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपायों को अपनाना।

4. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।

5. दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाना।

4.3 संभावित खतरों और जोखिमों का आकलन'

डीडीएमए देहरादून ने जिले में संभावित खतरों की पहचान और उनका मूल्यांकन किया है।

1. 'भूकंप– देहरादून सिस्मिक जोन प्ट में स्थित है, जो उच्च भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है।

2. 'भूस्खलन– पर्वतीय क्षेत्र और अनियंत्रित निर्माण कार्यों के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं।

3. 'बाढ़– बरसाती नदियों (जैसे रिस्पना और बिंदाल) में जलभराव।

4. 'अत्यधिक वर्षा और बादल फटना' – मानसून के दौरान बादल फटना और अत्यधिक वर्षा।

5. 'वनाग्नि – जंगलों में आग लगने की घटनाएं।

4.4 रोकथाम और न्यूनीकरण के उपाय’

4.4.1 संरचनात्मक उपाय (Structural Measures)

1. भूकंपरोधी निर्माण– सरकारी भवनों और सार्वजनिक अवसंरचना को भूकंपरोधी तकनीकों से निर्मित करना।

   – पुराने भवनों का रेट्रोफिटिंग।

2. ’भूस्खलन रोकने के उपाय – संवेदनशील क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल और बायोइंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग।

   – जल निकासी प्रणालियों में सुधार।

3. ’बाढ़ नियंत्रण–रिस्पना और बिंदाल नदियों की जल निकासी क्षमता को बढ़ाना।

   – एम्बैंकमेंट और चेक डैम का निर्माण।

4. ’सड़क और अन्य अवसंरचना–पर्वतीय सड़कों पर उचित ढलान और जल निकासी प्रबंधन।

4.4.2 गैर–संरचनात्मक उपाय (Non&Structural Measures)रू’

1. ’खतरों की मैपिंग – भूकंप, बाढ़, और भूस्खलन के लिए खतरा–आधारित नक्शों का निर्माण।

2. ’क्षमता निर्माण – समुदाय को जागरूक और प्रशिक्षित करना।

   – स्कूलों, कॉलेजों, और सरकारी विभागों में मॉक ड्रिल आयोजित करना।

3. ’अर्बन प्लानिंग– मास्टर प्लान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को शामिल करना।

   – जलभराव और अनियंत्रित निर्माण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना।

4. ’वन प्रबंधन– जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट प्लान।

5. ’जलवायु परिवर्तन अनुकूलन – जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना।

4.5 सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण’

1. ’ग्राम स्तर पर योजना– गांवों में आपदा प्रबंधन समितियों का गठन।

– स्थानीय स्तर पर जोखिम पहचान और बचाव उपाय।

2. 'जागरूकता कार्यक्रम– स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में आपदा जागरूकता।

– आपदा सुरक्षा सप्ताह आयोजित करना।

3. 'स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण – युवा आपदा मित्र कार्यक्रम के तहत स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करना।

4.6 नीति और शासन'

1. 'डीडीएमए की भूमिका – जिला स्तर पर रोकथाम और न्यूनीकरण उपायों का नेतृत्व।

2. 'अंतर–विभागीय समन्वय – लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, और नगर निगम जैसे विभागों के बीच समन्वय।

3. 'वित्तीय प्रबंधनरू – रोकथाम और न्यूनीकरण उपायों के लिए एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) और अन्य स्रोतों से धन का उपयोग।

4.7 निष्कर्ष

देहरादून जिले में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए रोकथाम और न्यूनीकरण उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपायों का संतुलित उपयोग, सामुदायिक भागीदारी, और मजबूत शासन प्रणाली जिले को आपदाओं के प्रति अधिक लचीला और सुरक्षित बना सकती है।

1. संभावित खतरों का विश्लेषण (Hazard Analysis Table)'

'उद्देश्य' जिले में विभिन्न खतरों और उनकी तीव्रता को दर्शाना।

क. सं.	'खतरे का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र'	तीव्रता (कम / मध्यम / उच्च)	पिछली घटनाओं की संख्या (5 वर्षों में)'
01	भूकंप	पूरा जिला	कम।	पिछले 05 वर्षों में भूकंप से कोई जनहानि शून्य है।
02	बाढ़	रिस्पना, बिंदाल नदियाँ	उच्च।	पिछले 05 वर्षों में बाढ़ से कोई जनहानि शून्य है।
03	भूस्खलन	पर्वतीय क्षेत्र	मध्यम।	पिछले 05 वर्षों मे भूस्खलन से 04 जनहानि है।
04	वनाग्नि	जंगल क्षेत्र (चकराता, मसूरी, डोईवाला)	मध्यम।	पिछले 05 वर्षों में वनाग्नि से कोई जनहानि शून्य है।

05	त्वरित बाढ/जल भराव	नगर निगम ऋषिकेश, नगर निगम देहरादून, नगर पंचायत सेलाकुई, नगर पालिका विकासनगर।	उच्च।	पिछले 05 वर्षों मे त्वरित बाढ़ से 39 से जनहानि है।
06	सड़क दुर्घटना	देहरादून शहरी क्षेत्र, चकराता, एवं मसूरी।	उच्च।	पिछले 05 वर्षों मे सड़क दुर्घटना से 97 से जनहानि है।

2. रोकथाम और न्यूनीकरण उपाय (Prevention and Mitigation Measures Table)

'उद्देश्य' उपायों को संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक श्रेणियों में विभाजित करना।

क0सं0	'खतरे का प्रकार	संरचनात्मक उपाय	गैर–संरचनात्मक उपाय
01	भूकंप	भूकंपरोधी भवन निर्माण, रेट्रोफिटिंग	आपदा जागरूकता, मॉक ड्रिल
02	बाढ़	चेक डैम, जल निकासी प्रबंधन	नदियों का नियमित रखरखाव
03	भूस्खलन	रिटेनिंग वॉल, ढलान स्थिरीकरण	संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक
04	वनाग्नि	फायर ब्रेक बनाना	सामुदायिक प्रशिक्षण
05	बादल फटना	जल निकासी प्रणाली	मौसम पूर्वानुमान प्रणाली
06	त्वरित बाढ/जल भराव	नियमित रूप से ड्रेनेज सिसटम के रखरखाव, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रभावित जल निकासी प्रणाली का निर्माण और प्रकृति जल स्रोतों को पुर्नजीवित करना।	जागरूकता अभियान, संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण, स्वयंसेवको राहत कार्य के लिए प्रशिक्षित करना, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली।
07	सड़क दुर्घटना	नियमित रूप से सड़क निर्माण कार्यों का संचालन, गति अवरोधक एवं संकेतक की तीव्र मोडों पर स्थापना, समस्त सुरक्षा बैरियर आदि.।	यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधित संकेत लगाना, प्रशिक्षण एवं लाईसेंस, जल वायु एवं मौसम चेतावनी लागू करना।

3. विभागीय भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities Table)'

'उद्देश्य' रोकथाम और न्यूनीकरण उपायों में शामिल विभागों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट करना।

क0सं0	विभाग का नाम	जिम्मेदारिया
01	लोक निर्माण विभाग (PWD)	भूस्खलन रोकने के लिए संरचनात्मक उपाय लागू करना।
02	नगर निगम	जल निकासी व्यवस्था और कचरा प्रबंधन।
03	वन विभाग	वनाग्नि प्रबंधन और पुनर्वनीकरण।
04	स्वास्थ्य विभाग	आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और प्रशिक्षण।
05	शिक्षा विभाग	स्कूलों में आपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

प्रवाह चार्ट– रोकथाम और न्यूनीकरण योजना की प्रक्रिया (Flowchart: Process for Prevention and Mitigation Plan)'

'उद्देश्य' रोकथाम और न्यूनीकरण योजना के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना।

खतरों की पहचान

↓

जोखिम आकलन

↓

समस्या क्षेत्रों की पहचान

↓

संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपायों का चयन

↓

विभागों को जिम्मेदारियाँ सौंपना

↓

योजना का क्रियान्वयन

↓

नियमित निगरानी और समीक्षा

वनाग्नि प्रबंधन प्रक्रिया (Forest Fire Management Flowchart)'

'उद्देश्य' जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और प्रबंधन की प्रक्रिया।

आग की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान

↓

स्थानीय समुदायों को जागरूक करना

↓

फायर ब्रेक का निर्माण

↓

आग लगने पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनात करना

↓

आग लगने की घटनाओं की रिपोर्टिंग और विश्लेषण

अध्याय : 5 मापदंड व तैयारी

1.संचार तंत्र

देहरादून में आपदा के समय संचार तंत्र का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूस्खलन, बर्फबारी, और बाढ़ आम हैं, वहां प्रभावी संचार तंत्र की आवश्यकता होती है। आपदा के दौरान संचार तंत्र विभिन्न तरीके से कार्य करता है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं

दूरसंचार सेवाएँ

टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्करू मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्क आपदा के दौरान राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सैटेलाइट फोन और रेडियो नेटवर्क इनका उपयोग तब किया जाता है जब सामान्य संचार माध्यम काम नहीं कर रहे होते हैं। खासकर सैटेलाइट फोन का उपयोग बचाव कार्यों में किया जाता है, क्योंकि यह पहाड़ी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

देहरादून और उत्तराखंड के कई अन्य पर्वतीय क्षेत्र दूरस्थ हैं और वहां आम संचार तंत्र जैसे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कनेक्टिविटी अक्सर बाधित हो जाती है। ऐसे में सैटेलाइट फोन और वी–सेट (VSAT) सैटेलाइट संचार प्रणालियाँ का उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों तक राहत सामग्री और जानकारी पहुँचाई जा सके। बर्फीली इलाकों में सैटेलाइट संचार प्रणालियों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी संचार को बनाया जा सके ताकि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

रेडियो और टेलीविजन

आपदा के दौरान रेडियो और टीवी चौनल महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होते हैं। राज्य सरकार और प्रशासन इन माध्यमों के माध्यम से लोगों तक आपदा से संबंधित जानकारी, बचाव के उपाय और सुरक्षित स्थानों की जानकारी पहुंचाते हैं। रेडियो नेटवर्क जैसे All India Radio (AIR) और अन्य लोकल चौनल्स का उपयोग आपदा के दौरान व्यापक जानकारी देने के लिए किया जाता है।

इंटरनेट और सोशल मीडिया

इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपदा से संबंधित अपडेट साझा किए जाते हैं। ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान अधिक से अधिक किया जा सके।

एक और तरीका है, उपग्रह आधारित संचार (Satellite&based communication), जिसका उपयोग अधिकतर आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है, जब अन्य माध्यम विफल हो जाते हैं।

आपातकालीन अलर्ट सिस्टम

सरकार द्वारा आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए स्मार्ट फोन ऐप्स और सार्वजनिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इन ऐप्स के द्वारा भूकंप, बाढ़, और अन्य आपदाओं की पूर्व सूचना दी जाती है, ताकि लोग सतर्क हो सकें और सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। SMS अलर्ट सेवाएँ भी आमतौर पर चलती हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा सक्रिय किया जाता है।

मॉनीटरिंग और चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) इन प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य लोगों तक जल्द से जल्द आपदा से संबंधित सूचना पहुँचाना होता है। इसमें मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए चेतावनियाँ, जैसे बाढ़, भूस्खलन या भारी बारिश की संभावना, लोगों तक पहुँचाने के लिए रेडियो, टेलीविजन, और मोबाइल अलर्ट का उपयोग किया जाता है।

स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ

आपदा प्रबंधन के दौरान स्थानीय प्रशासन और राहत दलों के साथ निरंतर संचार बनाए रखने के लिए वायरलेस, टेलीफोन, और इंटरनेट आधारित संचार का उपयोग किया जाता है। देहरादून और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा के दौरान संचार तंत्र का प्रमुख उद्देश्य सूचना का आदान–प्रदान करना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए मार्गदर्शन करना, और राहत कार्यों को सुचारु रूप से किया जाए।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) जैसे संगठनों द्वारा आपदा के समय स्थलीय संचार स्थापित किया जाता है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुँचाई जा सके।

हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर

आपदा के दौरान हेल्पलाइन नंबर सक्रिय होते हैं, जिन्हें सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियाँ संचालित करती हैं। ये नंबर नागरिकों को आपातकालीन सेवाएँ प्राप्त करने में मदद करते हैं जिला प्रशासन (2626066, 2726066, 1077) और पुलिस विभाग 112 (इमरजेंसी नंबर) का उपयोग करते हैं, जो कि किसी भी आपदा या आपात स्थिति में संपर्क स्थापित करने के लिए होता है। साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा/108 हेल्पलाइन का भी उपयोग किया जाता है ताकि घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके।

(i) जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC)

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र जो कि **24X7** के आधार पर वर्ष भर कार्य करता हैं तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं किसी भी आपदा के दौरान सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को पुलिस संचार व वन विभाग के वायरलैस नेटवर्क से भी जोड़ा गया हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचनाओं एवं मौसम सम्बन्धी जानकारियों को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाता हैं। आपदा के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की पंजिका में दर्ज किया जाता हैं तथा आपदा क्षति से सम्बन्धित सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य भी किया जाता हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित दूरभाष का नं0 **1077** (टोल फ्री), कार्यालय दूरभाष **सम्पर्क नं0–0135–2726066, 2626066, 1077,** तथा मोबाईल नम्बर **7534826066** है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली विशिष्टि जानकारियों एवं चेतावनी को निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ प्रसारित करना भी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का दायित्व है–

- विभिन्न स्थानीय तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य करना।
- संचार तन्त्र को दुरस्त रखना तथा किसी कारणवश संचार तन्त्र के कार्य न करने पर एच0एफ0 सैट/सैटेलाईट फोन के माध्यम से वैकल्पिक संचार तन्त्र स्थापित करना।
- मीडिया के साथ समन्वय करना एवं प्रमाणिक सूचनाओं को प्रदान करना।
- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित संचार उपकरणों को प्रतिदिन जॉचना।

आपदा के सम्बन्ध में किसी भी माध्यम द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित उपजिला अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को सूचित करना। वर्तमान में जनपद में पुलिस संचार केन्द्र द्वारा स्थापित वायरलैस सैट से सूचना प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है। वाहन दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में **108** में दर्ज शिकायतों को पुलिस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या तहसीलदार को घटना के सम्बन्ध में तुरन्त सूचित किया जाता है। तथा उसे जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की पंजिका में दर्ज किया जाता है। नियमित अन्तराल पर उन सूचनाओं को अद्यतन (Updete) भी किया जाता है।

जनपद में भारी बारिश या मार्ग अवरूद्व होने पर आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलने पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों में ही रोक देने हेतु अपर जिला अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, थाना प्रभारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है तथा भारतीय मौसम विभाग, जी0एस0आई0 एवं सी0 डब्लू0 सी से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसारित करता हैं।

मौसम विभाग द्वारा समय समय पर मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः **10:00** बजे दिन में **1:00** बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

सैटेलाईट फोन

क्र.सं.	जनपद का नाम	फोन नं0
1	जिलाधिकारी/अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून	8991112985

जनपद देहरादून में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा 12 सैटेलाईट फोन उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से 7 फोन तहसीलों को उपलब्ध कराये गये हैं तथा 01 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में एवं 02 फोन थाना त्यूनी, चकराता तथा 02 फोन पुलिस विभाग तथा 07 फोन तहसीलों को उपलब्ध कराये गये हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित सैटेलाईट फोन से प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में समस्त तहसीलों को सैटेलाईट फोन पर

सम्पर्क किया जाता है तथा अध्यावधिक स्थिति से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आख्या प्रेषित की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के द्वारा जनपद देहरादून को उपलब्ध कराये सैटेलाईट फोनों का विवरण।

क्र0सं0	थाना / विभाग का नाम	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	पुलिस विभाग	8991119784 8991119758
2	जी.एस.पी.एस. थाना त्यूनी	8991120737
3	जी.एस.पी.एस. थाना चकराता	8991120736
4	जिला आपातकालीन परि0केन्द्र देहरादून	8991112985

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद देहरादून को उपलब्ध कराये गये सैटेलाईट फोनों का तहसीलवार विवरण

क्र0सं0	तहसील /विभाग का नाम	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	तहसील सदर	-
2	डोईवाला	8991119787
3	ऋषिकेश	8991119788
4	विकासनगर	8991112984
5	कालसी	8991119783
6	त्यूनी	8991112026
7	चकराता	8991119781
8	उप तहसील मसूरी	8991119782

(ii) राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC)

(सूचना प्राप्त होने पर)

जिलाधिकारी/(डी.ई.ओ.सी.) सम्बन्धित उप जिलाधिकारी

नोडल/समन्वयक

पुलिस अधीक्षक अधिकारी इन्सीडेट

रिस्पान्स

मुख्य विकास अधिकारी सिस्टम

(IRS)

अपर जिला अधिकारी

(उपरोक्त वर्णित क्रम में सूचनाओं का प्रेषण फोन/मोबाईल/बल्क एस0एम0एस0/ई–मेल /WhattsApp द्वारा किया जायेगा)

सायरन–

जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र तथा जिला अधिकारी कार्यालय में स्थित सायरन एवं पुलिस, अग्निशमन तथा अन्य विभागों की गाडियों में स्थापित सायरन से अलर्ट किया जाता है। जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जन प्रतिनिधियों की सूची संकलित की गयी है जिससे आपदा के समय उनका उपयोग किया जा सके।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, स्वंयसेंवी संस्थायें जिला अधिकारी के निर्देषन मे कार्य करेंगे।

- ❖ जिले मे सम्भावित आपदाओं के खतरों का विश्लेषण।
- ❖ जिले मे सम्भावित आपदाओ की घातकता का विश्लेषण।
- ❖ पूर्व तैयारी का मूल्यांकन।
- ❖ जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का मूल्यांकन एवं सुझाव।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्ययोजना (डी0डी0एम0ए0पी0) का प्रयोजन–

- ❖ जिले में सम्बद्ध विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के पास उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में उनके वर्तमान संसाधनों एवं् उनकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाय।
- ❖ आपदा बाहुल की प्रतिक्रिया हेतु उनकी उपयुक्तता एवं कमजोरियॉ, यदि हों तो उनका मूल्याकंन कर लिया जाय।
- ❖ जिला स्तर पर प्रषासकीय प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संस्थाओं के सुद्ढ़ीकरण का सुझाव देना, प्रौद्योगिकी सहायता लेना, सूचना प्रणाली का उच्चीकरण करना एवं सूचनाओं का संकलन करना।
- ❖ इसे एक प्रशासकीय उपकरण के रूप में विकसित करना। उपरोक्त के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा हर जिले के जिला प्रशासन को आपदा प्रबन्धन की वर्तमान क्षमता के सुद्ढ़ीकरण के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्ययोजना (डी0डी0एम0ए0पी0) तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(iii) महत्वपूर्ण कार्यवाहियां

तहसील आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना–

जनपद में आपदा के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के खण्डों एवं जिले की सभी तहसीलों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना तहसील मुख्यालय पर स्थापित की जाती है। सभी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम के लिए स्वंय जिम्मेदार रहते हैं तहसीलदार समस्त तहसील स्तरीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपाताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराते है।

किसी घटना/आपदा एवं क्षति के सम्बन्ध में सूचना का पंजीयन एवं अग्रिम कार्यवाही–

जनपद में मुख्य रूप से मानसून अवधि में यातायात मार्गो के अवरूद्व होने पर लोक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियंता, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, अधिशासी

अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं सम्बन्धित अन्य अवरूद्व मार्गो को तत्काल यातायात हेतु खोले जाने के लिए कार्यवाही अमल में लाते हुये मार्ग अवरूद्व होने तथा खोले जाने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून, सम्बधित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी को वट्सएप/ई–मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/ पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं–

1. किसी भी विभागीय क्षति की सूचना सम्बन्धित विभाग द्वारा 24 घण्टे के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम में लिखित रूप से सूचित किया जाना होगा।
2. तहसील कन्ट्रोल रूम द्वारा उक्त विभागीय क्षति को पंजीकृत करते हुए पंजीकरण संख्या सम्बन्धित विभाग प्राप्त कर लें तथा तत्काल क्षति का सत्यापन राजस्व अधिकारियों द्वारा कराते हुए सत्यापन सम्बन्धी आख्या आंगणन में अंकित करेगें।
3. सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंगणन/प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा क्षतियों के सत्यापन के उपरान्त तहसील कन्ट्रोल रूम में पंजीकरण संख्या का आवरण पृष्ठ पर स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
4. क्षतिग्रस्त कार्ययोजना के फोटोग्राफ्सों का सत्यापन सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा प्रस्तुत किये जाने वाले फोटोग्राफ्स में क्षतियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी आवश्यक है।
5. विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से ही साप्ताहिक रूप से संकलित कर संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

सम्भावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण–

मानसून अवधि में गाड़–गदेरे/नालों के किनारे बसी आबादी को आपदा के दृष्टिगत सचेत करने के उद्देश्य से जो भवन अत्यधिक खतरे की जद में हों उन पर लाल स्याही का चिन्ह लगाये गये है। ऐसे सभी परिवारों की सूची बना उन्हें नोटिस के माध्यम से सूचित

सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा किया गया है। भविष्य में यथा आवश्यक उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 एवं सिंचाई विभाग के अभियंताओं का सहयोग लिया जायेगा।

खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति–

मानसून अवधि के दृष्टिगत जनपद में पूर्व वर्षो में आयी आपदा के अनुभव के आधार पर ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों में अग्रिम तीन माह का खाद्यान्न का भण्डारण जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थलों जहॉ पर सड़क मार्ग/पैदल मार्ग लम्बी अवधि के लिए अवरूद्व होने की स्थिति में पैट्रोल/डीजल, रसोई गैस, मिट्टी तेल, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी आवश्यकतानुसार भण्डारण किया गया है।

आकस्मिक चिकित्सा सेवा–

मानसूनकाल के लिए जनपद में सभी चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक मात्रा में औषधियों की उपलब्धता रहनी नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी निरन्तर समीक्षा करते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आई0टी0बी0पी0, सेना, निजी एवं विभिन्न आश्रमों के संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सकों व अन्य सेवाओं यथा एम्बुलैन्स, दवाईयॉ, स्ट्रैचर आदि की सूची प्राप्त करेंगे तथा आपदा की स्थिति में उक्त सुविधाओं का अधिग्रहण यथा आवश्यक मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

संचार सेवा–

गत वर्षो में आपदा के अनुभवों के आधार पर सर्वाधिक अवरोध संचार व्यवस्था से हुयी है। अतः संचार सेवा को सुचारू रखने हेतु सम्बन्धित सेवा प्रदाता आवश्यक मात्रा में जनरेटर/पैट्रोल, डीजल आदि की व्यवस्था रखी जाय। इसके अतिरिक्त संचार सेवा लम्बी अवधि तक बाधित रहने की स्थिति में टावर टू टावर कनेक्टविटी किये जाने की व्यवस्था दूर संचार विभाग सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही आपदा की स्थिति में टावर आदि हेतु डीजल/पैट्रोल की व्यवस्था सम्बन्धित उपजिलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध करायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर आपदा की स्थिति में सेक्टरवार राहत बचाव कार्य की व्यवस्था–

आपदा की स्थितियों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर राहत व बचाव कार्य हेतु सेक्टरों का निर्माण किया गया है प्रत्येक सेक्टर में सम्बन्धित राजस्व अधिकारी, क्षेत्रीय रेंज अधिकारी, राजस्व निरीक्षक/उप निरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकत्री, ग्राम प्रहरी, वन पंचायत सरपंच एवं ग्राम स्तरीय स्वंयसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तत्काल राहत कार्य करना प्रारम्भ करेंगे। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर घटित आपदाओं/घटनाओं/ दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं से भी तहसील कन्ट्रोल रूम के साथ अपने जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के द्वारा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अवगत करायेंगे। ऐसा न किये जाने की स्थिति में समस्त सम्बन्धितों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी

यात्रा अवधि में मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति यात्रियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था–

आपदा की स्थिति में अत्यधिक समय तक मार्ग अवरूद्व होने पर यात्रियों हेतु रियायती दरों पर भोजन की व्यवस्था के लिए पूर्ति विभाग सरकारी दरों पर क्षेत्रीय ढाबा/होटल व्यवसायियों को खाद्यान्न उपलब्ध करायेगा तथा राजस्व व पुलिस विभाग उक्त हेतु मूल्य निर्धारित कर मूल्य वृद्वि जैसी शिकायतों पर नियंत्रण करेगा। पूर्ति विभाग उक्त हेतु ढाबा/होटलों का चिन्हांकन कर अधिकारी नामित करते हुये सूची सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करगें। मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र के कम से कम सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी निश्चित रूप से आधे घण्टे के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में उपस्थित रहेगा, साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक निश्चित रूप से मौके पर उपस्थित होकर यात्रियों के रहने (यथा आवश्यक स्थानीय विद्यालयों में) व रियायती दरों पर भोजन आदि की व्यवस्था उपरोक्तानुसार सुनिश्चित करेंगे।

आपातकालीन स्थितियों में आवश्यक सामग्रियों का क्रय–

आपदा की स्थिति में अत्याधिक आवश्यक वस्तुओं जैसे–मोमबत्ती, माचिस, दूध, बिस्कुट, पानी, टार्च, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जरूरत की सामग्री के क्रय हेतु तहसील स्तर पर निविदायें/कोटेशन आमंत्रित कर उक्त वस्तुओं की दरें

निर्धारित कर ली गयी है। जिससे आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार उक्त सामग्रियों का क्रय किया जा सके।

आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत किये जाने वाले उपाय–

आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत सभी सड़क से सम्बन्धित विभाग निश्चित रूप से मानसून पूर्व सड़क में पानी की निकासी के लिए नालियों की सफाई सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायते मानसून पूर्व अपनी नालियों की सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में जहॉ आबादी के ऊपर वर्षा का पानी एकत्रित होकर नाली के रूप में आबादी क्षेत्र में नुकसान कर सकता है, ऐसे क्षेत्रों में मनरेगा के तहत विभिन्न स्थानों पर पनकटे बनाकर आबादी को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

समय–समय पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय–

- ❖ विगत दिनों में आयी आंधी–तूफान से विभिन्न प्रकार की क्षतियों के दृष्टिगत आवासीय भवनों व पशुशालाओं के निकट पेड़ों को सम्भावित खतरे के दृष्टिगत वन विभाग व राजस्व विभाग यथा आवश्यक पातन की अनुमति यथाशीघ्र प्रदान करेंगे।
- ❖ इन्सीडेन्ट रिसपोन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) के तहत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए लॉजस्टिक अनुभाग का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। परन्तु महामारी व अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी आपदाओं की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी व अग्निकाण्ड सम्बन्धी आपदाओं के लिए अग्निशमन अधिकारी को लॉजस्टिक अनुभाग का दायित्व होगा।
- ❖ आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार वाहनों का अधिग्रहण प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय के पर्यवेक्षण में व सहायक सम्भागीय परिवहन के दिशा निर्देशन किया जायेगा।
- ❖ आपदा की स्थिति में स्टेजिंग एरिया के रूप में पुलिस लाईन को प्रयोग में किया जायेगा तथा तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय परिसर को स्टेजिंग एरिया के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
- ❖ जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे आपदा प्रबन्धन के तहत दिशा निर्देशों व निर्णयों से अपने समस्त अधिनस्थ कर्मचारियों को अवगत करायेंगे साथ ही इनका अनुपालन भी सुनिश्चित करायेंगे।

- आपदा की स्थिति में विभिन्न खाद्य सामग्री व आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने स्तर से स्थानीय अधिकारियों / कर्मियों को तैनात करेंगे, जिसमें पुलिस का सहयोग लिया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार होटलों के किराये नियंत्रण हेतु पर्यटन अधिकारी तथा वाहनों के किराये में नियंत्रण हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का सहयोग अपेक्षित होगा। समस्त सम्बन्धित इस सम्बन्ध में आवश्यक खाद्य सामग्री, होटलों का किराया, वाहनों का किराया पूर्व निर्धारित कर उचित स्थानों पर चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे। आपदा की स्थिति में इसके उपरान्त किसी प्रकार की शिकायत पर सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धितों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी दशा में अपने मोबाइल फोन बन्द नहीं रखेंगे एवं अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट / अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय / स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में संभावित आपदा के दौरान बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा करते हुये आपदा हेतु प्रतिवादन कार्यों को कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वंयसेवी संगठनों के द्वारा प्रभावितों में राहत सामग्री वितरण कार्य किये जाने के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / तहसीलदार से अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।
- जनपद स्तर पर सभी स्वयंसेवी संस्थायें तथा बाहर से आने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए जनपद स्तर पर स्वंयसेवी संस्थाओं का एक ग्रुप बनाया गया है। उक्त संस्थाओं के समूह के प्रतिनिधियों को आपदा सम्बन्धी बैठकों व योजनाओं में समाहित किया जायेगा। उक्त समूह द्वारा किसी भी स्वयंसेवी संस्था के लिए विभिन्न राहत कार्यो हेतु अधिगृहित किया जायेगा।
- आपदा के दौरान अधिकांश रूप से पुलों के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बाधित होते हैं। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 / सीमा सड़क संगठन / राष्ट्रीय राजमार्ग / जिला पंचायत आदि सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने संस्था के पुलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
- जनपद में मुख्यालय स्तर पर एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 का दल राहत–बचाव कार्य हेतु तैनात है, जो आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक अथवा अपर

जिलाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कार्य करेंगे। साथ ही विभिन्न विद्यालयों एवं सामुदायिक क्षेत्रों में जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करेंगे।

- ❖ विभिन्न आपदाओं की स्थिति में किये जाने वाले राहत–बचाव कार्यो व अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए प्रेस ब्रिफिंग हेतु स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों एवं जिला स्तर पर मुख्य अधिशासी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/अपर जिलाधिकारी को नामित किया जाता है।
- ❖ समस्त विभागीय नोडल अधिकारी अथवा क्षेत्रीय अधिकारी अपने विभागीय आपदा से सम्बन्धित सूचना व इसके साथ–साथ क्षेत्र में घटित अन्य सूचनाओं व राहत कार्यो से सम्बन्धित अन्य सूचनायें जनपद स्तर पर बनाये गये वट्सएप ग्रुप पर तत्काल सूचित करेंगे।
- ❖ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में क्रियाशील क्षेत्रीय कर्मचारियों व स्थानीय नागरिकों को सूचना प्रेषण के लिए बल्क एस0एम0एस0 व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है।
- ❖ आपदा जैसी स्थिति में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों से आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु उन्हें मानदेय के रूप में युवा कल्याण विभाग के स्वयंसेवकों को देय मानको के अनुसार मानदेय दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा

2. प्रसार तंत्र

अनुप्रयोग और विषेषताऐं

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (N.D.M.A),राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (U.S.D.M.A)एवं भारतीय मौसम विभाग देहरादून (I.M.D.) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सामान्य व्यक्तियों हेतु मोबाईल ऐप के माध्यम से मौसम सम्बिन्धित सूचनाओं का प्रेक्षण किया जा रहा है जिसे किसी भी एन्डरायड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

i. मौसम एप

ii. मेघदूत

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) इंडियन इंस्टीटयूट आफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान (IITM) और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिर्सच(ICR) की सयुक्त पहल का उद्वेष्य मोबाईल एप्लिकेषन का उपयोग करने के लिये एक सरल और आसान के माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुचाना है। IITM , पुणें और IMD, दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी–ऐरीड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाईल एप्लिकेषन विकसित किया गया था यह ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों की उगलियों के पुर्नानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एग्रो मेट फील्ड यूनिट्स (एएम एफ यू) द्वारा जारी जिला और फसलवार सलाह को समेकित करता है। जहॉ भी उपलब्ध है, वहा सलाह भी जारी की जाती है।

iii. दामिनी

आकाषीय बिजली एक ऐसी घटना है जिसने इंसानों के दिलो दिमाग को लुभाने के साथ साथ भयभीत भी किया है। बिजली आसमान से हर सेकेंड में 50 से 100 बार धरती पर गिरती है। पूरी दुनिया में हर साल 20,000 से अधिक लोग आकाषीय बिजली की चपेट में आते हैं और बिजली गिरने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। किसी भी इलाके में बिजली गिरने से होने वाली मोतों में उस इलाके के जनसंख्या घनत्व साक्षरता दर और शहरीकरण के साथ–साथ तड़ित धनत्व तथा पर्वत विज्ञान की अहम भूमिका होती हैं। भारत में हर साल बिजली गिरने से 2000 से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र के मराठबाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में भारत में बिजली गिरने से सार्वाधिक मौतें होती हैं। विद्युत आपूर्ति में बाधा तथा जंगल में आग की घटनाओं के प्रमुख कारणों में आकाषीय बिजली भी शामिल है। इससे संचार एवं कंप्यूटर उपकरणों के साथ–साथ विमान भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

भारत के ज्यादातर हिस्सों में साल भर किसी न किसी समय तड़ित वृष्टि, आंधी, तुफान और बिजली के साथ तेज बारिष होती है। भारतीय इलाकों में अतिवृष्टि, के जलवायु विज्ञान कर पता चलता है कि मानसून से पहले के महीनों में दक्षिण भारत में आंधी तुफान और बिजली के साथ तेज बारिष की घटनाएँ सबसे अधिक होती हैं जबकि उत्तर भारत की ओर ऐसी घटनाएँ काफी कम होती हैं। दूसरी ओर मानसून के दौरान उत्तर भारत में आंधी तुफान और बिजली के साथ तेज बारिष की घटनाएँ अधिकतम होती है और इस मौसम में दक्षिण में में ऐसी घटनाएँ काफी कम होती हैं। 30 वर्षो में 1950, 180 के डेटा की मदद से त्यागी, 2007 द्वारा भारतीय इलाकों में तड़ित वृष्टि के जलवायु विज्ञान पर किए गए अध्ययन से पता चलता है।

iv. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा **प्रतिदिन प्रातः 10 बजे, 02 बजे व सायं 6:30 बजे मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान** साप्ताहिक जिलेवार प्रसारित किया जाता रहा है तथा समय–समय पर जिलेवार तात्कालिक पूर्वानुमान प्रति 03 घण्टे के अन्तराल में प्रसारित किया जाता है।

v. सचेत ऐप

vi. भू–देव ऐप

Bhu-DEV
आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
उत्तराखंड के बड़े भूकम्पों की चेतावनी अपने मोबाइल पर प्राप्त करें
एंड्रॉयड फ़ोन के लिए
BhuDEV
You Are Safe
What to Do During An Earthquake?
Take a Demo
आईफ़ोन के लिए
आज ही अपने फोन में ऐप स्टोर या प्ले स्टोर
से 'भूदेव' मोबाइल ऐप खोजें या ऊपर दिए गए
QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड करें।
भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें
https://bhudev.uk/
आपके सुझाव या शिकायत के लिए संपर्क करें
Prof. Kamal, IIT Roorkee +91-9548459142

अध्याय : 6 क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण

i. क्षमता निर्माण

आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का मतलब है, किसी संगठन, समुदाय, या समूह की क्षमताओं और कौशल को मजबूत करना. इसका मकसद, आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों को बेहतर बनाना होता है. क्षमता निर्माण, विकास की एक सतत प्रक्रिया है. क्षमता निर्माण के लिए, समुदाय की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है।

आपदायें प्राकृतिक या मानवीय खतरों के कारण होती हैं चूकि हम कई प्राकृतिक खतरों को आने से नही रोक सकते हैं लेकिन जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिये उचित प्रबन्धन द्वारा उनके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है जनपद मे निवारण एवं न्यनीकरण हेतु तैयारी की गयी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन प्रत्युत्तर और वांछित उददेश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग, समुदाय एवं अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेयी कार्य को बेहतर करने के लिये पर्याप्त क्षमता निर्माण करना।

मुख्य कार्य

- स्वयंसेवको, पुलिस विभाग, होम गार्डस, युवक एवं महिला मंगल दलों एवं मुख्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण करना एवं समय–समय पर प्रशिक्षण देना।
- चिन्हित प्रशिक्षण जरूरतों के लिए योजना बनाना, संसाधन जुटाना एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करना।
- आपदा या किसी सन्निकट आपदा की परिस्थिति पर किसी भी विभाग की प्रत्युत्तर क्षमता की समीक्षा करना और उसके उन्नयन के लिए यथा आवश्यक निर्देश देना।
- मौसम के अनुकूल एवं हितधारकों की जरूरत के मुताविक पूर्वाभ्यास (मॉकड्रिल) प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण कार्य के लिए कैलेण्डर विकसित करना ।
- जिले के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं स्वंयसेवी बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं समन्वयन करना ।

- स्थानीय निकायों और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम और उसके प्रभाव के शमन के लिए समुदाय में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा बढ़ाना।
- आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से समुदाय के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलाना, संभावित आपदाओं की जानकारी देना ताकि आपदा की स्थिति में उनके द्वारा आपदा की क्षति तथा लोगों के कष्ट कम करने की कार्रवाई करने में समुदाय सक्षम हो सके।
- सुनिश्चित करना कि संचार प्रणाली दुरस्त रहे और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय–समय पर किया जाता रहे।
- पड़ोसी जिले के अधिकारियों एवं यथोचित राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाना और नेटवर्क कायम करना ।
- पिछली आपदाओं में किये गये राहत एवं बचाव कार्यों का विश्लेषण कर पता लगाना कि क्या सही हुआ और कौन सा काम और अधिक बेहतर ढ़ंग से किया जा सकता था। इन सभी का वार्षिक रूप से हर आपदा के बाद दस्तावेजीकरण करना तथा इन चीजों को जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अद्यतन (Update) करने वक्त उपयोग में लाना।

ii. प्रशिक्षण

उत्तराखण्ड राज्य के हिमालय क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो यहाॅ भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, त्वरित बाढ़ आदि आपदाओं की बारम्बारता व्यापक है। यहाॅ की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में विपदाओं का स्वरुप अधिक विनाशकारी हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जनसामान्य के पास इन आकस्मिक विपदाओं से बचाव हेतु जानकारियाॅ हों।

आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तम एवं प्रभावी तंत्र आपदा राहत बचाव दलों का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में जैसे आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवष्यकीय है इसके लिए आपदा प्रबन्धन विषय में जनसमुदाय को जागरुक करना एवं आपदा राहत प्रबन्धन कार्य में समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य

आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अपना एक महत्व है। आपदा राहत प्रबन्धन कार्य आपदा क्षति न्यून करने का अति महत्वपूर्ण अंग है। उसके लिए आपदा राहत खोज एवं बचाव कार्य जनसमुदाय का जागरूक और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी का होना अति आवष्यक है जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन के कार्य में तुरन्त व महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य के छितरे हुए एवं दूरस्थ गाँवों में आवागमन दुर्गमता व संचार साधनों की कमी तथा आपदा के दौरान सीमित यातायात व संचार व्यवस्था के टूटने व खराब होने के कारण कई घन्टों या दिनों बाद उपलब्ध सहायता अपनी उपयोगिता खो देती है। जिसके लिए छात्र छात्राओं को आपदा प्रबन्धन की जानकारी होनी नितांत आवश्यक है क्योंकि इन सभी को अपने संसाधन एवं क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान होता है जिसका तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर ये समय पर जन हानि को कम कर सकते हैं।

जिला .देहरादून के छात्र.छात्राओं एवं अध्यापकों को निम्न विषयों पर जानकारी दी गयी ओवरव्यू आफ एनडीआरएफए रोल और रिस्पांसिबिलिटी आफ एन डी आर एफए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा सड़क सुरक्षाए ह्रदय घात होने पर उपाय (CPR), गला चौक होने पर उपाय (FBAO), ब्लीडिंग कंट्रोल/ इमरजेंसी /नॉन इमरजेंसी मूव, इंप्रोवाइज तरीके से स्ट्रैचर तैयार करना एफायर एमरजैंसीए बाढ़ए भूकंप के दौरान क्या करें क्या ना करें और इंप्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस तथा रोप रेस्क्यू के बारे में प्रदर्शन किया गया। जिसमें स्कूल के छात्र. छात्राओं ने बढ़.चढ़कर हिस्सा लिया और भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की इमरजेंसी से निपटने के लिए सीखने का प्रयास किया।

जनपद अन्तर्गत प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन किया जाता है एवं जनपद में निम्न तहसीलों विकासखण्डों एवं विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

शहीद दुर्गा माल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर के 65 बालक बालिकाओं एवं 05 टीचिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार समुदाय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड रायपुर के ग्राम अखंडवाली भिलंग में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीणों को आपदाओं से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार समुदाय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड रायपुर के ग्राम अस्थल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीणों को आपदाओं से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

<u>युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, देहरादून में पी.आर.डी कार्मिक, आपदाओं से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।</u>

खोज बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण

क्र0 सं0	प्रशिक्षण	वर्ष	कुल प्रतिभागी
1	आपदा मित्र	2023-24	289
2	विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण	2024-25	1697
3	तहसील/ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण	2024-25	786
4	विभागीय स्तरीय प्रशिक्षण	2024-25	1242

iii. स्कूल सुरक्षा नीति हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देश देश में सभी स्कूलों पर लागू होते है चाहे वे सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त हों या निजी स्कूल हों, चाहे वे ग्रामीण इलाकों में हों या शहरी इलाकों में हों, यह दिशा निर्देश सब पर लागू होते हैं। ये भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में संलिप्त सभी हितधारकों पर लागू होते हैं। दिशानिर्देश भारत में उस दूरदृष्टि का समर्थन करते हैं। जिसमें सभी बच्चे तथा उनके अध्यापक, और स्कूल समुदाय में शामिल अन्य हितधारक उन प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले जोखिमों जिन्हें रोका जा सके, से सुरक्षित रहें जो शिक्षा प्रदान किए जाने के दौरान उनके अस्तित्व पर खतरा बन रहे हैं। ये दिशानिर्देश सक्रिय

रूप से इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किसी आपदा के घटने के तुरंत बाद भी शिक्षण गतिविधियां चलती रहें के भीतर शारीरिक स्कूलों में वापस शुरू की जाएं ताकि बच्चे/मानसिक तथा भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहें शिक्षा का अधिकारी भारत के संविधान में दिया गया एक मूलभूत अधिकारी हैं। शिक्षा के अधिकार के संबंध में देश में सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हुए सुरक्षित रहें।

(i) बच्चों की बेहतरी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में आपदाएँ

'आपदाओं' को एक समुदाय या एक समाज की कार्यप्रणाली में गंभीर अबरोध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण व्यापक मानवीय, माली, आर्थिक या पर्यावरण की हानियॉ होती हैं। जो प्रभावित समुदाय या समाज द्वारा अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा आपदा से लड़ने की क्षमता से बाहर होती है। कई कारकों की वजह से जिनमें उम्र, शारीरिक क्षमता, लिंग, स्वास्थ्य स्थितियॉ तथा देखभाल करने वालों पर निर्भरता शामिल है, कई बच्चे किसी आपदा की स्थिति में अत्यधिक संवेदनशील/असुरक्षित होते हैं। ऐसी घटनाओं से बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि तथा विकास के साथ–साथ होती हेतु एक गंभीर बाधा उत्पत्वक्ति साथ उनके समग्रव्य हैं। डर, हिंसा, माता पिता तथा देखभाल करने–वालों से अलगाव कुछ मुख्य खतरे हैं जिनका सामना बच्चे करते हैं। इसके अलावा, उनके परिवारों की आजीविका को नुकसान होने से वे बेघर हो जाते हैं और अत्यधिक गरीबी में में जीते हैं। अन्य आधार ढ़ाचे के समान ही, स्कूल भी आपदा के खतरे से ग्रस्त हैं। आपदाओं ने न केवल सरकार तथा अन्य हितधारकों को शिक्षा प्रदान करने के काम में चुनौती दी हैं। बल्कि बच्चों की जिन्दगियों को तथा शिक्षा के काम में लगे अन्य लोगों की जिन्दगियों को भी खतरे में डाला हैं।

यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि स्कूल परिसरों और हितधारकों की मौजूदा क्षमताओं की गुणवत्ता का एक बच्चे की असुरक्षितता संवदेनशीलताओं पर असर पड़ता है। अनुबंध एक विश्व तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी आपदाओं में खोई हुई जिंदगियों की संख्या और स्कूल के परिसरों को होने वाले नुकसान की सीमा का ब्यौरा उपलब्ध कराता हैं।

इस तथ्य को देखते हुए की बच्चों द्वारा अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताए जाने की उम्मीद होती है, सुरक्षित स्कूलों का बच्चों की सुरक्षा तथा उनके व्यक्तित्व के निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्व होता है। स्कूल बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थल बन सकते हैं जो उनकों धीरे–धीरे सामान्य होने में मदद करते हैं। सुरक्षित स्कूल के परिसरों के अन्दर, बच्चों के लिए, खासतौर पर किशोरियों तथा लड़कों के लिए सुरक्षित पानी तथा सफाई सुविधाओं के साथ अनिवार्य पूरक पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रकार विश्व स्तर पर यह सहमति है कि किसी आपदा के घटने के बाद स्कूलों को जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए।

(ii) स्कूल सुरक्षा को समझना

'स्कूल सुरक्षा' को बच्चों के लिए अपने घरों से स्कूलों तथा घर वापसी तक बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भौगोलिक जलवायु मूल के बड़े पैमाने के प्राकृतिक खतरे मानव जनित खतरे, देशव्यापी बीमारी, हिंसा के साथ–साथ आने वाली तथा छोटे पैमाने की आगजनी, परिवहन तथा अन्य संबंधित आपात स्थितियॉ और पर्यावरिणक खतरे शामिल हैं, जो बच्चों के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। यह अवधारणा पिछले कुछ दशकों में उभर कर आई है क्योंकि बच्चों के शारीरिक अस्तित्व पर खतरा को संसार तथा देश, देनों स्तर पर अधिक नजर आ रहा हैं।

(iii) राष्ट्रीय नीति प्रपत्र

भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिलना देश में हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है।

(iv) राष्ट्रीय बाल नीति–

राष्ट्रीय बाल नीति देश में सभी बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह मान्यता देती है कि 18 साल की आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चे के समान है तथा उसका बचपन उसकी जिंदगी का एक अखण्ड हिस्सा है और हमारे बच्चों के संगत विकास तथा संरक्षण के लिए दीर्घावधिक, वहु–क्षेत्रीय, ठोस, एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण जरूरी है। इस नीति में बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, विकास, संरक्षण (आपात स्थितियों/आपदाओं से संरक्षण शमिल हैं)तथा हर बच्चे के निर्विवाद

अधिकारों के रूप में भागीदारी की पहचान की है और इनको प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में घोषित किया हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005)

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आपदा प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा सांस्थानिक, कानूनी, वित्तीय तथा समन्वय प्रक्रमों को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के माध्यम से, यह अधिनियम अध्यापक तथा छात्रों समेत हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर विचार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009ः राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन 2009, में स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानों में संरचनात्मक और असंरचनात्मक सुरक्षा की जरूरत पर प्रकाश डालती है।

अध्याय : 7 आपदा प्रतिवादन कार्यविधि

1. आपदा प्रतिवादन हेतु विभागों में कार्य विभाजन

किसी भी आपदा के दौरान प्रभावशाली खोज बचाव एवं राहत तथा पुर्ननिर्माण कार्य की सफलता का सबसे बड़ा मापदण्ड है कि सम्बन्धित विभागों को आपदा प्रतिवादन हेतु अपने कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में पता हो तथा किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा अपने–अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए जिससे कि आपदा प्रतिवादन कार्य तेजी से हो तथा आपदा का प्रभाव कम हो सके। आपदा प्रतिवादन हेतु जनपद देहरादून में विभागों के बीच कार्य विभाजन निम्न प्रकार होगा :

क्र.सं.	मुख्य कार्य	अन्य कार्य	विभाग / अधिकारी
1	**यातायात व्यवस्था**	सड़क मार्ग बाधित होने एवं खुलने की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देना	जनपद में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए0डी0बी0 के समस्त खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई के समस्त खण्ड
		मार्ग बाधित एवं खुलने की सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, सचिवालय देहरादून / आयुक्त महोदय / जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करना साथ ही डी0डी0एम0ए0 व्हाटसऐप ग्रुप प्रेषित करना।	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून।
		मार्ग बाधित होने या कोई चेतावनी प्राप्त होने पर वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोक देने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।	पुलिस / राजस्व विभाग / सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार
		बाधित मार्गो को खोलने की कार्यवाही करना	जनपद में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए0डी0बी0 के समस्त खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई के समस्त खण्ड
		अस्थायी पुलों / ट्रालियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगाने की व्यवस्था करवाना	लोक निर्माण विभाग

2	**आपदा के बाद**	आपदा की सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं अन्य सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून।
		त्वरित प्रतिवादन दलों को भेजना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र के उप जिलाधिकारी
		खोज एवं बचाव के कार्य	पुलिस/राजस्व पुलिस/जिला प्रशासन /आपदा प्रबन्धन विभाग के दल/ एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0
		बाहरी मदद प्राप्त करने हेतु आपदा का आंकलन करना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /सम्बन्धित उपजिलाधिकारी जिला प्रशासन
		बाहरी मदद की मांग करना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ जिला प्रशासन
		आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं	चिकित्सा विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग
		घायलों को प्राथमिक सहायता के पश्चात् अस्पताल पहुंचाना	चिकित्सा विभाग/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन व्यवस्था	चिकित्सा विभाग/परिवहन विभाग
		पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करवाना	पूर्ति विभाग/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		मृत लोगों के सम्बन्ध के Medico Legal औपचारिकताएं	पुलिस/राजस्व पुलिस/ चिकित्सा विभाग
		मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	चिकित्सा/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		घायलों को एवं मृतकों के आश्रितों को राहत सामग्री/राहत राशि का वितरण करना	जिला प्रशासन/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		लापता लोगों की सूचना संग्रहित करना	पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		लापता लोगों की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देना	पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		सूचना संग्रहित कर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3	**राहत शिविर**	आपदा प्रभावित जनसंख्या का चिन्हीकरण करना	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र/जिला प्रशासन
		राहत शिविर स्थापित करने के लिए आवश्यकताओं का आंकलन करना	

		राहत शिविर स्थापित करने हेतु जगह का चयन करना	
		राहत शिविरों में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना	
		भोजन की व्यवस्था करना	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ जिला पूर्ति अधिकारी
		पेयजल व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना	जल संस्थान
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्था	चिकित्सा विभाग
		सुरक्षा	पुलिस
4	**निकासी**	आवश्यकताओं का आंकलन	जिला प्रशासन
		वाहन व्यवस्था	परिवहन
		ईधन आदि की व्यवस्था	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
		मार्ग में सुरक्षा	पुलिस
		वैकल्पिक मार्गो का चिन्हीकरण करना	लो0नि0वि0/ परिवहन
		हवाई मार्ग से निकासी हेतु आवश्यकता का आंकलन	जिला प्रशासन
		भारतीय वायुसेना से हवाई निकासी हेतु अनुरोध	जिला प्रशासन
		हैलीपैड़ो से सम्बन्धित व्यवस्था/ पायलट एवं ग्राउण्ड स्टाफ के लिए व्यवस्था	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		Air Operation के लिए Liasion officer नामित करना	जिला अधिकारी
5	**अन्य व्यवस्थायें**	पशुधन के लिए आवश्यकता का आंकलन करना	पशुपालन विभाग
		पशुओं के लिए चारा आदि की व्यवस्था करना	पशुपालन विभाग
		पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी
		जीवनरक्षक सुविधाओं हेतु वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना	विद्युत विभाग
		विद्युत आपूर्ति को बहाल करना	विद्युत विभाग
		सोलर लालटेनों/लाईट की व्यवस्था करना	उरेड़ा
		पेयजल हेतु अस्थायी संयोजनों की व्यवस्था करना	जल संस्थान/पेयजल निगम
		पेयजल आपूर्ति बहाल करना	जल संस्थान/पेयजल निगम
		प्रेस ब्रिफिंग	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर/ इन्फारमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर

		मीडिया कार्मिकों हेतु व्यवस्था करना	जिला सूचना अधिकारी
		मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों से समन्वय स्थापित करना	जिला प्रशासन सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		मोबाईल टावरों के लिए वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना	विद्युत विभाग
		वायरलैस सैटों के द्वारा संचार व्यवस्था दुरस्त रखना	पुलिस
		सैटेलाईन फोन सही स्थिति में रखना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
		विडियोकान्फ्रेन्सिंग	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
		क्षति का आंकलन करना	जिला प्रशासन/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		क्षतिग्रस्त भवनों के लिए एवं अहैतुक सहायता उपलब्ध कराना	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी

I. जिला प्रतिवादन योजना

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की योजना दो मुख्य भागों में विभक्त है, (1) सभी आपदाओं में सामान्य कार्य (2) आपात स्थिति में विशिष्ट कार्य। सभी आपदाओं में किये जाने वाले सामान्य कार्य विविध चरणों में विभक्त किये गये हैं–

(i). किसी भी आपदा में किये जाने वाले सामान्य कार्य

1. पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य
2. प्रत्युत्तर सक्रियरण के कार्य
3. राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य
    - खोज एवं बचाव
    - प्रारम्भिक आंकलन
    - राहत वितरण
    - अनुश्रवण
4. प्रत्युत्तर का निष्क्रियकरण
5. पुर्ननिर्माण कार्य।

ii. पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य

उद्देश्य

स्थिति का अनुश्रवण और पूर्व चेतावनी का प्रसारण ।

मुख्य कार्य

- ❖ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डीईओसी) से न्यूनतम दो बार प्रतिदिन आपदा के परिमाण, स्थान, गंभीरता आदि की जानकारी लेना। जानकारी लेने की आवृति आपदा की गंभीरता के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।
- ❖ पड़ोसी जिलों से भी जानकारियां प्राप्त करना एवं इन जानकारियों का सत्यापन करना (विशेष कर नदियों में बढ़ते जल स्तर की जानकारी हेतु)
- ❖ आपातकालीन सेवा कार्य में लगे विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों, जिला आपदा प्रबंन्धन प्राधिकरण, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डीईओसी) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाना और आपदा संबंधी अद्यतन आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करना।
- ❖ संबंधित कार्यरत अधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश देना।
- ❖ त्वरित प्रतिवादन दल और तहसील/विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संभावित आपदा क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।
- ❖ खतरो की गंभीरता के अनुरूप विभिन्न एहतियाती जानकारी/उपाय का प्रसार विभिन्न स्तरों पर करना।
- ❖ खतरे की समीक्षा करना और आपातकालीन परिचालन केन्द्र, त्वरित प्रतिवादन दल आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय करना।
- ❖ भूकम्प जैसी आपदाओं में जहां पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नही होती है, वहॅा तुरन्त सक्रियकरण के कार्य प्रारम्भ करना।

iii. आपदा प्रतिवादन कार्य का सक्रियकरण

उददेश्य

एकीकृत आपातकालीन प्रतिवादन प्रणाली को सक्रिय करना।

मुख्य कार्य

- ❖ आपदा की जानकारी की सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, त्वरित प्रतिवादन दल, आपातकालीन सेवा कार्य एवं सम्बन्धित विभागों को सक्रिय करना।
- ❖ आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सूचना देने के लिए सभी संबंधित अधिकारी/सभी तरह की टीमों एवं समन्वयक अधिकारियों को निर्देश देना।
- ❖ त्वरित प्रतिवादन दल या घटनास्थल पर पहुँचे सम्बन्धित तहसील/विकासखण्ड के अधिकारियों से घटना की प्रारंभिक जानकारी लेना।
- ❖ सूचनाओं को जिला अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आयुक्त कुमाऊ मण्डल, तक पहुंचाना ताकि वे अपने विशिष्ट कार्य प्रारम्भ कर सकें।
- ❖ जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी एवं समन्वयक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं का विश्लेषण कर आपदा की गंभीरता का आंकलन करना कि यह ग्राम/विकासखण्ड/तहसील या जिला स्तर की है।
- ❖ आपदा की गंभीरता के अनुरूप आपातकालीन परिचालन प्रत्युत्तर कार्य का सक्रियकरण।
  1. तहसील स्तर की आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन दल, राजस्व विभाग, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी आपदा प्रतिवादन के लिए प्रभार लेंगे और समन्वयन का कार्य करेंगे।
  2. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धक (जिला अधिकारी)/प्रभारी अधिकारी दै0आ0/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहेगें।
  3. जिला स्तर की आपदा स्थिति में अपर जिला अधिकारी/प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा द्वारा अपने दिशा निर्देशन में आपदा प्रतिवादन के कार्यों का समन्वयन किया जायेगा। इन्ही के दिशा निर्देशन में त्वरित प्रतिवादन दल, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0,सेना, अर्द्ध सैनिक बलों के द्वारा आपदा प्रतिवादन का कार्य किया जायेगा।

- सभी तरह से संकलित सूचनाओं को संबंधित सभी उच्चाधिकारियों तक पहुँचाना।
- जनपद के प्रशासनिक क्षेत्रों के किसी भी विभाग/संस्थान को आपदा प्रतिवादन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश देना। जिले में अवस्थित जिला स्तर के सरकारी विभाग, संवैधानिक निकाय एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी सगठन आदि के साथ प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर कार्य के लिए सहायता, सलाह और समन्वयन करना।

- जनपद स्तर पर कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था/समाज कल्याण कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को आपदा प्रतिवादन कार्य में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

iv. राहत एवं प्रतिवादन के कार्य

राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य निम्नलिखित भागों में विभक्त है–

- ❖ खोज एवं बचाव
- ❖ प्रारंभिक आकलन
- ❖ राहत वितरण
- ❖ अनुश्रवण

v. खोज एवं बचाव

उददेश्य

आपदा की स्थिति में तत्काल प्रभावी खोज, बचाव एवं राहत कार्य द्वारा जीवन बचाना।

मुख्य कार्य

- ❖ खोज एवं बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में अविलम्ब कार्य में लगा देना।
- ❖ बूढ़े, विकलांग, महिलायें गर्भवर्ती महिलायें, गंभीर बीमारी वाले कमजोर व नाजुक वर्ग पर खोज एवं बचाव दल द्वारा ध्यान केन्द्रित करना।
- ❖ निष्क्रमण के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेना तथा उपलब्ध संसाधनों से तत्काल कार्य शुरू कर देना।
- ❖ आवश्यकता अनुसार सशस्त्र सेना एवं या तकनीकी संस्थानों से खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण कार्य संचालन के लिए मदद मॉगना।

vi. प्रारंभिक आंकलन

उद्देश्य

प्रभावित लोगों के लिए तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक आवश्यकताओं का आंकलन करना। प्रभावित लोगों के घर, समुदाय की बुनियादी संरचनाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युत, पैदल रास्तों आदि में हुई क्षति के पुर्ननिर्माण की लागत का आंकलन करना।

मुख्य कार्य

- क्षति एवं आवश्यकताओं पर प्राप्त सूचनाओं का मिलान एवं विश्लेषण करना।
- प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान एवं आवश्यकताओं के बहुविषयक आंकलन के लिए आवश्यकता अनुरूप योजना बनाना।
- आंकलन से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण एवं आपदा प्रत्युत्तर कार्य की प्राथमिकता तय करना।
- आंकलन के लिए एक मानक प्रपत्र एवं जाँच सूची का होना जिससे समाज के कमजोर वर्ग यथा बुजुर्ग, विकलांग, महिलायें, गर्भवती महिलायें, अल्पसंख्यक समूह के लोग, गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों की सबसे आवश्यक जरूरतों पर जानकारी प्राप्त हो सके।

vii. राहत वितरण

उद्देश्य

विविध आवश्यक सेवा कार्य वाले विभागों द्वारा समन्वयन कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य में कमियों/रिक्तियों एवं दोहरीकरण को कम करना। विभागों के अतिरिक्त अन्य हितधारकों द्वारा किये जा रहे आपदा प्रत्युत्तर कार्य को एकीकृत करना जिससे यह प्रभावी एवं सक्षम हो सके।

मुख्य कार्य

- ❖ तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक जरूरतों की जानकारी के लिए प्राप्त आंकलनों का विश्लेषण करना।
- ❖ किये जा रहे सभी प्रयासों को ऐसे नियोजित करना कि गरीब/अ0जाति/अ0ज0जाति/अल्पसंख्यक समूह आदि राहत के प्रयासों से छूट न जाय।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के उपायों के लिए समयबद्ध व्यापक योजना तैयार करना।
- ❖ वांछित आपदा प्रतिवादन योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानवीय/वित्तीय संसाधनों की योजना बनाना।

- आपदा प्रत्युत्तर कार्य में अन्य स्यवंसेवी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मिलित/साझा करना। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र इन्हें सुझाव दे कि वे कहाँ और क्या राहत कार्य करें।
- न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन पर विभागों द्वारा ध्यान केन्द्रित करना जिससे पीड़ितों की न्यूनतम आवश्यक जरूरतें पूरी हों।
- प्रभावित क्षेत्रों की बदलती परिस्थिति के अनुरूप आपदा प्रतिवादन कार्य में आवश्यक परिवर्तन लाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के विवरणों का तहसील स्तरीय अधिकारीगण तथा विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा विश्लेषण कर क्षतिपूर्ति /पुनर्निमाण का आंकलन करना।
- उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आपदा की स्थिति/प्रत्युत्तर कार्य प्रगति आदि का अद्यतन विवरण देना।
- तात्कालिक प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिले से बाहर की सहायता लेने के लिए निर्णय लेना। आवश्यकता अनुरूप राज्यीय/राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए समन्वय बनाना।
- जिले की बाहर की एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायताओं के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करना। बाहर से आने वाली सहायताओ को प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार वितरित करना।

viii. अनुश्रवण

उद्देश्य

सुनिश्चित करना कि राहत कार्य ठीक एवं सही दिशा में चल रहा है और समाज के संवेदनशील एवं दुर्बलतम समूहों पर राहत कार्य में लगे संस्थानों का ध्यान है ।

मुख्य कार्य

- राहत कार्यों का कार्यान्वयन तथा समय पालन को नियमित अनुश्रवित किया जाना।
- प्रभावित लोग, हितधारी समूह, तहसील स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों आदि से परामर्श कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य को बदलती आपदा परिस्थिति के मुताबिक समन्वयित करना।

❖ प्रभावित समुदाय में किये गये कार्यों के दौरान प्राप्त अनुभवों को संग्रहित किया जाना।

ix. प्रतिवादन निष्क्रियकरण

उद्देश्य

प्रत्युत्तर कार्य को निष्क्रियकरण करना तथा पुर्ननिर्माण के कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार होना।

मुख्य कार्य

❖ आंकलन करना कि तत्काल जीवन बचाने के सभी उपाय अपनी जगह पर हैं और जीवन की क्षति का कोई जोखिम नही है। सुनिश्चित करना कि आपदा प्रत्युत्तर कार्य को समाज में अपनाना शुरू कर दें और प्रर्याप्त अनुश्रवण पद्धति विकसित की जाय।

❖ चिन्हित जरुरतों के अनुसार पुर्ननिर्माण कार्य को प्रारम्भ कर देना।

x. पुर्ननिर्माण कार्य

उद्देश्य

सुनिश्चित करना कि प्रभावित समुदाय आपदा के प्रभाव से उबरने लगा है और बाहर से सहायता प्राप्त करने से बेहतर अपने जीवन को पूर्ववत जीना चाहता है तथा अपने को समाज की मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना चाहता है।

मुख्य कार्य

❖ विभिन्न विभागों यथा पेयजल, विद्युत, लो0नि0वि0, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, तहसील मुख्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालयों आदि के द्वारा आंकलन के अनुसार पुनर्निमाण नीति का प्रारूप तैयार करना।

❖ सुनिश्चित करना कि क्षतिपूर्ति एवं राहत सहायता सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव बिना लोगों के पहुँचे।

❖ सुनिश्चित करना कि सभी कार्यों में पारदर्शिता हो ।

❖ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे/भवन/सेवाओं के पुर्ननिर्माण के लिए उपयोगकर्ता के अनुरूप आपदा–सहय डिजाइन के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श लेना।

- पुनर्निमाण एवं पुनर्वास कार्य में लगी एजेंसियों/संस्थाओं को आपदा सह्य डिजाइन के लिए सलाह देना।
- स्थानीय टान्सपोर्टर, विक्रेताओं, बाजार आदि स्थानीय क्षमताओं को पुर्ननिर्माण प्रक्रिया में यथासंभव शामिल कर एक समन्वित कुशल आपूर्ति श्रंखला स्थापित करना।
- पुर्ननिर्माण एवं पुनर्वास कार्य के दौरान प्रभावित समुदाय के स्थानीय आजीविका विकल्पों को बहाल करने के लिए कदम उठाना।
- आपदा प्रत्युत्तर/पुर्ननिर्माण कार्य से प्राप्त अनुभवों को जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विकास एजेंसियों से साझा करना ताकि वे उनकी भावी योजना में जगह पा सकें।
- नई विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्व शामिल करना।

2. भूकम्प एवं भूस्खलन के प्रासंगिक कार्य

- **भूकम्पीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद को संवेदनशील जोन 4 में रखा गया है।**

मानसून के समय अत्यधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है। कई बार अज्ञानतावश लोग नदी तटों के किनारे या पहाड़ की तलहटी में बिना भूमि का परीक्षण कराये भवनों का निर्माण कर देते हैं, विगत वर्षों में घटित भूस्खलन क्षेत्रों में फिर से संरचनाओं का निर्माण कर देते हैं जो कि क्षेत्र की भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा देता है।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से समुदायों में क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाकर एवं स्थानीय लोगों को आपदा के प्रति जागरुक करके काफी हद तक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा संवेदनशीलता को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी क्षमता विकास के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

(i) जनपद देहरादून में भूकम्प/भूस्खलन प्रत्युत्तर के लिए विशिष्ट कार्य तथा दायित्व

क्र. सं.	मुख्य कार्यवाही	दायित्वधारी
	अवधिः अग्रिम प्रारंभिक कारवाई	

1	भूकम्प/भूस्खलन सुरक्षा सावधानियाँ एवं बचाव तरीकों पर प्रशिक्षण।	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2	मोबाइल संचार के वैकल्पिक साधन की स्थापना।	बी0एस0एन0एल0
3	अग्निशमन सेवाये तथा सम्बन्धित कर्मचारियों का परिचालन।	अग्निशमन विभाग
4	मलवे में फँसे लोगों के बचाव की योजना ।	त्वरित प्रतिवादन दल/पुलिस/ एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0 एफ0/अग्निशमन
5	अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था।	स्वास्थ्य विभाग
6	तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं आपातकालीन अस्पताल के लिए स्वास्थ्य योजना।	स्वास्थ्य विभाग
7	मलवे की हटाने की योजना ।	त्वरित प्रतिवादन दल/पुलिस /एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0 आर0एफ0/अग्निशमन/लोक निर्माण विभाग
8	आपातकालीन स्वच्छता एवं वैकल्पिक जल आपूर्ति योजना।	पेयजल निगम/ जल संस्थान/ नगर पालिका एवं नगर पंचायत
9	गृह विहीन लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास सहित कल्याणकारी सुविधायें यथा सूचना जानकारी, मार्गदर्षन आदि की व्यवस्था करना।	राजस्व/विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ खाद्य आपूर्ति विभाग
10	मृतकों की पहचान, डी0एन0ए0 सैम्पलिंग एवं शवों के अंतिम संस्कार योजना।	पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ नगर पालिका/नगर पंचायत/ वन निगम
11	परिवहन सुविधाओं का परिचालन।	परिवहन विभाग
12	वाहनों के अधिग्रहण एवं उसके परिचालन हेतु पेट्रोल, तेल, स्पेयर पार्टस, सहित रिपेयरिंग योजना।	परिवहन विभाग /पूर्ति विभाग
13	कला की वस्तुओं और सांस्कृतिक महत्व की चीजों सहित अन्य संपत्तियों के संरक्षण की योजना।	पुरातत्व/ संस्कृति विभाग
14	भूकम्प सुरक्षा पर जागरूकता के लिए सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना।	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
अवधिः 0+15 मिनट		
1	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लाइन डिपार्टमेन्ट के प्रमुख, आई0आर0एस0 में नामित अधिकारियों, एस0ई0ओ0सी0, डी0एम0एम0सी0 के अधिकारियों को सूचना /रिपोर्ट देना तथा डी0ई0ओ0सी0 में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)
अवधिः 0+30 मिनट		
1	संचार के वैकल्पिक उपायों/उपकरणों यथा सेटेलाइट फोन, एचएफ सैट आदि को सक्रिय कर संचार सम्पर्क	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)

	स्थापित करना।	
2	घटना की प्रकृति को देखते हुए इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट, स्टेजिंग एरिया, राहत शिविर आदि सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन करना।	इन्सीडेन्ट कमान्डर
3	इन्सीडेन्ट एक्शन प्लान तैयार करना	इन्सीडेन्ट कमान्डर
4	आपातकालीन संचार इकाई को प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती कर संचार संपर्क जारी करना।	बीएसएनएल
5	त्वरित प्रतिवादन दल, खोज एवं बचाव दल, पुलिस खोज एवं बचाव दलों को सक्रिय करना।	आपरेशन सैक्शन चीफ
6	त्वरित प्रतिवादन दल, खोज एवं बचाव दल, पुलिस खोज एवं बचाव दलों के सभी संबंधित अधिकारी/टीम प्रतिनिधि को स्टेजिंग एरिया में रिपोर्ट करने के लिए कहना।	आपरेशन सैक्शन चीफ
7	तहसील/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी एवं पुलिस कन्ट्रोल रुम से घटना की प्रमाणिकता की पुष्टि करना।	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ड्यूटी पर तैनात कार्मिक)
अवधिः 0+1 घंटा		
1	आपदा की गंभीरता (स्तर) के अनुरूप आपदा प्रत्युत्तर कार्य सक्रिय करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
2	स्टेजिंग एरिया को उचित सेटअप के साथ स्थापित करना, इन्सीडेन्ट एक्शन प्लान के अनुसार संसाधनों का भन्डारण एवं उन्हे सम्बन्धित इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट तक भिजवाना	स्टेजिंग एरिया मैनेजर
3	प्रभावित क्षेत्रों में इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट की स्थापना करना।	इन्सीडेन्ट कमान्डर
4	तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव कार्य को सक्रिय करेंगें।	आपरेशन सैक्शन चीफ
5	आवश्यकतानुरूप प्रभावित लोगों की खोज–बचाव एवं निष्क्रमण के लिए सेना/अन्य तकनीकी संस्थानों से बाहरी सहयोग लेना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
6	आपदा प्रत्युत्तर टीम/संसाधन के त्वरित परिचालन के लिए सड़क मार्गों की स्थिति का तत्काल आंकलन /अनुवर्ती कार्य।	परिवहन विभाग/लो0नि0वि0/ पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0/ए0 डी0 बी0
7	अफवाह के नियंत्रण के लिए मीडिया के प्रबंधन और सार्वजनिक सूचना ।	इन्फॉरमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर
8	आपदा की गम्भीरता को देखते हुए निजी सार्वजनिक एजेंसियॉ से आपातकालीन खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध ।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
9	आवश्यकतानुरूप पड़ोसी जिलों से सहायता के लिए अनुरोध।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर
10	प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल	पुलिस विभाग

	करना /सुरक्षा प्रदान करना ।	
11	प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा प्रत्युत्तर टीम को भेजना।	स्वास्थ्य विभाग ऑपरेशन सेक्शन चीफ के दिशा निर्देशानुसार
12	प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित इन्सीडेन्ट कमान्ड पोस्ट के इन्सीडेन्ट कमान्डरों से निरंतर संपर्क रखना।	आपरेशन सेक्शन चीफ/ डी0ई0ओ0 सी0/स्टेजिंग एरिया मैनेजर/लाईजन ऑफिसर
13	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर को घटनाक्रम की जानकारी देते रहना।	आपरेशन सेक्शन चीफ/डी0 ई0 ओ0 सी0/ लाईजन ऑफिसर
14	सभी अस्पतालों को घायलों की चिकित्सा के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देना ।	आपरेशन सेक्शन चीफ/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
15	मीडिया ब्रीफिंग करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफि0 इन्फॉरमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर
	अवधिः 0+12 घंटा	
1	प्रभावित क्षेत्रों में उपकरण, मशीनें एवं स्वयं सेवकों के पहुँचने के लिए सभी रास्ते खोल देना और यातायात प्रबंधन करना।	ट्रान्सपोर्ट ब्रान्च डायरेक्टर/ परिवहन विभाग/लो0नि0वि0/ पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0
2	बस स्टैण्ड आदि आवागमन केन्द्रों पर सूचना केन्द्र स्थापित करना।	जिला सूचना अधिकारी/ कम्यूनिकेशन यूनिट
3	राहत सामग्री तथा टैन्ट, खाद्य सामग्री, पानी, कम्बल आवश्यक दवाईयां जुटाना तथा उन्हे स्टेजिंग एरिया एवं प्रभावित क्षेत्रों में भेजना।	लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ/ मेडिकल यूनिट
4	बचाये गये व्यक्तियों को अस्थाई आश्रयों में भेजना एवं उनके लिए भोजन पानी स्वच्छता सुविधा एवं सामग्री की व्यवस्था	लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ/ स्टेजिंग एरिया मैनेजर/ मेडिकल यूनिट/फूड यूनिट
5	प्रभावित क्षेत्रो में अस्थाई अस्पताल खोलना।	स्वास्थ्य विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
6	घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजना।	
	अवधिः 0+24 घंटा	
1	प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आंकलन तैयार करना तथा उन्हें सभी सम्बन्धितों तक पहुँचाना।	इन्सीडेन्ट कमान्डर/इन्सीडेन्ट कमान्डर
2	प्रतिदिन न्यूनतम 2 बार स्थिति और प्रत्युत्तर कार्य की जानकारी का प्रेस नोट जारी करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफि0/ इन्फॉरमेशन एण्ड मीडिया ऑफि0
3	गैर प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त करना।	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर /जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
4	तहसील/जनपद मुख्यालय, ऑल इंडिया रेडियो सहित मुख्य विभागों पुलिस कार्यालय अस्पताल आदि की विद्युत, जल आपूर्ति ,दूर संचार सुविधायें आदि अनिवार्य सुविधाओं के प्राथमिकता देकर बहाल करना।	लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ/ कम्यूनिकेशन यूनिट
	अवधिः 0+48 घंटा	
1	शवों के अंतिम संस्कार के लिए एनडीएमए की मार्ग	ऑपरेशन सेक्शन चीफ/पुलिस/

	निर्देशिका के अनुसार मृतकों की पहचान, डी0एन0ए0 सैम्पलिंग, फोटोग्राफ, प्राप्त सामान की सूची बनाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रखरखाव की व्यवस्था करना।	मेडिकल यूनिट
2	राहत केन्द्र के समीप समुदाय, रिश्तेदार, स्वैच्छिक संगठन आदि के लिए सूचना केन्द्र खोलना।	जिला सूचना अधिकारी/ कम्यूनिकेशन यूनिट
3	किसी लापता व्यक्ति/क्षति के संबंध में जानकारी संग्रहन की व्यवस्था करना और प्रतिक्रिया में अस्पताल आश्रय एवं पुलिस अभिलेखों से खोज प्रारम्भ कर देना	जिला सूचना अधिकारी/ कम्यूनिकेशन यूनिट /जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
अवधिः 0+72 घंटा		
1	अज्ञात और लावारिस शवों के निस्तारण की व्यवस्था करना।	पुलिस/स्वास्थ्य विभाग/मेडिकल यूनिट /न0पा0/नगर पंचायत/ वन निगम
2	आवश्यकतानुरूप स्थानीय अस्पताल के घायलों को जिला अस्पताल /अन्य विशेष अस्पतालों तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।	ट्रान्सपोर्ट ब्रान्च डायरेक्टर/ मेडिकल यूनिट
3	राहत वितरण एवं पुनर्निमाण के कार्य शुरू कर देना।	फाईनेन्स ब्रान्च डायरेक्टर/ राजस्व विभाग

3. अग्नि दुर्घटना के प्रासंगिक कार्य

गर्मी के महीनों में कई क्षेत्रों में अग्निकांड होते रहते हैं यदि किसी अग्निशमन स्टेशन के क्षेत्राधिकार में 4-5 से ज्यादा जगहों पर एक ही वक्त में अग्निकांड हो जाए तो अग्निशमन विभाग पर अत्यधिक दबाव पड़ जायेगा। गर्मी के समय मे इसकी बहुत ज्यादा आशंका होती है।

1. विशिष्ट कार्य

(i) अग्निकांड रोकथाम शिक्षण एवं जागरूकता

- समुदाय के लिए अग्निकांड के रोकथाम के लिए जागरूकता एव शिक्षण कार्यक्रमों/ शिक्षण सामग्रियों का विकास करना।
- जागरूकता एवं शिक्षण कार्यक्रमों/शिक्षण सामग्रियों को सरल भाषा में चित्रों द्वारा विकसित करना।
- तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से स्थानीय विद्यालय के बच्चों के लिए अग्नि/ पारिस्थितिकी प्रबंधन की पठनीय सामग्री विकसित करना।
- प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/गैर सरकारी संस्थान आदि को स्थानीय परिस्थिति मे अग्नि प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने को प्रोत्साहन करना।

- ❖ मानवीय भूल से हुए अग्निकांड की आवृति/कारण स्थान आदि के ऑकड़े का अभिलेखीकरण करना और अग्निकांड से बचाव के कार्यक्रम बनाना।

(ii) अग्निकाण्ड की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारी

- ❖ पूर्व तैयारी में अग्निशमन कर्मचारी तथा जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- ❖ अग्निकाण्ड की व्यापक रोकथाम योजना बनाना।
- ❖ गर्मी/जाड़े के मौसम से पहले अग्निकाण्ड के प्रबन्धन एवं उसके लिए संसाधन आवंटन तथा अन्य आवश्यक उपाय करना।
- ❖ महत्वपूर्ण भवन/कार्यालय सिनेमा घर होटल आदि में अग्निशमन यंत्र पर्याप्त संख्या में लगाना।
- ❖ अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए मार्गों को अवरोध मुक्त रखना।

(iii) अग्निकाण्ड प्रतिवादन

- ❖ अग्निकाण्ड की सूचना मिलते ही अग्निशमन स्टेशन को सक्रिय करना।
- ❖ अग्निकाण्ड की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को प्रभावित क्षेत्रों में भीड़/प्रबन्धन के लिए तैनात किया जाय।
- ❖ रासायनिक आग के मामले में खोज और बचाव दल के साथ उस आग को बुझाने के संसाधन मुहैया करना।

2. भीड़ प्रबन्धन

भारी भीड़ से अक्सर दुर्घटना हो जाया करती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी योजना तंत्र की आवश्यकता है। भीड़ नियंत्रण की योजना किसी भी भावी दंगा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। देहरादून जिले में अनेक जगहों पर विशेषकर दशहरा, नवरात्री, सावन में या विभिन्न मेलों के दौरान भीड़ हो जाया करती है। ऐसे अवसरों पर भीड़ में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का अनुमान करना और उनके उचित व्यवस्था का इंतजाम करना आदि कार्य स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए आवश्यक है। मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या उनके ठहराव स्थल की उपलब्धता मेले में प्रवेश एवं निकासी के रास्ते आपातकाल निकासी द्वार, मेले की व्यवस्था के सम्बन्ध में बताने वाले स्वयं सेवकों की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, प्राथमिक उपचार व्यवस्था आदि पर स्थानीय पुलिस, प्रशासन एवं आयोजकों को पूर्ण विचार एवं आकलन कर लेना चाहियें।

प्रबन्धन में किसी कमी के कारण दुर्घटना की संभावना हो सकती है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोजकों ने सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया है ।

(i) मेला स्थान एवं पण्डाल निर्माण की जगह

- पंद्रह फीट से कम चौड़ाई वाली सड़क में न्यूनतम 4 फीट चौड़ी जगह खाली रखी जाय। 15–30 फीट चौड़ी सड़क के लिए यह दूरी न्यनतम 6 फीट हो। 30 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क में न्यूनतम 10 फीट चौड़ी सड़क खाली रखी जाय।
- किसी भी पक्की इमारत, बाउन्ड्रीवाल या अन्य स्थायी संरचना के चारों ओर न्यूनतम 4 फीट जगह खाली रखी जाय।
- कोई भी बड़ी संरचना 40 फीट से ज्यादा ऊँची न हो।
- अग्निकाण्ड या अन्य आपातकाल के लिए अलग से अतिरिक्त प्रवेश एवं निकासी द्वार बनाये जाय।
- न्यूनतम 12–14 फीट चौड़ा प्रवेश द्वार हो। प्रवेश द्वार ऐसी जगह हो कि बिना किसी बाधा के अग्निशमन वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।
- पंडाल में उचित रोशनी की व्यवस्था हो।
- पंडाल के समीप सार्वजनिक उद्घोषणा केन्द्र हो।
- प्रवेश, निकासी एवं परिसंचरण पर नजर रखने के लिए सुविधाजनक स्थान में सीसीटीवी लगाना।
- रोशनी के लिए वैकल्पिक इंतजाम सुरक्षित रखना ।
- अतिरिक्त आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था हो।
- पर्याप्त पुलिस/गृह रक्षक एवं अन्य सुरक्षा बलों को घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त करना।
- पंडाल बनाने वाले या मेला लगाने वाले आयोजकों के पास आपदा प्रबन्धन की योजना होनी चाहिये।

(ii) अग्नि सुरक्षा

- मुख्य पंडाल से 200 गज की दूरी के भीतर रसोईघर न हो और ना कोई खुली आग जलने दी जाय।
- पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू भरी बाल्टियॉ एवं अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था रहे।
- रोशनी के लिए लाईसेंसशुदा ठेकेदारों से ही काम लिया जाय।
- पुराना या नंगा तार व्यवहार में न लाया जाय। पंडाल के कपड़ों से तार का स्पर्श न हो।

❖ आयोजक अनिवार्य रूप से अग्निशमन विभाग/पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (सुरक्षा प्रमाण पत्र) लें।

❖ किसी भी तरह की सिन्थेटिक सामग्री/रस्सी का उपयोग न हो।

❖ वहॉ किसी तरह की कोई संरचना न बनायी जाय जहॉ जमीन के अन्दर से बिजली लाइन गयी है।

❖ पंडाल के अन्दर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक रसायन न रखा जाय।

(iii) दर्शकों हेतु अनिवार्य व्यवस्था

❖ पंडाल के अन्दर लोगों के घुमने–फिरने के लिए 75 प्रतिशत जगह खाली रखी जाये।

❖ पंडाल पर्याप्त रूप से हवादार हो।

❖ पंडाल क्षेत्रों के समीप पेयजल व्यवस्था हो ।

❖ स्त्री एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग शौचालयों की प्रर्याप्त व्यवस्था हो।

❖ आयोजक को चाहियें कि पर्याप्त संख्या में स्वयं सेवकों को रखें। इन्हें भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण हो।

❖ पंडाल में प्रवेश, निकासी आपातकालीन निकासी द्वारों सहित अग्निशमन यंत्र/वाटर हाईड्रेन्ट, प्राथमिक चिकित्सा किट (स्वास्थ्य सेवा इकाई) आदि महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड हो।

❖ पंडाल के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की सुविधा के लिए नक्शा/पंडाल के डिजाईन/पूजन स्थल आदि के विषय में जानकारी हो ।

❖ हर हाल में दर्शकों को आवश्यक जानकारी देते रहने के लिए सूचना केन्द्र अवश्य हो।

अध्याय : 8 आपदा पुर्ननिर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय

(Reconstruction,Rehabilitation And Recovery Measures)

परिचय – बेहतर तरीके से वापस निर्माण कार्य करना (बिल्डिंग बैक बेटर)एक रणनीति है जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के दृष्टिगत समुदायों के लोगों के लिए जोखिम को कम करना है। बीबीबी दृष्टिकोण आपदा जोखिम में कमी के उपायों को बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और आजीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पुनरोद्धार में एकीकृत करता है।

पुनः निर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण– आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ जनहानि क्षति आंकलन
- ✓ पशुधन क्षति आंकलन
- ✓ सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- ✓ स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- ✓ पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- ✓ आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- ✓ संवेदनशील वर्गों (दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- ✓ क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- ✓ दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व– आपदा घटित होने के पश्चात् पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. पंचायत राज एवं विकास विभाग–

- ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना।
- जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण।
- राजस्व विभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण।
- क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।।
- कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही।
- दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण।
- मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।

2.राजस्व विभाग–

- क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन।
- शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण।
- क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग।
- संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन।
- आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के समाबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।

3.कृषि विकास विभाग–

- फसलो की क्षति का आकलन करना।
- क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना।
- फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था।
- कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना।
- बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना।
- सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार।
- क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।

4.पुलिस विभाग–

- कानून व्यवस्था बनाए रखना।
- अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।

5.वन विभाग–

- वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।

6.मत्स्य विभाग–

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन।
- स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

7.सहकारिता विभाग–

- कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।

9.शिक्षा विभाग–

- विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य।
- विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।

- विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।

10.सांख्यकी विभाग–

- आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।

11.स्वास्थ्य विभाग–

- महामारी फैलने वाली बीमारियों / संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण।
- स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना।
- संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना।
- स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय।
- आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना।
- चिकित्सा एवं घायलों / विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- नगरीय निकाय–आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन
- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
- आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।

13.सूचना कार्यालय–

- आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।

14.पूर्ति विभाग–

- मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण।
- खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण
- दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण।

16.लोक निर्माण विभाग–

- अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई।
- गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना।
- क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना।
- संवेदनशील/आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना।
- क्षतिग्रस्त सड़क / डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुल/पुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन
- संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहुँचा है, उनको यथा संभव दूर करना।

17.सिंचाई विभाग–

- सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी।
- जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन।
- संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण।
- बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य।

18.विद्युत विभाग–

- क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य।
- उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विद्युत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मर / पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।

19.पशुपालन विभाग–

- पशुधन क्षति आंकलन।
- आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण।
- सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था।
- मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना।

20.भारत संचार निगम लिमिटेड–

- संचार व्यवस्था क्षति आंकलन।
- संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।

21.जल संस्थान–

- नगर निगम /नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन।
- प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था।
- राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

22.समाज कल्याण विभाग–

- आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता।
- कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना।
- आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।

23.महिला एंव बाल विकास विभाग–

- स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार आल्याण के साथ समन्वय
- महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

क्षति आंकलन प्रक्रिया– क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जायेगी तथा इन कार्यो को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जायेगा।

क्षति आंकलन प्रपत्र— आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य— आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

मुफ्त खाद्यान्न का वितरण : प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

राहत वितरण : क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड / ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद—भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण : संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे,तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।

महामारी की रोकथाम : आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था : जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

दीर्घ अवधि की पुर्ननिर्माण गतिविधियां– दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाए बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा।

जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधि संरचनात्मक कार्ययोजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

अध्याय : 9 डीडीएमपी के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

Finacial Resources for Implementation of DDMP

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत वित्तीय व्यवस्थाएँ–

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के आधार पर DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन बहुत जरूरी हैं। ये संसाधन राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF), जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF) और जिला आपदा न्यूनीकरण कोष (DDMF) सहित अन्य स्रोतों से आ सकते हैं। DDMP कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों का विवरण इस प्रकार है:–

भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं

i. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशानिर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता।
- निधि के मौजूदा स्रोत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित यह कोष आपदा प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए प्राथमिक स्रोत है और इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

ii . राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशानिर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा गंभीर मानी जाती हैं।

iii. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes & CSS) के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इन फंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (mitigation) और पुनर्स्थापन (restoration) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा संकटों से प्रभावित हैं।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

1. जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF)

- धारा 48 के तहत जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह कोष जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इस कोष का संचालन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2. जिला आपदा शमन कोष (DDMF)

- धारा 48 के तहत जिला स्तर पर आपदा शमन (mitigation) कोष की स्थापना की जाएगी।

बजट का सम्पूर्ण विवरण–

धनराशि प्राप्त/व्यय	SDRF			Non- SDRF	SDMF
	राहत एवं बचाव	मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण	क्षमता विकास मद		
प्राप्त धनराशि	11,00,00,000	26,00,00,000	3,00,00,000	2,00,00,000	1,50,00,000
व्यय धनराशि	9,82,14,216	14,00,00,000	21,50,85,18	2,00,00,000	1,50,00,000
अवशेष धनराशि	1,17,85,784	12,00,00,000	84,91,482	Nil	Nil

3. राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ

- धारा 40 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को अपने आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार करनी होंगी।
- प्रत्येक विभाग को वित्तीय प्रावधानों का अनुमान लगाकर उन्हें अपने वार्षिक बजट और चल रही योजनाओं में शामिल करना होगा।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से परामर्श कर शमन परियोजनाओं (mitigation project) के लिए उपयुक्त वित्त पोषण एजेंसियों की पहचान करनी होगी।

4. टेक्नो–फाइनेंशियल प्रणाली (Techno&Financial Regime)

- सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
- इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसेरू
- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिम बीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होम लोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

5. अन्य वित्तीय विकल्प

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुनर्स्थापन कार्यों में किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाएँ तलाशी जाऐगी।

अध्याय : 10 जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा

(Procedure And Methodology for Monitoring, Evaluation, updation And Maintenance of DDMP)

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद देहरादून जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

1. DDMP के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), देहरादून प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हितधारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, देहरादून निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा
- धारा 31, उपधारा (4) दृ जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 31, उपधारा (7) दृ जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

2. DDMP की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, देहरादून हर छह महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।

- ये विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (recommendations) देंगे।

3. आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।
- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन बैठकों और हितधारकों से परामर्श करके करेगा।

4. DDMP के अद्यतन (Updation) का समय निर्धारण –

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगारू

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।
3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।

अपडेटेड DDMP डेटा को जिला सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- ✓ जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची (DDMRI)।
- ✓ मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर (DDMRI)।
- ✓ पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- ✓ संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन SOPs और चेकलिस्ट के माध्यम से)।
- ✓ प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- ✓ आपदा की घटनाओं में बदलाव।

✓ संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग।

✓ जनसंख्या संरचना में बदलाव।

✓ भू–राजनीतिक (Geo&political) माहौल में बदलाव।

10-6 DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

- प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

5. मॉक ड्रिल (Mock Drills) का आयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act 2005) की धारा 30 (2) (X) के अनुसार:

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।
- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे।

इसी तरह, DM Act 2005 की धारा 30 (2) (XI) यह निर्धारित करती है कि:

- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

मॉक ड्रिल्स के उद्देश्य:

1. आपदा से निपटने की तैयारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
2. कमियों की पहचान और उनका सुधार।
3. सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और समुदायों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना।
4. आपदा प्रबंधन योजना (DDMP), आपातकालीन सहायता कार्य (ESFs) और मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) की प्रभावशीलता की जांच।
5. सीखे गए पाठों के आधार पर योजना में आवश्यक संशोधन करना।
6. आपदा के दौरान एवं पुनर्प्राप्ति चरण में त्वरित, संगठित और बेहतर प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना।

6.i जिले में मॉक ड्रिल आयोजित करने की जिम्मेदार संस्थाएँ

स्तर 1: जिला स्तर

जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन जिलाधिकारी, देहरादून एंव अपर जिलाधिकारी देहरादून कि जिम्मेदारी होगी।

इसमें अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी (CDO), पुलिस अधीक्षक (SSP), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), जिला परिषद अध्यक्ष, और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

अन्य प्रतिभागी:

- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
- लोक निर्माण विभाग, PWD, UPCL, जल संस्थान/जल निगम।
- राजस्व विभाग।
- उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार।
- नगर निगम, नगर पालिका।
- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि – सरपंच, ग्राम सेवक
- होम गार्ड्स और स्वयंसेवक।
- जिला जनसंपर्क अधिकारी (DPRO)
- परिवहन विभाग।
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग।
- अर्धसैनिक बल (ITBP)।
- सेना।
- एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0
- अन्य विभाग

स्तर 2: उप–मंडल (Sub-Divisional) स्तर

उपजिलाधिकारी (SDM) को तहसील स्तर पर मॉक अभ्यास (Mock Exercise) कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

स्तर 3: खंड (Block) स्तर

- खंड विकास अधिकारी (BDO) खंड स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

स्तर 4: पंचायत स्तर

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान (Pradhan) की होगी।
- प्रत्येक गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (Village Disaster Management Committee) इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करेगी।

स्तर 5: विभागीय स्तर

- संबंधित विभागों, इकाइयों के विभागाध्यक्ष (HODs) अपने–अपने विभागों में ऑन–साइट और ऑफ–साइट मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे।
- इन मॉक ड्रिल्स को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा।

7. ii. मॉक ड्रिल आयोजित करने की अनुसूची

- जिला प्रशासन वर्ष में दो बार अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित करेगा।
- यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए आवश्यक होगी।

पहली मॉक ड्रिल:

- पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले आयोजित की जाएगी।
- मार्च या अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाएगा, जो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

दूसरी मॉक ड्रिल:

- अंतराष्ट्रीय दशहरा महोत्सव (International Dussehra) से पहले आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य विभागों की कार्यक्षमता की जांच करना है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके।

सभी स्तरों पर मॉक ड्रिल का आयोजन:

- उल्लिखित सभी स्तरों (जिला, उप–मंडल, ब्लॉक, पंचायत, और विभागीय स्तर) पर हर छह महीने में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन और सुधार करना होगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा वर्ष 2023 से वर्तमान तक आयोजित आपदा खोज, बचाव एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची।

क्र0सं	विद्यालय का नाम	आयोजन तिथि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	राजकीय इण्टर कालेज चकराता	08.06.2023	100
2	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, कोटिकनासर	09.06.2023	60
3	राजकीय इण्टर कालेज जाडी	11.06.2023	33
4	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बिनसौन	12.06.2023	140
5	राजकीय इण्टर कालेज बुल्हाड	13.06.2023	119
6	राजकीय इण्टर कालेज काण्डोईबरम	14.06.2023	121
7	राजकीय इण्टर कालेज मेंहूवाला	12.06.2023	60
8	राजकीय इण्टर कालेज टी स्टेट बंजारावाला	29.08.2023	60
9	राजकीय इण्टर कालेज गुजराडा	11.09.2023	60
10	लॉ विद्यार्थी एवं अन्य यू0एल0बी0(जिला सेवा विधिक प्राधिकरण)	20.09.2023	50
11	रीता राजकीय इण्टर कालेज गढी श्यामपुर ऋषिकेश	03.10.2023	70
12	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, ऋषिकेश	05.10.2023	80
13	राजकीय इण्टर कालेज IDPL ऋषिकेश	07.10.2023	80
14	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय पशुलोक, ऋषिकेश।	10.10.2023	80
15	राजकीय इण्टर कालेज, रायवाला	11.10.2023	80
16	राजकीय इण्टर कालेज सत्य मित्र हरिपुरकलां, ऋषिकेश।	13.10.2023	80
17	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय गोहरीमाफी ऋषिकेश।	27.10.2023	68
18	राजकीय इण्टर कालेज बुल्लवाला।	30.10.2023	150
19	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खैरीमारखम ग्राण्ट।	01.11.2023	90
20	राजकीय इण्टर कालेज खदरी खडक माफ।	03.11.2023	200
21	राजकीय इण्टर कालेज कोटि भानियावाला।	06.11.2023	90
22	राजकीय इण्टर कालेज बडोवाला।	08.11.2023	150
23	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बडकोट।	16.11.2023	40
24	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय घमण्डपुर।	18.11.2023	40
25	राजकीय इण्टर कालेज दुधली।	20.11.2023	338
26	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय डोईवाला।	22.11.2023	126
27	राजकीय इण्टर कालेज नथुवावाला।	30.11.2023	130
28	राजकीय इण्टर कालेज माजरीमाफी।	01.12.2023	80
29	राजकीय इण्टर कालेज मालदेवता।	02.12.2023	150
30	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	22.12.2023 23.12.2023	05
31	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	26.12.2023 27.12.2023	05
32	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	28.12.2023 29.12.2023	05
33	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	30.12.2023 01.01.2024	05
34	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	02.01.2024 03.01.2024	05
35	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	04.01.2024 05.01.2024	05
36	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	06.01.2024 08.01.2024	05
37	नव नियुक्त लेखपाल/पटवारी	09.01.2024 10.01.2024	05

38	नव नियुक्त लेखपाल / पटवारी	11.01.2024 12.01.2024	05
39	श्री गुरु रामराय इण्टर कालेज, डोभालवाला	13.01.2024	50
40	आंगनबाडी सेक्टर बापूग्राम ऋषिकेश	06.02.2024	29
		योग	**3049**
41	आंगनबाडी सेक्टर जौलीग्राण्ट	16.02.2024	23
42	आंगनबाडी सेक्टर भानियावाला	17.02.2024	14
43	आंगनबाडी सेक्टर छिदरवाला	19.02.2024	22
44	आंगनबाडी सेक्टर भोगपुर	20.02.2024	25
45	ग्राम सभा मोहना (डाकरा), चकराता	16.06.2024	17
46	ग्राम सभा मोहना (ओर्ली), चकराता	17.06.2021	31
47	ग्राम सभा क्वांसी, चकराता	18.06.2024	22
48	ग्राम सभा नगौ, चकराता	19.06.2024	26
49	ग्राम सभा जाडी, चकराता	20.06.2024	23
50	ग्राम सभा मशक (बिनसौन), चकराता	21.06.2024	25
51	ग्राम सभा मशक (सैंज, कुनैन, खोलरा), चकराता	22.06.2024	21
52	ग्राम सभा काण्डोई बरम (कवाखेडा), चकरात	23.06.2024	27
53	ग्राम सभा बुल्हाड, चकराता	24.06.2024	20
54	ग्राम सभा भूठ, त्यूनी	25.06.2024	26
55	ग्राम सभा हटाड छजाड, त्यूनी	26.06.2024	20
56	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर में नव चयनित ग्राम विकास अधिकारी को 01 दिवसीय प्रशिक्षण	06.07.2024	54
57	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर में बी0एफ0टी एवं रोजगार सेवकों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण	22 जुलाई से 24 जुलाई 2024	33
58	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर में नव चयनित राजस्व उपनिरीक्षकों को 02 दिवसीय प्रशिक्षण	20 एवं 21 सितम्बर 2024	35
59	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर में नव चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को 01 दिवसीय प्रशिक्षण	16 अक्टूबर 2024	35
60	नवाबगढ विकासनगर में ग्रामीणों को 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	04.11.2024	26
61	**रोप—वे माल रोड, मसरूी गन हिल में मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया ।**	**06.11.2024**	
62	रा0ई0का0 भीमावाला, विकासनगर में एन0डी0आर0एफ0 दल के साथ 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	08.11.2024	179
63	रा0ई0का0 लांघा, विकासनगर में एन0डी0आर0एफ0 दल के साथ 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	09.11.2024	95
64	रा0उ0मा0वि0 ढकरानी, विकासनगर में एन0डी0आर0एफ0 दल के साथ 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	11.11.2024	184
65	रा0उ0मा0वि0 मर्दसू, विकासनगर में एन0डी0आर0एफ0 दल के साथ 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	13.11.2024	88
65	रा0उ0मा0वि0 कुल्हाल, विकासनगर में एन0डी0आर0एफ0 दल के साथ 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	14.11.2024	42
66	रा0उ0मा0वि0 डांडापुरम, विकासनगर में एन0डी0आर0एफ0 दल के साथ 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	16.11.2024	54
67	**लिण्डे गैस लिमिटेड, सेलाकुई विकासनगर प्लांट का निरीक्षण किया गया।**	**18.11.2024**	
68	**हिमालयन वेलनैस कम्पनी, टर्नर रोड, देहरादून प्लांट का निरीक्षण**	**19.11.2024**	

	किया गया।		
69	**हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, ऋषिकेश प्लांट का निरीक्षण किया गया।**	**20.11.2024**	
70	NDRF एवं DDMA देहरादून के द्वारा जनपद देहरादून के विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को 02 दिवसीय आपदा प्रबन्धन सम्बंधी प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	21.11.2024 एवं 22.11.2024	38
71	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र शंकरपुर, सहसपुर में जनपद टिहरी एवं जनपद चमोली के 44 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारियां दी गई	25.11.2024	44
72	NCC कैडेटस को 07 दिवसीय आपदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	18 से 24 दिसम्बर, 2024	100
		योग	**1349**
73	रा0ई0का0 द्वारा में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(148 विद्यार्थी एवं 16 स्टाफ सहित कुल)**	04.02.2025	154
74	रा0उ0मा0वि0 द्वारा में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(44 विद्यार्थी एवं 04 स्टाफ सहित कुल)**	05.02.2025	48
75	रा0प्रा0वि0द्वारा में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(39 विद्यार्थी एवं 06 स्टाफ सहित कुल)**	06.02.2025	45
76	रा0ई0का0 मालदेवता में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(276 विद्यार्थी एवं 25 स्टाफ सहित कुल)**	07.02.2025	301
77	रा0उ0मा0वि0 सिल्ला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(70 विद्यार्थी एवं 17स्टाफ सहित कुल)**	11.02.2025	87
78	रा0प्रा0वि0 चामासारी में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(51 विद्यार्थी एवं 09 स्टाफ सहित कुल)**	12.02.2025	60
79	वनाग्नि मॉक अभ्यास का आयोजन थानों, ओखला एवं अमलाव में किया गया	13.02.2025	
80	हिमालयन संस्कृति ऑडिटोरियम, निम्बूवाला, गढीकैंट में जनपद देहरादून के समस्त राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापकों हेतु आपदा संबंधी कार्यशाला का आयोजन	17.02.2025	790
81	सी0एन0आई0 बालक इण्टर कालेज, पलटन बाजार में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(113 विद्यार्थी एवं 16 स्टाफ सहित कुल)**	18.02.2025	129
82	**भट्टा फॉल रोप–वे मसूरी में मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया**	20 एवं 21 फरवरी 2025	
83	रा0पू0मा0वि0 सरखेत में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(53 विद्यार्थी एवं 08 स्टाफ सहित कुल)**	25.02.2025	61
81	ग्राम पंचायत द्वारा में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	27.02.2025	65
82	ग्राम पंचायत सरखेत में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	04.03.2025	55
83	ग्राम पंचायत थेवा मालदेवता में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	05.03.2025	61
84	ग्राम पंचायत सेरकी में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	06.03.2025	58
85	ग्राम पंचायत सोडा सरोली में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	07.03.2025	69

86	ग्राम पंचायत सनगांव में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	08.03.2025	29
87	ग्राम पंचायत सिंधवाल गावं में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	10.03.2025	25
88	ग्राम पंचायत बडासीग्रांट में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	11.03.2025	34
89	ग्राम पंचायत चामासारी में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	15.03.2025	16
90	ग्राम पंचायत छमरोली में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	18.03.2025	12
91	वन पंचायत सम्मेलन में चकराता के चिरमरी टॉप में आपदा प्रबंधन विभाग का स्टाल लगाया गया।	19.03.2025	
92	पी0आर0डी0 निदेशालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के पी0आर0डी0 कार्मिकों को 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।	21.03.2025	213
93	सरकार के 03 साल बेमिसाल पर आयोजित सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विभाग का स्टाल लगाया गया।	23.03.2025	
		योग	**2312**
94	सरकार के 03 साल बेमिसाल पर आयोजित सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विभाग का स्टाल लगाया गया।	25.03.2025	
95	शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नात्तकोत्तर विद्यालय, डोईवाला में आयोजित एन0एस0एस0 शिविर में आपदा प्रशिक्षण **(65 विद्यार्थी एवं 05 स्टाफ सहित)**	26.03.2025	70
96	श्री गुरूराम राय इण्टर कालेज में आपदा प्रबंधन विभाग का स्टाल लगाया गया।	26.03.2025	
97	ग्राम पंचायत अस्थल में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	28.03.2025	54
98	ग्राम पंचायत अखंडवाली भिलंग में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	29.03.2025	24
99	सरकार के 03 साल बेमिसाल पर आयोजित सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विभाग का स्टाल लगाया गया।	30.03.2025	
100	रा0इ0का0 नथुवावाला, देहरादून में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(140 विद्यार्थी एवं 14 स्टाफ सहित कुल)**	15.04.2025	154
101	रा0इ0का0 दूधली, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(180 विद्यार्थी एवं 10 स्टाफ सहित कुल)**	16.04.2025	190
102	रा0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(98 विद्यार्थी एवं 23 स्टाफ सहित कुल)**	17.04.2025	121
103	रा0बा0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(109 विद्यार्थी एवं 22 स्टाफ सहित कुल)**	19.04.2025	131
104	रा0इ0का0 बडौवाला, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(155 विद्यार्थी एवं 14 स्टाफ सहित कुल)**	21.04.2025	169
105	रा0इ0का0 माजरी ग्रांट, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(154 विद्यार्थी एवं 10 स्टाफ सहित कुल)**	22.04.2025	164
106	रा0इ0का0 इठारना, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(116 विद्यार्थी एवं 08 स्टाफ सहित कुल)**	23.04.2025	124

107	रा0इ0का0 मियांवाला, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(140 विद्यार्थी एवं 10 स्टाफ सहित कुल)**	24.04.2025	150
108	रा0इ0का0 माजरीमाफी, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(154 विद्यार्थी एवं 17 स्टाफ सहित कुल)**	25.04.2025	171
109	रा0इ0का0 छिदरवाला, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(175 विद्यार्थी एवं 14 स्टाफ सहित कुल)**	26.04.2025	189
	पब्लिक इ0का0 रायवाला, डोईवाला में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(165 विद्यार्थी एवं 10 स्टाफ सहित कुल)**	28.04.2025	175
110	गुरूराम राय इण्टर कालेज, भोगपुर में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। **(200 विद्यार्थी एवं 15 स्टाफ सहित कुल)**	29.04.2025	215
111	ग्राम पंचायत खदरी खडक माफ में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	01.05.2025	24
112	ग्राम पंचायत गडोल में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	02.05.2025	23
113	ग्राम पंचायत दूधली में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	03.05.2025	26
114	ग्राम पंचायत भोगपुर में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	05.05.2025	69
115	नागरिक सुरक्षा की तैयारियों पर जनपद स्तर मॉक ड्रिल का आयोजन	07.05.2025	
		योग	2243
116	ग्राम पंचायत रानीपोखरी में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	09.05.2025	23
117	ग्राम पंचायत रखवालगांव में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	10.05.2025	32
118	ग्राम पंचायत गढीमयचक में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	13.05.2025	16
119	ग्राम पंचायत बडकोट में 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	14.05.2025	17
120	चारधाम यात्रा के सफल संचालन हेतु ऋषिकेश में मॉक ड्रिल का आयोजन।	16.05.2025	
121	सन रेज इंटरनेशनल स्कूल, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	16.05.2025	356
122	द होली फेथ दून एकेडमी, हर्बटपुर, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	17.05.2025	590
123	महर्षि अरविन्द घोष जू0हा0 स्कूल, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	19.05.2025	760
124	जी0एन0 मिशन पब्लिक स्कूल, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	20.05.2021	725
125	सरस्वती शिशु मन्दिर बाबूगढ स्कूल, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	21.05.2025	1240
126	द इंफिल्ड स्कूल यू0पी0एस0, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	22.05.2025	1375
127	द सैपियंस स्कूल, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	23.05.2025	1650

128	सैपियंस स्कूल यू0पी0एस0, विकासनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	24.05.2025	1590
129	मैसर्स इण्डिया ग्लाकोल्स लिमिटेड फेक्टरी, सेलाकुई का निरीक्षण	26.05.2025	प्लांट के समस्त कार्मिकों को आपदा संबंधी जानकारियां प्रदान की गई तथा प्लांट का निरीक्षण किया गया
130	मैसर्स विजल होम्यो फार्मा फेक्टरी, सेलाकुई का निरीक्षण	27.05.2025	
131	मैसर्स सनकेयर फार्मासूटिकल प्राईवेट लि0, सेलाकुई का निरीक्षण	28.05.2025	
132	मैसर्स ओयसिस लैबोरट्री, सेलाकुई का निरीक्षण	29.05.2025	
133	मैसर्स कैम्पस एक्टिववियर लि0, सेलाकुई का निरीक्षण	30.05.2025	
134	मैसर्स डिक्सोन टैक्नोलॉजी (इण्डिया) लिमिटेड, सेलाकुई का निरीक्षण	31.05.2025	
135	मैसर्स अम्बर इण्टर प्राईजेज इण्डिया लिमिटेड, सेलाकुई का निरीक्षण	01.06.2025	
135	मैसर्स ई–पैक डयूरेबल लिमिटेड, सेलाकुई का निरीक्षण	02.06.2025	
136	मै. सीज फायर इंडस्ट्री प्राईवेट लि0 सेलाकुई का निरीक्षण	03.06.2025	
137	सांई ग्रेस अकादमी, रायपुर चौक, देहरादून में 02 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	19.07.2025 एवं 20.07.2025	70
138	नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी।	16.10.2025	22
139	तहसील डोईवाला के पुलिस, होमगार्ड, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अन्य कार्मिकों प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण।	23.10.2025	50
140	29 यूके0 NCC बटालियन, देहरादून हेतु 07 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	04.11.2025 से 10.11.2025	50
142	01 यूके0 NCC बटालियन, गोपेश्वर हेतु 07 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	14.11.2025 से 20.11.2025	32
143	29 यूके0 NCC बटालियन, देहरादून हेतु 07 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	23.11.2025 से 29.11.2025	75
145	11 यूके0 NCC बटालियन, देहरादून हेतु 07 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	02.12.2025 से 08.12.2025	50
146	बालिका कालेज मसूरी में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	09.12.2025	80
147	सनातन बालिका कालेज मसूरी में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	10.12.2025	130
148	ग्राम लांघा में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	15.12.2025	47
149	ग्राम पपडियाना में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	16.12.2025	49
150	ग्राम तौली/भूर में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	18.12.2025	73
151	रा0इ0का0 खुडबुडा में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	18.12.2025	142
152	ग्राम पष्टा में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	19.12.2025	41
153	03 यूके0 NCC बटालियन, देहरादून हेतु 07 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	20.12.2025 से 26.12.2025	57
154	ग्राम धर्मावाला में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	22.12.2025	52
155	रा0इ0का0 नालापानी में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का	22.12.2025	540

	आयोजन		
156	ग्राम ढकरानी में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	23.12.2025	33
157	ग्राम जामनखटटा में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	24.12.2025	25
158	03 यूके0 NCC बटालियन में 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	24.12.2025	68
159	ग्राम एटनबाग में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	25.12.2025	68
160	ग्राम बदामावाला में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	29.12.2025	51
161	रा0इ0का0 मेंहूवाला में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	29.12.2025	574
162	रा0इ0का0 किशनपुर में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	30.12.2025	680
163	ग्राम अम्बाडी में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	30.12.2025	65
164	वरनि जैन इण्टर कालेज के NSS स्वयंसेवीयों हेतु 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	01.01.2026	55
165	DAV इण्टर कालेज के NSS स्वयंसेवीयों हेतु 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	02.01.2026	59
166	MKP इण्टर कालेज के NSS स्वयंसेवीयों हेतु 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	03.01.2026	33
167	SGRR लक्ष्मण इण्टर कालेज के NSS स्वयंसेवीयों हेतु SGRR मोथरोवाला में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	05.01.2026	54
168	एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल, पटेलनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	16.01.2021	600
169	लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को NDRF एवं DDMA के संयुक्त तत्वाधान में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम। (105 पुरूष एवं 79 महिला)	16.01.2021	184
170	गोवर्धन सास्वती विद्या मन्दिर, नियर धर्मपुर चौक में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	17.01.2017	751
171	रा0बा0इ0का0, राजपुर रोड, देहरादून में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (1048 छात्रा एवं 52 स्टाफ)	19.01.2026	1100
172	सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (600 छात्र, 200, छात्रा एवं 20 स्टाफ)	20.01.2026	820
173	गेल इण्डिया लिमिटेड के समस्त राज्यों से आये हुये अधिकारियों हेतु आपदा प्रबंधन, पूर्व तैयारियों एवं विभागों से समन्वय से संबधित प्रशिक्षण कार्यक्रम।	21.01.2026	38
174	एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल, शाखा पटेलनगर में 01 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	22.01.2026	798
175	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के कार्मिको हेतु 01 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ढकरानी में किया गया। (05 महिला एवं 25 पुरूष)	29.01.2026	30
176	11 यू0के0 NCC बटालियन, देहरादून हेतु 07 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड बुचडी गढी कैण्ट में किया गया।	31.01.2026 से 06.02.2026	75
177	भोपालपानी, रायपुर, देहरादून में भारत स्काउट एण्ड गाईड के	07.02.2026	93

	स्वयंसेवियों हेतु आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (35 पुरूष एवं 58 महिला)		
178	दून यूर्निवसिटी, देहरादून में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (40 पुरूष एवं 60 महिला)	07.02.2026	100
179	ग्राम भवनधार एवं नकोड में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (42 पुरूष एवं 34 महिला)	09.02.2026	76
180	सुभारती कालेज, नन्दा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (87 पुरूष एवं 163 महिला)	09.02.2026	250
181	ग्राम हसनपुर, विकासनगर में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (23 पुरूष)	11.02.2026	23
180	डी0बी0एस0 ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेलाकुई, देहरादून में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (95 पुरूष एवं 155 महिला)	13.02.2026	250
182	ग्राम शीशमबाडा एवं बुलाकीवाला में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (40 पुरूष एवं 03 महिला)	14.02.2026	43
183	ग्राम रूद्रपुर एवं जीवनगढ में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (65 पुरूष)	16.02.2026	65
184	ग्राम कार्लीगाड एवं शेरागांव में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (30 पुरूष एवं 18 महिला)	17.02.2026	48
185	ग्राम सरोना में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (25 पुरूष एवं 17 महिला)	18.02.2026	42
186	ग्राम फुलेत एवं छमरोली में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (50 पुरूष एवं 30 महिला)	19.02.2026	80
187	ग्राम सरखेत तिमलीमान सिंह एवं थेवा मालदेवता में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (34 पुरूष एवं 31 महिला)	20.02.2026	65
188	ग्राम दवारा में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (35 पुरूष एवं 18 महिला)	23.02.2026	33
199	ग्राम रानीपोखरी में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (25 पुरूष)	25.02.2026	25
200	ग्राम धारकोट एवं तलई में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (26 पुरूष एवं 14 महिला)	27.02.2026	40
201	ग्राम सिमयारी एवं क्यारा में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (50 पुरूष एवं 15 महिला)	28.02.2026	65
FAMEX कार्यक्रम के तहत औद्योगिक प्लांटों का निरीक्षण			
202	स्टार एयरो स्पेश मोहब्बेवाला, देहरादून प्लांट का निरीक्षण	13.02.2026	प्लांट के समस्त कार्मिकों को आपदा संबंधी जानकारियां प्रदान की गई तथा प्लांट का निरीक्षण किया गया
203	एम0एस0 हिमालयन रीहेब, पी.वी.टी. लि.मि., रानीपोखरी प्लाट का निरीक्षण	16.02.2026	
204	महावीर ट्रांसमिशन लि.मि.टेड, जीवनगढ का निरीक्षण।	17.02.2026	
205	अमर उजाला लि.मि.टेड का निरीक्षण।	19.02.2026	
206	मै0 वीजल होमियो फार्मा का निरीक्षण	20.02.2026	
207	मै0 कॉपर लाईफ पी.वी.टी. लि.मि. का निरीक्षण	21.02.2026	
208	मै0 डीसिजन टैक्नॉलाजी पी.वी.टी. लि.मि., होपटाउन सेलाकुई का निरीक्षण	22.02.2026	
209	मै0 एलस्टोन इंटरनेशनल लाईफ पी.वी.टी. लि.मि., सेलाकुई का निरीक्षण	23.02.2026	
210	मै0 आरहम बायोसुटिकल्स पी.वी.टी. लि.मि., सेलाकुई का निरीक्षण।	25.02.2026	
211	मै0 लिन्डे इण्डिया पी.वी.टी. लि.मि., होपटाउन सेलाकुई का	26.02.2026	

	निरीक्षण।		
212	एयरसेली लाईफ साइंस पी.वी.टी. लि.मि., होपटाउन सेलाकुई का निरीक्षण।	27.02.2026	
213	मै0 डाटा लिंक इंडस्ट्रीयल कोरपोरेशन पी.वी.टी. लि.मि., होपटाउन का निरीक्षण।	27.02.2026	
214	एयरसेली लाईफ साइंस पी.वी.टी. लि.मि., होपटाउन सेलाकुई का निरीक्षण।	28.02.2026	
215	SBS यूनिवर्सिटी, बालावाला, देहरादून में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (85 पुरूष एवं 65 महिला)	17.02.2026	150
216	भोपालपानी, रायपुर, देहरादून में भारत स्काउट एण्ड गाईड के स्वयंसेवियों हेतु आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (12 पुरूष एवं 43 महिला)	18.02.2026	55
217	तहसील कालसी एवं थानों रेंज में वनाग्नि मॉक अभ्यास का आयोजन।	18.02.2026	--
218	उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, प्रेमनगर में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (110 पुरूष एवं 140 महिला)	20.02.2026	250
219	भटटाफॉल, मसूरी रोप वे मॉक अभ्यास का आयोजन।	20.02.2026	--
220	SGRR PG College पथरीबाग, देहरादून में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (45 पुरूष एवं 75 महिला)	21.02.2026	120
221	भोपालपानी, रायपुर, देहरादून में भारत स्काउट एण्ड गाईड के स्वयंसेवियों हेतु आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (58 पुरूष एवं 47 महिला)	23.02.2026	105
222	Doon PG College of Agriculture Science and Technology Selaqui में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (62 पुरूष एवं 24 महिला)	24.02.2026 से 28.02.2026	86
223	Maya Devi University, Selaqui में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (80 पुरूष एवं 70 महिला)	27.02.2026	150
224	टिहरी डैम बाढ मॉक अभ्यास का आयोजन ऋषिकेश क्षेत्र में।	11.03.2026	
225	भोपालपानी, रायपुर, देहरादून में भारत स्काउट एण्ड गाईड के स्वयंसेवियों हेतु आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (50 पुरूष एवं 15 महिला)	12.03.2026	65
226	चारधाम मॉक अभ्यास का आयोजन (कालसी, मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर।	18.03.2026	
227	भोपालपानी, रायपुर, देहरादून में भारत स्काउट एण्ड गाईड के स्वयंसेवियों हेतु आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (42 पुरूष एवं 34 महिला)	20.03.2026	76
228	SGRR PG College पथरीबाग, देहरादून के NSS के स्वयंसेवियों हेतु आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (25 पुरूष एवं 22 महिला)	26.03.2026	47

जनपद देहरादून में उपलब्ध उपकरणों का विवरण

क्र. स.	उपकरण/वस्तु का नाम	उपकरणों की संख्या	तहसील चकराता	एम्बुलैंस चकराता	तहसील कालसी	तहसील त्यूनी	एम्बुलैंस त्यूनी	तहसील विकानगर	तहसील सदर	तहसील मसूरी	थाना मसूरी	एम्बुलैंस मसूरी	तहसील ऋमिकेश	तहसील डोईवाला	पुलिस विभाग	अग्निशमन विभाग	थाना चकराता	थाना त्यूनी	वन प्रभाग चकराता	नगर निगम देहरादून	नगर निगम ऋषिकेश	वन विभाग	वन प्रभाग त्यूनी	ए.डी. एम. प्रशासन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	आपदा कंट्रेल रुम
1	वुड कटर स्वचालित	26	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	13	-	-	1	1	1	-	4	-	-	1
2	डायमंड चैन शॉ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	आयरन कटर/कंट आफ सा	9	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
4	वुड कटर ब्लेड एवं चैन	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	आयरन कटर एवं ब्लेड	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	कंक्रीट कटर ब्लेड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	पोर्टेवल जनरेटर	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	फ्लड लाईट	8	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ड्रैगन लाईट	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	आस्का टॉवर लाईट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	स्ट्रैचर	89	13	-	13	13	-	12	4	9	-	-	8	9	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
12	फोल्डिंग स्ट्रेचर	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	अग्नि शमन यंत्र	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मल्टी पर्पज रोप	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	रैपलिंग रोप 100 मी0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	कर्नामेंटल रोप 100 मी0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	हैड लाईट	32	3	-	3	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	2
18	स्क्रू केराबिनर	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	सीट हारनेस	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जनपद देहरादून में उपलब्ध उपकरणों का विवरण

क्र. स.	उपकरण/वस्तु का नाम	उपकरणों की संख्या	तहसील चकराता	एम्बुलैंस चकराता	तहसील कालसी	तहसील त्यूनी	एम्बुलैंस त्यूनी	तहसील विकानगर	तहसील सदर	तहसील मसूरी	थाना मसूरी	एम्बुलैंस मसूरी	तहसील ऋमिकेश	तहसील डोईवाला	पुलिस विभाग	अग्निशमन विभाग	थाना चकराता	थाना त्यूनी	वन प्रभाग चकराता	नगर निगम देहरादून	नगर निगम ऋषिकेश	वन विभाग	वन प्रभाग त्यूनी	ए.डी. एम. प्रशासन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	आपदा कंट्रेल रुम
20	बाडी हारनेस	12	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	टेप सीलिंग	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	सिंगल पुली	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	टैन्डम पुली	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	रक सैक 64 ली0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	जुमार	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	फायर बिटर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	दरान्ती	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	फायर शूज	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	फायर हेलमेट	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	हेलमेट विद लाईट	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	वॉटर मिस्ट हाई प्रेशर	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	टार्च	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	हैण्ड टार्च एवरैडी सैल वाली	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	सर्च लाईट	13	3	-	3	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	जी0पी0एस0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	स्लिपिंग बैग	23	6	-	6	2	-	1	-	1	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	पोर्टवल टेंट (06 मैन)	17	2	-	7	1	-	2	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	टेंट बडे	8	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. स.	उपकरण/वस्तु का नाम	उपकरणों की संख्या	तहसील चकराता	एम्बुलैंस चकराता	तहसील कालसी	तहसील त्यूनी	एम्बुलैंस त्यूनी	तहसील विकानगर	तहसील सदर	तहसील मसूरी	थाना मसूरी	एम्बुलैंस मसूरी	तहसील ऋमिकेश	तहसील डोईवाला	पुलिस विभाग	अग्निशमन विभाग	थाना चकराता	थाना त्यूनी	वन प्रभाग चकराता	नगर निगम देहरादून	नगर निगम ऋषिकेश	वन विभाग	वन प्रभाग त्यूनी	ए.डी. एम. प्रशासन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	आपदा कंट्रेल रुम
39	टेंट छोटे	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	हेलमेट	20	2	-	3	9	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	रेन कोट	156	17	-	18	11	-	32	16	8	-	-	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
42	कैरी मैट	16	-	-	3	6	-	1	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	रस्सी बंडल	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	तिरपाल	12	3	-	3	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	कैनवास तिरपाल (छोटे/बडे)	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	वॉकी टॉकी	50	5	-	5	5	-	3	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
47	लैक्टोमीटर (पानी नापने	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	छोटे रस्से प्लास्टिक के	41	27	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	चार्जेबल टार्च	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	चोर्जेबल एल.ई. डी सर्च लाईट	29	4	-	2	4	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	1
51	एल.ई.डी टार्च	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	मल्टी पर्पज रोप	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	फावडे	123	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20	-	-	-
54	कुल्हाडी	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
55	बेलचा	102	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
56	तसले	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	सब्बल बडे	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जनपद देहरादून में उपलब्ध उपकरणों का विवरण																										
क्र. स.	उपकरण/वस्तु का नाम	उपकरणों की संख्या	तहसील चकराता	एम्बुलैंस चकराता	तहसील कालसी	तहसील त्यूनी	एम्बुलैंस त्यूनी	तहसील विकानगर	तहसील सदर	तहसील मसूरी	थाना मसूरी	एम्बुलैंस मसूरी	तहसील ऋमिकेश	तहसील डोईवाला	पुलिस विभाग	अग्निशमन विभाग	थाना चकराता	थाना त्यूनी	वन प्रभाग चकराता	नगर निगम देहरादून	नगर निगम ऋषिकेश	वन विभाग	वन प्रभाग त्यूनी	ए.डी. एम. प्रशासन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	आपदा कंट्रेल रुम
58	सट्बल छोटे	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	फीता माप मी0 50	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	गलट्ज (जोडे)	20	1	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
61	बडे रस्से इटालियन	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	छोटे रस्से जूट के	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	लाईट गैस सिलेण्डर	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	फर्स्ट एड किट	42	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	एल्युमिनियम फोल्डिंग सीढी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
66	रस्सा 50 मी	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
67	रेस्क्यू किट	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
68	ट्लोवर	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	कंक्रीट कटर/आयरन	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	पेलिकन लाईट	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
71	मैगाफोन/लाउड स्पीकर	21	2	-	3	-	-	3	2	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
72	टिन बॉक्स	8	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	सैटेलाईट फोन एवं जी0एस0पी0एस0 सैटेलाईट फोन	12	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
74	डीजल एवं पेट्रोल आधारित वॉटर पम्प	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
75	वुड कटर चैन 18 इंच	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जनपद देहरादून में उपलब्ध उपकरणों का विवरण

क्र. स.	उपकरण/वस्तु का नाम	उपकरणों की संख्या	तहसील चकराता	एम्बुलैंस चकराता	तहसील कालसी	तहसील त्यूनी	एम्बुलैंस त्यूनी	तहसील विकानगर	तहसील सदर	तहसील मसूरी	थाना मसूरी	एम्बुलैंस मसूरी	तहसील ऋमिकेश	तहसील डोईवाला	पुलिस विभाग	अग्निशमन विभाग	थाना चकराता	थाना त्यूनी	वन प्रभाग चकराता	नगर निगम देहरादून	नगर निगम ऋषिकेश	वन विभाग	वन प्रभाग त्यूनी	ए.डी. एम. प्रशासन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	आपदा कंट्रेल रुम
76	वुड कटर चैन 25 इंच	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	चैन टायर हेतु	39	2	4	-	4	4	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15	-
78	ड्रोन कैमरा एवं बैटरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
79	बाडी बैग	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
80	छाते	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
81	नैप सैक	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
82	पुलस्की	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
83	गमछा	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
84	फायर रैक	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
85	फायर डांगरी	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
86	वाटर बोतल	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
87	लाईफ जैकेट	30	-	-	4	10	-	2	-	-	-	-	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अध्याय : 11 डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

(Coordination mechanism for Implementation of DDMP)

जिला और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय उचित आपदा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी हितधारक विभागों और स्थानीय निकायों जैसे पीडब्ल्यूडी, आई एंड पीएच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अग्निशमन और होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, यूपीसीएल, रेड क्रॉस, नगर निगम, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ) और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ अंतर–विभागीय और अंतः–विभागीय समन्वय की आवश्यकता होती है। ये साझेदारियां यह सुनिश्चित करती हैं कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था के प्रत्येक स्तर को प्रभावी योजना, सेवाएं, सूचना और संसाधनों के समन्वय के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।

जिले का डीडीएमपी एक तीन–स्तरीय आपदा प्रबंधन समन्वय प्रणाली है, जो नीचे से ऊपर (बॉटम–टू–टॉप) दृष्टिकोण पर आधारित है, अर्थात तहसील स्तर, उप–मंडल स्तर और जिला स्तर। यह प्रणाली सहायता और समर्थन के प्रगतिशील वृद्धि को सक्षम बनाती है।

इस व्यवस्था में कई प्रमुख प्रबंधन और समन्वय संरचनाएं शामिल हैं। इन व्यवस्थाओं के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं

(अ) तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां अपने क्षेत्राधिकार के तहत आपदा न्यूनीकरण, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति से संबंधित सभी उपायों की योजना बनाने, संगठित करने, समन्वय करने और कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ब) तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) आपदा प्रबंधन समूहों का समर्थन करते हैं और आपदा संचालन के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधनों और सेवाओं का समन्वय करते हैं।

(स) जिला प्रशासन की कार्यात्मक एजेंसियां, डीडीएमए और डीडीईसी विशिष्ट खतरों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती हैं और आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करती हैं।

11.1 अंतः–विभागीय समन्वय (Inter Departmental Coordination)- प्रत्येक हितधारक विभाग, जैसे पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यूपीसीएल, अग्निशमन और होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, रेड क्रॉस, अपने विभागीय स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी करेगा।

यह समितियां त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेंगी, जिनमें विभाग की आपदा प्रबंधन तैयारियों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही, समिति उन उपायों को निर्धारित करेगी जो उनकी क्षमताओं में मौजूद कमियों को कम करने के लिए आवश्यक हैं और उनका उचित रिकॉर्ड भी रखेगी।

11.2 उप–मंडल स्तर पर समन्वय तंत्र– संस्थागत तंत्र के अनुसार, उप–मंडलीय अधिकारी (सिविल) त्रैमासिक बैठक बुलाएगा, जिसमें उप–मंडल स्तर की आपदा प्रबंधन समिति आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगी और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाएगी। अध्यक्ष स्थिति की रिपोर्ट डीडीएमए को देगा और यदि आवश्यक हो, तो संसाधनों की मांग भेजेगा।

11.2.1 तहसील स्तर पर समन्वय तंत्र– संस्थागत तंत्र के अनुसार, तहसीलदार त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें तहसील स्तर की आपदा प्रबंधन समिति तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगी और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाएगी।

11.2.2 स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं– स्थानीय स्तर पर समुदाय अपनी आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभाते हैं। तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर अतिरिक्त संसाधन, सहायता, सहयोग और विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। स्थानीय सरकार आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख प्रबंधन एजेंसी होती है। स्थानीय सरकार स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के माध्यम से समन्वित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण प्राप्त करती है।

11.3 जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली– जिला मजिस्ट्रेट जिला प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है और डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का अध्यक्ष होता है, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है। उन्हें जिले में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अधिकारी नामित किया गया है। जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की भूमिका आपदा के

प्रकार और प्रकृति के आधार पर तय की जाएगी। डीडीएमए के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संबंधित सदस्यों से परामर्श के बाद पहले से निर्धारित की जाएंगी।

पूर्व–आपदा समन्वय–

- न्यूनतम वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और लाइन विभागों, तहसीलों और उप–मंडलों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाएगी।
- बैठक के एजेंडे में प्रत्येक विभाग की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें एसएआर (खोज और बचाव) उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता और नियमित अद्यतन शामिल होगा।

आपदा चरण में समन्वय

- आपदा के दौरान फोन या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से समन्वय करना संभव नहीं होता, इसलिए जिले के सभी लाइन विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों को आपदा के तुरंत बाद जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) में रिपोर्ट करना होगा।
- नुकसान/क्षति का आकलन डीईओसी में किया जाएगा और जिलाधिकारी (उत्तरदायी अधिकारी – आरओ) विभिन्न हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में उनके संसाधनों और कार्य बलों को तैनात करने का निर्देश देगा।
- पूर्व–निर्धारित स्थानों पर राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे।

आपदा के बाद समन्वय

- आपदा के बाद के चरण में, आरओ संबंधित विभागों से जल, खाद्य आपूर्ति, सड़कों, कानून और व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी लेगा।

11.4 समुदाय के साथ समन्वय तंत्र (Coordination mechanism with the community) - समुदाय का समन्वय ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

Figure 11.1: Disaster management committee at Village level

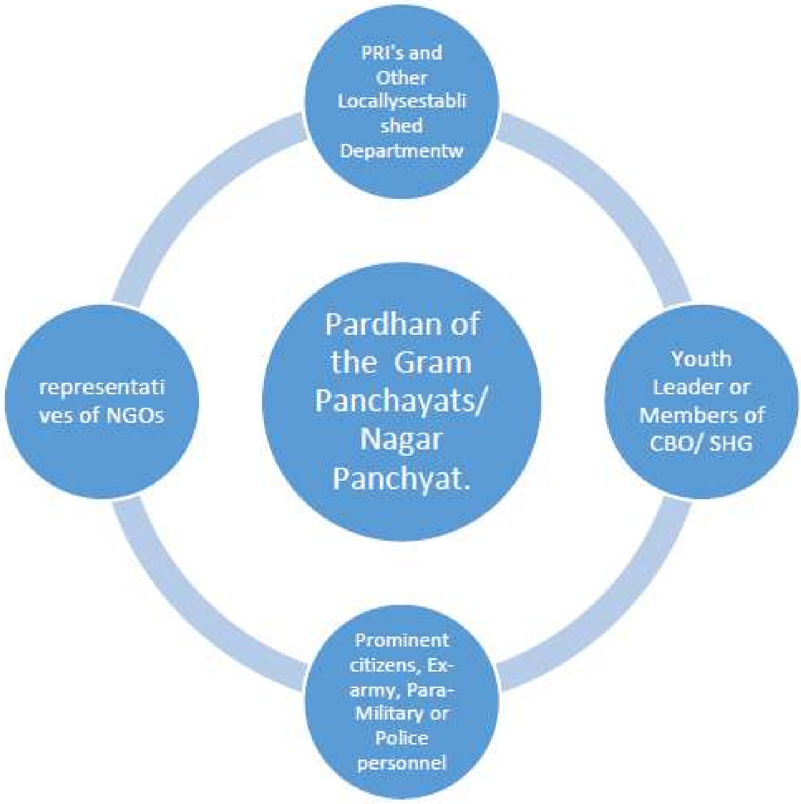

उल्लेखित समितियों को ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है।

11.4.1 स्थानीय समिति की बैठकों की आवृत्ति– स्थानीय समिति की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार उस विशेष समय और स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए, जो समूह के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय समिति के अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी यदि:

- उस जिले की जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा, जिसमें स्थानीय समिति स्थित है, या स्थानीय समिति के कुल सदस्यों के आधे से अधिक (एक–तिहाई से अधिक) सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध किया जाए।
- स्थानीय सरकार को अपने क्षेत्र के लिए एक स्थानीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए।
- आपदा प्रबंधन और आपदा संचालन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक समर्थन सेवाओं की पहचान करना और संबंधित जिला प्राधिकरण को सलाह प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय को किसी आपदा की प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, उससे निपटने और पुनर्प्राप्ति के तरीकों के बारे में जागरूकता हो।

- जिला प्राधिकरण द्वारा तय की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के तहत क्षेत्र में आपदा संचालन का प्रबंधन करना।
- आपदा संचालन से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और संबंधित जिला प्राधिकरण को सिफारिशें देना।
- उन संसाधनों की पहचान करना और उनका समन्वय करना, जिनका उपयोग आपदा संचालन के लिए किया जा सकता है।
- आपदा की स्थिति में स्थानीय समिति के भीतर और संबंधित जिला प्राधिकरण तथा अन्य स्थानीय समितियों के साथ संचार प्रणाली की स्थापना और समीक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में आपदा से संबंधित जानकारी तुरंत संबंधित जिला प्राधिकरण को दी जाए।
- स्थानीय सरकारी क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं की आकस्मिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
- स्थानीय प्राधिकरण के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41 में पाई जा सकती है।

11.5 एनजीओ, सीबीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र – एनजीओ और सीबीओ की जमीनी स्तर पर समुदायों से मजबूत जुड़ाव आपदा जोखिम और संवेदनशीलता पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, हितधारक समूहों की क्षमता को मजबूत करने, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण से संबंधित उभरती चिंताओं को संबोधित करने में एनजीओ स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अन्य देशों में अपनाई गई अच्छी प्रथाओं के आधार पर नवीन दृष्टिकोणों को पेश कर सकते हैं।

एनजीओ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाताओं से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से एकीकृत और समन्वित करके जोखिमग्रस्त समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक समन्वय बना सकते हैं।

डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जिले में कार्यरत एनजीओ और सीबीओ का उचित रिकॉर्ड रखेगा और उनके उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण करेगा।

डीडीएमए एनजीओ, सीबीओ और एसएचजी के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

डीडीएमए, एनजीओ, सीबीओ और एसएचजी की वार्षिक बैठक बुलाएगा, जिसमें उनके संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा। इस बैठक का समन्वय नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11.6 अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय – डीडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए पड़ोसी जिलों के प्राधिकरणों के साथ वार्षिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें नियमित समन्वय के माध्यम से मौजूदा कमियों को कम करने पर चर्चा की जाएगी।

डीडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) या अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेगा, ताकि अन्य जिलों और राज्य प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।

Standard Operating Procedure (SOP)

आपदा प्रबन्धन च्रक

जनपद देहरादून अंतर्गत उक्त के क्रम मे आपदा प्रन्धबन विभाग एवं सहयोगी विभागों द्वारा कार्य किया जाता है।

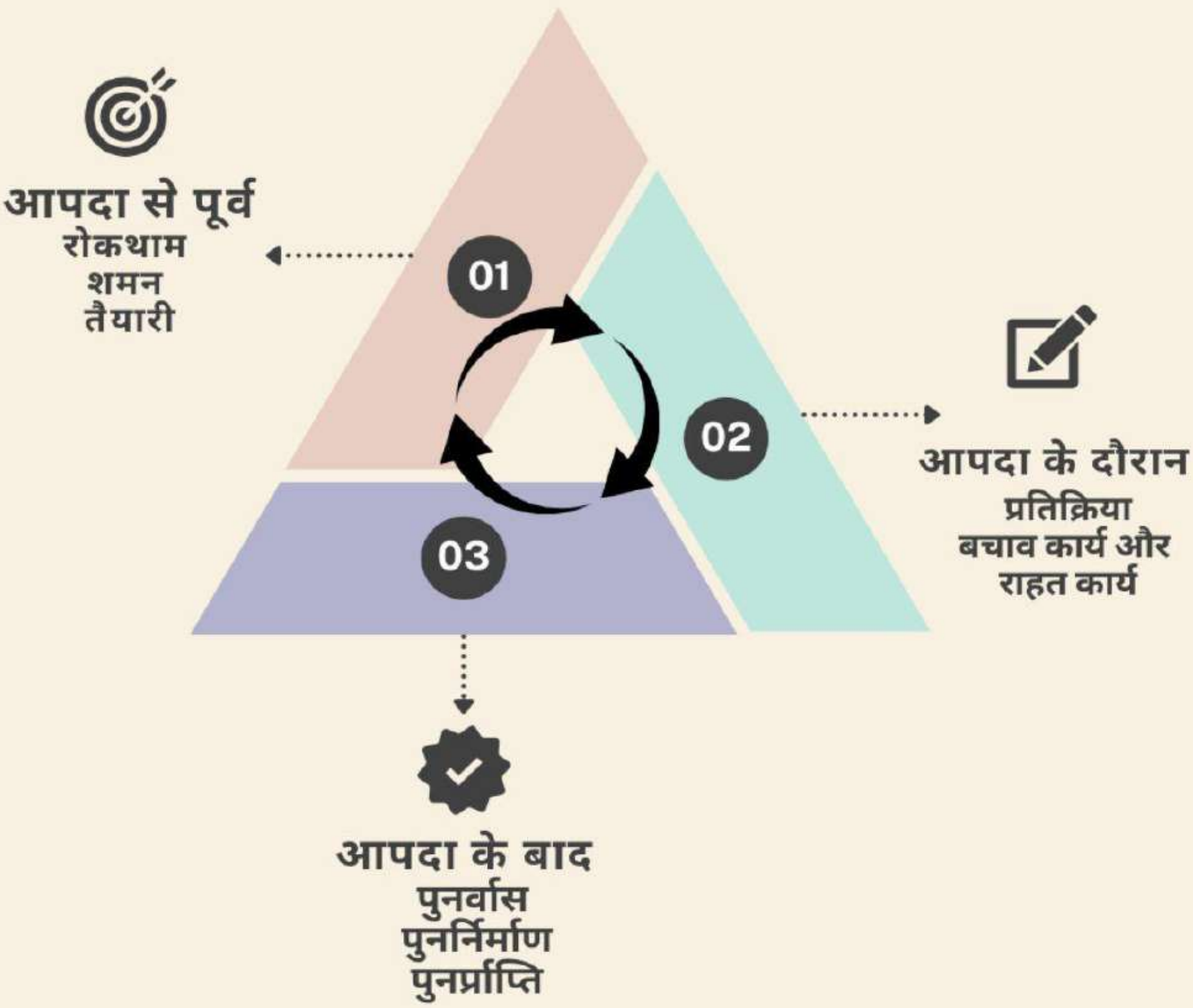

District Disaster Management Authority, Dehradun

अध्याय–12 मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

<u>District Disaster Management Authority, Dehradun</u>

Standard Operating Procedure (SOP)

For Fire Accident/Incident

V.1.0

1. **Introduction:**

   This Standard Operating Procedure (SOP) is developed to provide guidelines for the management and control of fire accidents/incidents in Dehradun district, Dehradun. The purpose of this SOP is to ensure effective and efficient response to fire accidents/incidents while minimizing the loss of life and property.

2. **Objectives: The objectives of this SOP are to:**

- Ensure the safety of human life and property during fire accidents/incidents
- Establish a framework for the management and control of fire accidents/incidents
- Ensure that all relevant parties are informed and involved in the response to fire accidents/incidents
- Ensure effective communication between emergency responders, the public, and other stakeholders
- Provide guidelines for the use of equipment and resources during fire accidents/incidents
- Ensure that all actions are in compliance with relevant legislation and policies.

3. **Responsibilities:**

   The following are the responsibilities of different stakeholders involved in the management and control of fire accidents/incidents in Dehradun district, Dehradun:

- Fire and Emergency Services: The Fire and Emergency Services department will be responsible for responding to fire accidents/incidents and providing assistance to those affected. They will ensure that their personnel are properly trained, equipped, and prepared to respond to any fire accidents/incidents.
- Police Department: The Police department will assist the Fire and Emergency Services department in managing and controlling the affected area and ensuring public safety.

- Public: The public has a responsibility to report fire accidents/incidents as soon as possible and to follow the instructions of emergency responders.

4. **Procedure:**

   The following steps shall be taken in the event of a fire accident/incident in Dehradun district, Dehradun:

- Step 1: Report the fire accident/incident to the Fire and Emergency Services department by dialing 101,108 or District Emergency Operation Center (DEOC) Control room no 0135 – 2726066 / 1077.
- Step 2: Provide details of the location of the fire, the nature of the fire, and any hazards or risks associated with the fire.
- Step 3: Evacuate the affected area and ensure that all people are moved to a safe distance.
- Step 4: The Fire and Emergency Services department will arrive at the scene of the fire and assess the situation.
- Step 5: The Fire and Emergency Services department will initiate firefighting operations and deploy resources and equipment as required.
- Step 6: The Police department will assist in managing and controlling the affected area and ensuring public safety.
- Step 7: The Fire and Emergency Services department will provide updates to the public and other stakeholders on the progress of the firefighting operation and any risks or hazards associated with the fire.
- Step 8: Once the fire is under control, the Fire and Emergency Services department will conduct an investigation to determine the cause of the fire and take appropriate action to prevent similar incidents from occurring in the future.

6. **Resources**:

   The following resources shall be available for the management and control of fire accidents/incidents in Dehradun district, Dehradun:

- Firefighting equipment and vehicles
- Firefighters and emergency responders
- Communication equipment
- First aid kits and medical supplies
- Rescue equipment

7. **Training and Awareness:**

   All stakeholders involved in the management and control of fire accidents/incidents shall be provided with training and awareness programs on fire safety and emergency response. This shall include:

- Fire safety measures and prevention
- Emergency response procedures
- Use of firefighting equipment and vehicles
- Communication protocols

8. **Review and Update:**

   This SOP shall be reviewed and updated regularly to ensure its effectiveness and relevance. This shall include:

- Reviewing the effectiveness of the emergency response procedures
- Evaluating the availability and adequacy of resources and equipment
- Updating the training and awareness programs
- Incorporating changes in relevant legislation and policies

9. **Conclusion**: The effective management and control of fire accidents/incidents in Dehradun district, Dehradun requires a coordinated and collaborative effort from all stakeholders. This SOP provides a framework for the management and control of fire accidents/incidents and ensures that all actions are in compliance with relevant legislation and policies. By following this SOP, we can ensure the safety of human life and property during fire accidents/incidents in Dehradun district, Dehradun.

District Disaster Management Authority, Dehradun

Standard Operating Procedure (SOP)

For Road Accident/Incident

V.1.0

1. Introduction:

This SOP aims to outline the appropriate steps to be taken in the event of a road accident or incident in the Dehradun district of Dehradun, Uttarakhand. The purpose of this SOP is to ensure a prompt and coordinated response to minimize the potential loss of life and property and provide appropriate medical assistance to those affected by the incident.

2. Reporting the Incident:

1. In the event of a road accident or incident, the first step is to call emergency services by dialing 101,108 or District Emergency Operation Center (DEOC) Control room no 0135 – 2726066 / 1077.
2. Provide the operator with details of the location of the accident or incident, the number of casualties, and the extent of injuries.
3. If possible, move the vehicles involved in the incident to the side of the road to prevent further accidents or traffic congestion.
4. If the accident involves hazardous materials, notify the authorities immediately and take appropriate measures to control the spill or leak.

3. Assessing the Situation:

1. Once the emergency services arrive, provide them with accurate and complete information about the incident.
2. Provide assistance to the injured and direct traffic around the accident site to prevent further accidents.
3. If there are fatalities or serious injuries, the emergency services will notify the appropriate authorities, including the police and medical examiner.
4. If the incident involves damage to public or private property, inform the relevant authorities, including the local municipality or corporation.

4. Medical Assistance:

1. Provide first aid to the injured if you are trained to do so. However, it is essential to wait for emergency services to arrive to ensure that the injured receive appropriate medical attention.

2. If the injured require hospitalization, the emergency services will transport them to the nearest hospital or medical facility.
3. If necessary, contact the family members or next of kin of the injured or deceased to inform them of the incident.

5. Follow-up and Investigation:

1. After the incident has been resolved, the police or other relevant authorities will conduct an investigation to determine the cause of the accident or incident.
2. If you witnessed the incident or have any relevant information, provide it to the authorities to assist with their investigation.
3. Cooperate with the authorities and provide any necessary documents or information to help with the investigation.
4. If you are involved in the incident as a driver or vehicle owner, ensure that you follow all legal procedures, including submitting necessary documents and cooperating with the authorities.

6. Preventative Measures:

1. After the incident has been resolved, take measures to prevent future accidents or incidents. For example, if the accident was caused by poor road conditions, inform the relevant authorities to take corrective measures.
2. Spread awareness among your friends and family about road safety, including following traffic rules, avoiding distracted driving, and maintaining vehicles in good condition.
3. Always wear seatbelts and helmets, and avoid driving under the influence of drugs or alcohol.
4. Finally, take measures to ensure that emergency services can be contacted easily and quickly, including saving the emergency contact numbers in your phone and carrying a first aid kit in your vehicle.

Conclusion: In conclusion, it is essential to have a clear SOP in place to handle road accidents or incidents effectively. By following the above steps, you can ensure prompt and coordinated action in the event of such incidents, minimize the potential loss of life and property, and provide appropriate medical assistance to those affected. Moreover, spreading awareness about road safety and taking preventative measures can help prevent future incidents and keep our roads safe.

District Disaster Management Authority, Dehradun

Standard Operating Procedure (SOP)

For Stampede Situations

V.1.0

Standard Operating Procedure (SOP) for Stampede Situations in Dehradun District, Dehradun

Stampede situations are unexpected and often chaotic events that can result in injuries or fatalities. Dehradun District, located in the state of Uttarakhand, is home to several popular tourist destinations, including temples, markets, and natural attractions. To prevent and manage stampede situations, the following Standard Operating Procedure (SOP) has been developed:

1. **Prevention measures:**

   a. Report the Stampede Situations to the Emergency Services department by dialing District Emergency Operation Center (DEOC) Control room no 0135 – 2726066 / 1077.

   Identify and assess high-risk areas: Authorities should identify and assess high-risk areas, such as crowded markets, temples, and natural attractions, to understand potential stampede situations.

   b. Crowd control: Authorities should implement crowd control measures, such as barricades and designated entry and exit points, to manage crowds and prevent overcrowding.

   c. Capacity management: Authorities should monitor the capacity of venues and facilities and limit the number of people allowed in at any given time.

   d. Communication: Authorities should use public address systems, signs, and social media to communicate with the public about the risks of overcrowding and the importance of following safety guidelines.

2. **Response measures:**

   a. Evacuation plan: Authorities should develop an evacuation plan and identify evacuation routes and assembly points in case of a stampede situation.

b. Emergency services: Authorities should have emergency services, such as medical facilities, ambulances, and fire and rescue services, on standby to respond quickly to any stampede situation.

c. Crowd management: Authorities should train personnel to manage crowds during a stampede situation, including creating safe zones for those affected, directing people towards exits, and providing support to vulnerable people, such as children and the elderly.

d. Communication: Authorities should communicate with the public during the response to provide updates and instructions on how to stay safe.

3. **Recovery measures:**

a. Post-incident review: Authorities should conduct a post-incident review to identify areas for improvement and to update the SOP if necessary.

b. Support to victims: Authorities should provide support to victims of the stampede situation, including medical care, counseling, and other forms of assistance.

c. Communication: Authorities should communicate with the public about the incident and measures being taken to prevent future stampede situations.

4. **Implementation measures:**

a. Training and awareness: Authorities should provide training to personnel on the SOP and raise awareness among the public about the risks of stampede situations and the importance of following safety guidelines.

b. Testing and drills: Authorities should conduct regular testing and drills to ensure that the SOP is effective and that personnel are familiar with their roles and responsibilities during a stampede situation.

c. Coordination: Authorities should coordinate with other agencies and stakeholders, such as the police, transport authorities, and local businesses, to ensure a coordinated response to stampede situations.

5. **Review and improvement measures:**
   a. Monitoring and evaluation: Authorities should monitor and evaluate the effectiveness of the SOP through regular review and analysis of data and feedback from stakeholders.
   b. Continuous improvement: Authorities should identify areas for improvement and make necessary updates to the SOP to ensure that it remains relevant and effective in preventing and managing stampede situations.

In conclusion, stampede situations can be prevented and managed through careful planning, effective communication, and quick response. The SOP outlined above provides a framework for authorities in Dehradun District to prevent, respond to, and recover from stampede situations.

District Disaster Management Authority, Dehradun

Standard Operating Procedure (SOP)

For Storm Preparedness

Statement of Purpose for Storm Preparedness in Dehradun District.

Introduction: Dehradun district is a hilly area located in the northern part of India. It is prone to various natural disasters, including landslides, earthquakes, and storms. In recent years, storms have become a common occurrence in the district, causing significant damage to property and loss of life. Therefore, it is essential to prepare for storm emergencies in advance.

Objective: The objective of this Statement of Purpose is to outline a comprehensive plan for storm preparedness in Dehradun district, including measures to mitigate the effects of storms and to ensure public safety during a storm event.

Risk Assessment: The first step in storm preparedness is to conduct a risk assessment of the district. This assessment should consider the historical data on storms in the area, the topography of the district, and the vulnerability of the infrastructure and the population. This data will help in identifying the areas most at risk of damage during a storm and in designing an appropriate response plan.

Preparation Plan: The preparation plan for storm emergencies should include the following steps:

1. Establishing an Emergency Response Team: An Emergency Response Team should be established to coordinate the response to a storm event. The team should include representatives from the district administration, police, fire department, medical services, and other relevant agencies.
2. Developing an Early Warning System: An early warning system should be put in place to alert the public of an impending storm. The system should be accessible to all residents of the district, including those in remote areas. It should include a range of communication channels, such as radio, television, mobile phones, and social media.
3. Conducting Public Awareness Campaigns: Public awareness campaigns should be conducted to educate the public about the risks of storms and the measures they can take to protect themselves and their property. The campaigns should target all segments of the population, including children, the elderly, and people with disabilities.
4. Designing Evacuation Plans: Evacuation plans should be developed for high-risk areas, such as low-lying areas, river banks, and areas prone to landslides. The plans should include the identification of evacuation routes, the establishment of shelters, and the provision of transport facilities.

5. Preparing Emergency Kits: Emergency kits should be prepared and distributed to households in the district. The kits should include essential items such as food, water, medicines, and blankets.
6. Conducting Drills: Drills should be conducted periodically to test the effectiveness of the response plan and to identify any areas for improvement.

Once the preparation plan has been developed, it is important to create an implementation plan. This plan should outline the steps that will be taken to put the preparedness measures into action. The following are some key steps that should be included in the implementation plan:

1. Establishing Communication Protocols: Communication is essential during a storm event. Therefore, it is important to establish communication protocols among the various agencies and stakeholders involved in the response effort. The protocols should specify the channels of communication, the roles and responsibilities of each agency, and the frequency of updates.
2. Identifying Resources: Resources such as personnel, equipment, and supplies will be required during a storm event. It is important to identify these resources in advance and to ensure that they are available when needed. This may involve working with local vendors, emergency management organizations, and government agencies to secure the necessary resources.
3. Coordinating with External Agencies: During a storm event, it may be necessary to coordinate with external agencies, such as the National Disaster Response Force, the Indian Army, and other state or national-level organizations. Therefore, it is important to establish contact with these agencies and to establish protocols for collaboration and cooperation.
4. Conducting Training and Exercises: Training and exercises should be conducted to ensure that all stakeholders are prepared to respond effectively to a storm event. This may include tabletop exercises, functional exercises, and full-scale drills. The exercises should be designed to test the effectiveness of the preparedness measures and to identify areas for improvement.
5. Maintaining Records: It is important to maintain records of all preparedness measures, including risk assessments, response plans, communication protocols, and training and exercise records. These records should be updated regularly to reflect changes in the district's risk profile or response capabilities.

Conclusion:

In conclusion, the implementation plan is an essential component of storm preparedness in Dehradun district. It provides a roadmap for putting the preparedness measures into action and ensuring that all stakeholders are ready to respond effectively to a storm event. With proper planning, coordination, and training, we can minimize the impact of storms and protect the lives and property of the people of Dehradun district.

<u>District Disaster Management Authority, Dehradun</u>

Standard Operating Procedure (SOP)

For Tree Felling Incident

V.1.0

Standard Operating Procedure (SOP) for Tree Felling Incident in Dehradun District, Dehradun

<u>Purpose:</u> The purpose of this SOP is to provide guidelines for safely and effectively responding to any tree felling incident in Dehradun District, Dehradun, in order to minimize the risk of injury or damage to property and ensure proper management of the fallen trees.

<u>Scope:</u> This SOP applies to all individuals involved in any tree felling incident within Dehradun District, including officials of the Forest Department, Police, Fire Department, and any other relevant authorities.

Procedure:

1. **Assess the situation:** The first step is to report the Tree Felling incident to the Fire and Emergency Services department by dialing 101,108 or District Emergency Operation Center (DEOC) Control room no 0135 – 2726066 / 1077.

   Assess the situation to determine the extent of damage caused by the fallen tree. This assessment should be carried out by a qualified and experienced person.

2. **Ensure safety:** Safety is the top priority in any tree felling incident. Ensure that the area around the fallen tree is cordoned off and that people are kept at a safe distance from the fallen tree. If necessary, call for assistance from the Police or Fire Department.
3. **Report the incident:** The incident should be reported to the Forest Department immediately. Provide details such as the location of the incident, the number of fallen trees, and any other relevant information.
4. **Determine the cause:** The cause of the tree falling should be determined as soon as possible. This will help in taking corrective measures to prevent similar incidents in the future.
5. **Plan for removal:** The Forest Department will determine the best method of removing the fallen tree. The method chosen will depend on factors such as the size and location of the fallen tree, the surrounding environment, and the safety of workers.

6. **Carry out the removal:** The removal of the fallen tree should be carried out by qualified and experienced personnel. The work should be done in a safe and controlled manner to minimize the risk of injury or damage to property.
7. **Dispose of the debris:** The debris from the fallen tree should be disposed of properly. This may involve chipping the wood, using it for firewood, or transporting it to a landfill or composting facility.
8. **Communicate with the public:** The Forest Department should communicate with the public regarding the incident and the measures taken to ensure safety and prevent future incidents.
9. **Review and learn:** After the incident, a review should be conducted to identify any areas for improvement. Lessons learned should be shared with relevant stakeholders to improve the response to future incidents.
10. **Preserve the environment:** The Forest Department should also consider the environmental impact of the fallen tree and take steps to mitigate any damage caused. This may involve planting new trees or restoring the surrounding ecosystem.
11. **Follow legal requirements**: The Forest Department should also ensure that all legal requirements are met when dealing with a fallen tree. This includes obtaining necessary permits and following any relevant regulations or guidelines.
12. **Coordinate with other agencies:** Depending on the nature and extent of the incident, the Forest Department may need to coordinate with other agencies such as the Police, Fire Department, or Nagar Nigam/ Nagar Palikas/Nagar Panchyats. It is essential to have clear lines of communication and a coordinated approach to ensure a successful response.
13. **Ensure proper equipment:** The Forest Department should ensure that proper equipment is available for the safe and effective removal of fallen trees. This may include chainsaws, ropes, harnesses, and other specialized equipment.
14. **Prioritize public safety:** Throughout the response to a tree felling incident, public safety should be the top priority. All efforts should be made to minimize the risk of injury or damage to property and ensure the safety of all individuals involved.
15. **Train personnel:** Finally, the Forest Department should ensure that all personnel involved in responding to tree felling incidents are properly trained and equipped to handle the situation. This includes training on safety procedures, equipment use, and communication protocols.

By following these guidelines, the Forest Department can ensure a safe and effective response to any tree felling incident in Dehradun District, Uttarakhand. It is essential to have a clear plan in place and to work together with other agencies to minimize the impact of such incidents on the local community and environment.

Standard Operating Procedure (SOP)

For Landslide Disaster Management

District – Dehradun

District Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

Dehradun district, located in the foothills of the Himalayas, is **highly vulnerable to landslides**, especially in areas like **Mussoorie, Maldevta, Dhanaulti, Chakrata**, and **Kalsi**, due to steep terrain, deforestation, and unplanned construction. Landslides typically occur during **heavy rainfall, cloudbursts, or seismic activity**, posing serious risks to life, property, infrastructure, and road connectivity.

This SOP outlines the preparedness, response, and recovery measures required to manage landslide disasters in the district efficiently.

2. Objectives:

- Minimize **loss of life and property** caused by landslides
- Strengthen **early warning**, **community awareness**, and **preparedness**
- Ensure timely **evacuation**, **search & rescue**, and **relief operations**
- Restore **connectivity**, **infrastructure**, and **livelihoods** in affected areas

3. Landslide Risk Profile – Dehradun District:

Area/Location	Risk Level	Vulnerabilities
Mussoorie – Bhatta Fall Road	High	Tourist movement, steep slopes
Maldevta – Sahastradhara	High	Flash floods + loose soil
Dhanaulti – Kanatal	High	Seasonal tourism + road blockages
Chakrata – Tyuni	High	Forested area, communication issues
Kalsi – Vikasnagar Road	High	Road cut-offs during rain

4. Stakeholders and Roles:

Agency/Department	Role
District Administration (DM)	Overall coordination and emergency

Agency/Department	Role
	decision-making
DDMA, Dehradun	Planning, resource deployment, coordination
State Disaster Response Force (SDRF)	Search, rescue, and evacuation
Public Works Department (PWD)	Debris clearance, road restoration
Police Department	Traffic regulation, public safety, access control
Health Department	First aid, trauma care, and mobile medical services
Municipal Corporation / Panchayats	Relief camp setup, sanitation, local response
Forest Department	Land and slope stabilization efforts
NGOs & Community Volunteers	Food, clothing, support services in remote areas

5. Preparedness Measures (Pre-Landslide):

a. Hazard Mapping and Vulnerability Analysis

- Identify **landslide-prone areas** in all **blocks and urban local bodies**.
- Update **district landslide hazard map** annually with support from **Geological Survey of India (GSI)** and **IIRS**.

b. Early Warning and Alerts

- Install **rain gauges** and **slope monitoring devices** in vulnerable areas like **Mussoorie – George Everest stretch**.
- Use **SMS alerts**, **mobile apps**, and **loudspeakers** for warnings during monsoon.

c. Community Awareness and Training

- Conduct **awareness drives** in villages like **Kimadi, Gwaldam, etc.**, before the monsoon.
- Train **village disaster management committees (VDMCs)** in **first aid, evacuation, and hazard signs**.

d. Pre-Monsoon Checks

- **PWD & Forest Department** to inspect and stabilize slopes and clear **culverts/drains**.
- Pre-position **JCBs, emergency kits**, and **first aid boxes** at **Mussoorie**, **Vikasnagar**, and **Chakrata**.

6. Response Actions (During Landslide):

a. Alert and Activation

- Activate **District Emergency Operation Centre (DEOC)** and **control rooms at block level**.
- Disseminate warnings to **affected areas** through **PRI representatives and police vans**.

b. Search, Rescue & Evacuation

- Deploy **SDRF, Police, and civil defense teams** to rescue trapped individuals.
- Evacuate at-risk populations to **pre-designated shelters** like **schools and community halls**.

c. Medical Support

- Establish **medical aid posts** at relief sites with trauma care, mobile ambulances.
- Shift **critically injured** to **Doon Hospital, CHCs** using **108 ambulance services**.

d. Traffic and Road Safety

- Police and PWD to **cordon off unsafe roads**.
- Divert traffic via **alternate routes** (e.g., Dehradun-Biharigarh road if Mussoorie Road blocked).

e. Relief Camp Setup

- Set up **relief shelters** with **food, water, blankets**, and **toilets**.
- Ensure **women-friendly and child-safe spaces** in camps.

7. Post-Landslide Recovery Measures:

a. Damage Assessment

- **Revenue Department** to conduct joint surveys with **PWD and Forest Dept**.
- Document **infrastructure damage**, **crop loss**, and **casualties**.

b. Compensation and Relief

- Disburse **ex-gratia relief** as per SDRF norms (e.g., ₹4 lakh per death).
- Provide **livelihood restoration kits**, house repair grants, and **psychological support**.

c. Restoration of Connectivity

- PWD to ensure **clearing of debris**, **temporary bridges**, and **resumption of bus services**.
- Coordinate with **UPCL and Jal Sansthan** to restore **electricity and water supply**.

d. Health & Sanitation

- Ensure **chlorinated drinking water**, **sanitation kits**, and **mosquito control** in camps.
- Health Department to monitor **epidemic-prone diseases** like diarrhea and dengue.

8. Challenges & Solutions:

Challenge	Solution
Inaccessibility to remote landslide-hit villages	Use of **drones**, **porters**, and **helicopter sorties** (if needed)
Heavy rainfall obstructing response	**Pre-position resources** and use **weather forecasts** for planning
Delayed debris clearance	**Contract additional private JCBs/machinery** for 24/7 clearance
Communication blackouts	Use **satellite phones**, **ham radios**, and **community messengers**

Emergency Helplines:

Service	**Contact**
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190

Standard Operating Procedure (SOP)

For Flood Management

District Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

Dehradun district is prone to **seasonal floods** and **flash floods**, particularly during the monsoon season. Rivers such as the **Rispana, Bindal, Song, Tons, and Asan** swell rapidly due to intense rainfall, causing inundation in **low-lying urban colonies** and **villages near riverbanks**. Unplanned urbanization, encroachment on riverbeds, and poor drainage further increase flood risks.

This SOP outlines the key **preparedness**, **response**, and **recovery** actions to be taken by the district administration and allied agencies to mitigate the effects of floods.

2. Objectives:

- Minimize **loss of life**, livestock, and property
- Ensure **early warning and evacuation** from vulnerable zones
- Facilitate **coordinated response** among agencies
- Enable **quick restoration** of essential services and livelihood

3. Flood-Prone Areas in Dehradun:

Location/Area	Type of Risk	Remarks
Bindal & Rispana riverbanks	Urban flash floods	Encroachments and poor drainage
Rani Pokhri, Lachhiwala, Doiwala	Riverine flooding	Overflow from Song and Suswa rivers
Clement Town, Nehru Colony, Clock Tower	Water logging	Urban flooding due to poor drainage
Sahastradhara, Maldevta	Flash floods + landslide	Sudden surge due to hilly terrain
Vikasnagar, Kalsi	Flooding from Tons	Rural impact, agricultural losses

4. Institutional Roles and Responsibilities:

Agency	Function
District Magistrate (DM)	Overall command and control
DDMA	Coordination of flood preparedness and response
SDRF/NDRF	Search, rescue, and evacuation

Agency	Function
PWD & Jal Nigam	Drainage clearance, embankment monitoring
Irrigation Department	River level monitoring, flood control gates
Police & Home Guard	Traffic control, cordoning flooded zones
Health Department	Medical care, outbreak prevention
Municipal Corporation	Relief camp setup, water supply, sanitation
Panchayati Raj Institutions	Local-level coordination, community warnings
NGOs, Volunteers	Relief material distribution, awareness

5. Pre-Flood Preparedness Measures:

a. Hazard Mapping & Risk Assessment

- Identify flood-prone zones in urban and rural blocks.
- Update **flood hazard maps** in coordination with the **Irrigation Department** and **remote sensing agencies**.

b. Early Warning System

- Install **Automatic Weather Stations (AWS)** and **water level sensors** at critical points on **Rispana, Bindal, and Song**.
- Disseminate alerts through:
  - **SMS and mobile apps**
  - **Community sirens and PA systems**
  - **Local radio & social media**

c. Mock Drills and Training

- Conduct **pre-monsoon flood mock drills** in vulnerable areas like **Bindal river belt**, **Rani Pokhri**, and **Vikasnagar**.
- Train **village task forces** and **school children** in **evacuation and first aid**.

d. Resource Prepositioning

- Position **boats, life jackets, first-aid kits**, and **portable lights** at strategic locations.
- Prepare **temporary shelters** in schools/community halls in flood-prone zones.

e. Drainage and Embankment Checks

- Ensure pre-monsoon desilting of **nallas, rivers, and culverts**.
- Inspect and strengthen **embankments**, especially along **Song and Suswa** rivers.

6. Response Protocol (During Flood):

a. Alert and Activation

- Activate **District Emergency Operations Centre (DEOC)** and **Block Control Rooms**.
- Deploy field teams and SDRF to critical zones.

b. Evacuation Operations

- Evacuate residents from **low-lying areas** using **boats and tractors**.
- Set up **temporary shelters** at pre-identified safe locations.

c. Search and Rescue

- SDRF/NDRF teams to carry out **search and rescue** with boats and rescue lines.
- Coordinate with **Air Force** for aerial evacuation in inaccessible areas (if required).

d. Medical and Relief Services

- Set up **mobile medical camps** and distribute **ORS, clean water, medicines**.
- Ensure **relief distribution** (food packets, clothing, baby food) through municipal and NGO coordination.

e. Traffic & Communication Management

- Police to manage road closures and traffic diversion.
- Set up **helpline desks** at key junctions for assistance and information.

7. Post-Flood Recovery Measures:

a. Damage & Loss Assessment

- **Revenue Department** to conduct joint surveys for property, crop, and livestock loss.
- Submit reports for **relief and compensation** under SDRF norms.

b. Health & Sanitation

- Conduct **fogging, disinfection, and chlorination** drives in flooded areas.
- Monitor and prevent outbreaks (diarrhea, dengue, leptospirosis).

c. Restoration of Services

- Restore **power, water, roads**, and **telecom** in a phased manner.
- PWD to prioritize clearance of **key roads** like Rajpur Road, Mussoorie Diversion, and Doiwala routes.

d. Psychosocial Support

- Provide **counseling services** in relief camps.
- Special care for **children, women**, and **persons with disabilities**.

8. Challenges & Mitigation Measures:

Challenge	Proposed Solution
Flash floods during night hours	Community alert systems with automated sirens
Waterlogging in urban colonies	Mobile dewatering pumps and better drainage
Flooded health centers	Setup of mobile medical vans, PHC linkages
Encroachments on floodplains	Long-term relocation, strict urban planning

Emergency Helplines:

Service	Contact
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190
NDRF Control Room	

Standard Operating Procedure (SOP)

For Man-Made Disaster Management

District Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

Man-made disasters result from **human negligence, error, or intent**, leading to significant threats to public safety, property, and infrastructure. In Dehradun, potential man-made hazards include:

- Urban fires (residential/commercial)
- Industrial accidents (chemical, gas leakage)
- Transportation accidents (road, railway, air)
- Building collapses
- Terrorist attacks/bomb threats
- Stampedes during large events
- Environmental pollution incidents

The SOP aims to provide a framework for **coordinated response, preparedness, mitigation, and recovery** in case of such incidents.

2. Objectives:

- Ensure **immediate and coordinated response** to minimize damage
- Protect **human lives, infrastructure, and environment**
- Facilitate **inter-agency coordination**
- Enable **fast recovery** and **restoration of normalcy**

3. Potential Man-Made Disasters in Dehradun:

Disaster Type	Example/Area of Concern
Fire in commercial areas	Paltan Bazaar, Saharanpur Chowk
Industrial/Chemical hazard	Selaqui Industrial Area
Building collapse	Old constructions in Dhamawala, Chakrata Road
Road/rail accident	ISBT, Dehradun Railway Station
Terror threat/Bomb scare	Secretariat, Clock Tower, high-security zones
Stampede	Religious gatherings, events at Parade Ground

4. Stakeholders and Their Roles:

Agency/Department	Responsibility
District Magistrate (DM)	Overall incident control and coordination
DDMA, Dehradun	Coordination and logistics

Agency/Department	Responsibility
Police Department	Law enforcement, crowd control, evacuation
Fire & Emergency Services	Fire suppression, rescue operations
Health Department	Medical response, first aid, trauma support
SDRF/NDRF	Specialized rescue, structural safety, CBRN response
Municipal Corporation	Waste management, site clearance, infrastructure repair
Transport Department	Traffic management, vehicle-related accidents
Intelligence Agencies	Threat assessment, anti-terror support
NGOs & Red Cross	Relief, counseling, and post-disaster support

5. Preparedness Measures:

a. Hazard Identification & Mapping

- Identify vulnerable **industrial units**, **old buildings**, **high footfall zones**
- Maintain an updated **risk map** of Dehradun city and surrounding areas

b. Safety Audits

- Conduct **regular inspections** of:
  - Industrial plants in **Selaqui**
  - Public places like **ISBT**, **malls**, **hospitals**, and **schools**
- Enforce **fire NOCs**, structural safety, and **hazardous material protocols**

c. Community Awareness

- Awareness programs for fire safety, bomb threat reporting, and crowd behavior
- Mock drills at **schools, malls, and railway stations**

d. Emergency Equipment Stockpiling

- Maintain stocks of **fire extinguishers**, **gas masks**, **first-aid kits**
- Install **CCTV**, **public announcement systems**, and **emergency exits** in key public places

6. Response Plan (During Incident):

a. Incident Detection & Alert

- First responder alerts **DEOC/Police Control Room**
- Immediate information passed to **District Magistrate**, relevant departments

b. Activation of Response Mechanism

- Activate **District Incident Response System (IRS)**
- Mobilize **Fire Brigade**, **Police**, **Health**, and **SDRF/NDRF** as per need

c. Evacuation & Rescue

- Secure perimeter and evacuate affected zones

- Use of **fire tenders, ambulances, and rescue vehicles**
- Triage and **on-site medical care** by Health Department

d. Traffic & Crowd Control

- Police to manage **alternate routes**, crowd movement, and VIP security
- Use of drones/CCTV for real-time monitoring

e. Information Management

- Designate official spokesperson to issue updates
- Avoid spread of rumors through **verified social media channels**

7. Post-Disaster Recovery & Relief:

a. Damage Assessment

- Conduct **joint assessment** by PWD, Revenue, and other technical agencies
- Document loss of life, injury, infrastructure, environment

b. Medical & Psychological Support

- Provide trauma care and psychological counseling to victims
- Monitor hospitals for any **toxic exposure** cases in chemical accidents

c. Restoration & Cleanup

- Immediate **clearing of debris**, **fire-damaged waste**
- Begin **infrastructure repairs** and environmental clean-up

d. Investigation & Accountability

- Detailed **inquiry into cause**, negligence, and safety lapses
- File **FIRs and departmental actions** where required

e. Compensation & Support

- Disburse compensation to affected families as per SDRF norms
- Offer **livelihood and rehabilitation support** if displacement occurred

8. Special Guidelines for Specific Man-Made Hazards:

Fire Incident

- Use fire extinguishers, sand buckets
- Evacuate via fire exits
- Cut off electricity/gas supply

Chemical/Gas Leak

- Warn nearby population, evacuate downwind
- Use PPE, CBRN suits
- Decontaminate victims before hospitalization

Bomb Threat

- Alert **Bomb Disposal Squad**
- Isolate area, no mobile signals
- Controlled detonation or safe removal

Building Collapse

- SDRF with cutting tools, sniffing dogs
- Silent search operations
- Medical triage at collapse site

Emergency Helplines:

Service	Contact
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190
NDRF Control Room	

Standard Operating Procedure (SOP)
For Cloudburst Disaster Management
Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

A **cloudburst** is a sudden, intense rainfall event that typically leads to **flash floods, landslides, and debris flow**, especially in mountainous terrain. In Dehradun, areas like **Mussoorie, Sahastradhara, Maldevta, Kalsi, Dhanaulti**, and parts of **Chakrata block** are especially vulnerable to cloudbursts, particularly during **June–September**.

Due to steep slopes, deforestation, and settlements near rivers, even a brief cloudburst can cause severe damage to life and infrastructure. This SOP outlines preventive actions, coordinated response, and post-disaster recovery mechanisms.

2. Objectives:

- Minimize **loss of life, livestock, and infrastructure**
- Ensure **early warning and rapid response**
- Facilitate **inter-agency coordination and community engagement**
- Enable **swift relief and recovery operations**

3. Cloudburst-Prone Areas in Dehradun:

Location	**Type of Risk**	**Remarks**
Mussoorie – George Everest	Cloudburst + landslide	Tourist footfall + slope failure
Sahastradhara – Maldevta	Flash floods + slope erosion	Streams overflow + weak soil
Kalsi – Tyuni	Rural flash floods	Forested and hilly terrain
Chakrata region	Landslides, cloudburst	Limited road access
Kimadi, Galjwadi villages	Debris flow and isolation	Remote settlements

4. Roles and Responsibilities:

Agency	**Responsibilities**
District Magistrate (DM)	Overall incident management, resource allocation
DDMA Dehradun	Coordination of all preparedness and response activities
SDRF / NDRF	Search & rescue, debris removal, slope safety
Meteorological Department (IMD)	Forecasting and alerts
Health Department	First aid, trauma, mobile health services
PWD / Rural Development	Road clearance, culvert restoration, access routes
Forest Department	Slope stabilization, tree plantation
PRIs / Urban Local Bodies	Local awareness and alert dissemination
NGOs / Community Groups	Support in rescue, relief and community mobilization

5. Preparedness Measures:

a. Early Warning System

- Tie-up with **IMD & State Disaster Management Centre (SDMC)** for real-time radar-based alerts.
- Install **rain gauges and wireless sensors** in vulnerable hilly zones (e.g., Maldevta, Dhanaulti).
- Disseminate warnings via:
    - SMS, WhatsApp, sirens
    - Local miking through police and volunteers
    - Social media, community radios

b. Community Awareness

- Educate villagers and tourists on **cloudburst signs** (dark clouds, roaring sound, sudden rain).
- Train local volunteers in **first response, evacuation, and safe sheltering**.

c. Mock Drills

- Conduct **annual cloudburst evacuation drills** in Mussoorie, Chakrata, and Sahastradhara zones.
- Integrate **school safety programs** in high-risk blocks.

d. Infrastructure Preparedness

- Identify and maintain **relief shelters** and **safe locations** in each vulnerable village.
- Keep **boats, ropes, stretchers, life jackets, emergency kits** in local police stations and block HQs.
- Pre-monsoon **clearing of nullahs, drains, and culverts** in all risk areas.

6. Response Actions (During Cloudburst Event):

a. Alert Activation

- DEOC receives alert from IMD or local observer
- **Inform line departments** and mobilize SDRF, police, health teams

b. Search, Rescue & Evacuation

- Deploy SDRF/NDRF and police to the affected site
- **Evacuate population** near riverbanks, landslide-prone slopes
- Use **loudspeakers, emergency sirens** for public alert

c. Medical and Relief Support

- Set up **first aid posts** and deploy **ambulances** in affected area
- Shift critical patients to **Doon Hospital or CHCs**
- Provide **dry ration, ORS, clothing, blankets** at relief camps

d. Communication and Traffic Control

- Police to divert traffic from affected areas (e.g., Mussoorie Road)
- Maintain **radio and wireless communication** in case of signal failure
- Provide **daily press releases** to control rumors and panic

7. Post-Cloudburst Measures:

a. Damage Assessment

- **Revenue and PWD** to conduct joint surveys
- Assess damage to **houses, roads, water sources, farmlands**

b. Restoration of Services

- Clear debris from roads (priority: Mussoorie, Tyuni routes)
- Restore electricity, mobile networks, and water supply

c. Health & Sanitation

- Deploy **medical camps** to prevent water-borne diseases
- Ensure **clean drinking water, toilets, disinfection** of relief areas

d. Compensation and Relief

- Disburse ex-gratia payments as per **SDRF/NDMA norms**
- Provide **livelihood kits, house repair assistance**, psycho-social care

8. Emergency Contacts (Dehradun):

Service	**Contact**
DDMA Control Room	**+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)**
Medical Helpline	**104**
Police Help	**100**
Ambulance	**108**
COVID Support (If applicable)	**0135-2724506**
Fire	**0135-2716242**
SDRF Control Room	**+91 9456596190**
NDRF Control Room	

9. Challenges & Solutions:

Challenge	**Solution**
Remote villages cut off	Use of **drones, helicopters**, and **wireless sets**
Flash floods blocking main roads	**Alternate routes pre-identified and marked**
Delay in alert reception	Use of **community-based weather observers**
Tourists unaware of risks	**Pre-warning signs** and **SMS alerts to visitors**

Standard Operating Procedure (SOP)
For Hailstorm, Thunderstorm, and Tree Fall Incidents
District Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

Dehradun, being in the **foothills of the Himalayas**, is frequently impacted by **seasonal thunderstorms**, **hailstorms**, and **gusty winds**, particularly during the **pre-monsoon (April–June)** and **post-monsoon periods**. These events lead to:

- **Crop loss** in rural areas
- **Damage to vehicles and rooftops** from hail
- **Falling of trees and electric poles**
- **Disruption in power supply and traffic movement**
- **Injuries and fatalities**

This SOP aims to guide **preparedness, real-time response, and post-event recovery** actions by district authorities.

2. Objectives:

- Minimize **loss of life, livestock, and property**
- Ensure **prompt response and clearance of debris**
- Facilitate **restoration of public services**
- Enable **timely compensation and damage assessment**

3. Vulnerability Profile – Dehradun District:

Location	Type of Incident	Remarks
Urban Areas (e.g., Rajpur, Dalanwala, Vasant Vihar)	Tree fall, infrastructure damage	Due to heavy roadside plantations
Rural belt (e.g., Vikasnagar, Sahaspur, Doiwala)	Hailstorm, crop damage	Wheat, mango, and vegetables at risk
Hill Roads (e.g., Mussoorie, Maldevta)	Tree fall, landslide triggers	Narrow roads and steep slopes
Power lines in forested zones	Tree fall, short circuit	High vulnerability to power outages

4. Roles and Responsibilities:

Agency	Key Responsibility
District Magistrate (DM)	Overall coordination and resource mobilization
DDMA Dehradun	Monitoring, planning, and inter-agency coordination
Forest Department	Removal of fallen trees from roads and trails

Agency	Key Responsibility
Municipal Corporation/PRIs	Clearance of urban areas, debris, and tree logs
Health Department	Emergency medical services for injured
Police & Home Guard	Traffic control, crowd management
UPCL (Electricity)	Power restoration, live wire hazards
Agriculture Department	Crop loss assessment, farmer compensation
Fire Department	Rescue from trapped vehicles/structures

5. Pre-Disaster Preparedness:

a. Weather Monitoring & Alerts

- Establish coordination with **IMD (Dehradun)** for real-time storm and hail alerts.
- Issue public alerts via:
    - SMS, WhatsApp, social media
    - Community radios, loudspeakers

b. Tree Risk Identification

- Identify and mark **leaning/weak trees** near:
    - Schools
    - Hospitals
    - Government buildings
    - Roads and power lines

c. Pre-Positioning of Resources

- Chainsaws, power cutters, ropes, JCBs stationed at:
    - Forest Checkposts
    - Fire Stations
    - PWD Camps

d. Public Awareness

- Issue advisories on:
    - Staying indoors during storms
    - Avoiding shelter under trees/electric poles
    - Driving precautions on forested and hilly roads

6. Response Actions (During/Immediately After Incident):

a. Incident Reporting

- DEOC/Control Room to receive alerts from:
    - Public

    - Police
    - Revenue or forest staff

b. Rapid Response Activation

- Forest/PWD/Municipality teams deployed for:
    - **Tree cutting and road clearance**
    - **Log and debris removal**

c. Emergency Services

- Ambulances and **mobile health teams** to reach injury sites
- Fire services for **rescue or structure collapse**

d. Electric and Traffic Safety

- UPCL to **deactivate power lines** in affected zones
- Police to:
    - Redirect traffic
    - Create **cordon zones** around live wires/tree fall zones

e. Shelter and Relief

- Temporary shelter for displaced people due to:
    - House damage
    - Storm-related risk
- Distribution of food, blankets, water as required

7. Post-Disaster Recovery Measures:

a. Damage Assessment

- Joint inspection by:
    - Revenue Department (for life/property loss)
    - Agriculture Officers (for crop loss)
    - Forest Officers (tree damage estimation)

b. Compensation & Relief

- Provide ex-gratia relief as per **SDRF norms**
    - Loss of human life
    - Livestock death
    - House damage
    - Crop damage

c. Restoration of Services

- UPCL to restore power lines and transformers
- PWD/PRIs to repair broken roads and culverts
- Forest Department to replant uprooted trees in open zones

d. Documentation & Reporting

- Maintain event-wise logs
- Submit **disaster report** to SDMA and State Relief Commissioner

8. Emergency Contact Numbers – Dehradun

Service	Contact
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190
Forest Department (24x7)	1926
Power Complaint (UPCL)	1912 /
Agriculture Helpline	1800-180-1551 Land Line No: 0135-2972421/ 2972422

9. Challenges & Recommendations

Challenges	Recommendations
Sudden storms during night hours	Deploy **night patrolling teams**, auto-warning sirens
Road blockage in hills due to tree fall	Pre-identify **alternate village routes**
Live electric wires under fallen trees	Forest-UPCL joint clearing teams with safety training
Lack of community awareness	Regular **pre-monsoon campaigns & advisories**

Standard Operating Procedure (SOP)
For Human-Wildlife Conflict
Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction

Dehradun, located in the foothills of the Himalayas, is witnessing an increase in human-wildlife conflicts due to urban expansion, habitat fragmentation, and encroachment into forested areas. Species such as leopards, elephants, and wild boars are frequently involved in these incidents, leading to human casualties and livestock losses. In 2022 alone, Uttarakhand recorded 82 human fatalities due to wildlife attacks, the highest in two decades. The Times of India

2. Objectives

- **Prevent** human-wildlife conflicts through proactive measures.
- **Ensure** timely response and mitigation during conflict incidents.
- **Provide** support and compensation to affected individuals.
- **Promote** coexistence between humans and wildlife.

3. Roles and Responsibilities

Stakeholder	Responsibilities
Forest Department	-Monitor wildlife movements. -Implement mitigation measures. - Provide training to local communities.
Local Authorities	- Facilitate community awareness programs. - Support the Forest Department in implementing SOPs.
Community Volunteers	- Assist in monitoring and reporting wildlife sightings. - Educate fellow community members on safety measures.
Veterinary Services	- Provide medical assistance to injured wildlife. - Assist in tranquilizing and relocating animals when necessary.
Law Enforcement	- Ensure public safety during conflict situations. - Assist in crowd control and enforcement of safety protocols.

4. Preventive Measures

- **Habitat Management**: Enhance and maintain natural habitats to reduce wildlife movement into human settlements.
- **Physical Barriers**: Erect fences, trenches, or other barriers to prevent wildlife from entering agricultural or residential areas.
- **Crop Diversification**: Encourage farmers to grow crops that are less attractive to wildlife.
- **Community Awareness**: Conduct regular workshops and awareness programs to educate communities about safe practices and the importance of wildlife conservation.
- **Early Warning Systems**: Establish systems to alert communities about potential wildlife movements or conflicts .

5. Response to Conflict Incidents

Immediate Actions:

- **Ensure Safety**: Prioritize human safety by evacuating individuals from the conflict zone.
- **Alert Authorities**: Notify the Forest Department and local law enforcement immediately.
- **Provide Medical Assistance**: Offer first aid to injured individuals and arrange for transportation to medical facilities if needed.

Wildlife Management:

- **Assessment**: Evaluate the situation to determine if the wildlife poses an ongoing threat.
- **Tranquilization and Relocation**: If necessary, tranquilize and relocate the animal to a safer habitat.
- **Medical Care**: Provide veterinary care to injured wildlife.

Post-Incident Actions:

- **Investigation**: Determine the cause of the conflict to prevent future occurrences.
- **Compensation**: Provide compensation to affected individuals as per government norms.
- **Review**: Assess the effectiveness of the response and update SOPs accordingly.

6. Training and Capacity Building

- **Regular Drills**: Conduct mock drills to prepare all stakeholders for potential conflict situations.
- **Skill Development**: Train personnel in wildlife behavior, tranquilization techniques, and emergency response.

Community Engagement: Involve local communities in training sessions to build trust and **cooperation.**

7. Monitoring and Evaluation

- **Data Collection**: Maintain records of all HWC incidents, including details of the wildlife involved, damages incurred, and actions taken.
- **Analysis**: Regularly analyze data to identify patterns and hotspots of conflict.
- **Feedback Mechanism**: Establish a system for receiving feedback from communities to improve SOPs.

8. Collaboration and Coordination

- **Inter-Departmental Coordination**: Ensure regular communication between the Forest Department, local authorities, law enforcement, and other relevant agencies.
- **Community Partnerships**: Foster partnerships with local communities, NGOs, and wildlife conservation organizations.
- **Cross-Border Cooperation**: Collaborate with neighboring states or countries if wildlife movements cross borders.

8. Emergency Contact Numbers – Dehradun

Service	Contact
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190
Forest Department (24x7)	1926
Power Complaint (UPCL)	1912 /
Agriculture Helpline	1800-180-1551 Land Line No: 0135-2972421/ 2972422

Standard Operating Procedure (SOP)
Biological Disaster Management – District Dehradun
Prepared by: District Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

Dehradun, the capital of Uttarakhand, is a densely populated district with urban-rural gradients, major institutions (AIIMS Rishikesh nearby, Doon Medical College), and a mobile population due to tourism, education, and government services.

The district is vulnerable to **biological disasters** such as pandemics (e.g., COVID-19), zoonotic outbreaks (e.g., avian influenza), and potential bioterrorism threats due to its strategic importance.

This SOP outlines a structured plan to **prevent, prepare for, respond to, and recover from** biological emergencies.

2. Objectives:

- Prevent the outbreak or spread of infection in the district
- Ensure coordinated emergency response and resource management
- Strengthen healthcare and quarantine infrastructure
- Minimize disruption to essential services
- Promote accurate and timely public awareness

3. Risk Profile of Dehradun District:

Parameter	Risk
High population density (e.g., Paltan Bazaar, Patel Nagar)	High transmission risk
Urban slums & migrant labor pockets	Low health access
Wildlife interface zones (e.g., Rajaji National Park edges)	Zoonotic outbreak risk
Medical institutions	High patient inflow; risk of institutional spread

4. Key Stakeholders in Dehradun:

Department/Agency	Roles

Department/Agency	Roles
Chief Medical Officer (CMO), Doon Hospital	Surveillance, treatment, referrals
District Magistrate (DM)	Emergency powers, coordination, resource mobilization
DDMA Dehradun	Preparedness planning, logistics
SDRF/Uttarakhand Police	Enforcement of restrictions, lockdown
Municipal Corporation of Dehradun (MCD)	Sanitation, disinfection, biomedical waste
Health Department of Uttarakhand	Lab testing, protocols, vaccination
NGOs & Community Volunteers (e.g., Red Cross)	Awareness, food kits, counseling

5. Preparedness Measures (Pre-Disaster):

A . Health Infrastructure:

- Identify **isolation wards** at Doon Hospital, Coronation, and private hospitals
- **Quarantine centres**: e.g., ITI Niranjanpur, hostel facilities near ISBT
- Stock **PPE kits, oxygen cylinders, ventilators**, and essential medicines

B. Surveillance:

- Activate **IDSP (Integrated Disease Surveillance Program)** network
- Screening at **ISBT, railway station, Jolly Grant Airport**

C . Training:

- Capacity-building for **ASHA workers, ANMs, and ward-level health staff**
- Conduct **mock drills** in collaboration with SDRF & civil defense

D. IEC Campaigns:

- Distribution of **pamphlets, videos, mobile van announcements** in local languages
- Awareness in markets (e.g., Saharanpur Chowk), schools, and religious places

6. Response Protocol During Biological Disaster:

A . Detection & Isolation:

- Immediate isolation of suspected cases in government facilities

- Activate **rapid response teams (RRTs)** at block level
- Daily updates to the **state IDSP cell**

B . Contact Tracing & Containment:

- Deploy mobile teams for **door-to-door screening** in containment zones
- Declare **micro-containment zones** (e.g., specific mohallas in Dalanwala, Rajpur)
- Provide home isolation kits and tele-consultation

C . Enforcement:

- Impose **Section 144 CrPC** or lockdown if required
- Regulate gatherings in religious areas like Tapkeshwar temple, Buddha temple
- Monitor markets and transport hubs with **CCTV, drones, and police patrols**

D . Essential Services:

- Ration kits via **public distribution system (PDS)**
- Online/telephonic delivery of medicine and groceries
- Coordination with **Uttarakhand Transport Corporation** for emergency mobility

E . Public Communication:

- Daily briefings by **DM or CMO**
- Updates via **local FM channels, Doordarshan, district website, WhatsApp groups**
- Debunk misinformation through official Twitter handle: **@DistDehradun**

7. Post-Disaster Measures:

- Disinfection of all affected buildings and public spaces
- Psychological counseling for affected individuals and front-line workers
- Review of response with stakeholder debriefings
- **Data archiving and epidemiological study** for future preparedness
- Public honoring and certification for **frontline heroes**

8. Logistics & Resource Management:

Resource	Availability	Remarks
Isolation Beds	Yes	Doon, Coronation, Max Hospital etc.
Oxygen Plants	Yes	AIIMS, Doon Hospital
Ambulances	Yes	108, Private

Resource	Availability	Remarks
Cold Chain for Vaccines	Yes	PHCs, CHCs

Overall Managed by Chief Medical Officer, Dehradun *(Team IDSP, Team District Immunization)*

9. Emergency Helplines:

Service	Contact
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190

Standard Operating Procedure (SOP)
For Earthquake Management
District – Dehradun
District Disaster Management Authority (DDMA), Dehradun

1. Introduction:

Dehradun, the capital of Uttarakhand, is situated in a **seismic zone IV** (moderate to high risk), meaning the district is vulnerable to earthquakes of significant magnitude. The district is characterized by a mix of urban and hilly terrain, with a combination of older infrastructure, densely populated areas, and remote villages, all of which contribute to various challenges during an earthquake.

In the event of an earthquake, the district's key focus must be on minimizing **loss of life**, restoring **critical services**, and supporting **swift recovery** efforts. This **SOP for Earthquake Management** is designed to guide the actions of various stakeholders in Dehradun, ensuring a structured and coordinated response.

2. Objectives:

- **Minimize loss of life** and **property damage** due to earthquakes in Dehradun district.
- Ensure **swift and effective response** by involving all relevant stakeholders.
- Rehabilitate affected communities and **restore infrastructure** quickly.
- Foster **public awareness** and **community preparedness** in earthquake-prone areas.

3. Earthquake Risk Profile:

Dehradun, located at the foothills of the **Himalayas**, faces several seismic risks. The **Mussoorie hills** and the **Jaunsar-Bawar region** are vulnerable to both seismic activity and secondary disasters like landslides.

Area	Risk Level	Risk Factors
Urban Areas (Dehradun city, Clement Town, Nehru Colony)	High	Dense population, old buildings, poorly constructed high-rise buildings
Hilly Areas (Mussoorie, Dhanaulti)	Medium	Steep slopes, landslide-prone, remote

Area	Risk Level	Risk Factors
		villages
Peripheral Villages (e.g., Chakrata, Kalsi)	Low	Lesser population but vulnerable infrastructure, difficult access during disasters

4. Key Stakeholders and Roles in Dehradun:

Agency/Department	Role
District Magistrate (DM)	Overall coordination, decision-making, and resource allocation
Dehradun Disaster Management Authority (DDMA)	Emergency coordination, resource mobilization, logistics
State Disaster Response Force (SDRF)	Search and rescue, debris removal, assisting in evacuations
Dehradun Police	Law and order enforcement, traffic control, and evacuation
Health Department	First aid, trauma care, medical camps, and hospital management
Public Works Department (PWD)	Infrastructure damage assessment, road clearance, and repairing damaged roads
Municipal Corporation of Dehradun	Sanitation, waste management, water, and disinfection
NGOs (Red Cross, Rotary Club, etc.)	Relief material distribution, shelter support, psychological counseling
Fire Department	Fire rescue operations, first response in collapsed buildings

5. Preparedness Measures (Pre-Earthquake):

a. Risk Mapping and Vulnerability Assessment:

- Identify **high-risk buildings**, including **old constructions** in Dehradun city and **remote areas** like Mussoorie and Dhanaulti.
- Focus on **critical infrastructure**, such as **hospitals (e.g., Doon Hospital)**, **schools**, and **government offices** to ensure they meet seismic standards.

b. Public Awareness and Education:

- **Workshops** and **training sessions** in schools, government offices, and residential societies on **earthquake safety** (e.g., "Drop, Cover, and Hold On").
- **Community awareness drives** in earthquake-prone regions like **Rajpur**, **Vikasnagar**, and **Mussoorie** using flyers, social media, and public meetings.

c. Preparedness Drills and Training:

- Conduct **mock drills** in schools, hospitals, and government buildings in **Dehradun city** and rural blocks such as **Kalsi** and **Chakrata**.
- Train **local volunteers, ASHA workers**, and **first responders** on earthquake rescue and trauma care.

d. Seismic Reinforcement of Infrastructure:

- **Retrofitting** of **old government buildings** like schools, hospitals, and municipal offices.
- Enhance the **earthquake resilience** of **important roads and bridges**, especially those leading to **Mussoorie** and **Dhanaulti**, which are crucial during an emergency.

e. Emergency Kits and Shelter Preparation:

- Ensure **stockpiling** of **first aid kits**, **food**, **water**, **medicines**, **tents**, and **blankets** at **relief shelters** like **Rajkiya Inter College** and **Prem Nagar School**.
- Prepare **temporary shelters** in **public parks** and **sports complexes** in case of mass displacement.

6. Response Protocol During Earthquake:

a. Immediate Actions (During Earthquake):

- **If indoors**, follow the **“Drop, Cover, and Hold On”** method. Stay under strong furniture or in door frames.

- **If outdoors**, move to an open area away from buildings, trees, and power lines.
- **Broadcast alerts** via loudspeakers and social media to guide the public (e.g., "Do not panic, evacuate calmly to the nearest open space").

b. Search and Rescue Operations:

- Deploy **SDRF and NDRF teams** for **search and rescue** efforts in collapsed buildings.
- Set up **rescue teams** at **high-risk areas** such as **old markets** in **Dehradun city** and **hilly areas** like **Mussoorie**, where landslides may further complicate rescue efforts.

c. Medical Response:

- Set up **field hospitals** at relief camps and the **Doon Hospital** to handle trauma patients.
- Utilize **mobile health units** to reach **remote villages** and **hilly regions** like **Chakrata** and **Kalsi**.

d. Evacuation:

- Identify **safe evacuation routes** (e.g., bypass roads, green spaces) in **Dehradun city**.
- Evacuate people from vulnerable areas, especially **old buildings** and **slum areas** in **Clement Town** and **Dalanwala**.

e. Public Communication:

- Ensure **real-time communication** through **SMS alerts, social media**, and **local FM radio** channels.
- Issue safety instructions regarding aftershocks, food distribution, and available shelters.

7. Post-Earthquake Response (Recovery):

a. Damage and Needs Assessment:

- Conduct a **rapid damage assessment** with **PWD, local authorities**, and **SDRF** teams to evaluate infrastructure damage and casualties.
- Assess **health infrastructure** to understand the need for more medical supplies, beds, and support.

b. Relief Distribution:

- Set up **relief camps** at various points like **Rajkiya Inter College** and **Doon Stadium**, providing **food, water, blankets, and medical aid**.
- Ensure **equitable distribution** of relief materials to affected areas, including **rural villages** and **hilly regions**.

c. Restoration of Services:

- **Clear debris** from key roads (e.g., Rajpur Road, Mussoorie Road) to facilitate movement.
- **Restore electricity** and water supply in critical areas, particularly **hospitals** and **shelter zones**.

d. Psychological Support:

- Establish **mental health helplines** and counseling services for those affected by trauma.
- Provide **psychiatric care** at relief shelters and through outreach in affected areas.

8. Challenges & Solutions in Dehradun:

Challenge	Solution
Landslides in hilly areas (Mussoorie)	Deploy **drone surveillance**, **helicopter rescues**, and **earth-moving equipment**
Access issues in remote villages (Chakrata, Kalsi)	Use **mobile response units**, **local volunteers**, and **snowmobiles (if winter)**
Overcrowding in relief shelters	Use **multiple shelter sites**, **community halls**, and **sports complexes**
Damage to infrastructure (roads, bridges)	Prioritize **debris clearance**, use **heavy machinery**, and set up **temporary bridges**

9. Emergency Helplines:

Service	Contact

Service	Contact
DDMA Control Room	+91-75348260660, 135-2726066 & 2626066/ 1077 (Toll Free)
Medical Helpline	104
Police Help	100
Ambulance	108
COVID Support (If applicable)	0135-2724506
Fire	0135-2716242
SDRF Control Room	+91 9456596190

Annexure – 1

Annexure – 1

Sr. No.	Road Type	Geo Location	Photographs if Available
1	त्यूनी-पुरौला-नौगांवमोटरमार्गकिमी० 5 मेंग्राममैन्द्रथकेनिकट आंशिकरूपसेबन्दहै।	Lat 30.952219° Long 77.906901°	
2	कोटी-कनासर-रजाणूमोटरमार्गकिमी० 11, 13, 14 मेंबन्दहै।	Lat 30.791141° Long 77.786153°	
3	टुगरासम्पर्कमोटरमार्ग किमी० 1 मेंबन्दहै।	"Lat 30.655914° Long 77.891531°"	

4	बोसानमोटरमार्गकि० मी० 01 मेंबंदहै।	Lat 30.521046 Long 77.866129	
5	कोटी-कनासर-रजाणू-पिंगवामोटरमार्गकि०मी० 3, 4, 5 मेंबंद।	Latitude: 30.809381 Longitude: 77.786177	
6	कालींगाड़-सरोनामोटरमार्गकिमी० 6, 7, 8 मेंबन्दहै।	-	
7	मालदेवता-सेरकी-सिल्लामोटरमार्गकिमी० 11, 12, 13 मेंबन्दहै।	-	

8	मसूरी-देहरादूनराज्यमोटरमार्ग सं-1किमी 25मेंभू-धंसावकेकारणग्लोगीकेनिकटभारीवाहनोहेतुबन्दहै।	-	
9	कालसी-बैराटखाईमोटरमार्गकि0मी0 15 एवं 16 मेंबन्दहै।	Lat : 30.588448, Long : 77.940375	
10	रावनापुरोडीसम्पर्कमार्ग कि0मी0 1, 2 मेंबंद।वर्तमानमेंहल्केवाहनोकेयातायातहेतुवैकल्पिकमार्गरावनासंपर्कमार्गहै।	Lat : 30.666915 Long: 77.900558	

11	अणु-चिल्हाड़मार्गकि०मी० 4, 5 मेंबंद।	Lat: 30.864094, Long : 77.821719	
12	रायपुरथानोबडकोटमार्गपरजाखननदीसेसुरतधारसनगांवनाहीकलासतेलीकि०मी० 1 मेंबंद।	Lat: 30.233499, Long : 78.240247	
13	बोराड़मोटरमार्गकिमी0 3,5,7 मेंबन्दहै।	Latitude: 30.93905 Longitude: 77.861983	
14	रोटाअटलएमआरमोटरमार्गकिमी0 1 मेंबन्दहै।	Latitude: 30.808786 Longitude: 77.834954	

15	दरागाड़काठियानतियुनीमोटरमार्ग 24 मेंबन्दहै।	Lat 30.724447° Long 77.903977°	
16	खारसीमोटरमार्गकि0 मी0 11 मेंबंद।	Lat 30' 44'24 N Long 77'58'07 E	
17	दारागाड़-कथियानराज्यमार्गसंख्या- 82, कि0मी0 23, 24, 27 मेंखदराकेनिकटबंद।	-	
18	घुत्तुगन्धकपानीमोटरमार्गकि0मी0 4, 5, 10 मेंबन्द।	-	

<table>
<tr><td>19</td><td>बनियानामोटरमार्गकि0 मी 3, 6, 8, 9 मेंबंद</td><td>-</td><td>
</td></tr>
<tr><td>20</td><td>कोठाबेंड-सैंज-चन्देऊमोटरमार्गकि0 मी 3, 4, 7, 9 मेंबंद</td><td>-</td><td>
</td></tr>
</table>

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎️ दूरभाष :

0135-2726066, 2626066

📱 मोबाइल :

+91 9855828317

✉️ ई-मेल :

deoc.pgrc.ddn@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,
जनपद देहरादून, उत्तराखंड ।